7 अगस्त, 1995

श्रवण, 1917 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौदहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. 54
Date 5.7.96

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

विषय-सूची

दशम माला, खंड 43, चौदहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 6, सोमवार, 7 अगस्त, 1995/16 श्रावण, 1917 (शक)

विषय	पृष्ठ
मोरक्को के संसदीय प्रतिनिधिमण्डल का स्वागत	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तरः	
*तारांकित प्रश्न संख्याः 101, 102, 104 और 105	1–20
प्रश्नों के लिखित उत्तरः	
तारांकित प्रश्न संख्याः 103 और 106 से 120	20–70
अतारांकित प्रश्न संख्याः 960 से 1179	70–260
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	274–275
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	275
दसवां प्रतिवेदन	
गृह कार्य संबंधी समिति	275
इक्कीसवां प्रतिवेदन—सभा-पटल पर रखा गया	
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96	276
नियम 377 के अधीन मामले	276–279
(एक) हिमाचल प्रदेश की पनबिजली परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	276
(दो) बिहार के सीमावर्ती जिले सहरसा, दरभंगा और फारबिसगंज के बीच सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता	
श्री सूर्य नारायण यादव	276
(तीन) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषतः पौड़ी तथा चमोली जिलों में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढ़े जाने की आवश्यकता	
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी	277
(चार) बिहार के पलामू, चतरा और गया जिलों के गांवों को थल सेना के उपयोग के लिये अधिग्रहीत किये जाने से रोकने की आवश्यकता	
श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा	277
(पांच) राजस्थान में गैस पर आधारित बिजली घरों की स्थापना करने हेतु प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता	
श्री दाऊ दयाल जोशी	278

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(छह) जलपाईगुड़ी जिले के मयनागुड़ी ब्लाक मुख्यालय में एस.टी.डी. सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता	
श्री जितेन्द्र नाथ दास	278
गणपूर्ति के अभाव में सभा की बैठक स्थगित करने संबंधी घोषणा	283
प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक	279–282
(राज्य सभा द्वारा यथा पारित)	283–306
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती सरोज दुबे	279
डा० वसंत पवार	283
श्री सैयद शहाबुद्दीन	286
श्रीमती गीता मुखर्जी	287
श्री एम० आर० कादम्बूर जनार्दनन	289
श्रीमती सुमित्रा महाजन	292
श्री याइमा सिंह युमनाम	294
श्रीमती गिरिजा देवी	295
श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी	297
श्री दाऊ दयाल जोशी	298
श्री गिरधारी लाल भार्गव	299
श्री पवन सिंह घाटोवार	301
खण्ड 2 से 6 और 1	303
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री पवन सिंह घाटोवार	305
प्रारूप कृषि नीति संकल्प (यथा उपान्तरित) पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव	306–321, 328–340
श्री बलराम जाखड़	306
श्री अमरपाल सिंह	318
श्री वी० एस० विजयराघवन	328
श्री बी० एन० रेड्डी	333
श्री उमराव सिंह	337
मंत्री द्वारा वक्तव्य	321–328
देश में अपराध की स्थिति – **सभा-पटल पर रखा गया।**	

लोक सभा

सोमवार, 7 अगस्त 1995/16 श्रावण, 1917 (शक)

लोक सभा 11.04 म०पू० पर समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

मोरक्को के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यों, सबसे पहले मुझे एक घोषणा करनी है।

मुझे, अपनी ओर से और सभा के माननीय सदस्यों की ओर से, मोरक्को की प्रतिनिधि सभा के प्रेसिडेंट, महामहिम श्री मोहम्मद जलाल इसाइद और मोरक्को के संसदीय शिष्ट मंडल के मानीय सदस्यों का हमारे विशिष्ट अतिथियों के रूप में, जो कि भारत के भ्रमण पर आयें हैं, स्वागत करते हुए अत्यन्त खुशी हो रही है।

शिष्ट मंडल के अन्य माननीय सदस्य हैं:-

1. श्री मोहम्मद डबाच
2. श्री अबेडेलकेबीर बेन जोइना
3. श्री अमारा हज अमारा
4. श्री मोहम्मद मौसौई
5. श्री मोहम्मद जल बसरी
6. श्री इदरिस लाचगर
7. श्री मोहम्मद बेन जरकुआल
8. श्री ऐत एम' बराक
9. श्री अबदेलजलील अमराना

शिष्टमंडल 6 अगस्त, 1995 की सांय दिल्ली पहुँचा था। अब वे विशेष कक्ष में बैठे हैं। हम अपने देश में उनके सुखद प्रवास की कामना करते हैं। हम उनके माध्यम से मोरक्को के राजा, प्रतिनिधि सभा, सरकार और मित्रवत् जनता को अपनी शुभकामनाएं भेजते हैं।

11.06 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

टिहरी बाँध परियोजना

*101. **श्री रामेश्वर पाटीदारः** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार टिहरी बाँध परियोजना का निर्माण निरन्तर करा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके निर्माण पर जुलाई, 1995 तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस परियोजना के आकार और स्वरूप को अब अंतिम रूप दे दिया है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके निर्माण के सम्बन्ध में लिए गए अंतिम निर्णय के अनुसार इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ङ) इस परियोजना के कब तक पूरा किए जाने की सम्भावना है?

[अनुवाद]

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) टिहरी बांध का निर्माण कार्य, आंदोलन के कारण अप्रैल, 1992 में स्थगित कर दिया गया था और सभी आपत्तियों को मद्देनजर रखते हुए समग्र मामले की सघन समीक्षा किए जाने के पश्चात् मार्च, 1994 से कार्य को पुनः आरंभ किए जाने का निर्णय लिया गया था और तब से कुछ बाधाओं के साथ कार्य सतत् रूप से किया जा रहा है।

(ख) जुलाई, 1995 तक परियोजना पर कुल मिलाकर 932 करोड़ रु० (अनंतिम) की राशि व्यय की जा चुकी है।

(ग) व (घ) जी, हाँ। टिहरी जल विद्युत काम्प्लैक्स में 5585 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले निम्नलिखित कार्यों के शामिल होने की परिकल्पना की गई है:-

(1) जल विद्युत संयंत्र (4X250 मे०वा०) के साथ एक रॉकफिल बांध।

(2) जल विद्युत संयंत्र (4X100 मे०वा०) के साथ टिहरी अनुप्रवाह में एक कंक्रीट कोटेश्वर बांध।

(3) टिहरी में एक पम्प स्टोरेज संयंत्र (4X250 मे०वा०)

(4) सम्बद्ध पारेषण प्रणाली।

तथापि, केन्द्रीय सरकार ने परियोजना के चरण-1 के आकार और स्वरूप को निम्नवत अंतिम रूप दिया है :

		अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1.	टिहरी बांध और जल विद्युत संयंत्र चरण-1 (1000 मे०वा०)	2815.00
2.	निम्न के न्यूनतम आवश्यक कार्य:	
	(1) कोटेश्वर बांध और एच०पी०पी०(400 मे०वा०)	54.36
	(2) पम्प स्टोरेज संयंत्र (1000 मे०वा०)	114.30
	(3) चरण-1 के लिए सम्बद्ध पारेषण प्रणाली	371.00
	जोड़ :	3354.66

(ङ) अब यह अनुमान लगाया गया है कि यदि कार्य में कोई बाधा नहीं आती है तो परियोजना का चरण एक 2000 ईसवीं तक पूरा हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदारः अध्यक्ष महोदय, टिहरी बांध परियोजना की कल्पना 1950 में की गयी थी और उसके बाद 1972 में योजना मंडल ने इसकी मंजूरी दी थी और तब से लगातार इस पर कभी काम चलता है, कभी बंद होता है। बीच में दो वर्ष बंद हो गया। पहले जब फाइनल की गयी तो इसकी कॉस्ट 194 करोड़ रुपये थी, आज वह बढ़कर 5583 करोड़ रुपये पर पहुँच गयी है। इस बांध परियोजना की कल्पना पहले रूस के साथ की गयी और रूस भागीदार था परन्तु बाद में उसने हाथ खींच लिया तो केन्द्र सरकार अब हाईड्रो प्रॉजेक्ट के साथ मिलकर इस बांध को बनाने जा रही है। अभी पिछले दिनों इस बांध परियोजना के विरुद्ध श्री सुन्दर लाल बहुगुणा आमरण अनशन पर बैठे थे तो माननीय प्रधान मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इस बांध की समीक्षा फिर से की जायेगी। प्रधान मंत्री जी के आश्वासन के बाद राज्यपाल महोदय उनसे मिले और श्री बहुगुणा जी से कहा कि बांध की पूरी समीक्षा की जायेगी और उसके लिये एक कमेटी बनायी जायेगी। कमेटी के लोगों के नामों को भी बता दिया। परन्तु बाद में प्रधान मंत्री महोदय ने विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करते हुये कहा कि बांध की कोई समीक्षा नहीं की जायेगी, केवल जो नये सवाल उठेंगे, उस पर चर्चा की जायेगी। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इतना लम्बा समय गुजर जाने के बाद और जब तीन बार समीक्षा हो चुकी है, 1992 में प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था, श्री बहुगुणा जी ने अनशन किया तो आश्वासन दिया गया और जब बार-बार यह समीक्षा की जा रही है तो क्या इन सब समीक्षाओं के साथ पूरी तरह से सारे मुद्दों पर एक बार फिर से भूकम्प के अलावा पर्यावरण वाले मुद्दों को समीक्षा के लिये जोड़ा जायेगा?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेल : माननीय प्रधान मंत्री जी की श्री सुन्दर लाल बहुगुणा जी से जो भेंट हुई थी उसमें जिन आस्पैक्ट्स पर बात की गयी थी तो प्रधान मंत्री जी ने उन्हें आश्वासन दिया था जिन मुद्दों पर रिव्यु हो चुके हैं, उनके बारे में पुनर्विचार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसकी पूरी जांच-पड़ताल की गयी है। जो नये इश्यूज वे रेज करेंगे, उसके बारे में जांच-पड़ताल की जायेगी। उन्होंने अभी तक नये इश्यूज रेज नहीं किये हैं।

श्री रामेश्वर पाटीदारः नहीं, इसमें भूकम्प और पर्यावरण वाला मुद्दा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः उन्होंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर पाटीदारः इसके साथ ही एक और बड़ा मुद्दा जो हमेशा साथ में जुड़ता है वह यह है कि बड़े-बड़े बांधों का विरोध पूरे देश में हो रहा है।

देश में जिन बड़े बांधों का कल्पना की गयी, सब के खिलाफ देश में आन्दोलन हो रहे हैं। चाहे सरदार सरोवर परियोजना हो, नर्मदा सागर हो, इन्दरावती हो या बांध घाट परियोजना हो या बिहार की कोयल-कारो परियोजना हो या केरल की मोहन घाटी परियोजना हो, सब के खिलाफ आन्दोलन हो रहे हैं। कुछ योजनाओं को भारत सरकार पर छोड़ दिया गया है, कुछ योजनायें स्थगित पड़ी हैं।

क्या भारत सरकार बड़े बांधों का विरोध होने के कारण बड़े बांध बनाने की अवधारणा पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि छोटे-छोटे बांध बनाकर भी विद्युत उत्पादन उतना ही किया जा सकता है?

पुनर्वास के बारे में हमेशा झगड़ा पड़ता है। सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर बनने जा रही है, उसमें पुनर्वास की नीति के तहत हरेक वयस्क को एक परिवार माना गया है जबकि टिहरी गढ़वाल के मामले में ऐसा नहीं किया गया है। क्या सरकार दोनों के बारे में एक-सी पुनर्वास नीति बनाने पर विचार करेगी?

1985 में टिहरी बांध के लिए सर्वे हुआ था और उस समय जो लोग अवयस्क थे, वे 1995 में वयस्क हो गए हैं। क्या उन वयस्कों को भी उसी हिसाब से पुनर्वास के अंतर्गत मुआवजा दिया जाएगा?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः बड़े बांधों की नीति के बारे में पुनर्विचार करने की कोई जरूरत मैं नहीं देखती हूं क्योंकि हर बात के दो पहलू होते हैं। उसी तरह बड़े बांधों के भी पॉजिटिव तथा नेगेटिव फैक्टर हैं। जब बांध बनाये जाते हैं तो उसकी कॉस्ट बेनिफिट रेशियो, ऐनवायर्नमेंट तथा उसकी जरूरत आदि सब फैक्टर्स देखे जाते हैं। बड़े बांध जरूरी नहीं हैं, ऐसा निर्णय करना देश के हित में नहीं है। इसलिए ऐसी कोई पॉलिसी बनाना या इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत मैं नहीं देखती हूँ।

पुनर्वास की नीति के बारे में माननीय सदस्य ने जो पूछा, उस संबंध में मैं इतना ही बताना चाहूंगी कि हरेक बांध की जो पुनर्वास नीति है, वह वहां की सोशियो-इकोनॉमिक कण्डीशन्स को मद्देनजर रखते हुए बनायी जाती है और जो बांध बनते हैं, वह देश के अलग-अलग प्रदेशों में बनते हैं। इसलिए उनके लिए पुनर्वास की नीति भी अलग-अलग बनायी जाती है और उसके पहलू भी अलग-अलग होते हैं। इसलिए इस बारे में एक सी नीति बनाना या नेशनल पॉलिसी बनाना हितकर नहीं है, ऐसा मैं मानती हूं।

तीसरी बात माननीय सदस्य ने कही कि जो विस्थापित लोग वयस्क हो चुके हैं, उनके बारे में भी अलग-अलग नीति होती है। हर स्टेट को अपना निर्णय करना होता है और इसलिए सरदार सरोवर परियोजना में जो निर्णय हुआ वह टिहरी में या और जगह होगा, ऐसा निश्चित करना भी मुश्किल है। टिहरी में जो निर्णय किया गया है, वह टिहरी की सोशियो-इकोनॉमिक कण्डीशन्स को मद्देनजर रखते हुए किया गया है और सही किया गया है, ऐसा मैं मानती हूं।

श्री रवि रायः अध्यक्ष जी, देश के लिए यह बहुत अहम सवाल है और मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने जो पाटीदार जी के सवाल पर जवाब दिया, उसमें उन्होंने एक तथ्य के बारे में जिक्र किया है। मैं उनके तथ्य को चुनौती देता हूं। अध्यक्ष जी, असल में आपको भी यह पता है और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि इस पर 45-46दिन बहुगुणा जी ने अनशन किया, उसको तोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल मोतीलाल वोहरा जी वहां गए। दोनों की बातचीत की पृष्ठभूमि में क्या यह सही नहीं कि उन्होंने अनशन तोड़ा? मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बहुगुणा जी का वाकायदा स्पष्ट बयान है कि सरकार ने राज्यपाल के जरिये उनको आश्वासन दिया था कि पूरे बांध का काम रोककर उसका पूरा रिव्यू किया जाएगा और एक ऐक्सपर्ट कमेटी को रिव्यू के लिए दिया जाएगा। जबकि इस उत्तर में माननीय मंत्री जी मान चुके हैं कि 1992 में इस पर कार्य स्थगित किया गया था और उनके अनशन की पृष्ठभूमि में स्थगित किया गया था। इस पर मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जब इस तथ्य पर विवाद है, क्या वोहरा जी और बहुगुणा जी के दरम्यान जो वार्तालाप का टेप हुआ, वह टेप सरकार सभापटल पर रखेगी?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः बहुगुणा जी ने जो अनशन किया, और इसके बाद उत्तर प्रदेश के गवर्नर के साथ जो उनकी चर्चा-विचारणा हुई, इसमें बांध का काम बंद करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जो बात की गई है वह यही बात थी कि उनके पहलू के बारे में विचारणा नहीं की गई है। उसके बारे में फिर से विचारणा होगी, जो पहलू नए होंगे और जो महत्वपूर्ण होंग उनके बारे में ही विचारणा की जाएगी। ऐसे पहलू के बारे में एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाएगी जो इसका अध्ययन करेगी। अभी तक बहुगुणा जी ने कोई नए पहलू भेजे नहीं हैं। इसलिए एक्सपर्ट कमेटी की रचना नहीं हो सकी है। जैसे ही वे भेजेंगे वैसे ही एक्सपर्ट कमेटी की रचना होगी।

दूसरी बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है। जहां तक बांध का काम बंद करने की बात है, यह जरूरी नहीं है। फिर भी अभी बारिश का समय है इसलिए वहां मानसून के कारण बांध का कंस्ट्रक्शन वर्क ज्यादातर चलता नहीं है और जो पेरेफेरल वर्क है वह सब चल रहा है।

श्री रवि रायः मैं कह रहा था कि दोनों पक्षों के वार्तालाप का विवाद हो रहा है। मेरा सवाल यह था कि बांध के बारे में जो वार्तालाप हुआ था उसका टेप सदन के पटल पर रखेंगे? आने इसका कोई जवाब नहीं दिया।

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः टेप के बारे में मिनिस्ट्री को मालूम नहीं है।

श्री रवि रायः आप मालूम कराइये।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः माननीय मंत्री महोदया ने अपने मौखिक उत्तर में कहा है कि सरकार ने परियोजना के लागत-लाभ अनुपात को ध्यान में रखा है। अब, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या यह सच है कि मूल परियोजना की लागत 2 बिलियन रुपए थी, परन्तु अब यह काफी बढ़ा दी गई है और क्या यह बढ़ी हुई लागत ऊर्जा के फायदों को बिना जोड़े और प्रक्षेपित सिंचाई परियोजनाओं को घटाने के पश्चात् निकाली गई है? अतः ये दो बातें हुई हैं। प्रथम, ऊर्जा का फायदा बढ़ा नहीं है और दूसरे, सिंचाई परियोजनाओं को आधा घटा दिया गया है। साथ ही, लागत काफी बढ़ गई है। इसलिये, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह ठेकेदारों द्वारा धन-राशि के दुर्विनियोग और लूट के संबंध में जांच करायेंगी?

[हिन्दी]

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः माननीय सदस्या ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जून, 1972 में जब यह डैम मंजूर हुआ था तब इसकी प्राइस 197 करोड़ रुपए मानी गई थी। इसके बाद करीब 22 साल बीत गए हैं इसलिए प्राइस एस्केलेशन तो होगा ही।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः परियोजना तो पूर्ण होने के आस-पास भी नहीं है।

श्री रामेश्वर पाटीदारः पूर्ण होने से काफी दूर है।

[हिन्दी]

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः लेकिल उसकी प्राइस एस्केलेशन तो होगी ही। पेपर प्राइस तो बढ़ती ही रहती है क्योंकि जब इम्प्लीमेंट करेंगे और अगर यह चलता रहा तथा और 10 साल बढ़ायेंगे तो और भी प्राइस बढ़ जाएगी। इसको हम रोक नहीं पाएंगे। कोस्ट बेनिफिट की बात करते हैं तो 78 पैसे की कोस्ट उस वक्त मानी जाती थी, यह भी बढ़ जाएगी। अगर यह चलता रहता है तो कोस्ट बेनिफिट रेसियो भी बदलता रहेगा। इसलिए आज यह कोस्ट बेनिफिट रेसियो निकालना और उसके बारे में चर्चा करना फिजूल है। मैं तो यह मानती हूं कि इस डैम को रुकवाने के बार-बार प्रयत्न करने से बहुगुणा जी देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि बाद में उसका कोस्ट बेनिफिट रेसियो कम ही होता रहेगा। इसलिए इसके बारे में हाउस को सोचना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्यः महोदय, मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, मैंने धन-राशि के संभावित दुर्विनियोग के बारे में पूछा था तथा सिंचाई परियोजना को कम किए जाने के बारे में भी पूछा था।

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः कोई दुर्विनियोग नहीं हुआ है। मूल्य वृद्धि हुई है। .... **(व्यवधान)** यदि आपके पास कोई विशेष जानकारी है, तो आप कृपया हमें दे दीजिए। ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः मैं समझता हूं कि ये दो बातें एक-दूसरे से संबंधित नहीं हैं। लागत लाभ अनुपात और दुर्विनियोग एक साथ नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) महोदय, वास्तविकता यह है कि परियोजना के निष्पादन में भ्रष्टाचार की शिकायतें प्राप्त होने पर हमने एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी। इस समिति में शीर्षस्थ लोगों को नियुक्त किया गया था किसी ने हमें सूचित किया है क्योंकि यह मामला बहुत गंभीर था। उन्होंने कहा था कि घटिया सामग्री उपयोग में लाई जा रही है। यदि घटिया सामग्री उपयोग में लायी जा रही है, तो इसका मतलब यह है कि बांध की सुरक्षा को गंभीर संभावित खतरा है। महोदय, उस समिति ने बताया है कि भ्रष्टाचार का कोई प्रश्न नहीं है, अच्छी सामग्री उपयोग में लाई जा रही है। महोदय, मैं उस समिति की रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा हूं। समिति के अनुसार ऐसी कोई बात नहीं है।

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): अध्यक्ष जी, टिहरी डैम बनने या न बनने के बारे में जो विवाद चल रहा है, उसके कई पहलू हैं। एक पहलू है डिजाइन स्पेसिफिकेशन के संबंध में, जिस पर अभी तक सरकार की तरफ से स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। डिजाइन स्पेसिफिकेशन के बारे में मंत्री जी से मेरे सवाल के तीन हिस्से हैं— पहला सवाल है कि जो टिहरी डैम बन रहा है वह राईटर स्केल में कितने एम० क्यू पर बन रहा है और कितने पीक ग्राउण्ड एक्सेलेशन के ऊपर बन रहा है क्योंकि जब आप 1972 की बात करते हैं तो उस समय इनकी वैल्यू क्रमशः 6 और .25 थी, लेकिन भूकम्प वगैरह आने के बाद ऐसा माना गया है कि वह बढ़ गयी है। मंत्री जी कृपया स्पष्ट करें कि कौन सी वैल्यू के लिये इसका डिजाइन बनाया गया है?

मेरे प्रश्न का दूसरा हिस्सा है कि इन वैल्यूज के लिये जो डायनामिक टेस्ट होता है, जिसका नाम गजैली टेस्ट है, क्या वह टेस्ट करा दिया गया है? यदि करा दिया गया है तो उसके नतीजे क्या हैं? अगर नतीजे ठीक आये हैं तो उसे जनता के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा है और उस क्षेत्र के लोगों के मन में जो भ्रम बना हुआ है कि अगर यह डैम टूट गया तो हरिद्वार तक 100 फीट पानी की एक दीवार आ जायेगी, उसे आप हटाने का काम क्यों नहीं करते?

मेरा अंतिम सवाल पर्यावरण के संबंध में है। क्या डैम के संबंध में पर्यावरण की दृष्टि से क्लियरेंस दे दी गयी है? यदि दे दी गयी है तो क्या डिजैस्टर मैनेजमेंट प्लान बन गया है या नहीं बना है। यदि नहीं बना है तो डिजैस्टर मैनेजमेंट प्लान

न बनने के क्या कारण हैं?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः टिहरी डैम का जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, उसमें सुधार किया गया है और इसे हम 6 अर्थक्वेक से 8 अर्थक्वेक पैमाने पर ले गये हैं और पीक ग्राउण्ड एस्केलेशन .5 तक ले गये हैं ...(**व्यवधान**)

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरीः क्या .5 तक ले गये हैं?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः जी हां ...(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह बहुत तकनीकी मामला है, यदि आपके पास जानकारी है तो कृपया आप वह दे सकते हैं।

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः मेरे पास जानकारी है। अर्थक्वेक पैमाना 8 है और पीक ग्राउण्ड एस्केलेशन 0.5जी है।

[हिन्दी]

गजैली के बारे में टैस्ट किया गया है। गर्जैली पहले 1.36 और .72जी यूनिट्स थी, उसके बारे में हमने पूरी चैकिंग कराई है ताकि वहां कोई डेंजर न रहे और उसकी रिपोर्ट भी आ गयी है, सब्मिट कर दी गयी है। पर्यावरण के बारे में आपने पूछा कि क्या इसमें मैनेजमेंट प्लान बनाना जरूरी था, वह प्लान भी बनाया गया है और उसका इम्पलीमेंटेशन हो रहा है। इस संबंध में जो कमेटी बनाई गयी थी, उसका कहना है कि पूरा काम सैटिस्फैक्टरी चल रहा है।

श्री जार्ज फर्नान्डीजः मंत्री जी ने अभी यहां इस डैम की पहली रिपोर्ट के बारे में बताया कि अब इसमें कोई नये मुद्दे नहीं आयेंगे। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 1980 में पहली बार जब इस मामले को लेकर आन्दोलन चला था, तो उस समय की प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसमें जांच के लिये आदेश दिये थे और उन्होंने उस समय जो कुछ कहा था, उसके दो वाक्य मैं यहां पढ़कर सुनाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था—

[अनुवाद]

"ऐसा प्रतीत होता है कि पर्याप्त लाभ के बगैर काफी बड़ा बहुत उपजाऊ क्षेत्र डूब रहा है। यह सच है कि इन निर्णयों को लेने में काफी समय लगा है लेकिन स्थानीय लोगों में बहुत अधिक चिन्ता और यह भावना है कि ठेकेदारों और ऐसे अन्य वर्गों को लाभ होगा।"

[हिन्दी]

ये श्रीमती इंदिरा गांधी के शब्द हैं, जो उन्होंने अपने हाथ से लिखे थे।

अंत में उन्होंने साईस एण्ड टैक्नोलौजी के अधिकारियों से कहा था—

[अनुवाद]

"इस परियोजना पर एक बार फिर से गहराई से गौर कीजिए।"

[हिन्दी]

और उस कमेटी की रिपोर्ट 1986 में मिली। उस कमेटी ने कहा कि इस काम को खत्म कर देना चाहिये, यद्यपि 206 करोड़ रुपये इस काम पर खर्च हो चुके थे लेकिन उस कमेटी ने कहा कि इसे छोड़ दिया जाये, इस काम को यहीं रोक दिया जाये लेकिन उसे भी आपने नहीं माना। जब रिपोर्ट आयी तो आपने उस रिपोर्ट को भी ऐसे ही छोड़ दिया।

1990 में मिनिस्ट्री ऑफ इंवायरमेंट के इंनवायरमेंटल ऐपरेजल कमेटी की जो रिपोर्ट है, उसके एक वाक्य को मैं यहां कोट करना चाहता हूं:

[अनुवाद]

"परियोजना के भूगर्भीय और सामाजिक प्रभावों, लागत और अपेक्षित लाभों पर विचार करते हुए और अपलब्ध जानकारी और आंकड़ों की सावधानी से जांच करने के बाद, समिति इस सर्वसम्मत निष्कर्ष पर पहुंची है कि टिहरी परियोजना को प्रस्तावित रूप में नहीं शुरू किया जाना चाहिए क्योंकि यह पर्यावरण की दृष्टि से मंजूरी के योग्य नहीं है।"

[हिन्दी]

उसके बाद आप जब यह बात चला रहे हैं कि और कमेटी कैसे बने, जांच क्या हो तो हम जानना चाहते हैं कि अभी तक जितनी भी जांच हुई है, क्या उन सबकी रिपोर्ट पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ आप रखने को तैयार है? वर्ना एक और एनरॉन वाले जैसी कमेटी को बनाकर ही यह मामला लोगों के सामने रखने की जरूरत पड़े।

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः इन सब संकटों को ध्यान में रखते हुए ही इस डैम को रॉक फील्ड टाइप का डैम बनाने का निर्णय किया गया था। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि यू०एन० के एक्सपर्ट मि० योकोलो 1967 में यहां आये थे और उन्होंने इसका अध्ययन करके हमें अपनी रिपोर्ट दी। उनकी रिपोर्ट के बाद जेम्स बैरी कुक, जो कि इंजीनियर और जियोलॉजिस्ट हैं तथा बड़े डैम के कनसलटेंट माने जाते थे, उनको बातया गया था और 1972 में उनकी रिपोर्ट के बाद उन्होंने कहा कि:

[अनुवाद]

"निर्माण स्थल, ज्योलोजी और टोपोग्रैफी और उपलब्ध सामग्रियां, 800 फीट ऊंचे बांध को बनाने के लिए व्यवहार्य हैं।"

[हिन्दी]

इसके बाद 1990 में एक हाई लेवल कमेटी बनाई गयी थी। इस कमेटी ने भी इसका रिव्यू किया। इसमें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल, मैम्बर ऑफ दी रिसर्च इंस्टीच्यूट, हैड ऑफ दी अर्थक्वेक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, रूड़की के मि० वी० के० गौड जैसे एमीनेंट साइंटिस्ट इस कमेटी में थे। उन्होंने बताया कि:

[अनुवाद]

"इस बांध को कोई खतरा नहीं है। समिति ने यह भी नोट किया है कि इस भूकम्पीय तीव्रता से इस जलाशय के लिए और उसके आस-पास की बस्तियों को कोई अतिरिक्त खतरा नहीं होगा।"

[हिन्दी]

उसके बाद श्री वी० के० गौड़ के व्यूज़ को जेम्स बैरी कुक को बताया गया और उन्होंने भी दो महीने के बाद हमें अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट की हाई लेवल कमेटी ने फिर से जांच की। इसकी जांच पड़ताल के बाद प्रो० जयकृष्ण, जो कि दुनिया

के सबसे बड़े सिज्मेटिक एक्सपर्ट माने जाते हैं, उनको यह बताया गया। उसके बाद उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही कि:

[अनुवाद]

"मुझे यह सिफारिश करने में कोई झिझक नहीं है कि टिहरी परियोजना के लिए मंजूर प्रस्तावित बांध उस क्षेत्र की भूकम्पीय तीव्रता की दृष्टि से सुरक्षित हैं। चूंकि निर्णय लेने में संरक्षण के हर पहलू पर विचार किया गया है भविष्य में आने वाले किसी भी भूकम्प के जोखिम को दूर करने के लिए बांध की सुरक्षा के सभी कारक पर्याप्त हैं।"

[हिन्दी]

उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ माइन्स के कहने पर एक एक्सपर्ट ग्रुप को फिर से यह रिपोर्ट दिखायी गयी। इसके ऊपर सोवियत एक्सपर्ट द्वारा इंडीपैन्डैन्ट सर्वे भी कराया गया और उन्होंने पर्यावरण के बारे में भी बहुत क्लीयर इंडीकेशन दिया कि:

[अनुवाद]

"भूकम्प की 8 तीव्रता पर पीक ग्राउण्ड एक्सीलिरेशन .5 जी पर बांध का परीक्षण किया गया है और इसे सुरक्षित पाया गया है। इन अध्ययनों से भूगर्भ की ज्योमिट्री को अधिकतम किया गया है और आउटर सोर्स टू टॉप विड्थ एण्ड बेस विड्थ वही है जो कि अभियंताओं ने पहले प्रस्तावित की थी।"

[हिन्दी]

ये सब करने के बाद गजली अर्थक्वेक के बारे में भी जांच पड़ताल की गयी और यह रिपोर्ट दी गयी कि अगर कोई भी डैमेज हो तो उससे भी इसको कोई नुकसान नहीं होगा।

रूस के उप-प्रधान मंत्री का दौरा

*102. **श्री रवि रायः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस के उप-प्रधान मंत्री ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी किन-किन मुद्दों पर बातचीत हुई;

(ग) क्या उनके दौरे के दौरान किन्ही समझौतों अथवा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किये गये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी समझौतावार मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) इस दौरे का दोनों देशों के द्विपक्षीय सम्बन्धों पर क्या प्रभाव पड़ा है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) जी हां। रूसी परिसंघ के उप-प्रधानमंत्री श्री यौरी० एफ० यारोव ने 5 से 7 जुलाई 1995 तक भारत की राजकीय यात्रा की थी।

(ख) से (ङ) एक विवरण सदन पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ख) रूस के उप-प्रधान मंत्री श्री यौरी एफ० यारोव, जो भारत रूसी संयुक्त आयोग (व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत-रूसी अन्तर-सरकारी आयोग) के सह-अध्यक्ष भी हैं, ने आयोग की पूर्ण बैठक से पूर्व दोनों सह-अध्यक्षों की बैठक के लिए भारत की यात्रा की थी। भारतीय पक्ष की ओर से इस आयोग के सह-अध्यक्ष विदेश मंत्री हैं।

दोनों सह-अध्यक्षों ने संयुक्त आयोग की कार्यवाही की समीक्षा की। उन्होंने आयोग की दूसरी बैठक में, जो अक्तूबर, 1995 में नई दिल्ली में होनी है, विचार-विमर्श के लिए रखे जाने वाले क्षेत्रों का पता लगाया और उनकी प्राथमिकता भी निर्धारित की।

(ग) और (घ) इस बैठक के अंत में दोनों सह-अध्यक्षों द्वारा एक प्रोतोकोल सम्पन्न किया गया। प्रोतोकोल का पाठ संलग्न है।

(ङ) यह यात्रा दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सम्बन्धों को और आगे बढ़ाने में सफल रही है।

विवरण

व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग के सह-अध्यक्षों की बैठक का प्रोतोकोल

रूसी परिसंघ की सरकार के उपाध्यक्ष श्री यौरी एफ० यारोव की 5 से 6 जुलाई, 1995 तक भारत की सरकारी यात्रा के दौरान व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध भारत-रूस अन्तर-सरकारी आयोग के भारतीय पक्ष की ओर से सह अध्यक्ष भारत के विदेश मंत्री श्री प्रणव कुमार मुखर्जी और रूसी पक्ष की ओर से इस आयोग के सह अध्यक्ष रूसी परिसंघ की सरकार के उपाध्यक्ष श्री यौरी एफ० यारोव ने बैठकें की।

श्री यौरी एफ० यारोव ने भारत के प्रधान मंत्री श्री पी०वी०नरसिंह राव से भेंट की और उद्योग मंत्री श्री के० करूणाकरण, विद्युत राज्य मंत्री श्रीमती उर्मिला बेन पटेल तथा वाणिज्य राज्य मंत्री श्री पी० चिदंबरम के साथ बैठकें की।

इन बैठकों के दौरान दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग की वर्तमान स्थिति और इसे आगे बढ़ाने की संभावनाओं पर विचार-विमर्श किया।

दोनों पक्षों ने इस बात पर सन्तोष व्यक्त किया कि अधिकांश मसलों पर उनके बीच समझबूझ और विचारों की समानता है। उन्होंने यह स्वीकार किया कि यह अन्तर-सरकारी आयोग विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा और संवर्धन करने का एक प्रभावी माध्यम बन गया है। उन्होंने दोनों देशों की प्रगति के हित में बहु-आयामी सहयोग विशेषकर व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा तथा संस्कृति के क्षेत्रों में विकसित करने की अपनी मंशा की पुनः पुष्टि की।

दोनों पक्षों ने दोहरे कराधान के परिहार तथा वायु सेवाओं से संबद्ध करारों तथा भारत में नाभिकीय विद्युत संयंत्र के निर्माण में सहयोग करने के संबंध में सोवियत संघ और भारत के बीच 20 नवम्बर, 1988 को सम्पन्न करार के अनुपूरक को अन्तिम रूप देने के कार्य को शीघ्रतापूर्वक करने के लिए सहमति व्यक्त की। उन्होंने सोवियत संघ की आर्थिक और तकनीकी सहायता से भारत में निर्मित परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के संबंध में किसी सहमति पर पहुंचने के उद्देश्य से परस्पर विचार-विमर्श जारी रखने के लिए सहमति व्यक्त की। उन्होंने भारत द्वारा ऋण की अदायगी का उपयोग संयुक्त उद्यमों में निवेश करने से सम्बद्ध करार

तैयार करने के कार्य को शुरू करने के लिए भी सहमति व्यक्त की। सह-अध्यक्षों की बैठक से दौरान द्विपक्षीय सहयोग से संबद्ध जिन मसलों पर चर्चा हुई उन पर प्रस्ताव देने के लिए दोनों पक्ष अपने-अपने देशों के संबंधित संगठनों को अनुदेश देंगे ताकि इस अन्तर-सरकारी आयोग के दूसरे सत्र में इन मुद्दों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाया जा सके।

दोनों पक्ष सितम्बर/अक्तूबर, 1995 में दिल्ली में अन्तर-सरकारी आयोग के द्वितीय सत्र के आयोजन के लिए सहमत हुए और उन्होंने उसके लिए निम्नलिखित कार्यसूची का अनुमोदन किया:

1. द्विपक्षीय सहयोग की वर्तमान स्थिति।

2. कार्यदलों द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा।

3. भेषज उप दल की स्थापना।

4. द्विपक्षीय सहयोग की सम्भावनाएं।

5. अन्य मुद्दे।

नई दिल्ली में 6 जुलाई, 1995 को हिन्दी, रूसी और अंग्रेजी भाषाओं में तीन-तीन मूल पाठों में सम्पन्न, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं।

ह०/- ह०/-

(प्रणव मुखर्जी) (यौरी०एफ० यारोव)

भारत के विदेश मंत्री तथा आयोग के सह-अध्यक्ष। रूसी परिसंघ के उप-प्रधान मंत्री तथा आयोग के सह-अध्यक्ष।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा) : अध्यक्ष जी, जब मैंने इस सवाल का नोटिस दिया था उसके बाद हमारे देश के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर रूस जाकर वहां के प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री से बात करके आए हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सोवियत यूनियन के डिसइन्टैगरेशन के बाद लोगों के मन में शंका थी कि सोवियत यूनियन के जमाने में सोवियत गवर्नमेंट का हिन्दुस्तान के बारे में जो परसैप्शन था, क्या उसमें कोई परिवर्तन हुआ है? मैं मंत्री महोदय से यह इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि वे प्रधान मंत्री और फॉरेन मिनिस्टर के साथ बात करके कल लौटे हैं। मौजूदा जो परसैप्शन्स हैं, खासकर कश्मीर के बारे में, विदेश मंत्री ने उनके साथ बात करने के बाद कहा है कि उनकी प्रायरिटी हिन्दुस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। वार्तालाप के दरम्यान क्या वे सैटिसफाइड हैं कि सोवियत यूनियन के जमाने में जो दृष्टि थी, वही दृष्टि अभी रशियन सरकार की है?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी: महोदय, भारत के प्रति रूसी परिसंघ के देशों के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में, मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों को मालूम है कि रूसी परिसंघ के स्थापित होने के बाद से दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलों का कई बार आना जाना हो चुका है। जनवरी, 1993 में रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्तिसिन ने भारत की यात्रा की, जून-जुलाई, 1994 में हमारे प्रधान मंत्री श्री पी०वी० नरसिंह राव मास्को गए, दिसम्बर, 1994 में रूसी प्रधान मंत्री श्री विक्टर चेर्नोमिर्डिन ने भारत का दौरा किया। हमने अन्तर्सरकारी आयोग, जिसे भारत-रूस संयुक्त आयोग के नाम से जाना जाता है की स्थापना भी की है। इसे 1994 में स्थापित किया गया था। भारत-रूस संयुक्त आयोग की प्रथम बैठक पिछले वर्ष सितम्बर में हुई थी। आयोग की दूसरी बैठक सम्भवतः इस वर्ष सितम्बर-अक्टूबर में होगी।

वरिष्ठ स्तर पर विचारों के आदान प्रदान से तथा उच्च स्तर पर प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान से मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि हमारे सम्बन्ध और मित्रता रूस से बहुत ही प्रगाढ़ हैं। उनके दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है।

यहां तक कि कश्मीर के सम्बन्ध में उन्होंने अनेक अवसरों पर स्पष्ट रूप से कहा है कि यह भारत-पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय समस्या है और इसे द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा हल किया जा सकता है। वे कश्मीर को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता दे चुके हैं। इसलिए, किसी तरह से भी स्थिति में परिवर्तन होने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

महोदय, सामरिक भागीदारी के सम्बन्ध में वास्तविकता यह है कि जब हम विदेश नीति का निर्धारण कर रहे थे तो उस समय रूस के राष्ट्रपपति बोरिस येल्तसिन ने कहा था कि उनके भारत के साथ विशेष सामरिक सम्बन्ध हैं, जिसमें व्यापार, वाणिज्य, अर्थ-व्यवस्था, विज्ञान तकनीकी और सांस्कृतिक सम्बन्ध शामिल हैं। यह बहुआयामी सम्बन्ध हैं। एक समय था जब भारत और रूस के बीच 27-28 प्रतिशत व्यापार हुआ करता था जो नब्बे के दशक में लगभग समाप्त हो गया था लेकिन यह व्यापार अब पुनः बढ़ रहा है। वास्तविकता यह है कि भारत-रूस संयुक्त आयोग की बैठक में दोनों अध्यक्षों द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि भारत और रूस के बीच व्यापार की सीमा, 1993-94 में जो 2500 करोड़ रुपये थी, को बढ़ाकर वर्ष 1995-96 तक दुगुना कर दिया जाए। मुझे सभा को यह सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम 1994-95 में 4100 करोड़ रुपये तक पहले ही पहुंच चुके और केवल यह ऋण भुगतान नियम पर ही सम्भव नहीं था बल्कि मुक्त विदेशी विनियम पर भी था और यह आशा की जाती है कि वर्ष 1995-96 तक जो हमने लक्ष्य निश्चित किया था उसे हम प्राप्त कर लेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि रायः अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा पूरक सवाल है कि क्या मंत्री महोदय जी की वहां के नेताओं के साथ, खासकर प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के साथ, हिन्दुस्तान जिस तरह से अभी सिक्योरिटी काउंसिल का स्थाई सदस्य बनने के लिए कोशिश कर रहा है, उसके बारे में बात हुई थी? अगर बात हुई थी तो इसका क्या नतीजा हुआ?

[अनुवाद]

श्री प्रणव मुखर्जी: यह मामला चर्चा के दौरान लाया और जैसा कि उन्होंने निर्धारित किया था, किसी भी समय यदि सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है तो सबसे पहले भारत के दावे पर विचार किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री हरि किशोर सिंह: अध्यक्ष जी, पुराने सोवियत संघ से हमारे देश की सुरक्षा के संबंध में काफी घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इसी संबंध के तहत क्रायोजेनिक इंजन और उसकी टैक्नालाजी के ट्रांसफर के लिए बात तय हुई थी। बाद में किसी विदेशी राष्ट्र के दबाव में रशियन गणराज्य उससे मुकर गया। क्या वर्तमान यात्रा में विदेश मंत्री जी ने इस संबंध में कोई चर्चा की है? उस चर्चा का क्या परिणाम निकला, क्योंकि हाल ही में समाचार-पत्रों में आया है कि इंजन हम लोग सप्लाई

करेंगे लेकिन टैक्नालाजी ट्रांसफर की बात हम नहीं करेंगे?

[अनुवाद]

श्री प्रणब मुखर्जी: 10 दिसम्बर, 1993 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और ग्लावकासमोस के बीच अंतरिक्ष क्षेत्र में पुराने समझौते के स्थान पर नया समझौता किया गया। उस समझौते के अनुसार पहला इंजन 1996 की अंतिम तिमाही में दिया जायेगा और इसके बाद 6-6 महीने बाद 6 इंजन और दिए जायेंगे। इसलिए पुरानी समस्या जो शुरूआत में हमारे सामने आई उसका अब समाधान हो गया है।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह: नहीं अध्यक्ष जी, टैक्नालोजी की बात है।

[अनुवाद]

डा० कार्तिकेश्वर पात्र: महोदय, हम रूस और भारत के बीच तमाम द्विपक्षीय समझौतों का स्वागत करते हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है.....

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे मत पढ़िये। प्रश्न पर आइए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र: संयुक्त उद्यमों में निवेश के लिए भारत द्वारा रूस को ऋण वापसी की उपयोगिता के संबंध में एक समझौता हुआ है। मैं यह जानना चाहूंगा कि रूस को कुल कितनी रकम वापस की जानी है और क्या रूस का भुगतान किए जाने वाले समस्त ऋण का संयुक्त उद्यमों में उपयोग किया जायेगा।

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, पूरी रकम संयुक्त उद्यम में नहीं उपयोग की जा सकती क्योंकि पुनर्भुगतान का एक मुख्य उद्देश्य है रूस में अपने निर्यात को बढ़ाना। इसीलिए यह निर्णय लिया गया था कि नगदी में भुगतान करने के बजाय हम इसे वस्तुओं में भुगतान करेंगे अर्थात ऐसे माल के रूप में भुगतान करेंगे जो उस समय की आयात निर्यात नीति होंगे। यही आधार था। इसीलिए सम्पूर्ण राशि उस ऋण से नहीं ली जा सकती। यह भी निर्णय लिया गया था कि उसका एक हिस्सा भारत और रूस में निवेश में उपयोग किया जाएगा। कुछ क्षेत्रों की पहचान की गई है जिनका मैंने अपने वक्तव्य में उल्लेख किया है। जब उप प्रधान मंत्री, श्री यौरी एफ० यारोव भारत आए थे तो उन्होंने निवेश के लिए कुछ क्षेत्रों की पहचान की थी। हमने भी कुछ क्षेत्रों की पहचान की है किन्तु उनकी निश्चित मात्रा उन परियोजनाओं की संख्या पर निर्भर करेगी जिन्हें हम ले रहे हैं तथा इन परियोजनाओं को लागू करने में जो कुल राशि लगेगी।

श्री राम कापसे: महोदय, जहां तक द्विपक्षीय सहयोग का सम्बन्ध है, यह विभिन्न क्षेत्रों में है जैसे व्यापार, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और संस्कृति और यह भी निर्णय लिया गया है कि इसे जारी रखा जाए।

जहां तक व्यापार का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय पहले ही व्यापार के बारे में स्पष्ट कर चुके हैं। मैं जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में जानना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी परियोजनाएं हैं जिनमें सहयोग जारी रहेगा?

श्री प्रणब मुखर्जी: महोदय, यह वे क्षेत्र हैं जहां भारत और रूस के बीच सहयोग होगा।

अन्तर्सरकारी आयोग एक तरह की छतरी संस्था है जिसके अन्तर्गत बहुत से कार्यदल और उपकार्यदल कार्य करते हैं। नौ कार्यदल हैं और उन नौ कार्यदलों के अन्तर्गत आठ उप कार्य दल हैं। संयुक्त आयोग की बैठक से पूर्व दोनों अध्यक्ष यह समीक्षा करेंगे कि विभिन्न कार्यदलों द्वारा क्या प्रगति की गई है। और यदि कोई कमी रह गई है अथवा किसी कार्यदल के कार्यकरण की ओर कोई खास विशेष ध्यान दिया जाना है तो वे निवेश देंगे। इसके बाद अन्तर्सरकारी आयोग की बैठक में इन क्षेत्रों का पहचान की जाती है और समीक्षा की जाती है तत्पश्चात जो भी आवश्यक अनुदेश या दिशा निर्देश दिए जाने हैं, दिए जाते हैं।

बहुत से क्षेत्रों में हमें सहयोग मिल रहा है। रक्षा का ही उदाहरण लीजिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है पिछले दिसम्बर में रूसी प्रधान मंत्री श्री विक्टर चेर्नोमिर्दिन की नयी दिल्ली यात्रा के दौरान उपस्कर, पुर्जे आदि खरीदने के लिए एक पांच वर्षीय समझौता वर्ष 2000 तक किया गया था और इसके अलावा हम संयुक्त उद्यम में उत्पादन में भागीदारी करेंगे जहां पर सभी रूसी एयरक्राफ्ट का उत्पादन होगा जिनका केवल भारत में ही नहीं बल्कि तृतीय विश्व के देशों में भी उपयोग किया जाएगा। 400 मिलियन अमरीकी डालर के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था। 400 मिलियन अमरीकी डालर की पूंजी के साथ एक संयुक्त कम्पनी पंजीकृत की गई है। इसमें कई गुणा की वृद्धि की जा सकती है। सम्माननीय सदस्यों को मालूम है कि बहुत से क्षेत्रों में हमारे बहु-आयामी सम्बन्ध हैं। हम इन सब बातों का पता लगा रहे हैं।

[अनुवाद]

उत्पादन बढ़ाने संबंधी योजना

*104. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस्पात का उत्पादन बढ़ाने हेतु कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक नई योजना शुरू करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिये जाने की संभावना है; और

(घ) इस योजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संम्भावना है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (घ) सरकार के साथ समझौता ज्ञापन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को वेतन संशोधन को अंतिम रूप देने और अन्य बातों के साथ-साथ अपनी प्रोत्साहन योजनाएं तैयार करने के लिये शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। इस्पात उद्योग संबंधी राष्ट्रीय संयुक्त समिति (एन०जे०सी०एस०) 18-5-1985 को हस्ताक्षरित वेतन समझौते के एक भाग के रूप में इस बात से सहमत है कि एक कंपनी आधारित निष्पादन से जुड़ी लाभ योजना (सी०बी०पी०एल०डी०सी०) शुरू की जाये ताकि कर्मचारी उत्पादन उत्पादकता और लाभदायकता में सुधार करने के लिये अधिकतम प्रयास करने के लिये प्रोत्साहित हो सकें। तदनुसार प्राचलों जैसे विक्रेय इस्पात का उत्पादन सकल लाभ, ऊर्जा खपत, उत्पादकता आदि के आधार पर एक योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। योजना का विवरण तैयार किया जा रहा है और एन०जे०सी०एस० द्वारा इसे अंतिम रूप दिये जाने के बाद इसे कार्यान्वित किया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: श्रीमान अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस नई स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों को किस-किस स्तर से लाभ दिये जायेंगे, उसका ब्यौरा क्या है और क्या इसमें आर्थिक लाभ भी शामिल है?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देवः जैसा कि मैंने अपने उत्तर में कहा था, इसका निर्णय तीन आधारभूत बातों पर किया जायेगा।

ब्यौरा के संबंध में, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूँ कि मेरे पास एक लम्बी सूची है। मैं केवल इसकी कुछ मुख्य बातें को पढ़ता हूँ। यह योजना कम्पनी के सभी नियमित कामगारों पर लागू होगी। प्रस्तावित योजना के तीन आयाम हैं अर्थात बिक्री योग्य इस्पात उत्पादन का समझौता ज्ञापन लक्ष्य; सकल मार्जिन का समझौता ज्ञापन लक्ष्य; तथा कुल ऊर्जा खपत का समझौता ज्ञापन लक्ष्य। जिन कर्मचारियों को लाभ होगा उनकी कुल संख्या 1, 61, 295 होगी। लगभग 22 करोड़ रुपये वार्षिक धनराशि की आवश्यकता होगी।

एक स्लेब भी है। यह न्यूनतम 75 रुपये से लेकर अधिकतम 145 रुपये होगी।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्रीः मेरा दूसरा सवाल है। माननीय मंत्री जी, उसको आप जरा स्पष्ट करके बतायें। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ कि इस स्कीम का अंतिम रूप कब तैयार हो जायेगा और कब तक उसके लागू किये जाने की आशा है? क्या इस विषय में कर्मचारियों और उसके संघों से बातचीत की गई है या आप करने की कोई तिथि बताने की कृपा करेंगे?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देवः महोदय, किए गए समझौते के अनुसार बाहरी समय-सीमा तीन माह के अन्दर होगी। लेकिन, मेरे विचार से इस माह के अन्दर इसे अंतिम रूप दिया जा सकता है। विस्तृत चर्चा चल रही है। इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा विश्वेश्वरैया इस्पात संयंत्र को छोड़कर इस्पात संयंत्रों के सभी कर्मचारियों के उसमें प्रतिनिधि हैं। इंटक, सीटू और अन्य संगठनों के प्रतिनिधी उस समिति में है और उन सभी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और एक माह के अन्दर यह किया जा सकता है।

महोदय, मैंने अपने पूर्व उत्तर में एक गलती की थी। धनराशि 75 रुपये से 145 रुपये तक होनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्रीः आप कब तक लागू करेंगे?

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देवः एक माह के भीतर इसे लागू किया जा सकता है। इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जायेगा।

विद्युत की कमी

+

*105. **श्री बसुदेव आचार्यः**

श्री प्रमथेश मुखर्जीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1995 के "स्टेट्समेन" में "सीक्रेट रिपोर्ट फोरकास्ट्स पावर क्राइसिस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस बारे में आर्थिक मामलों सम्बन्धी मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया है और यदि हाँ, तो इसका क्या परिणाम रहा; और

(ग) सरकार का विचार देश में विद्युत की सम्भावित कमी को पूरा करने के लिए क्या ठोस कदम उठाने का है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी०पटेल) : (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी हाँ, तथापि, दिल्ली में देश में ब्लैक आउट के संबंध में कोई गुप्त रिपोर्ट नहीं आई है।

(ख) जी नहीं, महोदय।

(ग) विद्युत की मांग और पूर्ति के बीच अन्तर को कम करने के लिए देश में विद्युत की उपलब्धता में सुधार के लिए कई उपाय किये जा रहें हैं जिनमें नई उत्पादन क्षमता की स्थापना में तेजी लाना, अल्पकालिक उत्पादन परियोजनाओं का क्रियान्वयन, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार, संप्रेषण और वितरण में क्षति को कम करना, बेहतर मांग प्रबन्धक और ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करना, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में इसके अन्तरण की व्यवस्था करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना शामिल है।

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि क्या विद्युत मंत्रालय ने पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष में देश को जो विद्युत संकट का सामना करना पड़ेगा उसके संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार करके प्रधान मंत्री को प्रस्तुत की है। महोदय, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 29.7 मेगा वाट क्षमता बढ़ाने की अभिकल्पना की गई है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष मांग और आपूर्ति के बीच क्या अन्तर होगा?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः महोदय, मेरे पास वर्ष 1994-95 के आंकड़े हैं। हमें 3, 52, 260 रु० मिलियन यूनिटों की आवश्यकता है और 3, 27, 281 मिलियन यूनिटें उपलब्ध है। इसमें 7.1 प्रतिशत की कमी है। सर्वाधिक मांग के अर्थों में हमारी आवश्यकता 57, 530 मेगावाट है और निवल उपलब्धता 48, 066 मेगावाट है। इसमें 16.5 प्रतिशत की कमी है। अतः स्थिति इतनी अधिक खराब नहीं है जितनी आप सोचते हैं ...**(व्यवधान)**

श्री बसुदेव आचार्यः मैंने यह पूछा है कि इसमें आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में कितना अन्तर होगा .....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आंकड़े आपको बाद में दिए जायेंगे। कृपया आंकड़ों पर झगड़ा न करें।

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, वह आंकड़े दे रही हैं ....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः यदि उनके पास आंकड़े हैं, तो वे दे सकती हैं। यदि उनके पास आंकड़े नहीं हैं, तो वे बाद में भेज सकती हैं।

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, उनके पास आंकड़े होने चाहिए। आपने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में क्या अभिकल्पना की थी? ....**(व्यवधान)**

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी०साल्वे): महोदय, मैं सम्मानपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि यह इन प्रश्न के क्षेत्र से बिल्कुल बाहर है।

यदि आप मीटेतौर पर आंकड़े चाहते हैं, तो मैं वह आपको दे सकता हूँ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने यह आंकलन किया था कि देश में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल कमी को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वृद्धि उत्पादन क्षमता 42000 मेगावाट होनी चाहिए। संसाधनों की कमी के कारण इसे कम करके 30637 किया गया था। यह पाया गया कि सीमित आबंटन को देखते हुए, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह 20527 मेगावाट से अधिक नहीं हो सकती है। और इसलिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में, आवश्यकता और सर्वाधिक आवश्यकता अर्थों में यह कमी योजना के प्रारम्भ की अपेक्षा काफी अधिक होगी।

श्री बसुदेव आचार्यः महोदय, तब तो भारत आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में विद्युत संकट का सामना करेगा। यदि ऐसा है, तो क्या विद्युत मंत्रालय ने कोई रिपोर्ट तैयार करके प्रधान मंत्री को भेजी है? मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या विद्युत मंत्रालय ने उस रिपोर्ट में यह अभिकल्पना की है कि देश आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में एक गंभीर विद्युत संकट का सामना करेगा?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः अब मेरे पास आंकड़े हैं। यह कमी 21,272 होगी। इसका अर्थ है, 28.9 की कमी और सर्वाधिक आवश्यकता में यह कमी, 61.200 होगी अर्थात् 14.7 की कमी।

अध्यक्ष महोदयः यह क्या है? किसके लिए?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः और इसने इसके लिए योजना बनाई है। अतः हम स्थिति से अवगत हैं और हम विभाग में तदनुसार योजना बना रहे हैं और वित्तीय दबावों के कारण, हम उतना उत्पादन नहीं कर सके जितना हम चाहते थे। इसलिए निजीकरण की नीति के साथ, हम देश की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे।

श्री बसुदेव आचार्यः उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरीः महोदय, अगला प्रश्न भी महत्वपूर्ण है।

श्री चन्द्रजीत यादवः यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, लेकिन पूरक प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए।

श्री प्रमथेश मुखर्जीः अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद, मैंने इस सदन में पिछले बजट सत्र के दौरान मार्च, 1995 में दोपहर में अंधेरा देखा था।

श्री बसुदेव आचार्यः आज भी, हमारे वी० पी० हाऊस में अचानक अंधेरा हो गया था।

श्री प्रमथेश मुखर्जीः बिजली संकट की दशा के बारे में हमें जानकारी है। मेरे पास मेरे हाथ में विवरण है। लेकिन मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदयः कृपया प्रश्न पर आयें। समय सीमित है।

श्री प्रमथेश मुखर्जीः मैं स्थिति को समझ सकता हूँ कि पूरा देश को प्रतिदिन चार घंटे घरेलू बिजली की कटौती का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली को भी यह स्थिति झेलनी पड़ रही है। सरकार द्वारा नई मांगों और स्थिति की चुनौतियों का सामना करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदयः वे लिखित उत्तर में सूचीबद्ध किए गये हैं।

श्री प्रमथेश मुखर्जीः जी नहीं, यह नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदयः कृपया आप इसे पढ़िये।

श्री प्रमथेश मुखर्जीः महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग है -- मैं एनरॉन स्थिति या एनरॉन घटना में नहीं जाना चाहता हूँ कि एनरॉन घटना से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा निजी पार्टियों द्वारा बिजली के उत्पादन के बारे में राष्ट्रीय हित की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाये जा रहें हैं?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः अब मैं समझती हूँ कि यह इस प्रश्न के विषय क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। यदि राज्य निजी बिजली परियोजनाएं नहीं चाहते हैं तो यह तय करना राज्यों की इच्छा है।

श्री चन्द्रजीत यादवः मंत्री महोदय ने स्वयं ही आंकड़े दिए हैं कि संसाधनों की कमी के कारण, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की आवश्यकता के अनुसार जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था वह प्रायः 50 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है। सरकार आवश्यकताओं को कैसे पूरा करने जा रही है जबकि एक तरफ तो हम तीव्रता विकास जैसे नई आधारभूत संरचनाओं के निर्माण की बात कर रहे हैं ओर दूसरी तरफ लक्ष्य को प्रायः 50 प्र.श. तक कम कर दिया गया है? सरकार कैसे आवश्यकताओं को पूरा करने की योजना कर रही है? सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः मैंने उत्तर दिया था कि निजीकरण की नीति ने हमारी काफी मदद की है ओर निजी विद्युत परियोजनाओं से हम कम खर्चे से मांग पूरा करने में समर्थ होंगे।

श्री चन्द्रजीत यादवः महोदय, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं आपका अनुग्रह चाहूंगा, इसका केवल सीधा सा उत्तर नहीं हो सकता है कि हम निजी क्षेत्र को आमंत्रित करेंगे और वे इस कमी को पूरा करेंगे। आपके पास निजी क्षेत्र से कोई ठोस प्रस्ताव है या आप इस सभा और देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि जहां तक महत्वपूर्ण विद्युत क्षेत्र का सम्बन्ध है आप आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश की आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होंगे?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः हमें निजी पार्टियों से 203 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और उसमें से 123 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो गए हैं और उन पर विभिन्न स्तरों पर विचार चल रहा है। उसमें से लगभग 60 से 63 पाइपलाइन के हैं और उचित विचार-विमर्श के बाद उन्हें अंतिम रूप दे दिया जायेगा।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंहः अध्यक्ष जी, आज यह तीसरा प्रश्न विद्युत संकट के बारे में है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से एक स्पेसिफिक सवाल यह पूछना चाहता हूँ कि इस भयंकर विद्युत संकट में उत्तर प्रदेश की सरकार ने सन् 1992 में कुछ निजी कम्पनियों को लाइसेंस देने की बात की थी और वर्तमान मंत्री जी ने भी मंत्रालय को पत्र लिखा है तो प्राइवेट सैक्टर में जो विद्युत योजना बनने वाली थी उन पर सरकार ने अब तक क्या फैसला किया है? वह विद्युत संकट से कैसे निपट पाएगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह बहुत अधिक विशिष्ट है। इसकी अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री ए० चार्ल्सः यह तथ्य कि पूरे देश में बिजली की भयंकर कमी है, स्वीकार कर लिया गया है। केरल एक ऐसा राज्य है और प्रश्न सं० 103 के उत्तर से भी यह स्पष्ट है। क्या मैं माननीय मंत्री से परियोजनाओं की संख्या जान सकता हूँ जो कई वर्षों से किसी न किसी कारण से लम्बित पड़ी है। कोई उचित तालमेल नहीं है। क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूँ कि आठवीं योजना में प्रस्तावित स्थापित क्षमता की कमी को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्रालय अन्य सभी विभागों

के साथ तालमेल करेगा और अंतिम निर्णय लेगा ताकि राज्य तापविद्युत या डीजल जैसे अन्य क्षेत्रों पर निर्भर रह सके?

अध्यक्ष महोदयः नहीं, श्री विरेन्द्र सिंह।

***श्री ए० चार्ल्सः** महोदय, ...*

अध्यक्ष महोदयः कृपया प्रश्न का विषय क्षेत्र समझें और ऐसे पूरक प्रश्न पूछें जो प्रश्न से सम्बंधित हों। अन्यथा आप सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री ए० चार्ल्सः कई परियोजनाएं लम्बित हैं।

अध्यक्ष महोदयः अनुमति नहीं दी जाती है। कृपया अब अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंहः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक उत्तर यह दिया कि वित्त की कमी के कारण परियोजनाओं का निर्माण नहीं हो पा रहा है और दूसरी तरफ बिजली की आवश्यकता रोज-रोज बढ़ती जा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा पावर कॉम्पलेक्स सिंघरौली क्षेत्र है जहां रिहंद विंध्याचल और सिंघौली थर्मल पावर बनाए जाते हैं। वहां और भी पावर प्रोजेक्ट सर्वे हुए हैं, जहां बिजली और पानी भी है और यहां कम खर्चे में बिजली बनाई जा सकती है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां जो प्रोजेक्ट सर्वे हुए हैं उनका निर्माण कब होगा या जिन प्रोजेक्ट का एक्सटेंशन करना है जैसे रिहंद या विंध्याचल का करना है तो उन आवश्यकताओं को कम खर्चे में कैसे पूरा किया जा सकता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः अनुमति नहीं दी जाती है। श्री अर्जुन सिंह।

श्री अर्जुन सिंहः माननीय मंत्री ने अनेक समझौता ज्ञापनों की बात की है जिन पर हस्ताक्षर हो गए हैं और किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना एक प्रकार की आज्ञा दिलाता है कि इस बारे में कार्यवाही की जायेगी जिससे बिजली की कमी दूर की जा सके।

क्या मैं यह सही-सही जान सकता हूँ कि किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने और तत्पश्चात् संयंत्र को स्थापित करने के बीच आमतौर पर कितना समय लग जाता है? क्योंकि, हमारा अनुभव है कि कोई समझौता ज्ञापन एक समझौता ज्ञापन है। अन्ततः, यह अनिश्चितता का ज्ञापन हो जाता है।

क्या माननीय मंत्री हमें आश्वासन दे सकते हैं कि समझौता ज्ञापन जिन पर हस्ताक्षर किए गए हैं उन्हें वास्तव में व्यवहार में भी लाया जायेगा?

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः समय-सीमा निर्धारित करना मुश्किल है।

श्री अर्जुन सिंहः इसका तात्पर्य अनिश्चितता है।

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः क्योंकि स्वयं समझौता ज्ञापन का अभिप्राय ही किसी विद्युत परियोजना का राज्य और सम्बन्धित पक्ष के बीच हस्ताक्षर होना है। तत्पश्चात् उन्हें परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। उन्हें परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने में समय लगता है। लगभग 17 सांविधिक और असांविधिक एजेंसियां हैं जैसे पर्यावरण, वन और उनसे मंजूरी प्राप्त करने में समय लगता है। इस प्रकार प्रक्रिया से गुजरने में आमतौर पर चार से पांच वर्षों का समय लग जाता है ...(व्यवधान)

***श्री सैफुद्दीन चौधरीः** यह क्या है?*

श्रीमती उर्मिला सी० पटेलः आज विदेशों में भी इन प्रक्रियाओं से गुजरना आम बात है। विकसित देशों जैसे यूरोपीय देशों या अमेरिका या जापान में भी इसमें इतना ही समय लग जाता है। यह नहीं है कि भारत विलम्ब करने की चालें अपना रहा है। यह गलत धारणा है और इसे रोका जाना चाहिए। अन्यथा, विपक्ष की तरफ से हमारी आलोचनाएं हो सकती हैं।

श्री डी० वेंकटेश्वर रावः आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में खुली निविदाएं आमंत्रित की हैं....

अध्यक्ष महोदयः नहीं, मैं राज्य से सम्बंधित इस तरह के प्रश्नों की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री डी० वेंकटेश्वर रावः यह खुली निविदाओं के बारे में है।

अध्यक्ष महोदयः ऐसी छोटी-छोटी बातों से एक महत्वपूर्ण प्रश्न को महत्व नहीं दिया जा रहा है। यदि समझौता ज्ञापन पांच वर्षों के समय में पूरे नहीं होने जा रहे हैं तो आप आवश्यकता को पूरा कैसे करेंगे?

(व्यवधान)

श्री डी० वेंकटेश्वर रावः राज्य सरकार द्वारा काफी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। **(व्यवधान)** एक सौ पच्चीस आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार पूरे देश में यही नीति अपनाने जा रही है। **(व्यवधान)**।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत उत्पादन क्षमता

*103. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक राज्यवार, विद्युत की कितनी आवश्यकता थी;

(ख) 31 मार्च, 1995 तक विद्युत परियोजनाओं की राज्यवार अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी;

(ग) प्रत्येक राज्य को राज्य में ही स्थित विद्युत संयंत्रों से कुल कितनी विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है और अन्य राज्यों में स्थित विद्युत संयंत्रों से राज्यवार कितनी विद्युत सप्लाई की जा रही है;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विद्युत उत्पादन का राज्यवार कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य की समूची आवश्यकता को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए

जा रहें हैं और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान, देश में विद्युत की आवश्यकता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार देश में राज्यवार अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान ऊर्जा उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा और वर्ष 1994-95 के दौरान विद्युत के अंत:क्षेत्रीय अंतरण का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) आठवीं योजना के दौरान देश में विद्युत की क्षमता में 20729.7 मेगावाट अभिवृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। क्षमता अभिवृद्धि का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

(ङ) विद्युत की मांग और उपलब्धता के बीच के अंतर को समाप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं, नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि वाली परियोजनाओं का क्रियान्वयन करना, वर्तमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन उपाय करना, अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से कम ऊर्जा वाले क्षेत्रों में ऊर्जा का अंतरण करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को प्रोत्साहन देना।

प्रत्येक राज्य में विद्युत की समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित समय-सूची उपलब्ध नहीं है और यह प्राप्त की जा रही है।

विवरण-I

वर्ष 1994-95 के दौरान वास्तविक विद्युत आवश्यकता

(सभी आंकड़े मि०यू० निवल में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	आवश्यकता
1	2
उत्तरी क्षेत्र	
चंडीगढ	729
दिल्ली	12205
हरियाणा	11695
हिमाचल प्रदेश	1842
जम्मू व कश्मीर	4045
पंजाब	20035
राजस्थान	17000
उत्तर प्रदेश	37195
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र)	104746
पश्चिमी क्षेत्र	
गुजरात	31985
मध्य प्रदेश	27840
महाराष्ट्र	49525
गोवा	965
जोड़ (पश्चिमी क्षेत्र)	110315
दक्षिणी क्षेत्र	
आंध्र प्रदेश	31245
कर्नाटक	25280
केरल	8902
तमिलनाडु	29570
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र)	92997
पूर्वी क्षेत्र	
बिहार	9410
डीवीसी	7970
उड़ीसा	9420
पश्चिम बंगाल	13540
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	40340
उ०-पूर्वी क्षेत्र	
आन्ध्र प्रदेश	157.5
असम	2437.1
मणिपुर	337.2
मेघालय	342.8
मिजोरम	139.5
नागालैण्ड	136.7
त्रिपुरा	311.2
जोड़ (उ०-पू० क्षेत्र)	3862.0
अखिल भारत	352260

विवरण-II

31.3.95 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता (अनंतिम) का राज्यवार ब्यौरा

क्र०सं०	क्षेत्र/राज्य/संघ शासित राज्य	अधिष्ठापित क्षमता (मे०वा०)			जोड़
		जल विद्युत	ताप विद्युत	न्यूक्लीय	
1	2	3	4	5	6
एक.	उत्तरी				
1.	हरियाणा	883.90	896.42	0.00	1780.32
2.	हिमाचल प्रदेश	273.57	0.13	0.00	273.70
3.	जम्मू एवं कश्मीर	180.31	181.76	0.00	362.07
4.	पंजाब	1798.94	1710.00	0.00	3508.94
5.	राजस्थान	967.58	978.80	0.00	1945.58
6.	उत्तर प्रदेश	1504.55	4570.19	0.00	6074.74
7.	चण्डीगढ़	0.00	2.00	0.00	2.00
8.	दिल्ली	0.00	585.60	0.00	585.60
9.	केन्द्रीय क्षेत्र (उत्तरी क्षेत्र)	1530.00	6862.00	895.00	9287.00
	जोड़ (उ०क्षे०)	7138.85	15786.10	895.00	23819.95
दो.	पश्चिमी				
1.	गोवा	0.05	0.11	0.00	0.16
2.	गुजरात	427.00	4511.47	0.00	4938.47
3.	मध्य प्रदेश	845.86	3017.50	0.00	3863.36
4.	महाराष्ट्र	1740.22	6247.00	0.00	9987.22
5.	दादर एवं नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	केन्द्रीय क्षेत्र (प० क्षे०)	0.00	4652.00	860.00	5512.00
	जोड़ (प०क्षे०)	3013.13	20428.08	860.00	24301.21
तीन.	दक्षिणी				
1.	आन्ध्र प्रदेश	2655.94	2551.50	0.00	5207.44
2.	कर्नाटक	2409.55	967.92	0.00	3377.47
3.	केरल	1491.50	0.00	0.00	1491.50
4.	तमिलनाडु	1947.70	2789.35	0.00	4737.05
5.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	केन्द्रीय क्षेत्र (द० क्षे०)	0.00	4170.00	470.00	4640.00
	जोड़ (द० क्षे०)	8504.69	10478.77	470.00	19453.46

1	2	3	4	5	6
चार.	पूर्वी				
1.	बिहार	161.60	1603.50	0.00	1765.10
2.	उड़ीसा	1271.92	680.00	0.00	1951.92
3.	प० बंगाल	71.51	3478.88	0.00	3550.39
4.	डीवीसी	144.00	2097.50	0.00	2241.50
5.	सिक्किम	30.89	2.70	0.00	33.59
6.	केन्दीय क्षेत्र (पू० क्षे०)	0.00	2730.00	0.00	2730.00
	जोड़ : (पू० क्षे०)	1679.92	10592.58	0.00	12272.50
पाँच.	उत्तर-पूर्वी				
1.	अरूणाचल प्रदेश	23.55	15.81	0.00	39.36
2.	असम	2.00	595.19	0.00	597.19
3.	मणिपुर	2.60	9.41	0.00	12.01
4.	मेघालय	186.71	7.05	0.00	193.76
5.	मिजोरम	3.37	21.07	0.00	24.44
6.	नागालैण्ड	3.20	3.62	0.00	6.82
7.	त्रिपुरा	16.01	37.35	0.00	53.36
8.	केन्द्रीय क्षेत्र (उ०पू० क्षेत्र)	255.01	100.50	0.00	355.51
	जोड़ (उ०पू० क्षे०)	492.45	790.00	0.00	1282.45
छः	द्वीपसमूह				
1.	अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	29.47	0.00	29.47
2.	लक्षद्वीप	0.00	5.37	0.00	5.37
	जोड़: (द्वीपसमूह)	0.00	34.84	0.00	34.84
केन्द्रीय क्षेत्र		1929.00	20612.00	2225.00	24766.00
राज्य क्षेत्र		18456.03	34397.79	0.00	52853.82
निजी क्षेत्र		444.00	3100.58	0.00	3544.58
राज्य क्षेत्र+निजी क्षेत्र		18900.03	37498.37	0.00	56398.40
अखिल भारत		20829.04	58110.37	2225.00	81164.41
कुल का प्रतिशत		25.66	71.60	2.74	100.00

विवरण-III

राज्यवार विद्युत संबंधी लक्ष्य तथा उत्पादन एवं अन्य राज्यों/स्रोतों से प्राप्त की गई सहायता

क्र०सं०	राज्य	1994-95		1994-95	
		विद्युत उत्पादन (मि०यू०)		निम्न से सहायता	प्राप्त की गई सहायता (मि०यू०)
		लक्ष्य	वास्तविक		
1	2	3	4	5	6
1.	दिल्ली	7565	7034	पश्चिमी क्षेत्र	44.2
				हिमाचल प्रदेश	257.1
2.	जे एंड के	3300	2837	पश्चिमी क्षेत्र	30.3
3.	हिमाचल प्रदेश	3475	4257	हरियाणा	60.1
				पंजाब	32.1
				उत्तर प्रदेश	342.1
				पश्चिमी क्षेत्र	15.0
4.	हरियाणा	3970	3425	हिमाचल प्रदेश	121.2
				पश्चिमी क्षेत्र	26.1
5.	राजस्थान	9255	8469	हिमाचल प्रदेश	211.8
				पंजाब	439.3
				पश्चिमी क्षेत्र	55.4
				मध्य प्रदेश	32.0
6.	पंजाब	12800	11505	पश्चिमी क्षेत्र	39.3
				हिमाचल प्रदेश	148.5
7.	उत्तर प्रदेश	56085	54214	पश्चिमी क्षेत्र	104.6
8.	गुजरात	30470	28849	उत्तरी क्षेत्र	3.4
9.	महाराष्ट्र	47590	47871	उत्तरी क्षेत्र	9.6
10.	मध्य प्रदेश	39155	39701	राजस्थान	168.4
				उत्तरी क्षेत्र	41.2
				एनटीपीसी (औरैया)	316.5
				आंध्र प्रदेश	15.0
11.	आंध्र प्रदेश	35525	35891	महाराष्ट्र	163.0
				मध्य प्रदेश	109.6

1	2	3	4	5	6
				गोवा	46.5
				उड़ीसा	74.8
				पश्चिम बंगाल	73.0
				डीवीसी	2.5
12.	कर्नाटक	13870	16352	-	-
13.	केरल	5800	6573	-	-
14.	तमिलनाडु	31595	33210	-	-
15.	बिहार	5268	3286	पश्चिम बंगाल	108.4
				एनटीपीसी (अंबा)	1.8
				एनटीपीसी (औरेया)	0.9
				असम	14.5
16.	उड़ीसा	5750	5555	पश्चिम बंगाल	54.5
				नालको	1200.0
				आईसीसीएल	562.0
				मध्य प्रदेश	24.6
				असम	8.4
				एचपीसीएल	19.0
17.	पश्चिम बंगाल	19887	19597	असम	0.8
18.	सिक्किम	50	55	-	-
19.	असम	1655	1255	मेघालय	82.1
				डीवीसी	15.5
				पश्चिम बंगाल	193.7
				उड़ीसा	22.2
				पूर्वी क्षेत्र	92.3
20.	मेघालय	488	381	पूर्वी क्षेत्र	10.0
21.	त्रिपुरा	175	166	पूर्वी क्षेत्र	0.4
22.	मणिपुर	450	515	पूर्वी क्षेत्र	14.6
23.	अरूणाचल प्रदेश	12	20	पूर्वी क्षेत्र	1.7

विवरण-IV

आठवीं योजना के दौरान राज्यवार क्षमता वृद्धि

क्षेत्र/राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	जल विद्युत (मे० वा०)	ताप विद्युत (मे० वा०)	न्यूक्लीय (मे० वा०)	जोड़ (मे० वा०)
1	2	3	4	5
हरियाणा	0.0	210.0	0.0	210.0
हिमाचल प्रदेश	27.0	0.0	0.0	27.0
जम्मू एवं कश्मीर	6.8	100.0	0.0	106.8
पंजाब	0.0	630.0	0.0	630.0
राजस्थान	0.0	498.5	0.0	498.5
उत्तर प्रदेश	28.5	1110.0	0.0	1138.5
दिल्ली	0.0	376.0	0.0	376.0
केन्द्रीय क्षेत्र(उ० क्षे०)	1245.0	1185.0	0.0	2430.0
जोड़(उ० क्षे०)	1307.3	4109.5	0.0	5416.8
गुजरात	160.0	268.0	0.0	428.0
मध्य प्रदेश	285.0	840.0	0.0	1125.0
महाराष्ट्र	570.5	920.0	0.0	1490.5
केन्द्रीय क्षेत्र (प० क्षे०)	0.0	1186.0	440.0	1626.0
जोड़ (प० क्षे०)	1015.5	3214.0	440.0	4669.5
आन्ध्र प्रदेश	463.6	1340.0	0.0	1803.6
कर्नाटक	190.0	416.0	0.0	605.0
केरल	271.0	100.0	0.0	371.0
तमिलनाडु	15.5	750.0	0.0	765.0
पाण्डिचेरी	0.0	22.5	0.0	22.5

1	2	3	4	5
केन्द्रीय क्षेत्र (द० क्षे०)	0.00	420.0	440.0	860.0
जोड़ (द० क्षे०)	940.1	3048.5	440.0	4428.6
बिहार	56.9	420.0	0.0	476.5
उड़ीसा	136.0	420.0	0.0	556.5
प. बंगाल	95.0	920.0	0.0	1015.0
डीवीसी	0.0	840.0	0.0	840.0
सिक्किम	12.0	0.0	0.0	12.0
केन्द्रीय क्षेत्र (पू० क्षे०)	60.0	2630.0	0.0	2690.0
जोड़ (पू० क्षे०)	359.9	5230.0	0.0	5589.9
असम	0.0	60.0	0.0	60.0
मेघालय	60.0	0.0	0.0	60.0
नागालैण्ड	0.0	0.0	0.0	0.0
त्रिपुरा	0.0	16.0	0.0	16.0
अरूणाचल प्रदेश	10.3	0.0	0.0	10.3
मिजोरम	3.6	0.0	0.0	3.6
केन्द्रीय क्षेत्र (उ० पू० क्षेत्र)	100.0	375.0	0.0	475.0
जोड़ (उत्तर-पू० क्षेत्र)	173.9	451.0	0.0	624.9
निजी क्षेत्र	168.0	1454.0	0.0	1622.0
राज्य क्षेत्र	2223.7	7963.0	0.0	10186.7
केन्द्रीय क्षेत्र	1405.0	6636.0	880.0	8921.0
अखिल भारत	3796.7	16053.0	880.0	20729.7

इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी का आधुनिकीकरण

*106. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:**
श्री चित्त बसु:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के प्रति पश्चिम बंगाल में बर्नपुर स्थित रुग्ण इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) की वित्तीय देयताओं को बट्टे खाते डालने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो अन्य बातों के साथ-साथ बट्टे खाते में डाली जाने वाली प्रस्तावित धनराशि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा "इस्को" को अर्थक्षम बनाने और उसके आधुनिकीकरण के लिये कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है और इस प्रयोजनार्थ बनायी गयी योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का "इस्को" के आधुनिकीकरण/प्रबंधन में गैर-सरकारी कम्पनियों को भी शामिल करने का कोई प्रस्ताव है;

(ड.) यदि हां, तो क्या किसी गैर-सरकारी कंपनी ने इस संबंध में रूचि दिखाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (च) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (इस्को) की वित्तीय देयताओं को बट्टे खाते में डालने अथवा इस्को को अर्थक्षम बनाने और उसके आधुनिकीकरण के लिए बजटीय सहायता देने के संबंध में सरकार द्वारा अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 (यथा संशोधित, फरवरी, 1994) की शर्तों के अनुसार इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड (इस्को) एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी बन गई तथा कम्पनी के निदेशक मंडल ने अधिनियम की धारा- 15 के तहत अपेक्षितानुसार कम्पनी के संबंध में अपनाए जाने वाले उपाय निर्धारित करने के लिए 22 जून, 1994 को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को भेज दिया है।

इसलिए इस्को के आधुनिकीकरण के संबंध में शुरु की जाने वाली कोई भी योजना इसके बारे में औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के आदेशों के अनुसार होनी चाहिए।

दिल्ली-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग

*107. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव:

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली-बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग को एक्सप्रेस मार्ग घोषित करने का निर्णय लिया है और इसके विकास के लिए गैर-सरकारी विशेषज्ञों और विदेशी एजेन्सियों को शामिल करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह परियोजना कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(ग) विदेशी एजेंसियों और गैर-सरकारी निवेशकों की सहायता से देश में एक्सप्रेस मार्ग के रूप में विकसित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (ग) सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग नामक एक्सप्रेस मार्गों के अभिनिर्धारित रूटों के खण्ड अथवा खंड समूह जिसमें दिल्ली-बम्बई खंड भी सम्मिलित है, के लिए व्यवहार्यता अध्ययन तैयार करने हेतु निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। प्रत्येक राज्य में इसकी लम्बाई व्यवहार्यता अध्ययन कर लिए जाने के बाद ज्ञात होगी। इस परियोजना का निर्माण प्रारंभ होने की तारीख के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

ताप, गैस और डीज़ल पर आधारित विद्युत संयंत्र

*108. **डा० अमृतल कालिदास पटेल:**
डा० साक्षी जी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ताप, गैस और डीज़ल पर आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थापना में कितना पूंजी निवेश किया जाएगा;

(ग) इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे): (क) जी, हां।

(ख) कोयला, गैस और डीजल आधारित ताप विद्युत संयंत्रों के अधिष्ठापन हेतु प्राप्त और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त और के०वि०प्रा० में जांचाधीन विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा, निवेश संबंधी अनुमोदन दिए जाने के पश्चात् सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं को सी० ई० ए० द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दिए जाने के बाद संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा, क्रियान्वयन हेतु आरंभ किया जा सकता है।

परियोजना के प्रवर्तकों द्वारा वित्तीय समापन प्राप्त करने के बाद ही निजी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन प्रारंभ होता है।

विवरण-I

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम, क्षमता, ईंधन, जिला	शामिल निवेश (करोड़ रुपये)	स्वीकृति की तिथि	स्थिति
1	2	3	4	5
	हरियाणा			
1.	फरीदाबाद सीसीजीटी चरण-1 400 मे० वा० गैस, फरीदाबाद	1181.44	14.10.94	निवेश संबंधी अनुमोदन प्रतीक्षित है।
	उत्तर प्रदेश			
2.	रिहंद एसटीपीएस चरण-2 2X250 मे० वा० कोयला, मिर्जापुर	1139.17	16.5.88	जल उपलब्धता और निवेश संबंधी अनुमोदन दिया जाना बाकी है।
	गुजरात			
3.	गांधी नगर टीपीएस विस्तार यूनिट-5 1X210 मे०वा० गांधीनगर	658.80	14.6.94	विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा-29 की अनुपालना/नये एफ आर को तकनीकी- आर्थिक स्वीकृति दिया जाना अपेक्षित है।
4.	वानकबोरो टीपीएस विस्तार यूनिट-7 1X210 मे०वा० गांधीनगर	698.00	2.5.95	सुनिश्चित वित्तीय पैकेज, के.ज. आयोग की स्वीकृति और विद्युत आपूर्ति अधिनियम, 1948 की अनुपालना प्रतीक्षित है।
5.	गांधार (पागुथाण) सीसीजीटी 655 मे०वा० गैस/नैपथा भरूच	2298.14	25.11.93	सुनिश्चित वित्तीय पैकेज प्रतीक्षित है।
	महाराष्ट्र			
6.	दभोल जीटीसीसी टीपीएस 2015 मे०वा० डिस्टिलेट/एलएनजी, रत्नागिरी	9051.27	14.7.94	कार्य प्रगति पर है।
7.	भद्रावती टीपीएस 2X536 मे०वा० कोयला, चन्द्रपुर	5287.80	29.12.94	विद्युत क्रय करार (पीपीए) पर बातचीत चल रही है
	आन्ध्र प्रदेश			
8.	जेगुरूपाडु जीटीसीसी टीपीएस 216 मे० वा० गैस ईस्ट गोदावरी	827.00	25.11.93	पीपीए को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
9.	गोदावरी जीटीसीसी टीपीएस 200 मे० वा० गैस ईस्ट गोदावरी	748.43	3.1.94	

1	2	3	4	5
	तमिलनाडु			
10.	नैवेली जीरो यूनिट टीपीएस 1X250 मे० वा० लिग्नाइट साऊथ आरकोट	1325.11	19.8.94	विद्युत क्रय करार ईंधन आपूर्ति, सुनिश्चित वित्तीय पैकेज, राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरणों की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
11.	नैवली टीपीसी विस्तार 2x210 मे०वा० लिग्नाइट साऊथ आरकोट	1590.95	30.5.95	राष्ट्रीय विमान पत्तन की स्वीकृति, संबद्ध पारेषण प्रणाली और निवेश संबंधी अनुमोदन को सुनिश्चित किया जाना प्रतीक्षित है।
	केरल			
12.	कोझिकोडे डीजीपीपी 120 मे० वा० एलएसएचएस/डीजल कोझिकोडे	555.00	11.10.94	निवेश संबंधी अनुमोदन प्रतीक्षित है।
	बिहार			
13.	मैथोन राइट बैंक टीपीएस 4X21 मे०वा० कोयला, धनबाद	1490.48	19.10.88	4X250 मे०वा० परियोजना के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दिए जाने हेतु वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करना और संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रतिक्षित है।
14.	मुजफ्फरपुर टीपीएस विस्तार 2X250 मे० वा० कोयला मुजफ्फरपुर	1452.13	26.10.93	निवेश संबंधी स्वीकृति प्रतीक्षित है।
	उड़ीसा			
15.	इब घाटी टीपीएस यू-3व4 2X210 मे० वा० कोयला सम्बलपुर	1993.63	19.8.94	सुनिश्चित वित्तीय पैकेज प्रतीक्षित है।
	प० बंगाल			
16.	बालागढ़ टीपीएस यू-1व2 2X250 मे० वा० कोयला, हुगली	2234.96	29.12.94	सुनिश्चित वित्तीय पैकेज पीपीए, कोयला आपूर्ति समझौता और विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 की धारा 29 की अनुपालना प्रतीक्षित है।
	अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह			
17.	पोर्टब्लेयर में बम्बूफलैट में डीजल जनरेशन पावर प्लांट, साऊथ अण्डमान 4X5 मे० वा० एचएसडी/एलएसएचएस	59.55	28.12.94	विद्युत विकास स्कीम को अभी-अभी सुनिश्चित किया जाना है।

विवरण-II

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जाँचाधीन प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	परियोजना का नाम, क्षमता, ईंधन एवं जिला	निवेश शामिल है
1	2	3
	राजस्थान	
1.	चित्तौडगढ़ टीपीएस 1X500 मे० वा० कोयला चित्तौडगढ़	1384.86
2.	धौलपुर टीपीएस 2X250 मे० वा० कोयला	2958.00
3.	सूरतगढ़ चरण-2 2X510 मे० वा० कोयला श्री गंगानगर	2129.20
4.	कोटा चरण-4 1X210 मे० वा० कोयला कोटा	779.22
	उत्तर प्रदेश	
5.	रोसा टीपीएस 2X250 मे० वा० (चरण-1) कोयला शाहजहाँपुर	2236.94
6.	जवाहरपुर टीपीएस 2X400 मे० वा० कोयला एटा	3576.00
7.	अनापारा "सी" टीपीएस 2X250 मे० वा० कोयला सोनभद्रा	4203.23
	महाराष्ट्र	
8.	खापरखेडा टीपीएस यूनिट 5 एवं 6 2X210 मे० वा० कोयला नागपुर	1353.00
9.	भिवपुरी सीसीजीटी प्लांट 450 मे० वा०-प्राकृतिक गैस/नैपथा रायगढ़	1506.64
	गुजरात	
10.	भंगरौल (लिग्नाइट) टीपीएस 1X250 मे० वा०-लिग्नाइट सूरत	1082.81
11.	बोचा (लिग्नाइट) टीपीएस 2X210 मे० वा०-लिग्नाइट भावनगर	856.22
12.	जामनगर टीपीएस 2X250 मे० वा० (4X250 मे० वा० बढ़ाने का प्रस्ताव) पैट्रोलियम कोक/एलडीओ जामनगर	2017.85
13.	पावर प्लांट (सीसीजीटी) जीपीसीआईएस 145 मे०वा० के लिए नैपथा/डिस्टिलेट/गैस बरौदा	398.64
14.	वात्वा सीसीजीटी प्लांट 120/150-नैपथा अहमदाबाद	532.15
15.	इस्सार सीसीजीटी टीपीएस 510 मे० वा०-नैपथा	1712.27
16.	क्वास् सीसीजीटी चरण-2 650 मे० वा० नैपथा/गैस, सूरत	2086.00
	मध्य प्रदेश	
17.	कोरबा (वैस्ट) टीपीएस यूनिट 5 एवं 6 2X210 मे० वा०-कोयला बिलासपुर	1600.45
18.	भिलाई टीपीएस 2X250 मे० वा०-कोयला दुर्ग	2135.00
19.	भाण्डेर सीसीजीटी 330 मे० वा०-नैपथा ग्वालियर	1252.23
20.	ग्वालियर डीजल टीपीएस 126 मे० वा०-एलएसएचएस/एफओ भिण्ड	524.85
21.	पेंच टीपीएस 2X250 मे० वा०-कोयला छिन्दवाड़ा	2710.00
22.	झाइवू कोरबा टीपीएस 2X250 मे० वा०-कोयला बिलासपुर	4578.80
23.	कोरबा ईस्ट पावर हाऊस 3X30 मे० वा०-कोयला बिलासपुर	293.75

1	2	3
24.	नरसिंगपुर डीजी पावर प्लांट 125 मे० वा० **तमिलनाडु**	519.00
25.	कुड्डालूर टीपीएस 2X535 मे० वा०-कोयला साउथ आरकोट	5575.00
26.	सामानाल्लूर डीजल इंजिन प्लांट 100 मे० वा०-एलडीओ/एफओ/एलएसएचएस मदुराई	384.00
27.	पिल्लईपैरूमलनैल्लूर सीसीजीटी 300 मे० वा०-नैपथा/गैस थंजावूर	1235.82
28.	नार्थ मद्रास टीपीएस (चरण-2) 2X500 मे० वा०-कोयला चिंगलपुट	4679.00
29.	श्रीभुष्णम टीपीपी 2X250 मे० वा०-लिग्नाइट वाल्लादर	2037.26
30.	बेसिन ब्रिज डीजी सैट्स टीपीएस 220 मे० वा०, मद्रास **केरल**	734.08
31.	कासारगोड टीपीएस 3X500 मे० वा०-कोयला कासारगोड	5997.00
32.	कासारगोड डीजी सैट्स 70 मे० वा० (एलएसएचएस/एफओ) कासारगोड	270.31
33.	कासारगोड सीसीपीपी 500 मे० वा०-नैपथा कासारगोड	2140.42
34.	कासारगोड डीजीपीपी 60 मे० वा०-डीज़ल/एलएसएचएस कासारगोड **कर्नाटक**	180.88
35.	मंगलौर टीपीएस 3X250 मे० वा०-कोयला दक्षिण कन्नाडा	4387.48
36.	रायपुर टीपीएस यूनिट 5 एवं 6 2X210 मे० वा०-कोयला रायपुर	1408.88
37.	टोरानागाल्लू टीपीएस 2X120 मे० वा०-कौरैक्स गैस एण्ड कोयला बोल्लारी	838.89
38.	2X500 मे० वा० पावर प्लांट, मंगलौर के समीप	-
39.	येलाहाँका डीजल टीपीएस विस्तार 2X23.4 मे० वा०-डीजल/एलएसएचएस **आन्ध्र प्रदेश**	148.92
40.	विशाखापट्टनम टीपीएस 2X500 मे० वा०-कोयला विशाखापट्टनम	4797.00
41.	वाड्रापाल्ली टीपीएस 2X60 मे० वा०-कोयला नालगोण्डा	441.00
42.	रामागुण्डम एसटीपीपी चरण-3 1X500 मे०वा०	1435.45
43.	रायलसीमा टीपीएस चरण-2 2X210 मे०वा०-कोयला कड्डाप्पा	1473.75
44.	भुपनलपाल्ली टीपीएस 2X67.5 मे० वा०-कोयला वारुं	497.92
45.	रामागुण्डम टीपीपी 2X250 मे० वा०-कोयला **बिहार**	2691.83
46.	जोजोबेरा टीपीएस 3X67.5 मे० वा०-कोयला- सिंहभूम	980.64
47.	कटिहार टीपीएस 2X250 मे० वा०-कोयला- कटिहार **प० बंगाल**	1783.00
48.	गौरीपुर टीपीएस 2X75 मे० वा०-कोयला- 24 परगना **उड़ीसा**	732.87
49.	तलचेर एसटीपीपी चरण-2 1X500 मे० वा०-कोयला- धन्कनाल **असम**	5506.40
50.	अमगुरी सीसीपीपी 266 मे० वा०-गैस	1042.80

1971 की भारत-बंगलादेश संधि

*109. **श्री हरि किशोर सिंह:**
श्री एम० रमन्ना राय:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1971 में की गई भारत-बांगलादेश संधि की अवधि समाप्त होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संधि के नवीकरण हेतु कोई कदम उठाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बंगलादेश ने इस संधि के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भारत-बंगलादेश संबंधों की वर्तमान स्थिति क्या है और दोनों देशों के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) भारत और बंगलादेश के बीच मित्रता, सहयोग और शान्ति की संधि 19 मार्च, 1972 को ढाका में सम्पन्न हुई थी। यह संधि 25 वर्ष के लिए अर्थात 1997 तक वैध है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता। क्या इस संधि का नवीकरण किया जाना चाहिए। इस प्रश्न पर सरकार द्वारा समुचित समय पर विचार किया जाएगा।

(ङ) और (च) बंगलादेश की सरकार ने इस संधि पर अपने विचारों से संबद्ध कोई आधिकारिक संदेश नहीं भेजा है।

(छ) कई क्षेत्रों में भारत और बंगलादेश के घनिष्ट संबंध हैं। दोनों देश द्विपक्षीय रूप से तथा सार्क के ढांचे में परस्पर सहयोग कर रहे हैं। विगत कुछ वर्षों के दौरान द्विपक्षीय व्यापार तेजी से बढ़ा है। अवैध आप्रवासन, नदीजल बंटवारा, पारगमन सुविधाएं, चकमा शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन इत्यादि से संबद्ध अनसुलझे मसलों का समाधान करने के लिए बातचीत जारी है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

*110. **श्री दत्ता मेघे:**
श्री शंकरसिंह वाघेला:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1995-96 के दौरान सरकार का खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की निर्यात क्षमता सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग घाटे में चल रहे थे;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एककों की स्थापना विस्तार हेतु अन्य राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एककों की स्थापना हेतु राज्य-वार कितने प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित पड़े हैं और इन्हें कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (च) जुलाई, 1991 में आर्थिक उदारीकरण करने के बाद से लेकर अब तक अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लाइसेंसमुक्त हैं। बहरहाल, जहां जरूरी हो वहां संयुक्त उद्यमों/विदेशी सहयोग/शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों आदि की स्थापना के लिए मंजूरियां प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दी जाती हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में किसी परियोजना की स्थापना नहीं करता।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों में हैं इसलिए देश में घाटे में चल रहे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की राज्य-वार संख्या के बारे में केन्द्रीय रूप से सूचना नहीं रखी जाती। वैसे पिछले कुछ वर्षों से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग अच्छी प्रगति कर रहा है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विकास हेतु सहायता देने के लिए अनेक विकासात्मक योजना स्कीमें तैयार की हैं और उन्हें लागू कर रहा है। बहरहाल, कोई राज्य विशेष स्कीम तैयार नहीं की गई है। 1995-96 के दौरान इन स्कीमों के लिए कुल योजना परिव्यय 45 करोड़ रुपए है। वित्तीय सहायता के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त होने वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है और व्यवहार्य प्रस्तावों को नियमित आधार पर सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

नेपाल में भारतीय पूँजी निवेश

*111. **श्री जनार्दन मिश्र:**
श्री रामपाल सिंह:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेपाल सरकार ने अपने देश के विद्युत क्षेत्र में पूँजी निवेश के लिए भारत को आमंत्रित किया है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उक्त अनुरोध पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत-नेपाल सीमा पर गेरूवा नदी पर शीशा-पानी विद्युत परियोजना के संबंध में अब तक भारत और नेपाल के बीच कोई विचार-विमर्श हुआ है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस परियोजना की स्थापना से भारत को कितना लाभ होगा?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे): (क) भारत सरकार को विद्युत क्षेत्र में निवेश हेतु नेपाल सरकार का कोई आमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि नेपाल सरकार की विद्युत क्षेत्र में निजी निवेश के लिए एक नीति है, जो भारतीय निवेशकों सहित सभी के लिए उपलब्ध है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

(घ) उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में भारत-नेपाल सीमा की गेरूवा नदी में शीशा पानी विद्युत परियोजना के नाम से कोई परियोजना नहीं है। यह नेपाल अवस्थित करनाली नदी पर करनाली (चीसापानी) बहुउद्देशीय परियोजना है, (गेरूवा दो नदी चैनलों में से एक है, जिसमें करनाली मिलकर नेपाल के टिराई क्षेत्र में बहती है) जिसके संबंध में भारत और नेपाल के बीच विचार-विमर्श किए गए हैं और इस पर अभी भी विचार-विमर्श चल रहा है।

(ङ) और (च) भारत और नेपाल ने सम्भावतः रिपोर्ट की तैयारी का निरीक्षण करने के लिए तकनीकी समितियों गठित की हैं और लगभग 10,000 मेगावाट अधिष्ठापित क्षमता की करनाली (चीसापानी न कि शीशापानी) बहुउद्देशीय परियोजना के तकनीकी पहलुओं पर विचार विमर्श किया हैं। इस परियोजना से प्राप्त बिजली का देश की अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपयोग किया जा सकेगा'।

[अनुवाद]

भिलाई इस्पात संयंत्र का विस्तार

*112. **श्री चेतन पी०एस० चौहानः**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवालाः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार भिलाई इस्पात संयंत्र की क्षमता का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस विस्तार योजना हेतु पर्याप्त लौह अयस्क उपलब्ध है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा पर्याप्त लौह-अयस्क की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) और (ख) भिलाई संयंत्र का विस्तार करने के लिए इस समय सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि सरकार ने "सेल" द्वारा प्रस्तावित दो पूंजीगत योजनाओं को 1994-95 में मंजूरी दी है। इनसे संयंत्र की क्षमता में सीमान्त वृद्धि होगी। ये योजनाएं निम्नानुसार हैं:-

(1) नया सिन्टर प्लान्ट-3 लगाना; और

(2) ऑक्सीजन संयंत्र नं०-2 का विस्तार करना।

आशा है कि अपरिष्कृत इस्पात की 40 लाख टन की वर्तमान क्षमता की तुलना में संयंत्र की क्षमता 1998-99 तक बढ़कर 44 लाख टन हो जाएगी।

(ग) से (ङ) वर्ष 1998-99 तक लौह अयस्क की आवश्यकता को मौजूदा लौह अयस्क खानों नामतः दिल्ली-राजहरा यंत्रीकृत और अन्य हस्तगत खानों से पूरा किए जाने की परिकल्पना की गई है। इससे अधिक आवश्यकताओं के लिए अतिरिक्त लौह अयस्क रावघाट लौह अयस्क खानों से पूरा किए जाने की परिकल्पना है।

फिलीस्तीन में भारतीय मिशन

*113. **श्री श्रवण कुमार पटेलः** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने फिलीस्तीन में भारतीय मिशन खोलने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो यह किस स्थान पर खोला जाएगा और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फिलीस्तीन सरकार का भी भारत में अपना एक मिशन खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) जी हां।

(ख) इस बात पर विचार किया जा रहा है कि भारतीय सम्पर्क कार्यालय किस स्थान पर खोला जाए।

(ग) और (घ) फिलीस्तीनी मुक्ति संगठन (पी एल ओ) ने जिसे भारत ने फिलीस्तीनी लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी है जनवरी, 1975 में नई दिल्ली में अपना कार्यालय खोला। भारत ने मार्च, 1980 में नई दिल्ली स्थित पी एल ओ कार्यालय को पूर्ण राजनयिक दर्जा प्रदान किया।

[हिन्दी]

गांवों का विद्युतीकरण

*114. **श्री लाल बाबू रायः**
श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रत्येक राज्य में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया और क्रमशः

इसकी प्रतिशतता कितनी है;

(ख) ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए प्रत्येक राज्य हेतु कितनी धनराशि का नियतन किया गया है और इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ग) प्रत्येक राज्य में उन गांवों की प्रतिशतता क्रमशः कितनी है जिनका विद्युतीकरण अभी किया जाना है;

(घ) क्या शेष गांवों के विद्युतीकरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे): (क) से (ग) विद्युतीकृत गांवों, विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों और वर्ष 1995-96 के लिए स्वीकृत योजना कार्यक्रम का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण दर्शाया गया है।

(घ) और (ङ) ग्राम विद्युतीकरण एक अनवरत कार्यक्रम है तथा ग्राम विद्युतीकरण के लक्ष्य वर्ष-प्रतिवर्ष के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1995-96 के दौरान 4325 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने हेतु योजना आयोग ने एक कार्यक्रम को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

31.3.95 की स्थितिनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण की स्थिति तथा वर्ष 1995-96 के लिए कार्यक्रम

(अनन्तिम)

क्रम सं०	राज्य	31.3.1995 के अनुसार स्थिति			वर्ष 1995-96 के लिए अनन्तिम कार्यक्रम		
		1981 की जनगणना के अनुसार गांवों की कुल संख्या	31.3.1995 की स्थिति अनुसार उपलब्धियां	विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता मार्च 95 (अनन्तिम)	विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की प्रतिशतता (अनन्तिम)	ग्रामीण विद्युतीकरण संबंधी कार्यों के लिए वित्तीय आवंटन** (करोड़ रु० में)	गांव विद्युतीकरण के लिए अनन्तिम लक्ष्य (1995-96)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	27,379	27358 *	100	-	30.00	
2.	अरूणाचल प्रदेश	3,257	2,149	66	34	11.00	120
3.	असम	24,995*	21,501	98	2	66.00	900
4.	बिहार	67,546	47,762	71	29	16.07	400
5.	गोवा	386	377 *	100	-	00.20	-
6.	गुजरात	18,114	17,892 *	100	-	33.00	-
7.	हरियाणा	6,745	6,745 *	100	-	30.00	-
8.	हिमाचल प्रदेश	16,807	17,761 *	100	-	11.00	-
9.	जम्मू व कश्मीर	6,477*	6,231	96	4	21.12	65
10.	कर्नाटक	27,028	26,883 *	100	-	56.25	-

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	केरल	1,219	1,219 *	100	-	20.00	-
12.	मध्य प्रदेश	71,352*	67,238	94	6	57.00	350
13.	महाराष्ट्र	39,354	39,106 *	100	-	116.58	-
14.	मणिपुर	2,035*	1,853	91	9	12.95	75
15.	मेघालय	4,902*	2,407	49	51	05.24	60
16.	मिजोरम	721	662	92	8	07.00	45
17.	नागालैंड	1,112	1,099 *	100	-	01.00	-
18.	उड़ीसा	46,553	32,948 *	71	29	15.00	220
19.	पंजाब	12,342	12,342 *	100	1	26.00	-
20.	राजस्थान	34,968	29,921	86	14	104.20	750
21.	सिक्किम	440	405 *	100	-	01.50	-
22.	तमिलनाडु	15,831	15,822 *	100	-	4.84	-
23.	त्रिपुरा	856	3,578 **	76	24	6.00	20
24.	उत्तर प्रदेश	1,12,566	85,334 **	76	24	151.46	800
25.	प० बंगाल	38,024	26,116	77	23	33.50	520
	योग	5,78,009	4,96,309	86	14	846.91	4,325
	संशाशित क्षेत्र	1,123	1,120	100	0	-	0
	कुल योग	5,79,132	4,97,429	86	14	846.91	4,325

* 1971 की जनगणना के अनुसार।

* पूर्ण रूप से विद्युतीकृत किए गए (शेष का विद्युतीकरण व्यवहार्य नहीं है)

** 1971 की जनगणना के अनुसार 4247 गांव थे प्रगति 1971 की जनगणना के संबंध में।

*** इसमें 246 गैर-वर्गीकृत गांव शामिल हैं जिन्हें पहले ही विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है।

* फरवरी, 1995 के अनुसार उपलब्धियां।

**** इसमें राज्य योजना के माध्यम से आवंटन शामिल है। इसमें प्रणाली सुधार हेतु 150 करोड़ रुपए तथा विशेष परियोजना कृषि हेतु 155 करोड़ रुपए, जो वर्ष 1995-96 के दौरान आर ई सी के माध्यम से वित्तपोषित किया जाना है, शामिल नहीं है।

मंत्री की जर्मनी-यात्रा

*115. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उन्होंने जर्मनी की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो जर्मन सरकार के साथ किन-किन मुद्दों पर बातचीत की गई और उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या जर्मनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता संबंधी प्रस्ताव का समर्थन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां। मैंने 8 से 11 जुलाई, 1995 तक जर्मनी की यात्रा की थी।

(ख) मैंने जर्मनी के राष्ट्रपति तथा विदेश मंत्री से मुलाकात की थी। मैंने उनके साथ द्विपक्षीय संबंधों, पड़ौसी देशों के साथ भारत के संबंधों और परस्पर हित के अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया था। हमारी इस स्थिति को भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया था कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं तथा मौजूदा समस्या का समाधान भारतीय संविधान तथा संप्रभुता के ढ़ांचे के भीतर शान्तिपूर्ण ढंग से किया जाना चाहिए और इस समस्या के बाह्य पक्ष को भारत और पाकिस्तान के बीच बाहरी हस्तक्षेप के बिना द्विपक्षीय रूप से सुलझाया जाना चाहिए। सुरक्षा परिषद के विस्तार के संबंध में, भारत को स्थायी सदस्यता हेतु अपनी उम्मीदवारी के लिए जर्मनी का समर्थन मिला।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार यूरोपीय संघ तथा विकसित जगत के एक महत्वपूर्ण सदस्य से प्राप्त इस समर्थन का स्वागत करती है।

उर्वरकों का उत्पादन और आयात

*116. **डा० सत्यनारायण जटिया:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में प्रत्येक किस्म के उर्वरक का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान कितनी मात्रा में उर्वरकों का आयात किया जाएगा;

(ग) ऐसे उर्वरकों के आयात पर प्रति मीट्रिक टन कितनी लागत आएगी; और

(घ) बाजार में इन उर्वरकों का बिक्री मूल्य क्या होगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव): (क) अप्रैल-जून, 1995 की अवधि के दौरान देश में विभिन्न उर्वरकों के उत्पादन संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) इस समय मात्र यूरिया जो मूल्य वितरण और संचलन नियंत्रण के अधीन है, का सरकारी खाते में आयात किया जाता है। यूरिया की स्वदेशी उपलब्धता और अनुमानित मांग के बीच के अंतर को आयातों द्वारा पूरा किया जाता है। अनियंत्रित उर्वरकों की मांग और आपूर्ति (आयात सहित) बाजार शक्तियों द्वारा शासित होती है।

(ग) 1994-95 के दौरान यूरिया आयातों की भारित औसत लागत भाड़ा लागत 5662 रुपए प्रति टन थी। अनियंत्रित उर्वरकों के आयात के संदर्भ में मूल्य संबंधी सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

(घ) यूरिया का अधिकतम बिक्री मूल्य 3320 रुपए प्रति टन निर्धारित किया गया है। अनियंत्रित उर्वरकों के मूल्य समय-दर-समय तथा राज्य-दर-राज्य परिवर्तित होते हैं।

विवरण

30.6.95 की स्थिति के अनुसार देश में प्रत्येक किस्म के उर्वरकों का उत्पादन

(000 मी.टन)

उत्पाद का नाम	उत्पादन	(अप्रैल 95 - जून 95)	
	मात्रा	एन	पी
1	2	3	4
यूरिया	3601.4	1656.6	0.0
अमोनियम सल्फेट (ए/एस)	142.5	29.9	0.0
केल्सियम अमोनियम नाइट्रेट (सीएएन)	96.3	24.1	0.0
अमोनियम क्लोराइड (ए/सी)	35.5	8.9	0.0
डाई-अमोनियम फास्फेट (डीएपी)	706.4	127.2	324.9
20:20	312.3	62.5	62.5
सिंगल सुपर फास्फेट	624.6	0.0	99.9
15:15:15	80.5	12.1	12.1
20.7:20.7	56.6	11.7	11.7
17:17:17	177.8	30.2	30.2
10:26:26	19.2	1.9	5.0
12:32:16	46.3	5.6	14.8
14:35:14	7.0	1.0	2.4
19:19:19	30.3	5.8	5.8
28:28	66.4	18.6	18.6
16:20	26.9	4.3	5.4
25:25	22.8	5.2	5.2
कुल :	6052.8	2005.5	598.6

[अनुवाद]

डाभोल समझौता विवाद

*117. **श्री राम कृपाल यादव:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डाभोल समझौता विवाद को ध्यान में रखते हुए विद्युत तथा ईंधन खरीद समझौतों को सार्वजनिक दस्तावेज बनाने हेतु दिशा निर्देश देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे): (क) से (ग) मामले की विद्युत मंत्रालय में जांच की जा रही है।

[हिन्दी]

रासायनिक कारखानों में दुर्घटनाएं

*118. **श्री परशुराम गंगवार:**
श्री एन० जे० राठवा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत रसायन और उर्वरक संयत्रों की राज्य वार संख्या कितनी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में वर्षवार इन एककों द्वारा रसायनों और उर्वरकों का कितनी मात्रा में उत्पादन किया गया;

(ग) उन रसायन और उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है जहां गत तीन वर्षों के दौरान गैस रिसाव हुआ है;

(घ) इसके फलस्वरूप जान-माल की कुल कितनी हानि हुई; और

(ङ) सरकार ने भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं के रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) देश में विभिन्न राज्यों में उर्वरक इकाइयों की संख्या और पिछले तीन वर्षों में उनका उत्पादन के बारे में ब्यौरे सलग्न विवरण-I में दिए जाते हैं। देश में रसायन क्षेत्र में भारी, मझौली और लघु इकाइयों की संख्या जो अनेक प्रकार के रसायनों का उत्पादन करती हैं, बहुत अधिक है और इन इकाइयों के बारे में राज्य-वार ब्यौरे रखे नहीं जाते हैं। इन ब्यौरों को इकट्ठा करने में लगने वाला समय, श्रम और लागत प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं होगी।

(ग) और (घ) जहां तक जानकारी उपलब्ध है, उन रसायन और उर्वरक संयंत्रों जिनमे पिछले तीन वर्षों के दौरान खतरनाक गैसों/भाप के रिसाव के दुर्घटनाएं घटी थी, के ब्यौरे सलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अधीन अधिसूचित खतरनाक रसायनों के भंडारण और आयात नियमावली, 1989 की अनुसूची-5 में बताएं गए सम्बन्धित प्राधिकारियों से दुर्घटनाओं की जांच करना और ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सुधार के उपायों का सुझाव देना अपेक्षित है। औद्योगिक दुर्घटनाओं और सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्राधिकारी राज्य कारखाना निरीक्षणालय है। दुर्घटनाओं को रोकने और मनुष्य और पर्यावरण दोनों पर दुर्घटनाओं के प्रभावों को कम करने के लिए उक्त नियम अधिसूचित किए गए थे। अक्टूबर 1994 में नियमों में किए गए संशोधनों के अनुसार संबन्धित प्राधिकारी के लिए वह अपेक्षित है कि वह पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजे और दखलकार को ऐसी किसी कमी की सूचना दे जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है ताकि किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। संबन्धित प्राधिकारी द्वारा उद्योगों की वार्षिक निरीक्षण और प्रत्येक छमाही में आन-साइट प्लान की नकली जांच तथा दखलकार द्वारा जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। पीड़ितों को तत्काल राहत देने के लिए जनता देयता बीमा अधिनियम 1991 भी अधिसूचित की गई है।

विवरण-I

1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इकाईवार और वर्षवार उर्वरक का उत्पादन

(000मी०ट०)

जोन/राज्य इकाई का नाम	उत्पाद का नाम	उत्पादन 1992-93			उत्पादन 1993-94			उत्पादन 1994-95		
		मात्रा	एन०	पी०	मात्रा	एन०	पी०	मात्रा	एन०	पी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
दक्षिण जोन										
आंध्र प्रदेश										
एफ०सी० आई-	यूरिया	126.0	58.0	0.0	193.0	80.0	6.0	76.5	35.2	0.0
तमगुण्डम.	23:28	330.4	92.5	92.5	284.2	79.6	79.6	305.7	85.6	85.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सी.एफ.एल-	14:35:14	29.7	4.2	10.4	10.6	1.5	13.7	19.9	2.8	7.0
विजाग.	डीएपी							2.9	0.5	1.3
	20:20	16.2	3.2	3.2	6.5	1.3	1.3	20.5	4.1	4.1
	कुल:	376.3	99.9	106.1	301.3	82.4	84.6	349.0	93.0	98.0
सीएफएसएल-										
काकीनाडा	डीएपी	345.3	62.2	158.8	222.8	40.1	102.5	340.2	61.2	156.5
एनएफसीएल-										
काकीनाडा	यूरिया	309.4	142.3	0.0	591.2	272.0	0.0	675.1	310.5	0.0
ए/एस.इकाई	ए/एस	33.8	7.1	0.0	32.0	6.7	0.0	34.8	7.3	0.0
एसएसपी इकाई	एसएसपी	68.7	0.0	11.0	64.5	0.0	10.3	89.3	0.0	14.3
राज्य का कुल योग- :		1259.5	369.4	276.0	1404.8	489.9	197.4	1564.9	507.3	268.8
केरल										
एफ.ए.सी.टी.-	ए/एस	156.0	32.8	0.0	180.7	37.9	0.0	197.3	41.4	0.0
उद्योगमंडल	20:20	150.9	30.2	30.2	117.5	23.5	23.5	138.6	27.7	27.7
	कुल	306.9	62.9	30.2	298.2	61.4	23.5	335.9	69.2	27.7
एफ.ए.सी.टी.-										
कोचीन-1	यूरिया	146.7	67.5	00	242.3	111.5	0.0	244.1	112.3	0.0
एफ.ए.सी.टी.-	20:20	518.1	103.6	103.6	446.6	89.3	89.3	501.1	100.2	100.2
कोचीन-2	डीएपी	21.2	3.8	9.8	0.0	0.0	0.0	10.2	1.8	4.7
	कुल:	539.3	107.4	113.4	446.6	89.3	89.3	511.3	102.1	104.9
राज्य का कुल योग्य		992.9	237.9	143.6	987.1	262.2	112.8	1091.3	203.5	132.6
कर्नाटक										
एम.सी.एफ-	यूरिया	207.7	95.5	0.0	189.4	87.1	0.0	250.6	115.3	0.0
मंगलौर	डीएपी	89.9	16.2	41.4	64.9	11.7	29.9	102.7	18.5	47.2
	20:20	2.5	0.5	0.5	6.1	1.2	1.2	0.0	0.0	0.0
एमसीएफ-मंगलौर	कुल	300.1	11.22	419	260.4	100.0	31.1	353.3	133.8	47.2
राज्य का कुल योग		300.1	112.2	41.9	260.4	100.0	31.1	353.3	133.8	47.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
तमिलनाडु										
एम.एफ.एल.-मद्रास	यूरिया	61.7	28.4	0.0	96.9	44.6	0.0	237.7	109.3	0.0
	17:17:17	690.4	117.4	117.4	483.7	54.4	82.2	82.2	110.5	110.5
इम्प.यूरिया	(एन.पी.के)						650.2	39.1	18.0	0.0
इंड यूरिया	(एन.पी.के.)							39.7	64.3	0.0
	14:28:14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	19:19:19	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एमएफएल-मद्रास	कुल	752.1	145.8	117.4	580.6	99.0	82.2	709.1	187.6	110.5
एन.एल.सी. नेवेली	यूरिया	108.6	50.0	0.0	111.0	51.1	0.0	105.5	48.5	0.0
एस.पी.आई.सी.-	यूरिया	626.5	288.2	0.0	586.1	269.6	0.0	658.5	302.9	0.0
तूताकोरिन	डीएपी	453.3	81.6	208.5	203.8	36.7	93.7	421.0	75.8	193.7
स्पाइक-तूतीकोरिन.	कुल:	1079.8	369.8	208.5	789.9	306.3	93.7	1079.5	378.7	193.7
इआईडी-पैरी-एन्नोर	16:20	104.7	16.8	20.9	87.8	14.0	17.6	141.9	22.7	28.4
टैक-तूतीकोरिन	ए/एस	67.9	17.0	0.0	68.7	17.2	0.0	76.5	19.1	0.0
ए/एस इकाईयां	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी इकाईयां	एसएसपी	135.8	0.0	21.7	184.4	0.0	29.5	237.6	0.0	38.0
राज्य का कुल योग:		2248.9	599.2	368.6	1822.4	487.5	223.0	2350.1	606.7	370.6
दक्षिण जोन का कुल योग :		4801.4	1318.7	829.9	4474.7	1339.7	564.3	5359.6	1531.2	819.2
पश्चिम जोन										
गोवा										
जेड. ए.सी.-गोवा	यूरिया	389.0	178.9	0.0	381.0	175.3	0.0	349.5	160.8	0.0
	19:19	122.9	23.4	23.4	129.4	24.6	24.6	153.7	29.2	29.2
	28:28	12.5	3.5	3.5	0.0	0.0	0.0	20.8	5.8	5.8
	डीएपी	134.1	24.1	61.7	36.2	6.5	16.7	87.2	15.7	40.1
	20:20	29.4	5.9	5.9	44.5	8.9	8.9	64.4	12.9	12.9
	कुल:	687.9	235.8	94.4	591.1	215.3	50.1	675.6	224.4	88.0
राज्य का कुल योग:		687.9	235.8	94.4	591.1	215.3	50.1	675.6	224.4	88.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्य प्रदेश										
एल.एफ.एल. विजयपुर	यूरिया	842.1	387.4	0.0	878.3	404.0	0.0	819.7	377.1	0.0
ए/एस इकाइयां	ए/एस	46.8	9.8	0.0	43.9	9.2	0.0	44.7	9.4	0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	342.0	0.0	54.7	284.4	0.0	45.5	458.0	0.0	73.3
राज्य का कुल योग:		1230.9	397.2	54.7	1206.6	413.2	45.5	1322.4	386.4	73.3
महाराष्ट्र										
आर.सी.एफ. ट्राम्बे.	यूरिया	62.8	28.9	0.0	83.2	38.3	0.0	68.7	31.6	0.0
	15:15:15	351.5	52.7	52.7	303.1	45.5	45.5	240.2	36.0	36.0
आरसीएफ-ट्राम्बे-4	20.7:20.7	290.1	60.1	60.1	267.2	55.3	55.3	254.2	52.6	52.6
आरसीएफ-ट्राम्बे-5	यूरिया	280.3	128.9	0.0	312.3	143.7	0.0	273.8	125.9	0.0
आरसीएफ-थाल	यूरिया	1418.4	652.5	0.0	1341.9	617.3	0.0	1387.1	638.1	70.0
आरसीएफ-कुल		2403.1	923.1	112.8	2370.7	900.0	100.8	2224.0	884.3	88.6
डीएफसीएल-तलौजा	23:23	102.3	23.5	23.5	10.2	2.3	2.3	54.8	12.6	2.6
ए/एस इकाइयां	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	302.4	0.0	48.4	324.6	0.0	51.9	379.0	0.0	60.6
राज्य का कुल योग:		2807.8	949.6	184.7	264.5	902.3	155.1	2657.8	896.9	161.9
गुजरात										
इफको-काण्डला	10:26:26	281.3	28.1	73.1	251.0	25.1	65.3	262.7	26.3	68.3
	12:32:16	275.1	33.0	88.0	193.2	23.2	61.8	350.5	42.1	112.2
	डी.ए.पी.	319.4	57.5	146.9	465.8	83.8	214.3	427.8	77.0	196.8
इफको-काण्डला	कुल	875.8	118.6	308.1	910.0	132.1	341.4	1041.0	145.3	377.3
इफको-कालोल	यूरिया	338.9	155.9	0.0	357.6	164.5	0.0	412.8	189.9	0.0
कृभको-हजीरा	यूरिया	1686.6	775.8	0.0	1515.4	697.1	0.0	1465.8	674.3	0.0
जीएसएनसी-बड़ौदा	यूरिया	481.3	221.4	0.0	351.0	161.5	0.0	360.1	165.6	0.0
	ए/एस	252.5	53.0	0.0	297.0	62.4	0.0	236.5	49.7	0.0
	डीएपी	133.6	24.0	61.5	80.7	14.5	37.1	24.2	4.4	11.1
	20:20	65.1	13.0	13.0	128.7	25.7	25.7	242.4	48.5	48.5
जीएसएफसी-बड़ौदा	कुल	932.5	311.5	74.5	857.4	264.1	62.9	863.2	268.1	59.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
जीएसएफसी-भड़ौच	यूरिया	660.8	304.0	0.0	653.7	300.7	0.0	687.4	316.2	0.0
	सीएएन	93.8	23.4	0.0	160.5	40.1	0.0	143.7	35.9	0.0
	25:25	64.1	14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	20:20	77.4	15.5	15.5	152.9	26.6	26.6	149.3	29.9	29.9
जीएसएफसी-भड़ौच	कुल	896.1	357.6	30.2	947.1	367.4	26.6	980.4	382.0	29.9
जीएसएफसी-सिक्का	डीएपी	403.4	72.6	185.6	419.6	75.5	193.0	530.0	95.4	243.8
ए/एस इकाइयां,	ए/एस	9.4	2.0	0.0	9.3	2.0	0.0	9.0	1.9	0.0
एसएसपी इकाइयां,	एसएसपी	109.3	0.0	17.5	107.8	0.0	17.2	89.5	0.0	14.3
राज्य का कुल योग:		5252.0	1794.1	615.8	5124.2	1702.7	641.1	5391.7	1756.9	724.8
राजस्थान										
एच.सी.एल-खेतड़ी	एसएसपी	53.9	0.0	8.6	14.2	0.0	2.3	27.5	0.0	4.4
एस.एफ.सी.- कोटा	यूरिया	58.4	164.9	0.0	405.8	186.7	0.0	384.1	176.7	0.0
चम्बल फर्टिलाइजर्स	यूरिया	0.0	0.0	0.0	124.4	57.2	0.0	752.5	346.2	0.0
ए/एस इकाइयां	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी इकाइयां,	एसएसपी	153.0	0.0	24.5	77.7	0.0	12.4	74.2	0.0	11.8
राज्य का कुल योग:		56.3	164.9	33.1	622.1	243.9	14.7	1238.3	522.8	16.3
पश्चिम जोन का कुल योग		10543.9	3538.5	982.8	10186.5	3477.4	906.5	11285.8	3787.4	1064.3
पूर्वी जोन										
बिहार										
एफ.आई.—सिंदरी	ए/एस	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	यूरिया	295.3	135.8	0.0	243.9	112.2	0.0	298.4	137.3	0.0
एफसीआई-सिंदरी	कुल	295.5	135.9	0.0	243.9	112.2	0.0	298.4	137.3	0.0
एचएफसीआई-बरौनी	यूरिया	105.2	48.4	0.0	22.0	10.1	0.0	67.0	30.8	0.0
पी पी सी एल	एसएसपी	177.2	0.0	28.4	128.6	0.0	20.6	171.2	0.0	27.4
ए/एस इकाइयां	ए/एस	35.0	7.3	0.0	33.1	7.0	0.0	32.0	6.8	0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	0.7	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
राज्य का कुल योग		613.6	191.6	28.5	427.6	129.3	20.6	568.8	174.8	27.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
उड़ीसा										
एफ.सी.आई.—तालचर	यूरिया	90.0	41.4	0.0	124.6	57.3	0.0	66.5	30.6	0.0
सेल-राउरकेला	सीएएन	219.0	54.8	0.0	299.5	59.9	0.0	221.4	55.4	0.0
पीपीएल-पारादीप	डीएपी	522.9	94.1	240.5	384.9	69.3	177.1	702.6	126.5	323.2
	12:32:16							2.3	03	0.7
ए/एस इकाइयां	ए/एस	10.8	2.3	0.0	10.3	2.2	0.0	10.2	2.1	0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
राज्य का कुल योग:		842.7	192.5	240.5	759.3	188.6	177.1	1003.0	214.8	323.9
पश्चिम बंगाल										
एचएफसी-दुर्गापुर	यूरिया	74.4	34.2	0.0	40.9	18.8	0.0	2.8	1.3	0.0
एचएचएल-हल्दिया	डीएपी	172.3	31.0	79.3	72.0	13.0	33.1	174.5	31.4	80.3
ए/एस इकाइयां	ए/एस	16.5	3.5	0.0	15.6	3.3	0.0	17.8	3.7	0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	292.7	0.0	46.8	220.8	0.0	35.3	124.4	0.0	19.9
राज्य का कुल योग:		555.9	68.7	126.1	349.3	35.0*	68.4	319.5	36.4	100.2
असम										
एचएफसी-नामरूप-1	ए/एस	0.8	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एचएफसी-नामरूप-2	यूरिया	50.5	23.2	0.0	7.2	3.3	0.0	2.3	1.1	0.0
एचएफसी-नामरूप-3	यूरिया	246.5	113.4	0.0	182.6	84.0	0.0	157.0	72.2	0.0
ए/एस इकाइयां	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	4.4	0.0	0.7	1.0	0.0	0.2	1.2	0.0	0.2
राज्य का कुल योग:		302.2	136.8	0.7	190.8	87.3	0.2	160.5	73.3	0.2
पूर्वी जोन का कुल योग:		2314.4	589.7	395.8	1727.0	440.3	266..2	2051.8	499.4	451.7
उत्तरी जोन										
हरियाणा										
एमएफएल—पानीपत	यूरिया	454.7	200.0	0.0	516.4	237.5	0.0	455.0	293.5	0.0
ए/एस इकाइयां	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	79.9	0.0	11.8	25.7	0.0	3.8	78.6	0.0	12.6
राज्य का कुल योग :		508.6	200.0	11.8	540.1	237.5	3.8	533.6	209.3	12.6
पंजाब										
एफएफएल–नांगल-1	सीएसएन	232.3	58.1	0.0	266.2	66.5	0.0	7206.7	51.7	0.0
एनएफएल–नांगल'-1	यूरिया	354.5	163.1	0.0	351.1	161.5	0.0	375.5	172.7	0.0
एनएफएल–भटिण्डा	यूरिया	490.2	225.5	0.0	511.6	235.3	0.0	530.3	243.9	0.0
पीएनएफ–नांगल	ए/सी	54.4	13.6	0.0	62.0	15.5	0.0	60.6	15.2	0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	198.5	0.0	31.8	128.7	0.0	20.6	217.2	0.0	34.8
राज्य का कुल योग:		1329.9	460.2	31.8	1319.6	178.9	20.6	1390.3	483.5	34.8
उत्तर प्रदेश										
एफसीआई–गोरखपुर	यूरिया	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
इफको–फूलपुर	यूरिया	607.0	279.2	0.0	540.5	248.6	0.0	659.0	303.1	0.0
इफको–आंवला	यूरिया	816.9	375.8	0.0	906.4	416.9	0.0	800.7	368.3	0.0
डा.आई.एल.–कानपुर	यूरिया	621.0	285.7	0.0	601.3	276.6	0.0	718.4	330.5	0.0
आईपीएफसीसी–जगदीशपुर	यूरिया	831.5	382.5	0.0	685.3	315.2	0.0	784.3	360.8	0.0
टी.सी.एल–बवराला	यूरिया	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	784.3	360.8	0.0
एसएसपी इकाइयां	ए/एस	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
एसएसपी इकाइयां	एसएसपी	337.9	0.0	54.1	339.6	0.0	54.3	689.2	0.0	110.3
राज्य का कुल योग :		3214.3	1323.1	54.1	3073.1	1257.4	54.3	3807.8	1434.6	110.3
उत्तरी जोन का कुल योग :		5052.8	1983.3	97.6	4932.8	1973.8	78.7	5731.7	2127.3	157.6
कुल योग:		22712.5	7430.3	2306.2	21321.0	7231.2	1815.7	24428.9	7945.4	2492.8

विवरण-II

क्रमांक	वर्ष	दुर्घटना का स्थान	दुर्घटना किस प्रकार हुई	पदार्थ का नाम	संख्या		कंपनी का नाम
					मृत्यु	घायल	
1.	1992	पानीपत	रिसाव	अमोनिया	18	शून्य	नेशनल फर्टिलाइजर लि.
2.	1993	कल्याण (महाराष्ट्र)	रिसाव	सल्फयूरिक अम्ल फयूम्स	9	125	सेंच्यूरी रेयॉन
3.	1993	रसायनी	रिसाव	हाइड्रोजन सल्फाइड फयूम्स	1	5	हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड
4.	1994	वड़ोदरा	रनवे प्रतिक्रिया	हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फयूम्स	-	103	घरदा केमिकल्स

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों का आधुनिकीकरण

*119. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य विद्युत बोर्डों को अर्थक्षम बनाने तथा उनका आधुनिकीकरण करने हेतु किसी योजना अथवा फार्मूला पर विचार किया है;

(ख) क्या राज्य विद्युत बोर्डों को अधिक अर्थक्षम बनाने के तरीकों का पता लगाने का किसी देशी/विदेशी एंजेसी को सौंपा गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री (श्री एन०के०पी० साल्वे) : (क) से (ग) राज्य बिजली बोर्डों का वाणिज्यिक दृष्टि से पुनरुत्थान करने और इनका आधुनिकीकरण किए जाने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित होता रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद ने एक विद्युत समिति का गठन किया है, जोकि अन्य बातों के साथ-साथ टैरिफ में संशोधन करके, क्षमता में सुधार करके और वितरण को विद्युत उत्पादन से अलग करके राज्य बिजली बोर्डों की स्थिति आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक बनाए जाने से सम्बन्धित उपायों की जाँच करेगी। समिति की रिपोर्ट अध्यक्ष, राष्ट्रीय विकास परिषद को प्रस्तुत कर दीं गई है। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अभी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जानी है।

कुछ राज्य बिजली बोर्डों, नामशः हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश विदेशी परामर्शदाताओं द्वारा निदानात्मक अध्ययन कार्य किए जाने के लिए अपनी परियोजना तैयारी सुविधा के अन्तर्गत ऋण हेतु विश्व बैंक के साथ पहले ही समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। राज्य विद्युत क्षेत्र के संगठनात्मक सुधार के लक्ष्य निम्नवत् हैं :-

1. विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण को अलग-अलग करके विद्युत उद्योग का पुनर्गठन करना।

2. विद्युत उत्पादन एवं वितरण में निजी भागीदारी की अनुमति के द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहन देना।

3. नियंत्रक ढांचे का विकास करना।

4. वाणिज्यिक पद्धति के अनुरूप उत्तरोत्तर रूप से टैरिफ समायोजन कार्य करना।

काउंटर गारंटी

*120. **श्री राम कापसे:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विद्युत मंत्रालय ने केन्द्रीय सरकार द्वारा विद्युत कम्पनियों को दी गई काउंटर गारंटी के स्थान पर कुछ विकल्पों का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्री : (श्री एन०के०पी० साल्वे): (क) जी, हाँ।

(ख) विकल्प ये हैं-

1. उच्च वोल्टता उपभोक्ताओं को स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों द्वारा सीधे विद्युत सप्लाई किया जाना।

2. एक एस्क्रो लेखा खोलना जिसमें उपभोक्ताओं द्वारा अभिज्ञात भुगतान की राशि जमा कराई जाएगी और इस लेखे से सर्वप्रथम आईपीपी को देय राशि के दायित्व की पूर्ति की जाएगी।

3. विद्युत उत्पादन को वितरण से जोड़ना।

4. राज्य सरकार का लेखा केन्द्र को हस्तांतरण किए जाने के समर्थन के साथ भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एस्क्रो व्यवस्था करना।

5. विश्व बैंक गारंटी।

राज्य सरकारों को (1) से (3) तक के विकल्पों पर विचार किए जाने हेतु सलाह दी गई हैं। अन्य विकल्पों पर भारत सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

स्व-रोजगार कार्यक्रम के लाभार्थी

960. **श्री शिवशरण वर्मा:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शहरी गरीब स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत देश में गत तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की संख्या कितनी है तथा वर्ष 1995-96 के लिए राज्य-वार तत्संबंधी लक्ष्य क्या हैं;

(ख) पिछले वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य को कुल कितना ऋण स्वीकृत और वितरित किया गया; और

(ग) 1994-95 के दौरान राज्यवार कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उनमें से कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० कुंगन) : (क) नेहरू रोजगार योजना की शहरी माइक्रो उद्यम स्कीम (एस.यू.एम.ई.) के तहत देश में गत तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या के ब्यौरे तथा वर्ष 1995-96 हेतु निर्धारित लक्ष्यों के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) गत वर्ष अर्थात 1994-95 के दौरान लाभार्थियों के लिए स्वीकृत एवं संवितरित कुल सहायता राशि का राज्य-वार ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है। स्वीकृत एवं संवितरित ऋण राशि, सहायता राशि के तीन गुने तक है।

(ग) इस सूचना की निगरानी केन्द्र स्तर पर नहीं की जा रही है।

विवरण

नेहरू रोजगार योजना

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	वर्ष 1992-1993 से 1994-95 के दौरान एसयूएमई* के तहत सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या	वर्ष 1995-96 के लिए सूमे* के तहत निर्धारित लक्ष्य	वर्ष 1994-95 के दौरान सूमे* के तहत स्वीकृत सहायता राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	37441	10958	157.35
2.	बिहार	4738	9283	2.00
3.	गुजरात	5909	4397	44.83
4.	हरियाणा	8083	1211	52.39
5.	कर्नाटक	19670	8664	75.84
6.	केरल	10842	2981	104.61
7.	मध्य प्रदेश	57684	7944	214.93
8.	महाराष्ट्र	17596	13736	183.91
9.	उड़ीसा	4065	2800	-
10.	पंजाब	8588	1106	119.99
11.	राजस्थान	24920	4889	152.70
12.	तमिलनाडु	38409	11497	72.32
13.	उत्तर प्रदेश	108351	19328	819.40
14.	पश्चिम बंगाल	21685	10939	11.70
15.	गोवा	440	111	8.36
16.	अरूणाचल प्रदेश	40	611	-
17.	असम	14471	1278	122.96
18.	हिमाचल प्रदेश	50	667	-
19.	जम्मू और कश्मीर	1228	778	-
20.	मणिपुर	4396	444	11.67

1	2	3	4	5
21.	मेघालय	351	278	-
22.	मिजोरम	700	167	35.52
23.	नागालैंड	-	389	-
24.	सिक्किम	164	222	-
25.	त्रिपुरा	434	167	10.17
26.	अण्डमान और नि०द्वीप समूह	178	186	3.45
27.	चण्डीगढ़	199	92	4.20
28.	दादर और नगर हवेली	89	92	0.70
29.	दमन और द्वीव	-	186	-
30.	पाण्डिचेरी	1032	222	4.54
31.	दिल्ली	1412	1600	1.51
	योग	393165	117223	2275.03

* एस यू एम ई: नेहरू रोजगार योजना की शहरी माइक्रो उद्यम स्कीम।

[हिन्दी]

होली डे होम, शिमला

961. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रांड होटल (होली डे होम), शिमला में कितने कमरे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इस होटल के रख-रखाव हेतु कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ग) इस होटल के सभी कमरों के उचित रख-रखाव के लिए किए गए उपायों का क्या ब्यौरा है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) उपलब्ध कमरे 109।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

962. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री 15 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1975 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली के संसद सदस्यों के सुझावों के आलोक में अनधिकृत निर्माणों और परिसरों के दुरुपयोग पर रोक लगाने हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण अधिनियम को संशोधित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): अनधिकृत निर्माणों और परिसरों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के उद्देश्य से, दिल्ली विकास अधिनियम के संशोधनों पर विचार हेतु 10 मई, 1993 की बैठक में, दिल्ली के सांसदों ने लगाये जाने वाले जुर्माने (पेनल्टी) के बारे में यथा समय अपने सुझाव भेजने की सहमति व्यक्त की थी। दिल्ली के सांसदों से सुझाव अभी तक नहीं मिले हैं।

विदेशी मत्स्यन नौकाओं को जारी किए गए लाइसेंस

963. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या समुद्री उत्पादों की निर्यात क्षमता के लिए हमारे जल क्षेत्र में मत्स्यन के लिए विदेशी मत्स्यन नौकाओं को जारी किए गए लाइसेंसों के प्रभावों के निर्धारण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकलें; और

(ग) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (ग) भारतीय जल में प्रचालन के लिए विदेशी मत्स्यन ट्रालरों को कोई लाइसेंस नहीं दिया गया है। तथापि, अनेक भारतीय कंपनियों को भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में चार्टर/लीज पर विदेशी ध्वज वाले जलयानों को चलाने की अनुमति दी गई है। भारतीय जल में चलने वाले इन जलयानों के प्रचालन को लेकर मछुवारों द्वारा हाल ही में किए गए आन्दोलन को देखते हुए सरकार ने गहन समुद्री मत्स्यन नीति की समीक्षा करने के लिए सिफारिशें करने हेतु भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री पी० मुरारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। सरकार ने 15.12.94 को यह भी निर्णय लिया है कि पूरी नीति की समीक्षा होने तक गहन समुद्री मत्स्यन नीति संबंधी किसी और आवेदन पत्र पर कार्रवाई न की जाए।

[हिन्दी]

परिवहन योजना

964. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कलकत्ता से इलाहाबाद तक गंगा नदी से होकर परिवहन की कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लि० कलकत्ता (सी०आई० डब्ल्यू०टी०सी०) (भारत सरकार का उपक्रम) कुछ निजी पार्टियों द्वारा कलकत्ता-पटना खंड में गंगा नदी के माध्यम से कार्गो की ढुलाई की जा रही है। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नौएडा के पास उक्त खंड को और विकसित करने की योजनाएं हैं। जहां तक पटना-इलाहाबाद खंड में परिवहन का संबंध है यह खंड भा०अ०ज० प्राधिकरण द्वारा पर्याप्त चैनल गहराई और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था करके विकसित किया जा रहा है और तत्पश्चात् यह उम्मीद है कि निजी प्रचालक और सी आई डब्लू टी सी इस खंड में कार्गो सेवाएं उपलब्ध कराएंगे।

[अनुवाद]

पाक नागरिकों को वीजा

965. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994 के दौरान इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग तथा कराची स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा 1994 में बंद होने तक कितने पाक नागरिकों को वीजा दिया गया ;

(ख) जनवरी से जून, 1995 के दौरान इस्लामाबाद स्थित उच्चायोग द्वारा कितने वीजा जारी किए गए;

(ग) 30 जून, 1995 तक कितने वीजा संबंधी आवेदन लम्बित थे;

(घ) पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा जारी करने में औसतन कितना समय लगता है; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में प्रत्येक स्थान पर आगमन और प्रस्थान की निर्दिष्ट सूचना पुलिस को दिए जाने संबंधी वीजा प्रक्रिया से छूट दी गई थी ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) वर्ष 1994 के दौरान भारत के हाई कमीशन, इस्लामाबाद और भारत के प्रधान कौंसलावास, कराची द्वारा पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को जारी किए गए वीजा की कुल संख्या क्रमशः 19,363 और 15,211 थी।

(ख) जनवरी- जून, 1995 की अवधि के दौरान भारत के हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों को कुल 12,486 वीजा जारी किए थे।

(ग) और (घ) भारत का हाई कमीशन इस्लामाबाद एक ऐसी प्रक्रिया का पालन करता है जिसके द्वारा वीजा आवेदन पर उसी दिन कार्रवाई की जाती है जिस दिन अनुरोध प्राप्त होता है। 30 जून, 1995 की स्थिति के अनुसार कोई वीजा आवेदन लम्बित नहीं था।

वीजा देने के लिए आवेदन लिए जाने के बाद वीजा जारी करने में औसतन 1 से 2 दिन का समय लगता है।

(ङ) वर्ष 1992,1993 और 1994 के दौरान, भारत के हाई कमीशन इस्लामाबाद द्वारा पुलिस रिपोर्ट से छूट वाले जारी किए गए वीजा की संख्या क्रमशः 1,178, 797 और 684 थी।

डी०डी०ए० फ्लैटों की कीमत निर्धारित करना

966. **श्री ए० इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में उच्चतम न्यायलय ने डी०डी०ए० को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटन तिथि के बजाय कब्जा देने की वास्तविक तिथि को फ्लैटों की कीमत निर्धारित करने का निर्देश दिया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या डी०डी०ए० द्वारा फ्लैटों के निर्माण में कब्जा देने में विलंब किए जाने पर कोई जुर्माना लगाया जाता है; और

(ग) सरकार डी०डी०ए० की विभिन्न योजनाओं के अतंर्गत पंजीकृत व्यक्तियों

की किस प्रकार सहायता करेगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के०थुंगन): (क) डी०डी०ए० ने बताया है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 3.2.95 के फैसले में व्यवथा की है कि डी०डी०ए० को विभिन्न योजनाओं के तहत अपने फ्लैटों की कीमत का निर्धारण, फ्लैटों का कब्जा दिये जाने की तारीख की बजाए आवंटन पत्र की तारीख के आधार करना होगा।

(ख) डी०डी०ए० निर्माण/कब्जे में विलम्ब होने पर आवंटियों को हर्जाना अदा करता है।

(ग) डी०डी०ए० फ्लैटों की कीमत की गणना "बिना लाभ-हानि" आधार पर की जाती है। तथापि डी०डी०ए० ने फ्लैटों की लागत पर नियंत्रण लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :-

1. पूंजी पर ब्याज, दो मंजिले फ्लैटों के लिए 20 महीने से घटाकर 15 महीने तथा दो से अधिक मंजिले मकानों के लिए 18 माह कर दिया गया है।

2. दूरस्थ/बाहरी क्षेत्रों (जैसे नरेला और रोहिणी फैज- 3) के लिए फ्लैटों के प्रतिवर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्र 100/- रुपये की दर पर एकमुश्त छूट प्रारम्भ की गई है।

3. फ्लैटों की 50% निर्माण की अवस्था में आवंटित करने का निर्णय लिया गया है जिसके फलस्वरूप भूमि दरें स्थिर हो जाएंगी तथा आबंटी को भुगतान करने के लिए लगभग दो वर्ष का समय मिल जायेगा। आबंटी को केवल 12 माह का ब्याज देना होगा।

4. विशिष्टियों को इष्टतम बनाना।

5. धनत्व/फर्शी क्षेत्र अनुपात का इष्टतम बनाना।

6. बेहतर सामग्री तथा माल सूची का कड़ाई से पालन।

7. फ्लैटों के निर्माण के दौरान निवेश की गई पूंजी पर वसूल की जा रही 17% सालाना दर को 1.11.94 से घटाकर राष्ट्रीय आवास बैंक की ब्याज दर के समान 14.75% वार्षिक कर दिया गया है।

8. फ्लैटों पर 5.5% की दर से लगाये जा रहे ई०डब्ल्यू० एस० प्रभारों को खत्म कर दिया गया है तथा ऊपरी मंजिल के फ्लैटों के आवंटियों को राहत देने के लिए फर्श सामानीकरण प्रभार शुरू किये गये हैं अर्थात प्रथम द्वितीय तथा तृतीय तल के लिए क्रमशः 1%, 1.5% और 2% की छूट देकर भूतल से फ्लैटों में 4.5% प्रभार जोड़े जायेंगे।

शीरे को नियंत्रण मुक्त करना

967. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत:**
श्री जार्ज फर्नांडीज:
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों के आबकारी मंत्री अल्कोहल की आवश्यकता के बारे में केन्द्रीय सरकार से मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार शीरे और अल्कोहल को पुनः नियंत्रण के अन्तर्गत लाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) 1993-94 और 1994-95 में प्रति लीटर शीरे का मूल्य क्या था ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) शीरे और अल्कोहल पर आबकारी मंत्रियों के कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए रसायन और उर्वरक मंत्री की अध्यक्षता में 22 जून, 1995 को नई दिल्ली में आबकारी मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन मे कोई सर्वसम्मति नहीं थी और राज्यों के प्रतिनिधियों ने कार्यकारी दल की सिफारिशों पर अलग-अलग विचार व्यक्त किए थे। कार्यकारी दल की सिफारिश पर इन विचारों और इनके साथ-साथ कानूनी निहितार्थों की जांच की जा रही है।

(ङ) विनियंत्रण के बाद सरकार द्वारा शीरे और अल्कोहल की कीमतों को मानीटर नहीं किया जा रहा है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

968. **श्री हन्नान मोल्लाह:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों के समुद्री उत्पादों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) और (ख) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के लिए अलग से कोई योजना विशेष नहीं हैं लेकिन यह मंत्रालय मछली के परिरक्षण तथा प्रसंस्करण के लिए आधारभूत सुविधाओं की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम चला रहा हैं जिसके तहत अनुदान सहायता के रूप में 50: पूंजी लागत तक की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस स्कीम के तहत वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान मै० अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम लि० को क्रमशः 28.455 रु० का तथा 69.75 लाख रु० की राशि उपलब्ध कराई गई।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी आवासों के आवंटन के दिशा-निर्देश

969. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी फ्लैटों, विशेषतः टाइप-चार, पांच और उससे ऊपर के मामलों में इस समय बिना बारी के आवंटन के लिए क्या नये दिशा निर्देश तय किये गये हैं;

(ख) क्या दिशा-निर्देश का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु क्या व्यवस्था की गई है;

(ग) क्या उनका ध्यान 13 जुलाई, 1995 के इंडियन एक्सप्रेस के नई दिल्ली संस्करण में "टू मोर आई टी आफीसर्स गिवन फ्लैटस आउट आफ टर्न शीलाकौल स्टेप्स ओवर पी०एम०ओ० डाइरेक्टिव" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(घ) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित विषय में संबंधित तथ्य क्या हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) और (ख) बिना बारी आबंटन के अनुरोधों पर विचार करने के लिए दो समितियां गठित की गई हैं। इन समितियों के अध्यक्ष सचिव (शहरी विकास) और संबंधित संयुक्त सचिव क्रमशः टाइप-4 (स्पेशल) और उससे ऊपर तथा टाइप 1 से टाइप 4 के मामलों पर विचार करते हैं। इन समितियों की अनुशंसाएं अनुमोदन हेतु शहरी कार्य और रोजगार मंत्री को भेजी जायेंगी। बिना बारी आबंटन को 20% (अर्थात पांच में से एक) तक सीमित करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि सार्वजनिक हित के मुकदमें की सुनवाई के समय उच्चतम न्यायालय द्वारा टी०बी० और कैंसर से ग्रस्त सरकारी कर्मचारियों के मामलों जैसे वास्तविक चिकित्सा आधारों को छोड़कर बिना बारी के सभी आबंटनों पर रोक लगा दी गई है।

(ग) से (ङ) आयकर विभाग के कर्मचारियों को किए गए दो आंबटन पहले ही जारी की जा चुकी उन स्वीकृतियों से पहले ही जारी कर दिए गए, जिन्हें प्रधान मंत्री के निर्देश के बाद कार्यान्वित किया गया है। तथापि, निदेशों की प्राप्ति के बाद कोई नई स्वीकृति नहीं दी गई है।

[हिन्दी]

इफको

970. **श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) के उर्वरक संयंत्र ने अपनी बढ़ी हुई क्षमता के अनुरुप कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कब से और क्या यह संयंत्र अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ग) इस समय कार्यान्वयनाधीन इफको की विस्तार परियोजानाओं के ब्यौरे आरम्भण की उनकी अनुमानित तारीख समेत के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

क्र० सं०	स्थान	परिकल्पित अतिरिक्त यूरिया उत्पादन (लाख मी० टन वार्षिक)	आरम्भण की अनुमानित तारीख
1.	आवंला, उत्तर प्रदेश	7.26	01.01.1977
2.	कलोल, गुजरात	1.50	01.09.1997
3.	फूलपुर, उत्तर प्रदेश	7.26	20.01.1998

मत्स्य उत्पादन

971. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी के भारतीय जल क्षेत्र में कितना मत्स्य उत्पादन किया गया;

(ख) क्या मत्स्य उत्पादन में कमी आ रही है;

(ग) क्या इस उत्पादन में इस कमी को रोकने के लिए कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूर्वी तट (बंगाल की खाड़ी) तथा पश्चिमी तट (अरब सागर) में समुद्री मछली के उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

(मी० टन)

	1992-93	1993-94	1994-95
पूर्वी तट (बंगाल की खाड़ी)	7,44,619	7,91,820	8,17,718
पश्चिमी तट (अरब सागर)	17,75,636	18,127,013	18,44142

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) मछली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की जा रही स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उत्पादन को बढ़ाने के लिए-उठाए जा रहे कदम

1. आयात, स्वदेशी, निर्माण, संयुक्त उद्यम, लीजिंग तथा चार्टरिंग जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत जलयान आरम्भ करने के माध्यम से गहन समुद्री मत्स्यन बेड़े की वृद्धि।
2. भारतीय जल में मात्स्यिकी संसाधनों को सुव्यस्थित सर्वेक्षण।
3. गहन समुद्री मत्स्यन प्रचालनों में कार्मिकों का प्रशिक्षण।
4. बड़े तथा छोटे पत्तनों पर मत्स्यन हार्बरों का निर्माण।
5. गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों की शुरूआत करने के लिए ब्याज की दर पर सब्सिडी।
6. मछली प्रसंस्करण, परिरक्षण और विपंणन के लिए बुनियादी सुविधाओं का सृजन।
7. गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा इस्तेमाल किए गए डीजल की लागत से एक अंश की प्रतिपूर्ति।
8. भारतीय अनन्य आर्थिक क्षेत्र में विदेशी मत्स्यन जलयानों तथा तटवर्ती जल में भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों द्वारा मत्स्यन पर नियंत्रण।
9. पारम्परिक नौकाओं के आधुनिकरण की स्कीम।
10. प्लाईवुड क्राफ्ट की शुरुआत की स्कीम।
11. अपतट मध्यवर्ती आकार के प्लेजिक मत्स्यन, नौकाओं की शुरूआत की स्कीम।
12. 20 मी० से कम लम्बाई वाले छोटे मशीनीकृत मत्स्यन जलयानों के लिए हाई स्पीड डीजल पर लगने वाले केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधी स्कीम।
13. कृत्रिम रीफ तथा मैरी-कल्चर परियोजनाओं की स्थापना की स्कीम।

राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 को चौड़ा करना

972. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 को चौड़ा करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी हां।

(ख) जयपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 12 के निम्नलिखित खंडों को 2 लेन का बनाने के लिए 1995-96 के दौरान मंजूरी प्रदान करने का प्रस्ताव है:-

	लम्बाई	अनुमानित लागत
(1) राजस्थान में 297.6-343.4 कि०मी० तक चुनिन्दा खंड।	33 कि०मी०	3.1 करोड़ रु०
(2) राजस्थान में 366.0-403.4 कि०मी० तक चुनिन्दा खंड।	29 कि०मी०	3.7 करोड़ रु०
(3) म०प्र० में बिजोरा-राजस्थान सीमा खंड का 48-67 कि०मी०	19 कि०मी०	3.0 करोड़ रु०

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में पुलों की मरम्मत

973. **श्री खेसन राम जांगड़े:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल कितने पुल ढह गये हैं ;

(ख) इनमें से कितने पुलों की मरम्मत कर दी गई तथा कब तक बाकी पुलों की मरम्मत का काम कर दिया जाएगा; और

(ग) इन पर कुल कितना खर्च होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में रा० रा०-6 पर मच्छा पुल का एक मेहराब (1994 को बाढ़ में) बह गया था और 14.38 लाख रुपये की अनुमानित लागत से इसकी मरम्मत की जा चुकी है।

[अनुवाद]

फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर कल्याण योजनाएं

974. **श्री पी०सी० थामस:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ०ए०सी०टी०(फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर) का कोचीन डिवीजन श्रमिकों के लिए कल्याण तथा अन्य लाभकारी योजनाएं लागू कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस डिवीजन में कार्यरत कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संख्या कितनी है;

(घ) कम्पनी द्वारा कितने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए गए हैं;

(ङ) कितने कर्मचारी अभी इस सुविधा से वंचित हैं;

(च) क्या कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं बनाई गई हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हाँ। फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ट्रावनकोर लि०(एफ०ए०सी०टी०) के कोचीन प्रभाग में चल रही सांविधिक कल्याण योजनाओं के अलावा प्रभाग में चल रही कुछ अन्य बड़ी कल्याण योजनायें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) से (ङ) एफ०ए०सी०टी० के कोचनी प्रभाग में 1875 गैर प्रबन्धकीय और 541 प्रबन्धकीय कर्मचारी हैं। इनमें से 291 प्रबन्धकीय कर्मचारियों तथा 615 गैर प्रबन्धकीय कर्मचारियों को कम्पनी की ओर से वरिष्ठता और कार्य की अपरिहार्यता के आधार पर आवास प्रदान किये गये हैं।

(च) और (छ) जी, हाँ। ब्यौरे सलंग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

विवरण

I. चिकित्सालय सुविधायें

प्रभाग में एक पूर्ण रुपेण सुसज्जित चिकित्सालय कार्य कर रहा है जिसमें प्रभाग के कर्मचारियों की अंतः रोगी चिकित्सा की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं। गम्भीर मामलों को बाहर विशिष्ट केन्द्रों पर भेजा जाता है जिसके लिए कम्पनी चिकित्सीय पुनर्भुगतान प्रदान करती है।

II. शैक्षणिक सुविधायें

एफ०ए०सी०टी० के कोचीन प्रभाग के कर्मचारियों के बच्चों की नर्सरी से 10वीं तक मुफ्त शिक्षा के लिए एक हाई स्कूल (अम्बलमेदू हाई स्कूल) कम्पनी द्वारा चलाया जाता है। इस स्कूल द्वारा बहुत उच्च शैक्षिक मानदण्ड बनाये रखे जाते हैं। जिसमें इसके विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अलावा भी अन्य क्रिया-कलाप हैं।

III. परिवहन सुविधायें

एफ०ए०सी०टी० का कोचीन प्रभाग इस समय कर्मचारियों को कोचीन के नजदीक विभिन्न स्थानों से लाने ले जाने के लिए तीन पारियों में परिवहन हेतु पांच ठेके की गाड़ियां चला रहा हैं।

IV. कल्याणकारी निधि

प्रभाग के जरूरतमंद कर्मचारियों को ब्याज मुक्त तथा अनुग्रह पूर्वक भुगतान प्रदान करके वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोचीन प्रभाग में एक श्रमिक कल्याण निधि है।

V. सामूहिक बीमा

कम्पनी ने अपने सभी कर्मचारियों को ओरिऐन्टल इंस्योरेंश कंपनी लि. के साथ सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान किया है। दुर्घटना अथवा मृत्यु की स्थिति में सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के प्रावधानों के तहत कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति की जाती है।

VI. मनोरंजन सुविधायें

प्रबन्धक तथा गैर-प्रबन्धक वर्ग के कर्मचारियों के लिए खेल, क्रीड़ा और अन्य सांस्कृतिक कार्यकलाप में प्रभाग के कर्मचारियों को मनोरंजन की सुविधा प्रदान करने के लिए कोचीन प्रभाग टाऊनशिप में दो क्लब काम कर रहे है।

VII. उपभोक्ता समितियां

एक कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भण्डार और एक कर्मचारी सहकारी ऋण समिति कर्मचारियों के लाभ हेतु कोचीन प्रभाग टाऊनशिप में काम कर रही है।

उड़ीसा में खनन आधारित एकक

975. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में खनिज आधारित कुछ नए एककों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना कहां-कहां पर की जाएगी; और

(ग) इस संबंध में प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कांडला पत्तन

976. **डा० के०वी०आर०चौधरी**: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कांडला पत्तन से चावल की पूरी मात्रा का निर्यात किया जा सकता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में चावल के निर्यातकों ने चावल का तेजी से निर्यात करने के लिये सरकार से वैकल्पिक पत्तन उपलब्ध करने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं;

(ङ) क्या कांडला पत्तन पर इस समय 1.5 लाख टन चावल जमा हो गया हैं जिसे जलपोतों द्वारा विदेशों को भेजा जाना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

जल-चालित परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) जी नहीं। पत्तन में सीमित बर्थिंग और भण्डारण सुविधा, तटीय श्रमिक गैंग की कमी, नाविकों द्वारा हुक प्वाइंट पर कार्गो पहुंचाने के लिए अपर्याप्त क्षमता आदि जैसे विभिन्न कारणों से कांड़ला पत्तन के लिए एक मिलियन टन से अधिक चावल हैंडल करना मुश्किल है।

(ग) और (घ) चूंकि कांडला पत्तन पूरा भार वहन नहीं कर सकता इसलिए चावल निर्यातकों ने भा०खा०नि० को दूसरे पतनों पर चावल भेजने का सुझाव दिया है। लघु पत्तनों सहित विभिन्न पत्तनों से खाद्यान्न के निर्यात को सुगम बनाने के लिए सभी संभव उपाय किए जा रहे हैं।

(ङ) और (च) 2.8.95 की स्थिति के अनुसार कांडला पत्तन पर 58750 टन चावल ढुलाई के लिए पड़ा हुआ था। प्रतीक्षित एवं संभावित जलयानों की निकासी के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं तथा पत्तन, पत्तन प्रयोक्ताओं विशेषतः चावल निर्यातकों के साथ लगातार बातचीत करता रहता है ताकि दिन प्रतिदिन के प्रचालनों में आने वाले प्रचालनात्मक अवरोधों को दूर किया जा सके और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

गोवा में विदेशी पूंजी निवेश

977. **श्री हरीश नारायण प्रभु आंदूये :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गोवा में विदेशी पूँजी निवेश आशा के अनुरूप नहीं हुआ है क्योंकि यह विद्युत के मामले में अपनी पड़ोसी राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने पर्याप्त विद्युत उत्पादन सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) राज्य में विद्युत की वर्तमान खपत का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल रख दी जाएगी।

राजस्थान में सोने का खनन

978. **श्रीमती वसुंधरा राजे:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में स्वर्ण भंडार क्षेत्रों के सर्वेक्षण कार्य में कौन-कौन सी एजेंसियां लगीं हैं;

(ख) इन एजेंसियों द्वारा अब तक सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस राज्य में कितने स्वर्ण भंडार क्षेत्रों की खोज की गयी है; और

(घ) राजस्थान के इन क्षेत्रों में सोना निकालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) से (ग) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में स्वर्ण के गवेषण के लिए सर्वेक्षण कर रहा है:-

–आनन्दपुरी-भूकिया, बांसवाड़ा जिला।

–हिंगलेज-माता जिला डूंगरपुर।

–पिंडवारा-वाटेरे क्षेत्र, जिला सिरोही।

–सालुम्बर-अंजानी-बेडवाल क्षेत्र, जिला-उदयपुर।

सिरोही जिले के पिंडवारा क्षेत्र तथा बांसवाड़ा जिले के आनन्दपुरी-भूकिया क्षेत्र में प्राथमिक स्वर्ण क्षेत्रों का पता लगाया गया है। हिन्दुस्तान जिंक लि० (एचजैडएल) द्वारा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के जगपुरा क्षेत्र में स्वर्ण का गवेषण शुरू कर दिया गया है।

(घ) इन क्षेत्रों में गवेषण कार्य प्रगति पर है। स्वर्ण की निकासी उसके भंडार की आर्थिक व्यवहार्यता पर निर्भर करेगी।

उत्तर प्रदेश की शहरी विकास योजनाएं

979. **श्री सुरेशानन्द स्वामी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को नई शहरी विकास योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य की मौजूदा शहरी विकास योजनाओं में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० कुंजन) : (क) जी, हां।

(ख) छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान खलीलाबाद तथा बन्ती नामक दो नये कस्बों के लिय परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। ये कस्बे, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के तहत आठवीं योजना अवधि के दौरान शामिल करने के लिए निर्धारित किये गये कस्बों की प्राथमिकता सूची में नहीं हैं। राज्य सरकार को तदनुसार, सूचित कर दिया गया है।

(ग) छोटे तथा मझोले कस्बों के एकीकृत विकास की योजना उत्तर प्रदेश में 1979-80 से चल रही है। इस योजना की शुरूआत से आज की तारीख तक इस राज्य के 62 कस्बे शामिल किए गये हैं और इन कस्बों को 18.90 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। राज्य सरकार ने 26.49 करोड़ रुपये के व्यय की सूचना दी है।

जहां तक बाह्य सहायता प्राप्त शहरी विकास परियोजनाओं का संबंध है, इस समय उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश शहरी विकास परियोजना कार्यान्वयनाधीन है। इस परियोजना में जल आपूर्ति, भूकंप की वजह से पुनर्निर्माण और गंगा कार्यवाही योजना कार्यक्रम तथा अन्य घटक सम्मिलित हैं। इस परियोजना के पूरा होने की लक्ष्य तारीख 31.3.96 है। वित्तीय लक्ष्य के रूप में अभी तक इस परियोजना में हुई प्रगति का प्रतिशत जून, 1995 तक 79% है। इस परियोजना के तहत शुरू की गई स्कीमों में आगरा वाराणसी, झांसी और कानपुर आदि में जलापूर्ति स्कीमें शामिल हैं। ये पूर्ण होने की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

तमिलनाडु में जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाएं

980. **डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार तथा विश्व बैंक ने तमिलनाडु को इसकी जलापूर्ति तथा स्वच्छता परियोजनाओं के लिए सहायता देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजना की वास्तविक लागत कितनी हैं तथा तमिलनाडु द्वारा विश्व बैंक से इस उद्देश्य हेतु कितनी धनराशि प्राप्त की जा चुकी है; और

(घ) यह धनराशि किस तरह वापस लौटायी जायेगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने मद्रास की द्वितीय जल आपूर्ति परियोजना का अनुमोदन कर दिया है और ऋण सहायता के लिए विश्व बैंक के साथ बातचीत हो गई है। इस परियोजना में वीराणम सिंचाई टैंक से मद्रास शहर के लिए जल आपूर्ति बढ़ाने, शहर-वर्ती जल वितरण में सुधार करने और जल संरक्षण को सुदृढ़ बनाने पर विचार है। परियोजना की अनुमानित लागत 1638.037 करोड़ रुपये हैं। विश्व बैंक ने 275.8 मिलियन डालर का आई बी आर डी ऋण मंजूर किया है। राज्य सरकार द्वारा कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद ही ऋण मिलना शुरू होगा।

(घ) ये ऋण 20 साल की अवधि में विश्व बैंक को लौटाया जाएगा, जिसमें पांच वर्ष की मानक चल ब्याज दर की माफी अवधि शामिल है।

अनधिकृत निर्माणों का गिराया जाना

981. **श्री हरचन्द सिंह** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में गत एक वर्ष के दौरान कितने अनधिकृत निर्माण गिराए गये;

(ख) क्या अधिकांश व्यक्तियों ने अवैध रूप से निर्मित आवासों को गिराने से रोकने के लिए न्यायालयों में स्थगन आदेश ले लिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं और सरकार का इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर परिषद, तथा दिल्ली छावनी बोर्ड ने गत एक वर्ष के दौरान क्रमशः 512, 19 तथा 7 अनधिकृत निर्माण गिराये/दिल्ली नगर निगम से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) जी, हां।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर परिषद तथा दिल्ली छावनी बोर्ड ने बताया है कि अनधिकृत निर्माण गिराने के विरूद्ध न्यायालयों से क्रमशः 144,12 तथा 3 मामलों में स्थगनादेश प्राप्त हुये हैं। स्थगनादेशों को निरस्त कराने के लिये ये एजेंसियां इन मामलों पर विभिन्न न्यायालयों में तत्परता से कार्यवाही कर रही हैं।

अवैध निर्माण

982. **डा० रमेश चंद तोमर:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली की विभिन्न बस्तियों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण और आवासीय एककों को वाणिज्यिक परिसरों में परिवर्तित करने के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या है;

(ग) क्या सरकार को अवैध निर्माण के विरूद्ध विभिन्न बस्तियों के निवासियों के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के०धुंगन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

टिहरी बांध परियोजना की समीक्षा

983. **श्री गुमान मल लोढ़ा :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री नवल किशोर राय:
श्री हरि किशोर सिंह :
श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार की विभिन्न क्षेत्रों से टिहरी बांध परियोजना के निर्माण के बारे में आपत्ति उठाने वाले अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो मुख्य आपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन आपत्तियों को देखते हुए इस परियोजना के निर्माण की पुनरीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल): (क) से (ङ) सरकार को विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, टिहरी जल विद्युत बांध परियोजना की सुरक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिकीय पहलुओं की पुनः समीक्षा की मांग की गई है। सरकार द्वारा परियोजना के सभी पहलुओं की भलीभांति समीक्षा और जांच कर ली गई है और सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के पश्चात् इनके क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया। अतः परियोजना की पुनः समीक्षा किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि, सरकार अभ्यावेदनों में उठाए जाने वाले किसी भी नये और वास्तविक मुद्दे की जांच करने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु संयुक्त उद्यम

984. **श्री थाइल जॉन अंजलोजः**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रनः

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 30 जून, 1995 तक गहरे समुद्र में मछली पकड़ने हेतु संयुक्त उद्यम लगाने के लिए जारी किए गए लाइसेंसों का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये लाइसेंस किन-किन कंपनियों को और कब से प्रदान किए गए हैं;

(ग) लाइसेंस जारी करने हेतु कितने आवेदन लम्बित पड़े हुए हैं;

(घ) क्या इस प्रकार के लाइसेंस जारी करने के मामले में भारतीय मछुआरों ने आपत्ति की है; और

(ङ) इस संबंध में मछुआरों द्वारा किए गए आंदोलन का ब्यौरा क्या है और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई): (क) और (ख) संयुक्त उद्यम के तहत गहन समुद्री मत्स्यन जलयान चलाने के लिए जिन कंपनियों को अनुमति दी गई है, उनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) पच्चीस।

(घ) जी हां।

(ङ) मछुआरों ने आशंका व्यक्त की है कि गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रचालन से उनके द्वारा किए जाने वाले शिकार पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा इसलिए उन्होंने ऐसे जलयानों के परिचालन के लिए दी गई अनुमति को वापस लेने की मांग की है। इसको दृष्टि में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री पी० मुरारी की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति गठित की है ताकि समुद्री मत्स्यन नीति की पुनरीक्षा के लिए सिफारिशें की जा सकें। सरकार ने 15.12.94 को यह भी निर्णय लिया है कि पूरे मामले की पुनरीक्षा होने तक गहन समुद्री मत्स्यन के लिए और आवेदनों पर कार्रवाई न की जाए।

विवरण

संयुक्त उद्यम के तहत गहन समुद्री मत्स्यन जलयान चलाने के लिए अनुमति प्राप्त कंपनियां

क्रम सं०	कंपनी का नाम	जलयानों की संख्या	अनुमति पत्र	आशयपत्र जारी करने की तारीख
1.	फिशिंग फल्कॉन लि० हैदराबाद	2	एल०पी	2.2.89
2.	लियो सुजिन्द लि०, नई दिल्ली	5	एल० पी०	8.12.91
3.	इन्डामार फिशरीज (प्रा०) लि० नई दिल्ली	3	एल.पी.	11.6.92
4.	ओरियन्टल हाई सी फिशरीज लि० विशाखापत्तनम	1	एल०पी०	26.6.92
5.	बायो-डी(आई) फिशरीज (प्रा०) लि० नई दिल्ली	1	एल०पी०	4.1.93
6.	टिंम ताई (इंडिया) लिं० विशाखापत्तनम	2	एल०पीं०	17.6.94
7.	फारचून ओसियानिक प्रोडक्टस लि० नई दिल्ली	10	एल०पी०	20.10.93
8.	मै० अल्टीमा एसेस्टस एंड इवैस्टमैंट (प्रा०) लि०, न० दि०	5	एल०आई०	9.11.93

क्रम सं०	कंपनी का नाम	जलयानों की संख्या	अनुमति पत्र / आशयपत्र	जारी करने की तारीख
9.	गीनवेव मैरीन हार्वेस्ट लि०, हैदराबाद	1	एल.पी.	10.8.93
10.	सर्व कन्सुलेट मैरीन प्रोडक्टस (प्रा०) लि० नई दिल्ली	5	एल०पी०	1.9.93
11.	इंचिटा फिशरीज (प्रा०) लि०, मद्रास	6	एल०पी०	20.10.93
12.	स्वान सी फूडस (प्रा०) लि०, नई दिल्ली	4	एल०पी०	14.9.94
13.	न्यू ओरियन्टल ट्रालर्स (प्रा०) लि० हैदराबाद	3	एल०पी०	2.3.93
14.	मैरीन रिसोर्सेज इंटरनेशनल, नई दिल्ली,	2	एल०पी०	5.2.93
15.	इंडफिया लि०, नई दिल्ली,	62	एल०पी०	24.11.92
16.	ड्रागन फिशरीज लि०, बम्बई	10	एल०आई०	24.1.95 (अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 1.12.94 को अनुमति दी गई)
17.	एसियन लांग लाइनर्स जे०वी०, मद्रास	11	एल०आई०	29.12.94 (अधिकार प्राप्त समिति द्वारा 1.12.94 को अनुमति दी गई)

पत्तन न्यास का प्रबंधन

985. **श्री एस०एम० लालजान बाशा:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पत्तन न्यास प्रबंधकों को जनता के प्रति आदर का भाव रखने तथा उनकी सेवा में तत्पर रहने के संबंध में कोई विशेष दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने विभिन्न पत्तन न्यासों के चेयरमैनों द्वारा इन मार्गनिर्देशों के अनुपालन के संबंध में निगरानी रखने हेतु अपनाये गये मापदंड का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां।

(ख) प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डी ए आर एंड पी जी) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सभी मंत्रालयों/विभागों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ स्वायत्तशासी संस्थाओं में लोक शिकायत निवारण तंत्र का गठन करना अपेक्षित है, जिसके तहत एक वरिष्ठ अधिकारी को "शिकायत निदेशक" के रूप में इस तंत्र का प्रमुख पदनामित किया जाता है। सभी पतन न्यासों का अपनी शिकायत निवारण तंत्र है जो जनता की शिकायतों को सुनता है। इस बारे में जारी किए गए मार्ग निर्देशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय लोक शिकायत निवारण तंत्र को जनता की आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए पत्तन, न्यासों में इस तंत्र की व्यवस्था के समीक्षात्मक अध्ययन/निरीक्षण के माध्यम से इसके कामकाज पर निगरानी रखता है। विभिन्न समीक्षा अध्ययनों की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन पर नियमित रूप से पत्रों के माध्यम से नजर रखी जाती है। पत्तन न्यासों में लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति पर तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से नजर रखी जाती है। इसकी स्थिति के बारे में डी ए आर एंड पी जी को प्रत्येक तिमाही में सूचना भेजी जाती है।

विवरण

I. प्रत्येक बुधवार को बैठक रहित दिवस अवश्य माना जाना चाहिए।

II. स्वागत अधिकारी, सुरक्षा कार्मिक और चपरासी को बैठक रहित दिवस के बारे में उपयुक्त हिदायतें दे दी जाएं ताकि जनता समय मांगे बिना अधिकारियों से मिल सके।

III. शिकायत निदेशक का नाम, पदनाम, कमरा सं०, दूरभाष संख्या इत्यादि स्वागत कक्ष में और कार्यालयों भवनों /मंत्रालयों में अन्य सुविधाजनक स्थानों पर स्पष्ट रूप से लगा दिए जाएं।

IV. स्वागत कक्ष में एक ताला लगी हुई शिकायत पेटी रखी जानी चाहिए।

V. शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए शिकायत निदेशक को चाहिए कि वह तीन माह से अधिक समय से लम्बित मामलों से संबंधित कागजातों/दस्तावेजों को मंगवाने के लिए उन्हें प्रदत्त अधिकारों का बार-बार प्रयोग करें और मंत्रालय/विभाग के सचिव अथवा विभाग/संस्था के प्रमुख के अनुमोदन से इस बारे में निर्णय लें।

VI. प्रत्येक शिकायत याचिका की पावती भेजी जाए।

VII. मंत्रालय/विभाग को प्राप्त शिकायतों का विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि मुख्य शिकायत-बहुल क्षेत्रों का पता लगाकर निवारात्मक उपाय किए जा सकें जिससे इनकी पुनरावृति कम हो।

VIII. मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं में कार्यरत शिकायत निवारण तंत्र के बारे में अधिक प्रचार किया जाए।

IX. सरकार के मंत्रालय/विभाग/एजेंसी नियमित रूप से समाचार-पत्रों के शिकायत कालम को देखे और इनसे संबंधित मामलों का पता लगाकर एक समय-बद्ध आधार पर इनके निवारण हेतु तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए।

X. सेवाओं/कार्यकलापों के लिए आवेदनों/अनुरोधों, जिनके माध्यम से जनता मंत्रालय/विभाग के संपर्क में आती है, के निपटारे की समय-सीमा निर्धारित की जानी चाहिए ताकि जनता और सरकार के बीच बेहतर पारस्परिक भागीदारी तथा अधिक जिम्मेदारी सुनिश्चित की जा सके।

XI. कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए प्रत्येक मंत्रालय/विभाग/कार्यालाय में स्टाफ शिकायत अधिकारी (एसजीओ) पदनामित किया जाना चाहिए।

XII. शिकायतों के लिए प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्रणाली और निगरानी को सुदृढ़ बनाया जाए।

XIII. इस विभाग को भेजी जाने वाली रिपोर्टों/विवरणियों को यथानिर्धारित रूप में भेजा जाना चाहिए।

[हिन्दी]

टिहरी बांध के कारण वन कटाई

986. **श्री नीतिश कुमार:**
श्री गुमान मल लोढा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिहरी बांध परियोजना के बड़े आकार के कारण वनों की अत्यधिक कटाई का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उक्त बांध के निर्माण के फलस्वरूप कुल कितने वन क्षेत्र पर वनों की कटाई की जाएगी;

(घ) क्या सरकार का विचार वनों की अत्यधिक कटाई रोकने के लिए संबंधित विभागों को उक्त बांध के वर्तमान आकार को कम करने हेतु निर्देश देने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेरिया) : (क) से (ङ) टिहरी बांध एवं जल विद्युत परियोजना चरण-I (1000 मे०वा०) जो इस समय क्रियान्वयनाधीन है, में वनों की अत्यधिक कटाई या पर्यावरण पर पड़ने वाले इसके परिणामी प्रतिकूल प्रभाव शामिल नहीं हैं। विशेषज्ञता प्राप्त एजेंसियों के माध्यम से कराए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि इस परियोजना के कारण पर्यावरण पर किसी प्रकार के विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेंगे। महत्वपूर्ण अविकसित जल ग्रहण क्षेत्रों का पहले से ही पर्याप्त मात्रा में सुधार किया जा रहा है, इसमें परियोजना लागत पर आधारित वन्यकरण भी शामिल है। परियोजना द्वारा पहले ही 24700 हैक्टेयर से अधिक अविकसित जल ग्रहण क्षेत्र का विकास किया जा चुका है और परियोजना के निर्माण के साथ-साथ वर्ष 1999-2000 तक लगभग 11500 हैक्टेयर का एक अतिरिक्त क्षेत्र इसमें शामिल किए जाने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त 4540 हैक्टेयर की गैर-वन भूमि पर प्रतिपूरक वन्यकरण संबंधी कार्य भी परियोजना लागत में से किए जा रहे हैं। यह लगभग 2583 हैक्टेयर वन भूमि, जो टिहरी बांध के निर्माण के कारण प्रभावित हैं और 1222.4 हैक्टेयर वन भूमि जो पुनर्वास पुनर्स्थापन और परियोजना हेतु कालोनी के निर्माण के कारण प्रभावित है, की तुलना में है।

टिहरी बांध के आकार को कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वन क्षेत्र में किसी महत्वपूर्ण बचत के बिना परियोजना से होने वाले लाभ पर्याप्त रूप से कम हो जाएंगे।

[अनुवाद]

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी पोत

987. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई तटवर्ती राज्यों में मछुआरों ने गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले विदेशी पोतों को लाइसेंस दिए जाने के विरुद्ध देश के प्रमुख बंदरगाहों को बंद करने की धमकी दी है;

(ख) क्या इस नई नीति ने भारतीय मछुआरों को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ने पर मजबूर किया है;

(ग) इस संबंध में मछुआरों के राष्ट्रीय फोरम–एन०एफ०ए०सी० एजेंसी द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) जी हां, पारंपरिक मछुआरों ने ऐसे लाइसेंस जारी होने के विरोध में प्रमुख बंदरगाहों को बंद करने की धमकी दी है।

(ख) वर्ष 1993-94 में भारत में 26.98 लाख टन के कुल समुद्री मछली उत्पाद के विपरीत गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों से लगभग 27,000 टन मछली पकड़ी गइ। प्रतिशत में देखे तो गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों से 1 से 2% मछली पकड़ी जाती है तथा पारंपरिक मछुवारों और मशीनीकृत जलयान मालिकों द्वारा 98% मछली पकड़ी जाती हैं। अतः गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों द्वारा पकड़ी गई मछली कुल समुद्री उत्पादन की तुलना में इतनी नगण्य हैं कि पारंपरिक मछुवारों के लिए खतरा नहीं बन सकती।

(ग) राष्ट्रीय फिशवर्कस फोरम–एन०एफ०ए०सी०ए०जे०वी० द्वारा उठाए गए मुद्दों का ब्यौरा सलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के संचालन के विरोध में पारंपरिक मछुवारों की चिंता को देखते हुए सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री पी०मुरारी की अध्यक्षता में गहन समुद्री मत्स्यन नीति की समीक्षा करके संस्तुति देने हेतु एक पुनरीक्षा समिति गठित की है। सरकार ने दिनांक 15.12.94 को यह भी निर्णय लिया है कि पूरे मामले की पुनरीक्षा होने तक गहन समुद्री मत्स्यन संबंधी किसी और आवेदन पर विचार नहीं किया जाए।

विवरण

गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के प्रचालन के बारे में राष्ट्रीय मछली-कामगार फोरम–एन०एफ०ए०सी०ए०जे०वी० द्वारा उठाए गए मुद्दों के ब्यौरे

1. गहन समुद्री मत्स्यन जलयान प्रचालन क्षेत्रों का उल्लंघन करते हैं और पारम्परिक मछुआरों के लिए आरक्षित तटवर्ती क्षेत्रों में घुस जाते हैं।

2. गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों से पारम्परिक नौकाओं के फिशिंग गियर को नुकसान पहुँचाती है।

3. गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों से समुद्री पर्यावरण को हानि होती है।

4. गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के चलने से पारम्परिक मछुआरों की जीविका पर बुरा असर पड़ता है।

5. गहन समुद्री मत्स्यन निर्यातोन्मुखी है इसलिए इससे भारतीय उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं होता।

6. गहन समुद्री मत्स्यन परियोजनाओं में भारतीय कार्मिकों के लिए रोजगार के अवसर नहीं होते क्योंकि मत्स्यन जलयानों पर विदेशी तैनात होते हैं।

राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें

988. **श्री राज नारायण** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अधिकारियों द्वारा किए गए कदाचार के विरुद्ध कुल मामलें दर्ज किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) ने सूचित किया है कि गत 5 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स, बम्बई के विभिन्न अधिकारियों के खिलाफ जांच-पड़ताल के लिए उनके यहां 12 मामले पंजीकृत कराये गये। जांच-पड़ताल के उपर्युक्त 12 मामलों के संदर्भ में की गई कार्यवाही का सारांश नीचे दिया गया है:

I. एक मामले में सी०बी०आई० ने दोषी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का निर्णय लिया है, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभियोजन हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

II. एक मामले में दोषी अधिकारी की "सेवा से बर्खास्तगी" का दण्ड प्रदान किया गया है।

III. दो मामलों को छोड़ दिया गया, क्योंकि दोषी अधिकारियों को पहले ही किसी अन्य मामले में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।

IV. दो मामलों को जांच के लिए गया है।

V. साक्ष्य के अभाव के कारण दो मामलों को छोड़ दिया गया है।

VI. दो मामलों में सी०बी०आई० ने नियमित विभागीय कार्यवाही के लिए सिफारिश की है।

VII. दो मामलों की जांच की जा रही है।

प्लास्टिक प्रसंस्करण एकक

989. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

डा० रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में प्लास्टिक प्रसंस्करण एकक बन्द होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) एल०डी०पी०ई० का घरेलू मांग और पूर्ति में कितना अन्तर है;

(घ) क्या एल ०डी०पी०ई० का घरेलू कीमत से कम कीमत पर निर्यात किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, नहीं। जहां तक जानकारी उपलब्ध है, प्लास्टिक प्रसंस्करण इकाइयां माल न होने के कारण बन्द होने के कगार पर नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 1994-95 के दौरान एल० डी० पी० ई० की स्वदेशी मांग तथा पूर्ति में लगभग 16% के अन्तर को आयात द्वारा पूरा किया गया है।

(घ) तथा (ङ) उदारीकृत औद्योगिक नीति के अन्तर्गत उद्योग निर्यात के बारे में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। एल० डी० पी० ई० समेत प्लास्टिक के कच्चे माल की थोड़ी सी मात्राएं तैयार शुदा प्लास्टिक उत्पादों के पर्याप्त निर्यात की तुलना में 1994-95 के दौरान निर्यात की गई थी। उत्पादों की निर्यात कीमतें घरेलू कीमतों की अपेक्षा सामान्यता कम होती हैं तथा उनकी कुल मिलाकर विपणन नीति तथा वाणिज्यिक बातों को ध्यान में रखते हुए कंपनियों के द्वारा निर्यात किए जाते हैं।

[हिन्दी]

पाकिस्तान द्वारा मिसाइलें तैनात करना

990. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चीन से प्राप्त भूमि से भूमि पर मार करने वाली मिसाइलें पाकिस्तान ने भारत पाकिस्तान की सीमा पर कई जगहों पर तैनात की हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान ने चीन से जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलें प्राप्त की है, जिन्हें अल्पसूचना पर भारत-पाकिस्तान सीमा के नजदीक लगाया जा सकता है।

(ख) सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली सभी घटनाओं पर बराबर नजर रखती हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

[अनुवाद]

समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

991. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी:**
श्री एम०बी०बी०एस० मूर्ति:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन औद्योगिक अंशदाताओं को कर में शतप्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है जो प्रधान मंत्री के समेकित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में अंशदान करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उद्योगपतियों द्वारा इस कोष में अब तक कुल कितनी धनराशि का अंशदान किया गया है;

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में कोई कार्य योजना शुरू किये जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं को लागू करने के लिये प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि का आवटंन किया गया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० कुंजन): (क) फिलहाल सरकार का ऐसा कोई निर्णय नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

जहाजों की मरम्मत संबंधी सुविधाएं

992. **श्री विजय एन० पाटील:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में जहाजों की मरम्मत संबंधी वर्तमान सुविधाएं अपर्याप्त हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों क्षेत्रों में उपलब्ध वर्तमान सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी हां।

(ख) समुद्रगामी जलयानों के लिए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र, दोनों में मौजूदा जहाज मरम्मत सुविधाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जहाज मरम्मत उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खुला हुआ है। देश की आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत 100% निर्यात-पूरक इकाइयों को समय-समय पर दी जाने वाली छूट, जहाज मरम्मत उद्योग पर भी लागू हैं। विभिन्न पत्तनों में जहाज मरम्मत सुविधाओं को प्रोन्नति के लिए सरकार ने पत्तनों की सलाह दी है कि वे संबंधित पत्तनों में जहाज मरम्मत सुविधाओं के सृजन हेतु इच्छुक निजी उद्यमियों को भूमि और तटीय क्षेत्र उपलब्ध करवाएं।

विवरण

वाणिज्यिक समुद्रगामी जलयानों के लिए देश में उपलब्ध जहाज-मरम्मत सुविधाओं के ब्यौरे

क्रम सं०	पत्तन/जहाज निर्माण यार्ड का नाम	विस्तृत लम्बाई चौड़ाई (मीटर में)
(क)	**सार्वजनिक क्षेत्र**	
1.	**मझगांव गोदी लि० बम्बई**	
	(i) रिपी शुष्क गोदी	150.88X 18.59X 5.49
2.	**बम्बई पत्तन न्यास, बम्बई**	
	(i) ह्यूज शुष्क गोदी	304.80X 30.08X 9.75
	(ii) मेयर वेदर शुष्क गोदी	132.40X 19.00X 6.40

क्रम सं०	पत्तन/जहाज निर्माण यार्ड का नाम	विस्तृत लम्बाई चौड़ाई (मीटर में)
3	**कोचीन शिपयार्ड लि०, कोचीन**	
	(I) शुष्क गोदी	270.00X44.8X11.5
	दो क्वे	290X7.5 =20.8
4.	**कलकत्ता पत्तन न्यास, कलकत्ता**	
	(I) नं० 1 किड्डरपुर गोदी	157.01X 19.51 X8.0
	(II) नं० 2 किड्डरपुर गोदी	143.29 X19.51X 8.3
	(III) नं० 3 किड्डरपुर गोदी	102.13X 14.96X 7.6
	(VI) नं० 1 नेताजी सुभाष गोदी	172.26X22.37 X10.0
	(V) नं० 2 नेताजी सुभाष गोदी	176.85X 22.87 X10.6
5.	**हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता**	
	(I) सल्किया शुष्क गोदी	92.0X 11.0 X7.00
6.	**हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापटनम**	
	(I) शुष्क गोदी	240.0X38.0X8.10 57,000 डी डब्ल्यू टी आकार के जलयान आ सकते हैं लेकिन 640 फुट तक सीमित।
	बेसिन	दो हिस्से 225-167, 40,000 डी डब्ल्यू टी तक के जलयान आ सकते हैं।
7.	**गार्डन रीच शिप बिल्डिंग एण्ड इंजीनियर्स लि०, कलकत्ता**	
	गीला बेसिन और नदी की तरफ जाने वाली जेट्टी	
	(ख) **निजी क्षेत्र**	
	1. **वेस्टर्न इंडिया शिपयार्ड लि०, गोवा**	
	(I) फलोटिंग शुष्क गोदी	210X 42 क्षमता 20,000 टी लिफ्टिंग
	(II) एक ग्रेविंग गोदी	58 X14 मीटर के जहाज की डाकिंग के लिए
	(III) एक मरम्मत जेट्टी	160
	2. **चोलमनी इन्टरनेशनल लि०, मद्रास**	
	दो फलोटिंग गोदी	(I) 14,000 टी लिफ्टिंग क्षमता 190 X32, (II) 2400 टी लिफ्टिंग क्षमता 108X19
3.	**मगदल्ला शिपयार्ड लि०, सूरत** शिप लिफ्ट	125.0X22.5X5.5

एनरॉन विद्युत परियोजना

993. श्री श्रीकांत जेना : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 1995 तक उनके मंत्रालय द्वारा शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों के कितने विदेशी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई;

(ख) आगामी पांच वर्षों में विद्युत क्षेत्र में कितनी राशि के पूंजी निवेश का अनुमान लगाया गया है; और

(ग) रिलायंस-एनरॉन संयुक्त उद्यमों की क्या स्थिति है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार निजी क्षेत्र परियोजनाओं की 22000 मेगावाट की क्षमता समेत अनंतिम रूप से 56788 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने का प्रस्ताव है। नौवीं योजना को अंतिम रूप दिए जाने और निजी परियोजनाओं द्वारा वित्तीय समापन की स्थिति प्राप्त किए जाने के पश्चात् ही प्रक्षेपित निवेश के बारे में जानकारी प्राप्त हो पायेगी।

(ग) विद्युत क्षेत्र में रिलाएंस- एनरॉन संयुक्त उद्यम की सरकार की किसी प्रकार की जानकारी नहीं है।

[हिन्दी]

बिहार में गंगा नदी पर उपरि पुल

994. **श्री साइमन मरान्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साहिबगंज में गंगा नदी पर एक उपरि पुल का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी है और इसके लिए स्वीकृत की गई/खर्च की गई धनराशि तथा इसमें अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा और इस पर वाहनों का आना जाना कब तक शुरू हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) से (ग) केन्द्र सरकार ने साहिबगंज में गंगा नदी पर उपरि पुल के निर्माण की किसी स्कीम को मंजूरी नहीं दी है। केन्द्र सरकार मुख्यतः केवल राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सड़कों पर पुलों के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार होती हैं।

[अनुवाद]

कलकत्ता में "मेगा सिटी" परियोजनाएं

995. **श्रीमती गीता मुखर्जीः** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 1994-95 के दौरान विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु "मेगा" शहरों में आधारभूत ढांचा विकास संबंधी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कलकत्ता को कितनी राशि जारी की गई; और

(ख) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कुल कितनी राशि जारी की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन): (क) मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना के तहत विभिन्न परियोजनाए चलाने हेतु कलकत्ता नगर को वर्ष 1994-95 से 16.1 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी।

(ख) चालू वित्त वर्ष में अब तक कोई धनराशि जारी नहीं की गई है।

[हिन्दी]

भोपाल में हृदय रोग की घटनाएं

996. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें किः

(क) क्या भोपाल में बच्चों में हृदय रोग और अन्य घातक रोगों की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन नवजात शिशुओं का कोई सर्वेक्षण कराया है जो गैस त्रासदी के कारण रोगग्रस्त पैदा हुये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार भोपाल गैस त्रासदी से पीड़ित मां और शिशुओं को घातक रोगों से बचाने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह से कोई योजना तैयार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

आयातित जल से अल्कोहल युक्त पेयों का उत्पादन

997. **श्री जार्ज फर्नांडीज**: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कुछ डिस्टिलरियों के मालिकों/जिन्होंने स्कॉच विस्की और अन्य अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के उत्पादन के लिए विदेशी कंपनियों के साथ समझौता किया है, का विचार अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के उत्पादन में प्रयोग हेतु जल का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने जल के आयात हेतु स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (घ) इन विदेशी कंपनियों को स्कॉच विहस्की के निर्माण के लिए दी गई मंजूरियों में जल के आयात के लिए दी गई कोई मंजूरी शामिल नहीं है। सरकार ने इस उद्देश्य से निर्यात के लिए अलग से भी कोई मंजूरी नहीं दी है।

[हिन्दी]

खाड़ी के देशों में भारतीय

998. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विभिन्न खाड़ी देशों में कुछ भारतीय नागरिक दयनीय स्थिति में रह रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) विभिन्न खाड़ी देशों में भारतीय राष्ट्रिकों की जीवन-यापन की स्थितियां सामान्यतः संतोषजनक हैं। जीवन-यापन की स्थितियों के बारे में हमारे मिशनों द्वारा जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उन मामलों को सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उपयुक्त स्तर पर उठाया जाता है।

[अनुवाद]

एनरॉन का उड़ीसा में स्थानांतरण

999. **डा० सुधीर राय** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या एनरॉन विद्युत परियोजना को उड़ीसा में स्थानांतरित किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

शीतल पेयों का मूल्य

1000. **श्री लोकनाथ चौधरी:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्रीमती गीता मुखर्जी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शीतल पेयों के अधिक मूल्य के मामले को औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो को सौंपा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या औद्योगिक लागत एवं, मूल्य ब्यूरो अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगा; और

(ग) क्या सरकार का रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अविलंब कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में पेट्रो-रसायन संयंत्र

1001. **श्री विलासराव नागनाथराव गूडेवार**: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार-महाराष्ट्र में एक पेट्रो-रसायन संयंत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संयंत्र की स्थापना कब तक कर दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां,

(ख) और (ग) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० इस मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र का उपक्रम का गैस पर आधारित एक पेट्रो-रसायन संयंत्र महाराष्ट्र में रायगढ़ जिले के नागोथाणे नामक स्थान में कार्यरत है। इस संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता प्रतिवर्ष 3 लाख टन इथाइलीन और 89,000 टन पॉलीप्रोपिलीन

की है। लो-डेन्सिटी पॉलीइथाइलीन, लीनियर लो-डेन्सिटी पॉलीइथाइलीन, हाई डेन्सिटी पालीइथाइलीन आदि के निर्माण के लिए अनेक डाउन स्ट्रीम इकाइयां भी इस काम्पलेक्स में स्थापित की गई हैं। संयंत्र में 1994-95 के दौरान 82 प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया उपर्युक्त के अलावा सरकारी क्षेत्र में महाराष्ट्र में पेट्रो-रसायन संयंत्र स्थापित करने को कोई प्रस्ताव नहीं है।

दवाओं का निर्यात और आयात

1002. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा**: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई आर्थिक नीति अपनाये जाने के बाद देश से (मार्च, 1995 तक) कितने मूल्य की दवाओं का निर्यात किया गया और कितने मूल्य की दवाओं का आयात किया गया ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): जो भी जानकारी उपलब्ध है, वह नीचे दी जाती है:-

(रु० करोड़ में)

वर्ष	निर्यात	आयात
1991-92	1231.3	807.3
1992-93	1410.3	1100.00
1993-94	1781.4	1440.0

स्रोत:- मूल रसासन, भेषज तथा सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री निर्यात संवर्धन परिषद।

बोकारो इस्पात संयंत्र से चोरी

1003. **श्री नवल किशोर राय**:
श्री नितिश कुमार :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जून, 1995 के "डेली टेलीग्राफ" में स्टील पिल्फरिंग रेकेट एट बोकारो प्लांट बेस्टेड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त संयंत्र के कुछ कर्मचारियों और सुरक्षा अधिकारियों की साठगाठ से इस्पात की भारी मात्रा में चोरी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो पहले इस प्रकार की घटनाएं किन-किन तिथियों को हुई तथा कुल कितनी मात्रा में इस्पात जब्त किया गया और इसकी कीमत कितनी थी;

(घ) चोरी के आरोप में कितने व्यक्तियों की सेवा समाप्त की गई और उन्हें जेल भेजा गया; और

(ङ) हाल ही में हुई चोरी की घटना में कुल कितनी मात्रा में माल जब्त किया गया और इसकी कीमत कितनी हैं तथा इस चोरी में लिप्त लोगों के नाम क्या-क्या हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

इस्पात की उत्पादन लागत

1004. **श्री जगमीत सिंह बरार**
श्री गुमानमल लोढ़ा :

क्या इस्पात-मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हमारे देश में इस्पात की उत्पादन लागत (कर रहित) अमरीका जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और दक्षिण कोरिया जैसे अन्य देशों की उत्पादन लागत की अपेक्षा कम है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या स्वदेशी इस्पात को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचना अलाभप्रद है, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) अन्य देशों में इस्पात की उत्पादन लागत के संबंध में प्रामाणिक सूचना के अभाव में अन्य देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और दक्षिण कोरिया, में इस्पात की उत्पादन लागत से भारत में इस्पात की उत्पादन लागत से तुलना करना संभव नहीं है।

(ग) और(घ) निर्यात की व्यवसार्यता, प्रचलित घरेलू मूल्यों, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों, घरेलू मांग तथा निर्यात के लिये उपलब्ध प्रोत्साहनों पर निर्भर करती है।

[अनुवाद]

हुगली नदी की नौगम्य क्षमता

1005. **श्री सत्यगोपाल मिश्र:** क्या जल भूतल-परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कलकत्ता और हल्दिया पत्तनों में सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से हुगली नदी की नौगम्य क्षमता में सुधार लाने हेतु अब तक उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): गहन रख-रखाव निकर्षण प्रयासों और नदी सुधार कार्य करके हुगली नदी की नौगम्यता बनाए रखी जाती है।

दिल्ली में ट्राम सेवा

1006. **डा० मुमताज अंसारी :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में ट्राम्स के निर्माण हेतु किसी कम्पनी को ठेका दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में ट्राम्स सेवा कब से शुरू होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी दूतावासों/मिशनों के पट्टे

1007. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी:**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी:
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित उन विदेशी दूतावासों/मिशनों के नाम क्या हैं जिनके भवनों और भूमि की पट्टा-अवधि 31 मार्च 1995 को समाप्त हो गई है;

(ख) यदि उनकी ओर कोई पट्टा-राशि बकाया है, तो वह कितनी है; और

(ग) उनके पट्टे का नवीकरण किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंमल): (क) से (ग) दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के दखल वाली भूमि तथा भवनों का पट्टा 31.12.1989 को समाप्त हो गया है।

65. 35 लाख रु० से अधिक की राशि बकाया है। बताया गया है कि नया पटटा करार करने तथा उसकी शर्तों व निबंधनों बाबत मामला ब्रिटिश अधिकारियों के परामर्श से विदेश मंत्रालय में विचाराधीन है।

फार्मास्युटिकल्स में अनुसंधान और विकास

1008. **श्री आर० जीवरत्नम :**
श्री धर्मपाल सिंह मलिक :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने फार्मास्युटिकल्स उद्योग में अनुसंधान और विकास कार्य के लिए दिये गये प्रोत्साहनों की जांच करने वाली अन्तर-मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार का इस क्षेत्र में बुनियादी अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) क्या फर्मास्युटिकल्स पर मूल्य नियंत्रण के फलस्वरूप औषध कम्पनियों का लाभ कम हो गया है जिसके कारण अनुसंधान और विकास कार्य के लिए कम वित्तीय आवंटन किया गया है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) अन्तर-मंत्रालय समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

(घ) जी, नहीं। किसी विशेष इकाई द्वारा अनुसंधान एवं विकास के लिए वित्तीय आबंटन उसकी सम्पूर्ण कारपोरेट नीति पर निर्भर करता है।

आंग सान सू की को नेहरू अवार्ड

1009. **श्री राम प्रसाद सिंह :**
श्री मंजय लालः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार नोबेल पुरस्कार विजेता श्रीमती आंग सान सू की को नेहरू अवार्ड से सम्मानित करने का है;

(ख) क्या सरकार ने उन्हें भारत आने और अवार्ड हासिल करने हेतु आमंत्रित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) से (ग) जी हां। भारत सरकार ने वर्ष 1993 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जवाहरलाल नेहरू सद्भावना पुरस्कार दॉ आंग सान सू की को देने के निर्णय की घोषणा कर दी है। भारत के उपराष्ट्रपति जो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार निर्णायक मंडल के अध्यक्ष भी हैं, की ओर से एक पत्र दॉ आंग सान सू की को भेज दिया गया है जिसके द्वारा उन्हें यह पुरस्कार लेने के लिए भारत आने के लिए आमंत्रित किया गया है।

रासायनिक एककों को पुनः चालू करना

1010. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)**:
श्री सुरेन्द्र पाल पाठकः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कुछ रासायनिक संयंत्र रुग्ण हो गये हैं;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इन एककों को फिर से चालू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन एककों का निजीकरण करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (च) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सरकारी क्षेत्र का कोई रसायनिक निर्माण एकक नहीं है। तथापि, फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया, (एफ सी आई), सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम का गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में यूरिया बनाने वाला एक उर्वरक इकाई है। कंपनी को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा नवंबर, 1992 में रुग्ण घोषित किया गया था। हाल ही में सरकार ने एफ सी आई के लिए पुनर्निर्माण योजना को सिद्धान्त रूप में स्वीकृति दी है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सहकारी उद्यमियों, सरकारी और निजी क्षेत्र को सौंपने के लिए एफ सी आई की गोरखपुर इकाई को अलग करना भी दिया गया है कि क्योंकि इस इकाई का पुनर्निर्माण आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं होगा।

भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण द्वारा सर्वेक्षण

1011. **श्री मंजय लालः**
श्री सुकदेव पासवानः
डा० खुशीराम झुंगरोमल जेस्वाणीः
डा० गुणवन्त रामभाऊ सरोदेः
श्री शिवराज सिंह चौहानः

क्या **खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय भू-गर्भ सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान देश में खनिज भंडार का कोई सर्वेक्षण कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से खनिज कहां-कहां पाए गए हैं और तत्संबंधी राज्य-वार अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में खनिजों की खोज के लिए विदेशी कंपनियों से राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) सरकार द्वारा आगामी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान इन खनिजों की खोज के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ङ) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों को निजी क्षेत्र को सौपने से पहले संबंधित राज्य सरकारों से विचार-विमर्श किया है; और

(च) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) देश में खनिज संसाधनों की स्थिति ज्ञात करने के लिए सर्वेक्षण कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित खनिज संसाधनों का ब्यौरा निम्नवत है:-

कोयला- आंध्र प्रदेश, बिहार, मंध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीस, और पश्चिम बंगाल के कोयला क्षेत्रों में 6000 मिलियन टन से भी अधिक अतिरिक्त भंडारों का अनुमान लगाया गया है।

लिग्नाइट- तमिलनाडु और गुजरात में 170 मिलियन टन से भी अधिक लिग्नाइट का आकलन किया गया है।

वेस मैटल- राजस्थान के राजसमंद जिले में 4 से 7 धातु अंश वाले 23.14 मिलियन टन सीसा-जस्ता अयस्क।

–राजस्थान के अजमेर जिले के क्यार क्षेत्र में 12% औसत ग्रेड जस्ता तथा 1.2% औसत ग्रेड सीसे वाले 6.2 मिलियन टन सीसा-जस्ता अयस्क।

–राजस्थान के अजमेर जिले में सावर पट्टी में 5.54% औसत सीसे वाले 2.58% मिलियन टन सीसा ग्रेड अयस्क।

-दक्षिण राजस्थान के अकोला- दरीबा क्षेत्र में 0.75% औसत ताम्र वाले 2% मिलियन टन निम्न ग्रेड अयस्क।

स्वर्ण- कर्नाटक के तुमकुर जिले में अजनह्यली क्षेत्र में औसत 2.09 ग्राम/टन एयू औसत ग्रेड वाले 1.7 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क भंडार।

–कर्नाटक की हट्टी-मस्की शिष्ट पट्टी के हीरा-बुदिनी खंड में 8.19 ग्राम/टन एयू औसत ग्रेड वाले 0.13 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क।

–आंध्र प्रदेश के कोठापल्ली खंड में 2.52 ग्राम/टन एयू औसत ग्रेड वाले 0.11 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क भंडारों का पता लगाया गया।

मैग्नीज-अयस्क - उड़ीसा के कोरापुट जिले की कुटिंगा-निशिखाल पट्टी में 20% एम एन कट-आफ ग्रेड वाले 1.16 मिलियन टन अतिरिक्त निष्कर्षित मैग्नीज अयस्क भंडारों का पता लगाया गया है।

प्लेटीनम धातु समूह (पी०जी०एम०)

उड़ीसा की बाउला- नाउसाही पट्टी में पीपीएम खनिजीकरण (1-3 पीपीएम) के एक 4-5 सथन संभावना क्षेत्र का पता लगाया गया है।

मोलिब्डेनम अयस्क–

तमिलनाडु के हासूर क्षेत्र में (0.078% एमओ) निम्न ग्रेड वाले 2.544 मिल्यिन टन मोलिब्डेनम अयस्क भंडारों का पता लगाया गया है।

डोलोमाइट- मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा सागर जिलों में 91 मि० टन निम्न-सिलिका डोलोमाइट।

फास्फोराइट- राजस्थान के उदयपुर जिले में 14.49% पी$_2$ओ$_5$ अंश वाले 3.5 मिलियन टन फास्फोराइट अयस्क।

पोटाश- सतिपुरा क्षेत्र में 5.15% के$_2$ ओ वाले 175.95 मिलियन टन पोटाश अयस्क तथा नागौर-गंगानगर राजस्थान में 4.66% के$_2$ ओवाले 150.85 मिलियन टन अयस्क।

(ग) केन्द्र सरकार खनिज रियायतें देने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखती।

(घ) खनिज सर्वेक्षण तथा आकलन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नौवीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ङ) खनिज रियायतें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा दी जाती हैं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क

1012. **श्री शांताराम पोतदुखे:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में सरकार द्वारा कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार हेतु सरकार के पास कुछ योजनाएं हैं;

(घ) क्या सरकार ने सन् 2001 तक राष्ट्रीय राजमार्गों नेटवर्क के विस्तार के संबंध में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) जी, हां। निधियों की उपलब्धता के तहत ऐसी सभी सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित करने पर विचार किया जाता है जो देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाती हैं, जो पड़ोसी देशों को जोड़ती हैं, जो बंदरगाहों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ती हैं, जो अति महत्वपूर्ण सामरिक आवश्यकताओं को पूरा करती हैं, जिन सड़कों पर पर्याप्त दूरी तक अधिक सघन यातायात होता है और जिन सड़कों से यात्रा दूरी में काफी कमी होती है तथा इसके फलस्वरूप पर्याप्त किफायत होती है।

(ग) से (ङ) छवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों के अल्प आवंटन के कारण फिलहाल किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना कठिन है।

नए प्रमुख पत्तन

1013. **श्री तारा सिंहः**
श्री पी० वी० श्रीनिवास प्रसादः

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुछ और प्रमुख पत्तन स्थापित करने हेतु हाल ही में कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन पत्तनों की स्थापना में विदेशी कम्पनियों को भागीदार बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कुल कितना आवंटन किया है; और

(ङ) इससे प्रमुख पत्तनों पर "कन्टेनर हैंडलिंग" की क्षमता में कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रत्नों का अवैध खनन

1014. **श्री रामविलास पासवानः**
श्री श्रीकांत जेनाः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण ने बिहार के कोडरमा जिले में रत्नों की खानों का मानचित्रण करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस क्षेत्र में बहुमूल्य पत्थरों और रत्नों का अवैध खनन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस अवैध खनन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिहार सरकार से ऐसी किसी घटना की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

पूणे में नया पासपोर्ट कार्यालय खोला जाना

1015. **श्री अन्ना जोशीः** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994 के दौरान क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, मुम्बई द्वारा कितने नए पासपोर्ट जारी किए गए एंव कितने पासपोर्टों का नवीकरण किया गया;

(ख) वर्ष 1994 के दौरान पुणे जिले के लोगों के लिए कुल कितने नए पासपोर्ट जारी किए गए तथा कितने पासपोर्टों का नवीकरण किया गया;

(ग) क्या सरकार को पूणे में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) वर्ष 1994 के दौरान, बम्बई क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने 2,08,282 नए पासपोर्ट जारी किए तथा 1,42,055 पासपोर्ट नवीकृत किए।

(ख) इसी अवधि के दौरान, पुणे जिले में 12,239 आवेदकों को नए पासपोर्ट जारी किए थे। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, बम्बई में नवीकरणों का जिले-वार रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ग) और (घ) पुणे में नया पासपोर्ट खोलने के लिए सरकार को कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार का यह मानना है कि यह आवश्यक है कि नए पासपोर्ट कार्यालय खोलने के परिणामस्वरूप आवदेकों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार होगा। तथापि सरकार ने बम्बई पासपोर्ट कार्यालय को सक्षम और सुव्यस्थित बनाने के लिए आवश्यक उपाए किए हैं, कार्यालय सुविधाओं का उन्नयन किया है , प्रणालियों और क्रियाविधियों की समीक्षा की जिससे बम्बई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पुणे जिले के अतिरिक्त कार्यभार को प्रभावी ढंग से निपटाने में सक्षम बना है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

1016. **श्री फूलचंद वर्माः** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई आंकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस उद्देश्य के लिए निवेश की जानी वाली कुल राशि क्या है;

(घ) मध्य प्रदेश में कार्यरत रुग्ण खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई): (क) से (ग) सामान्यतया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की क्षमता का मूल्यांकन संबंधित राज्य द्वारा किया जाता है तथा मंत्रालय क्षमता का पता करने के साथ-साथ राज्यों को अपनी योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता देता है। बहरहाल, मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए क्षमता मौजूद है। उदारीकरण से लेकर जून 1995 तक 282 औद्योगिक उद्यमी-ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें लगभग 2652 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा 43280 व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था है। इनके अलावा मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने के लिए 100% निर्यातोन्मुखी यूनिटों/ संयुक्त उद्यमों/विदेशी सहयोग/औद्योगिक लाइसेंस, आदि से संबंधित 17 मंजूरियां भी दी गई हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्वयं किसी राज्य में कोई एकक स्थापित नहीं करता। बहरहाल, सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला क्षेत्र घोषित करना, अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर सभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंस मुक्त करना, विदेशी/अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश की अनुमति देना, वित्तीय राहत उपलब्ध कराना आदि शामिल है। सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजना स्कीमें भी चला रही है।

(घ) से (च) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में है इसलिए देश में सभी खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों से संबंधित राज्यवार सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती। रुग्ण यूनिटें पुनः चालू/बंद होने के लिए औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड से सम्पर्क कर सकती है।

[अनुवाद]

पत्तनों की भंडारण सुविधाएं

1017. **श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा):**
श्री दत्तात्रेय बंडारू:

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की पेट्रोलियम कम्पनियों को, पत्तनों पर भंडारण क्षमता तथा अन्य सुविधाओं को अपर्याप्त होने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के चढ़ाने और उतारने में होने वाली विलंब के फलस्वरूप पोत मालिकों को किए जाने वाले भुगतान की वजह से प्रति माह लाखों रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो पत्तनों पर भंडारण सुविधाओं में सुधार करके टैक्टरों से शीघ्र माल उतारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) कभी-कभी भारतीय जलयानों की अनुपलब्धता के कारण विदेशी जलयानों को चार्टर किया जाता है। इन जलयानों पर लगाया गया विलम्ब शुल्क विदेशी मुद्रा में देय होता है।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में महापत्तनों पर पी ओ एल हैंडलिंग सुविधाओं के आधुनिकीकरण और उन्हें बढ़ाने का प्रस्ताव है और 770 करोड़ रु०की अनुमानित लागत की स्कीमों को पहले ही संस्वीकृति दी जा चुकी है। इन स्कीमों के कार्यान्वयन से महापत्तनों पर पी ओ एल हैंडलिंग क्षमता में 26.50 मिलियन टन प्रतिवर्ष वृद्धि होगी। सामान्यतया स्टोरेज सुविधाएं, तेल कम्पनियां स्वयं उपलब्ध करवाती हैं।

प्रतिव्यक्ति विद्युत उत्पादन/खपत

1018. **श्री योगेन्द्र झा:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की प्रतिव्यक्ति विद्युत उत्पादन/खपत का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल): वर्ष 1993-94 के दौरान, प्रति व्यक्ति विद्युत की खपत का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1993-94 के दौरान वार्षिक प्रति व्यक्ति विद्युत की राज्यवार खपत

राज्य/संघ राज्य का नाम	प्रति व्यक्ति खपत(कि०वा०आ०)
हरियाणा	487
हिमाचल प्रदेश	217
जम्मू व कश्मीर	197
पंजाब	703
राजस्थान	254
उत्तर प्रदेश	186
चंडीगढ़	665
दिल्ली	779
केन्द्रीय क्षेत्र	-
जोड़ (उ०क्षेत्र)	288
गुजरात	690
मध्य प्रदेश	310
महाराष्ट्र	459
गोवा	593
दमन एंव दीव	1182
दादर व नागर हवेली	1392
केन्द्रीय क्षेत्र	-
जोड़ (प० क्षेत्र)	487

राज्य/संघ राज्य का नाम	प्रति व्यक्ति खपत(कि०वा०आ०)
आंध्र प्रदेश	344
कर्नाटक	323
केरल	217
तमिलनाडु	387
पांडिचेरी	843
लक्षद्वीप	207
केन्द्रीय क्षेत्र	-
जोड़ (द० क्षेत्र)	335
बिहार	125
उड़ीसा	319
प०बंगाल	164
डीवीसी	-
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	168
सिक्किम	116
केन्द्रीय क्षेत्र	-
जोड़ (पू०क्षेत्र)	172
असम	96
मणिपुर	111
मेघालय	135
नागालैंड	68
त्रिपुरा	60
अरुणाचल प्रदेश	67
मिजोरम	101
केन्द्रीय क्षेत्र	-
जोड़ (उ०पू० क्षेत्र)	94
जोड़ (अखिल भारत)	299

[हिन्दी]

व्यापार संबंधों को बढ़ावा

1019. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के विचार में बदलती हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने हेतु विदेशों में स्थित हमारे मिशनों में कार्यरत राजनयिकों की सेवाओं का उपयोग करने का हैं और क्या इन मिशनों में कुछ बुनियादी परिवर्तन किए जाऐंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) विदेश स्थित हमारे सभी मिशनों/केन्द्रों से यह अपेक्षा है कि वे भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक हितों का संवर्धन करें। हमारे मिशनों और केन्द्रों का यह प्राथमिक दायित्व है और इन क्षेत्रों में सरकार की प्रत्याशाओं से हमारे मिशनों और केन्द्रों को अवगत करा दिया गया है। इन महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वाह के लिए मिशनों और केन्द्रों को आवश्यकतानुसार समुचित अधिकारी और कर्मचारी मुहैया कराये जाते हैं और कार्मिकों तथा आधारभूत संरचना संबंधी उनकी जरूरतों की बराबर समीक्षा की जाती है तथा आवश्यकतानुसार परिवर्तन और उन्नयन किया जाता है, तथापि किसी मूलभूत संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इस्पात की मांग

1020. **श्री राव सिंह कस्वां:**
श्री बलराज पासी:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं एंव नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इस्पात ही अनुमानित मांग कितनी होगी; और

(ख) घरेलू संसाधनों द्वारा इस्पात की मांग को देश में पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1996-97) और नौवीं पंचवर्षीय योजना (2001-2002) के अंत तक परिसज्जित इस्पात की अनुमानित घरेलू मांग क्रमशः 207.4 लाख टन और 306.6 लाख टन होगी।

(ख) इस्पात की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए काफी कदम उठाये हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य आरम्भ किया गया है। निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने की सुविधा के लिए तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने भी विभिन्न

नीतिगत उपाय किए हैं, इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:–

1. लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकालना;
2. लोहा और इस्पात उद्योगों को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना;
3. विदेशी निवेश के उद्देश्य से लोहा और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना;
4. लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करना;
5. पूंजीगत सामान के आयात पर से सीमा शुल्क कम करना; और
6. आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण।

[हिन्दी]

ताम्बा खनन

1021. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ताम्बे के उत्पादन में लगातार गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव): (क) और (ख) जी, नहीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में प्राथमिक तांबे के एकमात्र उत्पादक, हिन्दुस्तान कापर लि० द्वारा किया गया परिष्कृत तांबे का उत्पादन नीचे दिया गया है:–

1991-92	–	45795 एम टी
1992-93	–	45275 एम टी
1993-94	–	39002 एम टी
1994-95	–	46134 एम टी

वर्ष 1993-94 के दौरान खेतड़ी प्रगालक को रखरखाव और ओवर हालिंग के लिए 2 1/2 महीने बंद रखा गया जिसके कारण हिन्दुस्तान कापर लि० वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 40000 एम टी के मुकाबले मात्र 39002 एम टी शोधित तांबे का उत्पादन कर सका।

(ग) तांबे का उत्पादन बढ़ाने के लिए विद्यमान क्षमता 31000 टन वार्षिक से बढ़ाकर 100000 टन वार्षिक करने के लिए हिन्दुस्तान कापर लि० के खेतड़ी कापर कम्पलेक्स के प्रगालक और शोधनशाला के विस्तार के लिए कदम उठाए गए हैं।

इंदौर और भोपाल के बीच एक्सप्रेस मार्ग-II

1022. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदौर और भोपाल के बीच एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में मध्य प्रदेश सरकार को प्रदान की गई/ की जा रही सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण

1023. **श्री कृष्णभूषण शरण सिंह:**
श्री पंकज चौधरी :
डा० रमेश चंद तोमर :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के समक्ष राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर वृक्ष लगाने की कोई योजना विचाराधीन है:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ पेड़ लगाना सरकार की विगत कई वर्षों से स्वीकृत नीति रही है और इस नीति का लगातार पालन किया जाता है बशर्ते कि मार्गाधिकार के भीतर, जहां पेड लगाए जा सकते हों, भूमि उपलब्ध हो तथा पर्याप्त निधियां भी उपलब्ध हों, इत्यादि। राष्ट्रीय राजमार्गों की काफी लम्बाई में पहले ही पेड़ लगाए जा चुके हैं। अधिकांश राज्यों में पेड़ लगाने का कार्य राज्य वन/बागवानी विभाग के माध्यम से अथवा उनसे परामर्श करके किया जाता है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र का प्रवेश

1024. **श्री राम नाईक :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के प्रवेश सम्बन्धी प्रशासनिक कार्यवाहियों में कई कमियां पाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बधी ब्योरा क्या है; और

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती ऊर्मिला सी० पटेरिया): (क) और (ग) विश्व बैंक ने "इंडियां कंट्री इकनामिक मेमोरेंडम" नामक शीर्षक से अपने दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ, विद्युत क्षेत्र के वर्तमान ढांचे के संबंध में कुछ टिप्पणियां

की हैं, जो कि भारत सरकार के जांचाधीन हैं।

उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं का गैर-सरकारीकरण

1025. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश की तीन विद्युत परियोजनाओं (उत्तर काशी, चमोली) को निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) उन कम्पनियों का ब्यौरा क्या हैं जिन्हें ये परियोजनाएं सौंपी गई हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना (4X100 मे०वा०) का निष्पादन कार्य निजी क्षेत्र के मैसर्स जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की सौंपा है। इस परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी०पी०आर०) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के प्रवर्तकों द्वारा प्रस्तुत कर दी गई है और जैसे ही इस परियोजना को सभी आवश्यक सांविधिक और गैर-सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त होंगी, वैसे ही इसे तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार ने चमोली और उत्तरकाशी जिले में निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु निजी पक्षों से प्रस्तावों को आमन्त्रित किया है और प्राप्त होने वाली बोलियों के मूल्यांकन कार्य के पश्चात इनको ठेके पर दे दिया जाएगा।

	परियोजना का नाम और क्षमता	जिला
1.	पालामनेरी (416 मे०वा०)	उत्तरकाशी
2.	मनेरीभाली (304 मे०वा०)	उत्तरकाशी
3.	लौहारी नागपाल (320 मे०वा०)	उत्तरकाशी
4.	तपोवन विष्णुगढ़ (300 मे०वा०)	चमोली
5.	बोवला नंदप्रयाग (132 मे०वा०)	चमोली

कुवैत छोड़कर वापस आने वाले व्यक्तियों को मुआवजा

1026. **प्रो०पी०जे० कुरियन:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कुवैत छोड़कर वापस आने वाले व्यक्तियों को मुआवजे की कुल कितनी राशि देय है और कुवैत द्वारा भारत को कुल कितनी राशि का भुगतान किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा मुआवजा राशि लेने और उसे बकाया दावेदारों में वितरित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) यद्यपि संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग में 3.5 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य के 1,45,759 भारतीय दावे दायर किए गए हैं फिर भी मुआवजे की वास्तविक राशि संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग तय करेगा। संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग से किसी भारतीय दावे का भुगतान नहीं मिला है।

(ख) सभी भारतीय दावे जिसमें अधूरे और त्रुटिपूर्ण दावे भी शामिल हैं; दायर करने के अलावा भारत सरकार के प्रतिनिधि सक्रिय रूप से संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की बैठकों में भाग लेते रहे हैं और मुआवजा राशि के शीघ्र भुगतान के लिए कहते रहे हैं।

(ग) चूंकि बड़ी तादाद में दावे दायर किए गए हैं इसलिए संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग इस समय लघुश्रेणियों के दावों की छानबीन कर रहा है और उसके बाद बड़ी राशि वाले मुआवजे दावों और सामूहिक दावों आदि की छानबीन करेगा। यह केवल भारत के सम्बंध में ही नहीं बल्कि सार्वभौम आधार पर किया जा रहा हैं। इसके अलावा, अनुमोदित दावों का भुगतान नहीं किया गया है क्योंकि इस प्रयोजन के लिए स्थापित किए गए मुआवजा कोष में संसाधनों की कमी है।

इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग परिसर में जलते हुए भारतीय ध्वज का फेंका जाना

1027. **श्री मोहन रावले :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जे०के०एल०एफ० के कार्यकर्त्ताओं ने 27 मई, 1995 को इस्लामाबाद (पाकिस्तान) स्थित भारतीय उच्चायोग के परिसर में एक जलता हुआ भारतीय ध्वज फेंका था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस घटना के संबंध में भारत की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): (क) और (ख) 22 मई, 1995 को भारत का हाई कमीशन, इस्लामाबाद के समक्ष प्रदर्शन कर रहे जे०के०एल०एफ० के कार्यकर्त्ताओं के एक समूह ने भारतीय ध्वज जला कर और उसे हाई कमीशन के परिसर में फेंक दिया था।

(ग) राजनयिक माध्यमों के जरिए इसके लिए सख्त विरोध जताया गया था तथा हमने इस सम्बंध में पाकिस्तान की सरकार को अपने गहरे खेद से अवगत करा दिया था।

हुडको द्वारा आवास ऋण

1028. **श्री रतिलाल वर्मा:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आवास निर्माण हेतु "हुडको" को राज्य-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए; और

(ख) सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० कुंजन) (क) और (ख) 1.4.92 से 31.2.95 के दौरान हुडको को आवासीय स्कीमों के लिए कुल 2072 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। पूर्ववर्ती वर्षों के पुराने बकाया सहित स्वीकृत

किए गए आवेदनों की संख्या 2217 थी। प्राप्त आवेदनों के राज्य-वार और वर्षवार आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

हुडको, द्वारा स्कीमों का मूल्यांकन और स्वीकृत प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है और यह हुडको के दिशानिर्देशों के तहत उधार लेने वाली एजेन्सियों द्वारा अपेक्षित ऋण औपचारिकताओं को पूरा करने तथा निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

विवरण

हुडको द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान आवासीय स्कीमों के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित राज्य का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	119	124	44
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	1	-
3.	आसाम	7	7	18
4.	बिहार	12	37	18
5.	गुजरात	55	37	52
6.	हिमाचल प्रदेश	5	1	4
7.	हरियाणा	26	10	17
8.	जम्मू और कश्मीर	1	10	5
9.	केरल	39	23	46
10.	कर्नाटक	68	67	105
11.	मेघालय	1	1	5
12.	महाराष्ट्र	70	41	58
13.	मणिपुर	4	2	2
14.	मध्य प्रदेश	63	26	32
15.	मिजोरम	2	3	-
16.	नागालैण्ड	1	2	-
17.	उड़ीसा	12	26	39
18.	पंजाब	19	18	26
19.	राजस्थान	50	19	34
20.	सिक्किम	4	3	5
21.	तमिलनाडु	83	124	115
22.	उत्तर प्रदेश	49	37	42
23.	पश्चिम बंगाल	22	13	35
24.	त्रिपुरा	3	1	1
25.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-
26.	चण्डीगढ़	10	-	-
27.	पाण्डिचेरी	-	-	-
		725	653	705

अंडमान तथा निकोबार के जलपोत

1029. श्री मनोरंजन भक्त : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अंडमान तथा निकोबार प्रशासन के पास आज की तिथि तक श्रेणी-वार कितने जलपोत हैं;

(ख) इनमें से पंजीकृत तथा गैर-पंजीकृत जलपोतों की संख्या कितनी-कितनी है; और

(ग) उनमें से श्रेणी-वार कितने जलपोत कार्यरत हैं और कितने जलपोत खराब पड़े हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव

1030. डा० लाल बहादुर राव: क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई;

(ख) 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि नियत की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों के उपयुक्त रख-रखाव हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) *गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए आवंटित की गई धनराशि इस प्रकार है:–*

वर्ष	आंबटित कुल धनराशि (लाख रु०)
1993-94	21650.00
1994-95	24690.00

(ख) 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए 226.50 करोड़ रु० निर्धारित किए गए है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों का रख-रखाव वर्ष दर वर्ष आधार पर की जाने वाली एक सतत् प्रक्रिया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की निधियों की उपलब्धता के अंतर्गत यातायात योग्य स्थिति में रखा जाता है। रख-रखाव आवश्यकताओं तथा यंत्रीकृत रख-रखाव तकनीक के मूल्यांकन के लिए आधुनिक पद्धति शुरू करने के उपाय किए गए हैं।

[अनुवाद]

तैयार इस्पात का उत्पादन

1031. **श्री पी० वल्लल पेरुमानः** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश में तैयार इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1995-96 के दौरान तैयार इस्पात का उत्पादन कितना होगा० और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन इस्पात परियोजनाओं को केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान हुआ परिसज्जित इस्पात का उत्पादन नीचे दिया गया है :–

(दस लाख टन)

1992-93	1993-94	1994-95 अनंतिम
15.20	15.20	17.22

(ग) 1995-96 में परिसज्जित इस्पात का उत्पादन 207.9 लाख टन होने की सम्भावना है।

(घ) पिछले 3 वर्षों के दौरान निम्नलिखित इस्पात परियोजनाओं को ऋण और साम्या के रूप में वित्तीय सहायता दी गई हैं:-

1. विशाखापट्टनम इस्पात परियोजना

2. नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड

3. विजयनगर इस्पात निगम लिमिटेड

उपरोक्त के अतिरिक्त वर्ष 1994-95 के दौरान स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को कार्यान्वित करने के लिए इण्डियन आयरन एंड स्टील कंपनी (इस्को) को सहायता अनुदान के रूप में 10.00 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई गई है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 को चौड़ा करना

1032. **डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्दरम:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 को चौड़ा करके चार लेनों वाला बनाये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किए गए वित्तीय आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह कार्य कब से शुरू किया जाएगा; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) रा०रा० 47 को 4 लेन का बनाए जाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, वार्षिक योजना 1995-96 में इस प्रयोजनार्थ भूमि-अधिग्रहण के लिए प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा में इस्पात संयंत्र

1033. **डा० कार्तिकेश्वर पात्रः** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) उड़ीसा में स्थापित किया जाने वाला नया इस्पात संयंत्र कब तक कार्य करना शुरू कर देगा; और

(ख) इन संयंत्रों की अधिष्ठापित क्षमता तथा रोजगार सृजन क्षमता कितनी-कितनी है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) उड़ीसा राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उनके राज्य में लोहा और इस्पात परियोजनाएं स्थापित करने के लिए उन्हें 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई

सूचना के अनुसार इन परियोजनाओं की संस्थापित क्षमता, रोजगार सृजन और चालू होने की संभावित तारीख नीचे दी गई हैं :–

विवरण

क्र० सं०	इकाई का नाम	क्षमता (दस लाख टन)*	रोजगार संख्या	चालू होने की संभावित तारीख
1	2	3	4	5
1.	मिड-ईस्ट इन्टीग्रेटिड स्टील लिमिटेड	0.50(कच्चा लोहा)चरण-I	1200	दिसम्बर, 1995
		0.50(इस्पात) चरण-II	2500	1998
2.	भूषण स्टील एण्ड स्ट्रिप्स लिमिटेड	1.20(इस्पात) चरण-I	20	1998
		3.00(इस्पात) चरण-II	बताया नहीं गया	2000
3.	ब्राहमणी आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	0.50(इस्पात) चरण-I	700	1999
		1.0(इस्पात) चरण-II	बताया नहीं गया	2000
4.	ओरिन्ड स्टील लिमिटेड	0.50(सी आर इस्पात)	500	1998
5.	मेस्को कलिंगा स्टील लिमिटेड	2.25(इस्पात) चरण-I	2500	1997
		4.50(इस्पात) चरण-II	बताया नहीं गया	2000
6.	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	1.00(इस्पात) चरण-I	2500	1997
		2.50(इस्पात) चरण-II	बताया नहीं गया	2000
7.	इण्डियन सीमलैस स्टील एण्ड एलायज लिमिटेड	1.25(इस्पात) चरण-I	बताया नही गया	1998
		5.00(इस्पात) चरण-II	वही	2005
8.	एशियन एलायज लिमिटेड	0.50(इस्पात) चरण-I	वही	1998
		1.00(इस्पात) चरण-II	वही	2000
9.	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	2.50(इस्पात)चरण-I तथा चरण-II	वही	उल्लेख नहीं किया गया
10.	लार्सन एण्ड टोब्रो लिमिटेड	2.60(इस्पात)	बताया नहीं गया	उल्लेख नहीं किया गया
11.	गणपति एक्सपोर्ट लिमिटेड	5.00(इस्पात)	वही	वही
12.	नेशनल स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	0.50(इस्पात)	वही	वही
13.	जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड	0.40 से 0.50(इस्पात)	वही	वही

विदेशी पोतों द्वारा मत्स्यन

1034. **श्री परसराम भारद्वाजः**
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विदेशी पोतों की भारतीय जल क्षेत्र में तट के साथ-साथ मत्स्यन की अनुमति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये पोत किन-किन देशों के हैं;

(ग) क्या यह सही है कि इन पोतों द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में तट के समीप मत्स्यन के कारण भारतीय मछुआरों के जाल नष्ट हो रहे हैं;

(घ) क्या विदेशी पोतों द्वारा प्रतिमाह पकड़ी गई मछलियों के संबंध में कोई आकलन कराया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन पोतों, द्वारा प्रतिमाह कितने फेरे लगाए गए;

(च) विदेशी पोतों के इस संसाधन से समुद्री सम्पदा/उत्पाद, निर्यात और विदेशी मुद्रा अर्जन पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(छ) विदेशी पोतों द्वारा समुद्री सम्पदा के शोषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं। पूर्वी तट पर 12 समुद्री मील की सीमा के बाहर तथा पश्चिमी तट पर 24 समुद्री मील के बाहर विदेशी ध्वज वाले जलयानों को अनुमति दी गई है।

(ख) ताईवान, थाइलैण्ड, रूस, संयुक्त राज्य अमरीका, स्पेन, कोरिया, आदि जैसे देशों को संबंधित पट्टे/चार्टर के तहत विदेशी ध्वज वाले जलयानों प्रचालन की अनुमति दी गई है।

(ग) पारम्परिक मछुवारों ने अभ्यावेदन किया है कि इन जलयानों से उनके जाल और कभी-कभी तटीय जल में मछली नष्ट हो जाती है। बहरहाल, ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है जिसमें पत्तन या अन्य जलयानों का उल्लेख किया गया हो। इन्हें तथा अन्य तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए सरकार ने भारत सरकार के भूतपूर्व सचिव श्री पी०के० मुरारी की अध्यक्षता में एक पुनरीक्षा समिति गठित की है ताकि गहन समुद्री मत्यस्यन नीति की पुररीक्षा के लिए सिफारिश की जा सके।

(घ) और (ङ) चार्टर/पट्टे के तहत चलाए जा रहे गहन समुद्री मत्स्यन जलयान अपनी समुद्री यात्रा रिपोर्ट पदनामित प्राधिकारी को प्रस्तुत करते हैं। औसतन प्रत्येक जलयान एक वर्ष में 2 से 4 समुद्री यात्रा करता है।

(च) और (छ) 26.88 लाख टन(1993-94) के समुद्री मछली उत्पादन और लगभग 2500 करोड़ रु० मूल्य के समुद्री उत्पाद के निर्यात 1993-94 की तुलना में चार्टर/ पट्टे पर चलने वाले जलयानों द्वारा लगभग 6 करोड़ रु० मूल्य की लगभग 9400 मी० टन मछली औसतन वर्ष में पकड़ी जाती हैं। इसलिए इन जलयानों द्वारा पकड़ी जाने वाली मछली का अनुमति बहुत कम है।

गुजरात में ग्रामीण विद्युतीकरण

1035. **श्री छीतूभाई गामीत:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज की तिथि तक ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गुजरात में विभिन्न परियोजनाओं हेतु "नाबार्ड" से कितनी राशि की मांग की गई है; और

(ख) राज्य में परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना के लिए कितनी राशि आवंटित तथा जारी की गई हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) और (ख) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और वाणिज्यिक बैंक संयुक्त रूप से देश में पम्पसेटों के अर्जन का वित्त पोषण करते हैं, जिनका विशेष कृषि परियोजना (एसपीए) कार्यक्रम के अधीन पुनः वित्त पोषण 1:1:1 के अनुपात में नाबार्ड द्वारा किया जाता हैं। विभिन्न एसपीए परियोजना के अधीन पम्प सेटों के अर्जन के लक्ष्य और उपलब्धियां तथा गत तीन वर्षों के दौरान आरईसी, वाणिज्यिक बैंको तथा नाबार्ड के संवितरण का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	पम्प सेट अर्जन का लक्ष्य	अर्जित किए गए पम्प सेट	संवितरण (आरईसी)	वाणिज्यिक बैंकों द्वारा संवितरण की गई राशि	नाबार्ड द्वारा बैंकों को पुनः वित्त पोषण की राशि
1992-93	12,000	9,869	8.21	16.22	5.31
1993-94	11,500	11,520	12.32	17.18	7.32
1994-95	14,000	16,595	13.86	10.83	4.38
1995-96	26,500	-	-	0.80 (31.7.95 तक)	5.86 (22.07.95 तक)

पारादीप पत्तन

1036. **श्री शरत पटनायक:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा में पारादीप पत्तन के कार्यकरण में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : पारादीप पत्तन की कार्यपद्धति में सुधार के लिए किए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) यंत्रीकृत कोयला हैंडलिंग सुविधाओं का सृजन।

(2) 7% प्रतिवर्ष की दर से उत्पादकता में सुधार लाने की बात को पिछले वेतन समझौते से जोड़ दिया गया है।

(3) स्टैकयार्ड के लगभग 30,000 वर्ग मीटर तक अतिरिक्त बल्क भंडारण सुविधाओं का सृजन।

दिल्ली में "मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम"

1037. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का निर्माण करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार के एम०आर०टी०एस० का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इस योजना पर अनुमानतः कुल कितना खर्च आएगा और इसे पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) : मैसर्स रेल इण्डिया टेक्नीकल एण्ड इकोनोमिक सर्विसिज लि० (राइट्स) द्वारा किए गए एक साध्यता अध्ययन क आधार पर सरकार ने दिल्ली के लिए प्रस्तावित रेल आधारित शीघ्रगामी जन परिवहन प्रणाली के लिए चरण-। के कार्यान्वन हेतु जुलाई, 1994 में सिद्धान्तः स्वीकृति दे दी थी। इस चरण-। में कुल 67.5 कि०मी० लम्बे दो भूमिगत रेल परिपथ, एक पूरक सुगम बस मार्ग तथा एक भूतल/उघस्थ परिपथ शामिल हैं। चरण-। की अनुमानित लागत 1992-93 के मूल्यों पर, 3401 करोड़ रुपये थी।

बाद में, विहित लागत और भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा एक शीघ्रगामी ट्राम प्रणाली हेतु प्रस्तावित परिपथों को ध्यान में रख कर, शहरी कार्य एवं रोजगार मंत्रालय तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मध्य हुए विचार-विमर्श के आधार पर चरण-1 का मार्ग संशोधित किया गया। ये संशोधित मार्ग कुल 55.3 कि०मी० लम्बा होगा जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय से केन्द्रीय सचिवालय तक 11 कि०मी० का भूमिगत मेट्रो तथा शाहदरा से नांगलोई और सब्जी मंडी से होलंबी कला तक 44.3 कि.मी. के दो ढाल वाले उचस्थ कोरीडोर बनाए जाएंगे।

संशोधित चरण-। के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए मई 1995 में एक दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि० (डी०एम०आर०सी०) नामक एक साझापूंजी (ज्वाइंट स्टॉक) कम्पनी बनाई गई है। परियोजना ऋण वित्तपोषण हेतु ओ०ई०सी० एफ० जापान को भी प्रस्तुत की गई है।

संशोधित चरण- 1 की अनुमानित लागत अप्रैल 1995 के मूल्यों पर, 4182 करोड़ रुपये है। संशोधित चरण-1 का निमार्ण कार्य इसके आरंभ होने की तिथि से 10 वर्ष में पूरा होने का अनुमान है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1038. **श्री राजेश कुमार :** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्य देशों में विद्यमान नियमों के अनुरूप अपने देश में भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विनियमों को सरल और कारगर बनाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों वाला बनाना

1039. **श्री छेदी पासवान:** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके प्रस्तावित चार लेनों वाला बनाने का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ग) राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करके चार लेनों वाला बनाने के लिए चयन करने संबंधी निर्धारित नीति/मानदंड क्या हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) 1994-95 के दौरान गुजरात में 6.31 करोड़ रु० की लागत से लगभग 7 कि०मी० लम्बाई को और पंजाब में 2.39 करोड़ रु० की लागत से लगभग 6 कि०मी० लम्बाई को चौड़ा करके 4 लेन का बनाने की संस्वीकृति दी गई थी।

वार्षिक योजना 1995-96 में निर्दिष्ट लम्बाई के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार प्रतिदिन यातायात 15000 पीसीयू से अधिक होने के बाद किसी राष्ट्रीय राजमार्ग के दो लेन वाले खंड को 4 लेन का बनाने पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्र०सं०	राज्य	1995-96	
		लम्बाई	अनुमानित लागत (करोड रु०)
1.	आंध्र प्रदेश	168	465.00
2.	असम	5	5.00
3.	बिहार	43	128.00
4.	गुजरात	18	21.00
5.	हरियाणा	71	178.00
6.	महाराष्ट्र	5	6.00
7.	उड़ीसा	39	133.30
8.	राजस्थान	55	121.00
9.	उत्तर प्रदेश	37	104.80
10.	पश्चिम बंगाल	47	163.00
	कुल	488	1325.10

[अनुवाद]

मध्य प्रदेश में नल-कूप लगाने के लिए विश्व बैंक से सहायता

1040. **श्री सूरजभानु सोलंकी:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में नल-कूप लगाने के लिये विश्व बैंक से गत दो वर्षों के दौरान सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य में विश्व बैंक की सहायता से गत दो वर्षों के दौरान ये नल-कूप किन-किन स्थानों पर लगाये गये ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के०थुंगन) : (क) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में सार्वजनिक नलकूप लगाने के लिए विश्व बैंक से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में कोजेन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना

1041. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से कोजन्ट्रिक्स विद्युत परियोजना के लिए केंन्द्र सरकार का काउंटर गारंटी सम्बन्धी अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

आई०बी० घाटी में विद्युत परियोजना

1042. **श्री गुरुदास कामत :**
कुमारी सुशीला तिरियाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में आई०बी० घाटी की विद्युत परियोजना बन्द की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

राष्ट्रीय जलमार्ग

1043. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गोदावरी और कृष्णा नदियों के जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों के कार्यान्वन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) गोदावरी नदी की डेल्टा नहरों के साथ-साथ इसके चेरला-राजमुन्दरी खंड (208 कि०मी०) को एक राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है। अभी यह प्रस्ताव जांच की प्रारंभिक अवस्था में है। तथापि, कृष्णा नदी के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव और निर्माण

1044. **श्री सोमजीभाई डामोरः** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग के विस्तार, रख-रखाव और निमार्ण के लिए प्राइवेट उद्यमियों और अनिवासी भारतीयों को आमंत्रित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार से इस संबंध में कोई विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार भावनगर-तारापुर बम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग तटीय मार्ग के निर्माण कार्य की प्राइवेट उद्यमियों को सौंपने का है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) भारत में सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के लिए अनिवासी भारतीयों सहित निजी उद्यमियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। सुपर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक मार्ग, अर्थात, दिल्ली-बम्बई मार्ग गुजरात से होकर गुजरता हैं और यह कांडला पत्तन से भी जुड़ता है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भावनगर-तारापुर-बम्बई तटीय मार्ग इन सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची में शामिल नहीं है।

राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

1045. **श्री कुम्भी रामः** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कितने पुलों का निर्माण करने का विचार है;

(ख) राजस्थान में कौन-कौन से पुलों पर अभी भी मरम्मत कार्य चल रहा है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन पुलों की मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च की गई ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री जगदीश टाइटलर) : (क) 1994-95 में राजस्थान राज्य में 15 पुल निर्माणाधीन थे।

(ख) और (ग) शून्य।

एन०बी०सी०सी० तथा "हुडको" के बीच समझौता

1046. **श्री सुरेन्द्र पाल चाटक:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम तथा "हुडको" के बीच आवास तथा शहरी योजना विकास के क्षेत्र मे कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इन दोनों संस्थाओं द्वारा भविष्य में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का क्या ब्यौरा है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) आवास तथा नगर निगम विकास निगम लि० (हुडको) और नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन (एन०बी०सी०सी०) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें हुडको और एन.बी.सी.सी. के बीच निम्नलिखित परियोजनाओं में भागीदारी पर विचार किया गया है:—

(i) राजरहाट, कलकत्ता में 100 एकड़ भूमि का विकास और नए कस्बों का विकास

(ii) पश्चिम बंगाल में आदर्श गांव के रूप में शंकरपुर का विकास

(ii) जी०एस०रोड, गुवाहाटी में कार्यालय परिसर का विकास

(iii) फैंसी बाजार, गुवाहटी में व्यापार केन्द्र का विकास।

समझौता ज्ञापन के अनुसार, हुडको (i) परियोजनाओं का वित्त पोषण करेगा और वाणिज्यिक स्कीमों के लिए समय-समय पर यथा लागू ब्याज लेगा; और (ii) वास्तुकीय अभिकल्पना (डिजाइन) साधन मुहैया कराना और परस्पर सहमत दरों के अनुसार शुल्क लेना।

एन०बी०सी०सी०

(i) पूर्व निर्धारित समग्र लागत रहित, विभिन्न परियोजनाओं का विकास और निर्माण करेगा; और

(ii) परस्पर सहमत शर्तों के अनुसार, इमारतदार स्थान का अनुरक्षण करेगी और ऐसे अनुरक्षण की लागत का खर्चा भी परियोजना में शामिल होगा।

परियोजनाओं के साध्यता अध्ययन हुडको और एन०बी०सी०सी० द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा जिसकी लागत का खर्चा वे 50:50 के अनुपात में जुटायेंगे।

[अनुवाद]

इस्पात उत्पादकों के लिए निर्देश

1047. **श्री शिव शरण वर्मा:** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मानक विनिर्दिष्टियों के अनुसार इस्पात उत्पादन के लिए इस्पात उत्पादकों को कुछ निर्देश दिए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दिनांक 4.1.1965 को जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार भारत सरकार द्वारा इस्पात की कुछ श्रेणियों के लिए आई०एस०आई० प्रमाणीकरण मार्क करने की योजना शुरू की गई थी। इस योजना का 26.5.71 से और अधिक विशिष्टियों को शामिल करने के लिए विस्तार किया गया है।

(ख) योजना का ब्यौरा निम्नानुसार है:--

(i) सभी मुख्य उत्पादक और पंजीकृत बुनबेल्क/मिश्र तथा विशेष इस्पात के गौण उत्पादक, कन्कास्ट उत्पादक इकाइयां आई०एस०आई प्रमाणीकरण मार्किंग प्राप्त कर सकती हैं।

(ii) इस योजना के अनुसार विनिर्दिष्टियों के अनुरूप निर्मित माल केवल तभी जांच किया हुआ माना जाएगा जबकि इसे भारतीय मानक संस्थान (अब भारतीय मानक ब्यूरो) द्वारा प्रमाणित किया गया हो।

(iii) अपेक्षित विनिर्दिष्टियों को पूरा न करके उत्पादित सामग्री को घटिया श्रेणी का इस्पात घोषित किया जाएगा और वह जांच किए हुए इस्पात के मूल्य की क्वाटिली का नहीं होगा।

(iv) कोई विशेष जांच जैसे लायड जांच आदि इस योजना के कार्य क्षेत्र से बाहर होगी।

[हिन्दी]

गुजरात में खनिजों का दोहन

1048. **श्री एन०जे० राठवा:** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय संरकार का विचार गुजरात में विशेषकर राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में खनिज संसाधनों के दोहन हेतु एक सरकारी उपक्रम स्थापित करने का हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नई खनिज नीति, 1993 की घोषणा के साथ ही निजी क्षेत्र को खनिजों को गवेषण और विदोहन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

हुडको द्वारा राज्यों को सहायता

1049. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) 31 मार्च, 1995 तक हुडको द्वारा भूमि विकास और आवास निर्माण हेतु अलग-अलग राज्यों और उनकी आवास और विकास एजेंसियों को कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) देश में दूसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य, बिहार को अत्यंत कम सहायता देने के क्या कारण हैं; और

(ग) 31 मार्च, 1995 तक हुडको की सहायता से राज्य-वार अनुमानत: कितने आवास-एककों का निर्माण किया जाना था ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के०थुंगन) : (क) हुडको ने 31.3.95 तक 10116.47 करोड़ रुपये की ऋण सहायता से आवास, भूमि विकास तथा सम्बद्ध अवस्थापना की कुल 11041 योजनाएं मंजूर की हैं। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरम्भ में हुडको प्रत्येक राज्य/संघ शासित देश को उसके क्षेत्रफल तथा आबादी के आधार पर ऋण का नियतन करता है तथा प्रत्येक राज्य सरकार को इससे अवगत कराता है। बिहार बावत कम सहायता के कारण हैं:- (i) बिहार की एजेंसियों से हुडको के दिशा-निर्देशों के अनुसार अन्तिम रूप दी गई पर्याप्त योजनाएं प्राप्त न होना तथा (ii) उनके द्वारा ऋण औपचारिकताएं पूरी न करना हैं।

(ग) हुडको द्वारा स्वीकृत योजनाओं से 5738881 रिहायशी मकानों और 404795 रिहायशी प्लाटों का निर्माण संभव होगा। राज्य वार ब्यौरे सलंग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

हुडको द्वारा 31.3.95 तक स्वीकृत ऋण या रिहायशी मकानों/प्लाटों के राज्य वार ब्यौरे

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	ऋण राशि (रु० करोड़ में)	रिहायशी मकानों की कुल संख्या	प्लाटों की कुल संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	785.82	893560	4056
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.61	410	0
3.	असम	153.21	36312	735
4.	बिहार	181.19	171348	6500
5.	गोवा	17.75	3196	1526

क्र०सं०	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	ऋण राशि (रु० करोड़ में)	रिहायशी मकानों की कुल संख्या	प्लाटों की कुल संख्या
6.	गुजरात	667.56	497731	7742
7.	हिमाचल प्रदेश	46.60	9225	1013
8.	हरियाणा	197.87	86698	95
9.	जम्मू व कश्मीर	60.70	14217	10674
10.	केरल	884.30	703662	485
11.	कर्नाटक	962.44	671277	4512
12.	मेघालय	37.24	12292	0
13.	महाराष्ट्र	975.53	397717	19021
14.	मणिपुर	34.20	7786	0
15.	मध्य प्रदेश	451.77	166996	136947
16.	मिजोरम	14.83	4038	0
17.	नागालैंड	33.51	10901	0
18.	उड़ीसा	369.30	148732	3956
19.	पंजाब	557.88	116490	4679
20.	राजस्थान	620.53	208375	18375
21.	सिक्किम	39.09	12689	0
22.	तमिलनाडु	1221.37	744625	150272
23.	त्रिपुरा	12.86	4667	0
24.	उत्तर प्रदेश	1506.07	618711	45103
25.	प० बंगाल	349.74	148118	974
	संघ शासित राज्य			
26.	अंडमान व निकोबार	3.72	719	0
27.	चण्डीगढ़	78.28	26511	8350
28.	दिल्ली	39.02	16250	0
29.	दादर नगर हवेली	0.25	87	0
30.	पांडिचेरी	13.26	5541	0
	कुल	10116.47	5758881	404793

अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किए गए सरकारी आवास

1050. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 जुलाई 1995 की स्थिति के अनुसार भूतपूर्व राज्यपालों, भूतपूर्व मंत्रियों, भूतपूर्व संसद सदस्यों एवं अन्य अतिविशिष्ट व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किए हुए सरकारी आवासों (बंगला तथा फ्लैटों सहित) का ब्यौरा क्या है तथा उनमें से प्रत्येक पर कितना दण्डात्मक किराया बकाया है;

(ख) भारी मात्रा में बकाया पड़े इन किरायों की वसूली के लिए और इन आवासों को खाली कराने की दिशा में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न होने पाये, इसके लिए क्या एहतियाती कदम उठाए गये हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) और (ग) नियमानुसार आवंटन रद्द किये गये हैं और अनधिकृत दखलकारों से मकान खाली कराने के लिए लोक परिसर अनधिकृत दखलकारों की (बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत बेदखली, कार्यवाही शुरू की गई है। उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार अनधिकृत दखलकारों की सूची दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई है और सभी व्यक्तिगत दखलकारों को कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं कि उन्हें उनके द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किये गये मकानों से क्यों न निकाला जाये। बकाया की वसूली हेतु मांग बिल नियमित रूप से भेजे जा रहे हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध वसूली बाबत कार्यवाही भी शुरू की गई है।

विवरण

क्र० सं०	दखलकार का नाम सर्व/श्री	आवास का विवरण	देय रु०	नीचे दी गई तिथियों से अधिकृत
1.	पं० रविशंकर भू०पू० सांसद (रा०स०)	95, लोधी एस्टेट	428843/-	11.5.92
2.	स्व० श्री सुरेन्द्र नाथ भू०पू० राज्यपाल (पंजाब) का परिवार	68, लोधी एस्टेट	20117/-	9.8.94
3.	जफर सैफुल्लाह, भू०पू० मंत्रिमंडल सचिव	100, लोधी एस्टेट	6321/-	30.11.94
4.	जी० रामरेड्डी,(दिवंगत) भू०पू० अध्यक्ष, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग	सी-1/10 पंडारा पार्क	55573/-	4.1.95
5.	एच०एन० शर्मा, भू०पू० प्रधान मंत्री के पूर्व निजी सचिव	सी-2/151 चाणक्यपुरी	449699/-	28.4.90
6.	स्व० श्री सी०बी० गौतम, भू०पू० प्रधान मंत्री के पूर्व सचिव	सी-2/29 मोतीबाग	403460/-	5.8.91
7.	रविन्द्र नायक भू०पू० सदस्य, अनु० जाति/अनु०ज जा० आयोग	6.3 (एम एस) शाहजहां रोड	294785/-	12.4.92
8.	एस०के०एन०नैयर, ऊर्जा मंत्री के भू०पू० सलाहकार	सी-2/72 बापानगर	162241/-	1.8.93
9.	डी०एन०सदनशिव, भू०पु० सदस्य, विधि आयोग	सी-2/38 बापानगर	44842/-	1.10.94
10.	बी०सत्यैया,भू०पू० सदस्य, अनु० जाति अनु०ज०जा० आयोग	सी-20, बापानगर	59936/-	5.12.94
11.	आर०सी०कोहली, भू०पू० अपर पुलिस आयुक्त, दिल्ली	सी-2/73 बापानगर	55421/-	10.1.95
12.	ए०पी०सिंह, गृह सचिव, उ०प्र०	सी-11/105 मोतीबाग	48937/-	6.2.95
13.	एम०एम० अलीखान, भू०पू सांसद	103-105, नार्थ एवेन्यु	417129/-	19.4.92
14.	कमल मोरारका, भू०पू० सांसद	12, तीन मूर्ति लेन	54579/-	2.5.94
15.	स्व० श्री दरबारा सिंह का परिवार	9, के०एम० मार्ग	2027631/-	11.5.90
16.	स्व० श्री जगजीवन राम की विधवा श्रीमती इन्द्रानी देवी	6, के०एम० मार्ग	1718742/-	2.11.91
17.	देवीलाल, भू०पू० उपप्रधान मंत्री	16, तुगलक रोड	769537/-	31.10.92
18.	एम० पद्मानम, भू०पू० सांसद	7, रायसीना रोड	352347/-	2.5.92
19.	के०सी०पंत, भू०पू० अध्यक्ष, दसवां वित्त आयोग	7, त्यागराज मार्ग	-	1.1.95
20.	स्व० श्री ओम मेहता, सलाहकार, लोक सभा सचिवालय का परिवार	50, पृथ्वीराज रोड	132960/-	12.3.95
21.	डी०एन० द्विवेदी, अपर महाधिवक्ता	1-बी, मोलाना आजाद रोड	85109/-	3.3.95

[हिन्दी]

हज यात्री

1051. सुशील चन्द्र वर्मा : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) वर्ष 1994-95 एवं 1995-96 के दौरान कितने हज यात्रियों ने मक्का एवं मदीना की यात्रा की तथा उनमें से कितने यात्रियों के यात्रा-व्यय का भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया गया;

(ख) कितने-कितने हज यात्री जहाज या विमान द्वारा गए;

(ग) क्या हज यात्रियों पर राज्य सरकारें भी अपने कोष से कुछ धन खर्च करती हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) मक्का और मदीना जाने वाले हाजियों की कुल संख्या के बारे में रिकार्ड तो नहीं रखा जाता है लेकिन अनुमान है कि हर वर्ष हज के दौरान लगभग 50,000 भारतीय हज करने जाते हैं। इनमें से, केन्द्रीय हज समिति द्वारा किए गए इंतजामातों के तहत जिनमें रियायती किराए की व्यवस्था शामिल है, हज पर जाने वाले हाजियों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	हाजियों की संख्या		कुल
	जहाज से	वायुयान से	
1994	4650	21035	25685
1995	-	30504	30504

(ग) और (घ) राज्य हज समितियों से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ राज्य सरकारें 10,000 रुपये से लेकर 6,06,000 रुपये तक के बजट का आवंटन करती हैं तथापि उसे राज्यों में हज संस्थापना के रखरखाव पर व्यय किया जाता है। पश्चिम बंगाल राज्य हज समिति ने सूचित किया है कि इसने हज 1995 के दौरान पश्चिम बंगाल से जाने वाले प्रत्येक हाजी पर टीका लगाने के प्रयोजन से 150 रुपये खर्च किए। 1995 में पश्चिम बंगाल से 1100 हाजी गए थे।

मध्य प्रदेश को राज्य सहायता

1052. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में उर्वरक एककों को कितनी राज सहायता प्रदान की गई;

(ख) 1995-96 के दौरान कितनी राज-सहायता दिए जाने का विचार है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार और एकक-वार मध्य प्रदेश में इन एककों द्वारा कुल कितने उर्वरकों का उत्पादन किया गया ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एसुआर्डो फैलीरो) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में स्थित विनिर्माता एककों को नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर राज सहायता के रूप में दी गयी राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	दी गयी राशि (रुपये करोड़ों में)
1992-93	271.98
1993-94	197.07
1994.95	167.02

नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की बिक्री पर विशेष रियायत की योजना के अंतर्गत कृषि एवं सहकारिता विभाग ने इन उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान के लिए मध्य प्रदेश राज्य को 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान क्रमशः 18.25 करोड़ रुपये तथा 31.92 करोड़ रुपये की राशि रिलीज़ की। 1994-95 के दौरान कृषि तथा सहकारिता विभाग ने नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के आपूर्तिकर्ताओं को सीधे 26.42 करोड़ रुपए तक की अदायगियां की।

(ख) राजसहायता का राज्य वार कोई आवंटन नहीं किया जाता है। राज-सहायता एककों को उत्पादन तथा प्रेषित मात्रा के उनके स्तर के आधार पर दी जाती है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में उर्वरक एककों द्वारा उत्पादन के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(हजार टनों में)

एकक का नाम	उत्पाद का नाम	उत्पादित मात्रा		
		1992-93	1993-94	1994-95
नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, विजयपुर	यूरिया	842.1	878.5	819.7
भिलाई स्टील प्लांट	अमोनियम सल्फेट	46.8	45.9	44.7
एस.एस.पी. एकक	एस.एस.पी. एकक	342.0	284.4	458.0

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण

1053. डा०के०वी०आर० चौधरी : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत आन्ध्र प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी धन राशि विमुक्त की गई;

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) 1995-96 के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आन्ध्र

प्रदेश को संवितरित की गई राशि निम्नलिखित है:—

वर्ष	राशि करोड़ रुपये में
1992-93	48.15
1993-94	104.92
1994-95	132.21 (अनन्तिम)

इसके अतिरिक्त, कुटीर ज्योति कार्यक्रम के लिए तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अनुदान के रूप में 2.26 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई गई।

(ख) आन्ध्र प्रदेश ने पहले ही शत प्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर दिया है। विगत तीन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश में आर०ई०सी० स्कीमों के अधीन पम्पसेट अर्जन के लक्ष्यों और उपलब्धि का ब्यौरा निम्नवत है :—

पम्प सेट अर्जन

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1992-93	48,000	1,02,978
1993-94	53,000	91,485
1994-95	53,000	1,00,769 (अनन्तिम)

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए योजना आयोग द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को अनन्तिम रूप से 87.50 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में खनिज

1054. **श्री येल्लैयूया नंदी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में आज तक किन किन प्रमुख खनिजों का खनन/उत्पादन हो रहा है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न खनिजों का वर्षवार तथा स्थानवार कितना-कितना उत्पादन हुआ; और

(ग) देश में उपयोग किये जाने वाले तथा निर्यात किए जाने वाले खनिजों की मात्रा के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पोर्ट ब्लेयर पत्तन पर भारतीय नौवहन निगम की "फेरी" सेवा में गड़बड़ी

1055. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या जुलाई, 1995 के दूसरे सप्ताह में भारतीय नौवहन निगम की "फेरी" सेवा में गड़बड़ी और व्यवधान आ जाने के कारण अंडमान और निकोबार द्वीप में पोर्ट ब्लेयर पर भारी संख्या में यात्री फंस गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वहां फंसे यात्रियों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है, फेरी सेवा में गड़बड़ी के क्या कारण हैं और ये यात्री कितनी अवधि तक वहां फंसे रहे;

(ग) फंसे हुए यात्रियों के बचाव और उन्हें उनके गंतव्य स्थलों तक पहुंचाने के लिए क्या परिवहन व्यवस्था की गई;

(घ) क्या भारतीय नौवहन निगम को फंसे हुए यात्रियों के रहने और खाने तथा उनकी परिवहन व्यवस्था और उन्हें क्षतिपूर्ती भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त व्यय करना पड़ा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विशाखापत्तनम पत्तन

1056. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेश्वरलु** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशाखापत्तनम पत्तन पर तेल और कोयले के अतिरिक्त अन्य सामान लाने वाले पोतों के लिए गोदी प्रभारों में कमी करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1995-96 में विशाखापत्तनम पत्तन का और अधिक उपयोग करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कार्गो हैंडल करने के लिए विशाखापत्तनम की अभिकल्पित क्षमता 25.35 मिलियन टन प्रति वर्ष है। सरकार ने वर्ष 1995-96 के लिए लगभग 30 मिलियन टन का लक्ष्य नियत किया है, जो स्थापित क्षमता से काफी अधिक है।

केन्द्रीय विद्युत मंत्री की अमरीका यात्रा

1057. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्युत मंत्री ने जून, 1995 में वाशिंगटन की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उनकी अमरीकी सरकार तथा अमरीकी विद्युत कंपनियों के साथ किन-किन मुख्य बिन्दुओं पर बातचीत हुई;

(ग) क्या अमरीकी अधिकारियों की सभी शंकाएं दूर हो गई हैं;

(घ) अमरीकी सरकार तथा वहां की कंपनियों द्वारा भारत में कुल कितनी विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जायेंगी; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई ठोस समझौता हुआ था ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) हालांकि विद्युत मंत्री ने जून, 1995 में अमरीका यात्रा की थी, किन्तु वाशिंगटन का दौरा करना उनकी कार्यसूची में शामिल नहीं था।

(ख) और (ग) अमरीका के सचिव (ऊर्जा), ने न्यूयार्क में विद्युत मंत्री के साथ हुई एक बैठक में एनरॉन विद्युत परियोजना से संबंधित घटनाओं के बारे में

चिंता प्रकट की थी। विद्युत मंत्री ने अमरीका के ऊर्जा सचिव को यह आश्वासन दिया था कि भारत सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा परियोजना के संबंध में जो कोई भी कारवाई की जाए वह कानून, नियमों, विनियमों और समझौते के मानदंडों के भीतर हो।

विद्युत मंत्री ने सम्भावित विदेशी निवेशकों के साथ आयोजित सम्मेलनों और बैठकों में दिए गए अभिभाषणों में भारतीय निजी विद्युत क्षेत्र में अधिकाधिक विदेशी निवेश किये जाने का अनुरोध किया।

(घ) अमरीका की फर्मों द्वारा अब तक भारत में 36 विद्युत परियोजनाओं के बारे में रुचि प्रकट की गई है, जिनमें संयुक्त क्षेत्र की परियोजनाएं भी शामिल हैं। अमरीका सरकार द्वारा कोई विद्युत परियोजना अधिष्ठापित नहीं की जा रही है।

(ङ) जी, नहीं।

जम्मू और कश्मीर की यात्रा

1058. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रास समिति को कार्य करने की अनुमति देने के सरकार के विचार का स्वागत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सभी देशों को जम्मू और कश्मीर की यात्रा करने तथा लोगों से मिलने और स्वयं स्थिति का अध्ययन करने की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस निर्णय का भी सभी देशों ने स्वागत किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) हमारी पारदर्शिता तथा स्पष्टवादिता की नीति के अनुरूप भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रास समिति के साथ जम्मू एवं कश्मीर की वर्तमान स्थिति से संबद्ध बन्दी व्यक्तियों तक पहुंच के लिए एक समझौता ज्ञापन संपन्न किया है। अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसका स्वागत किया है।

(ग) से (च) हाल के वर्षों में, 12,000 से अधिक विदेशी जम्मू एवं कश्मीर गए, जिनमें विदेशी पत्रकार सांसद तथा पर्यटक शामिल थे। यूरोपीय संघ, विकसित देशों इत्यादि से दिल्ली-आस्थानी राजदूत भी कई बार जम्मू एवं कश्मीर गए हैं। इस बात का भी सभी देशों द्वारा स्वागत किया गया है।

आंध्र प्रदेश में रसायन और उर्वरक संयंत्र

1059. **श्री बेसीया मंदी :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक आंध्र प्रदेश में स्थित उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है तथा क्या ये संयंत्र राज्य स्वामित्व के अंतर्गत है अथवा केन्द्रीय स्वामित्व में हैं;

(ख) राज्य में आज तक मुख्यतः किन-किन उर्वरकों का उत्पादन किया जा रहा है; और

(ग) आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से लगाए जाने वाले नए उर्वरक संयंत्रों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) आज तक की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक संयंत्रों के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

संयंत्र का नाम	उत्पाद का नाम	स्वामित्व
फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०, रामागुण्डम	यूरिया	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र
कोरोमण्डल फर्टलाइजर्स लि०, विजाग	28 : 28	निजी क्षेत्र
	14 : 35 : 14 डाई अमोनियम	
	फास्पेट डी०ए०पी०	
	20 : 20	
गोदावरी फर्टि० एण्ड केमिकल्स लि०, काकीनाडा	डी०ए०पी०	संयुक्त उद्यम 26 प्रतिशत आंध्र प्रदेश सरकार और 25 प्रतिशत इफको की साम्य सहभागिता के साथ
नागार्जुन फर्टि० एण्ड केमि० लि०, काकीनाडा	यूरिया	निजी क्षेत्र
राष्ट्रीय इस्पात निगम, विशाखापट्टनम	अमोनियम सल्फेट (उप उत्पाद)	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र
आन्ध्र सुगर्स, तनुकू	सिंगल सुपर फास्फेट	निजी क्षेत्र
कृष्णा इंडिस्ट्रियल कार्पोरेशन, निडाडावोला	एस०एस०पी०	निजी क्षेत्र
प्रगति फर्टिलाइजर्स, विजाग	एस०एस०पी०	निजी क्षेत्र

(ग) इस समय आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सहायता से कोई नया उर्वरक संयंत्र स्थापित नहीं किये जा रहे हैं।

औषध नीति

*1060. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) क्या सरकार का ध्यान दि० 16 अप्रैल, 1995 के "द ट्रिब्यून" में "नेशनल ड्रग पालिसी डिमांडिड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो एक व्यापक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएंगी;

(ग) क्या विदेशों में प्रतिबंधित कतिपय औषधियां देश में बेची जा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) घरेलू बाजार में औषधियों की बिक्री को विनियमित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (**श्री एडुआर्डो फलेरो**) : (क) और (ख) जी हां, जब से 1978 में प्रथम व्यापक औषध नीति घोषित की गई थी, तब से बदलती हुई आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें लगातार सुधार के प्रयास किए गए हैं। सितंबर 1984 में घोषित "औषध नीति में संशोधनों" में अन्य बातों के साथ-साथ गुणवत्ता नियंत्रण और औषधों के संगत प्रयोग का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण की स्थापना का प्रावधान है।

(ग) और (घ) औषधों को जारी रखने अथवा प्रतिबंध लगाने, जिन पर अन्य *देशों में प्रतिबंध लगाया गया है, के संबंध में निर्णय विशेषज्ञों और ड्रग टैक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के साथ परामर्श करके वैज्ञानिक जांच के बाद लिए जाते हैं। विदेश में 44 प्रतिबंधित औषधों में से 26 को भारत में विपणन के लिए कभी भी अनुमोदित नहीं किया गया था। 11 औषधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और 7 औषधों का कुछ मामलों में चेतावनी के लेबल के साथ और अन्य मामलों में सीमित प्रयोग के साथ विपणन जारी रखने की अनुमति दी गई थी।*

(ङ) देश में औषधों का विपणन औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन विनियमित किया जाता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में सुगंधित काम्पलेक्स

1061. **श्री दत्ता मेघे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार स्थापित किए जा रहे सुगंधित काम्पलैक्सों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन काम्पलैक्सों की स्थापना हेतु मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इनकी स्थापना कब तक कर दी जाएगी ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (**श्री एडुआर्डो फलेरो**) : (क) से (घ) देश में एरोमेटिक काम्पलेक्स स्थापित करने के लिए जनवरी, 1994 से आठ आशय-पत्र जारी किये गये हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

क्र०स०	कंपनी का नाम	आशय पत्र जारी करने की तारीख	मद और क्षमता (टन प्रति वर्ष)		लोकेशन
1	2	3	4		5
1.	जे०के० पैट्रोकेमिकल्स	3.6.94	पी० जाइलिन	1.4 लाख	भरूच, गुजरात
			ओ० जाइलिन	30,000	
			बैंजीन	30,000	
2.	प्रेसिम	9.11.94	पी० जाइलिन	2.5 लाख	मंगलौर, कर्नाटक
			ओ० जाइलिन	65,000	
			बैंजीन	75,000	
			टोल्यून	65,000	
3.	माईन डेनिस	4.1.95	पी० जाइलिन	2 लाख	भरूच, गुजरात
			ओ० जाइलिन	50,000	
			बैंजीन	60,000	

1	2	3	4		5
4.	रिलायंस इन्ड०	15.3.95	पी० जाइलिन	8 लाख	जामनगर, गुजरात
			बैंजीन	32,000	
5.	इंडो रामा सिंथेटिक्स	31.3.95	पी० जाइलिन	2.5 लाख	भरूच, गुजरात
			ओ० जाइलिन	55,000	
			बैंजीन	70,000	
6.	ए०टी०पी० पेट्रोकैम	18.4.95	पी० जाइलिन	1 लाख	मथुरा, उ०प्र०
			बैंजीन	20,000	
			ओ० जाइलिन	30,000	
			टोल्यून	20,000	
7.	मलडिया केमिकल्स्	19.5.95	बैंजीन	81,200	भरूच, गुजरात
			आर्था और मिश्रित जाइलिन्स्	78,000	
8.	स्पेक पेट्रोकेमिकल्स्	6.6.95	पी० जाइलिन	2 लाख	चेंगाई
			ओ० जाइलिन	50,000	एम०जी०आर०,
			बैंजीन	30,000	तमिलनाडु

*टन प्रति वर्ष

[अनुवाद]

हिन्द महासागर में स्थित देशों का सम्मेलन

1062. **श्री अवध कुमार पटेल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्थ, आस्ट्रेलिया में हिन्द महासागर में स्थित देशों का एक सम्मेलन हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन के दौरान भारत की भूमिका क्या थी तथा इसमें क्या मुख्य निर्णय लिये गए ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी हां।

(ख) आस्ट्रेलिया में पर्थ में हुई और गैर-सरकारी अनौपचारिक हिन्द महासागर में स्थित देशों में सम्मेलन (आई० एफ० आई० ओ० आर०) की बैठक में भारत से व्यापारिक प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और अधिकारियों ने निजी तौर पर हिस्सा लिया था। सम्मेलन का मुख्य निर्णय व्यापारियों के परामर्शी व्यापार नेटवर्क और शिक्षाविदों के एक स्वैच्छिक हिन्द महासागर अनुसंधान नेटवर्क की स्थापना करना था। परामर्शी व्यापार नेटवर्क तथा हिन्द महासागर अनुसंधान नेटवर्क की बैठकें नई दिल्ली में दिसंबर, 1995 में होने की संभावना है।

एशिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग की सदस्यता

1063. **श्री चेतन पी० एस० चौहान :**
श्री सनत कुमार मंडल :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एशिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग में भारत की सदस्यता हेतु आस्ट्रेलिया सहित एशिया-प्रशान्त आर्थिक सहयोग के सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त करने हेतु इन देशों के साथ 1995 के दौरान चर्चा की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और इस चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) भारत ने "एपेक" के सदस्यों को औपचारिक रूप से यह बता दिया है कि वह "एपेक" का सदस्य बनना चाहता है और इसके क्रियाकलापों में भाग लेना चाहता है।

(ख) नवम्बर, 1995 में सीटल में हुई "एपेक" की मंत्री स्तरीय बैठक में "एपेक" में नए सदस्यों के प्रवेश पर तीन वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया था। इस निर्णय को देखते हुए भारत और अन्य नए सदस्यों के प्रवेश के प्रश्न पर 1997 में ही विचार किया जाएगा।

प्रवेश कर

1064. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रवेश कर संबंधी चिर-प्रतीक्षित विधेयक को स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या अखिल भारतीय कर-अधिवक्ता मंच (आल इंडिया टैक्स एडवोकेट्स फोरम) ने महानगरों में प्रवेश कर अधिनियम के प्रस्तावित कार्यान्वयन के संबंध में विरोध प्रकट किया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) ऐसा कोई विधायी प्रस्ताव न तो प्राप्त हुआ है और न ही इस मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात संयंत्रों में उत्पादों का जमाव

1065. **श्री रवि राय :**
डा० बसंत पवार :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात संयंत्रों में तैयार उत्पादों का जमाव हो गया था;

(ख) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार को इसके परिणामस्वरूप कितना घाटा हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1.7.1995 की स्थिति के अनुसार एकीकृत इस्पात संयंत्रों के पास परिसज्जित इस्पात की कुल माल सूची 8.07 लाख टन थी जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख को परिसज्जित इस्पात की कुल माल सूची 19.05 लाख टन थी। 1.4.1995 को माल सूची 6.28 लाख टन थी जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख को माल-सूची 7.56 लाख टन थी। अतः एकीकृत इस्पात संयंत्रों में परिसज्जित इस्पात का कोई जमाव नहीं है।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों को भूमि

1066. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के स्वतंत्रता सेनानियों को नेब सराय, नई दिल्ली में भूमि का आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो नेब-सराय में अब तक कितने स्वतंत्रता सेनानियों को भूमि आवंटित की गई है;

(ग) क्या उक्त क्षेत्र में अन्य नागरिकों को भी भूमि का आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा अन्य नागरिकों को भूमि आवंटन हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं तथा उनमें से प्रत्येक को कितनी-कितनी भूमि किस मूल्य पर आवंटित की गई है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पावरग्रिड निगम हेतु निवेश

1067. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पावरग्रिड कारपोरेशन ने उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में किसी प्रणाली समन्वय और नियंत्रण योजना के क्रियान्वयन हेतु निवेश संबंधी अनुमति प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इससे विद्युत उत्पादन और वितरण के मामले में कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) ये प्रणालियां कहां-कहां पर स्थापित की जायेंगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 479.51 करोड़ रुपये और 621.57 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर समन्वित भार प्रेषण और संचारण स्कीम के क्रियान्वयन को अनुमोदन प्रदान कर दिया है इन स्कीमों में, नई दिल्ली (उत्तरी क्षेत्र के लिए) और बंगलौर (दक्षिणी क्षेत्र के लिए) में, क्षेत्रीय प्रणाली समन्वयन और नियंत्रण केन्द्रों की अधिष्ठापना करना शामिल है। क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों पर भार प्रेषण केन्द्र (एस०एल०डी०सी०) और रिमोट टर्मिनल यूनिट (आर०टी०यू०) भी स्थापित किए जायेंगे, ताकि प्रणाली की प्रभावी मानीटरिंग/नियत्रण के लिए प्रणाली संबंधी परिस्थितियों और उपस्कर स्थिति की सही समय पर सूचना उपलब्ध कराई जा सके। ये स्कीमें विद्युत उत्पादन संसाधनों, संशोधित और विश्वसनीय ग्रिड प्रचालनों के इष्टतम समुपयोजन में भी सहायता करेंगी।

गुजरात में नए राष्ट्रीय राजमार्ग

1068. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात राज्य सरकार से राज्य में नए राजमार्गों की घोषणा करने संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां।

(ख) गुजरात सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल लगभग 2510 कि० मी० लंबे नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा हेतु 10 प्रस्ताव भेजे हैं। तथापि आठवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए निधियों के अल्प आवंटन के कारण इस समय किसी नए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा करना कठिन है।

मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध

1069. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में तुर्कमेनिस्तान के साथ किसी व्यापार और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अन्य मध्य एशियाई देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने हेतु देश-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) मध्य एशियाई देशों में व्यापार और पारगमन के संबंध में भारत, ईरान और तुर्कमेनिस्तान के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में 18.4.1995 को एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न किया था।

(ख) इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य मार्ग में माल के त्वरक आवागमन की व्यवस्था करके ईरान और तुर्कमेनिस्तान के प्रदेशों से भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच माल के पारगमन को सुविधाजनक बनाना है। एक संयुक्त आयोग की स्थापना की भी व्यवस्था है जिसमें पक्षकार देशों के प्रतिनिधि होंगे और इस आयोग का कार्य इस समझौता ज्ञापन के क्रियान्वयन में आने वाली दिक्कतों की जांच करना है।

(ग) सरकार मध्य एशिया के अन्य देशों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सभी संभव उपाय कर रही है। कजाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार तथा सहयोग को बढ़ाने के उद्देश्य से 24 मई, 1995 को संयुक्त आयोग का सत्र संपन्न हुआ था, इस सत्र के दौरान एक करार संपन्न हुआ था जिसमें 10 मिलियन अमरीकी डालर का एक अन्य ऋण देने का प्रावधान है। भारत सरकार कजाकिस्तान के साथ विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ट आर्थिक तथा वाणिज्यक कार्यकलाप को बढ़ावा दे रही है। किर्गीजस्तान के साथ पहले ही एक करार संपन्न हो चुका है जिसमें 5 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने की व्यवस्था है और उम्मीद है कि भारत किर्गीजस्तान संयुक्त आयोग की पहली बैठक निकट भविष्य में होगी। 5 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने के संबंध में ताजिकिस्तान के साथ पहले ही एक करार संपन्न हो चुका है और इस ऋण के उपयोग के लिए परियोजनाएं चल रही हैं, सरकार ताजिकिस्तान की सरकार को दवाइयों के रूप में मानवीय राहत भी दे रही है। 10 मिलियन अमरीकी डालर का दूसरा ऋण देने के संबंध में उजबेकिस्तान के साथ करार संपन्न हो चुका है क्योंकि 10 मिलियन अमरीकी डालर के पहले ऋण की प्रतिबद्धता की जा चुकी है। तुर्कमेनिस्तान के साथ 5 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण के संबंध में एक करार संपन्न किया गया और इस करार के अधीन आने वाली परियोजनाओं पर तुर्कमेनिस्तान की सरकार के साथ बातचीत की जा रही है। तुर्कमेनिस्तान के साथ एक संयुक्त आयोग की स्थापना का निर्णय लिया जा चुका है। भारत तथा मध्य एशिया के अन्य गणराज्यों के बीच व्यापार और पारगमन हेतु ईरान तथा तुर्कमेनिस्तान के प्रदेशों के अपेक्षाकृत अधिक उपयोग करने को सुविधाजनक बनाने के लिए इन देशों के साथ सरकार की बातचीत चल रही है।

[हिन्दी]

विद्युत की कमी

1070. **श्री जनार्दन मिश्र** :
श्री वी० एस० शर्मा प्रेम :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि .

(क) इस समय राजधानी के लिए कुल कितनी विद्युत की आवश्यकता है;

(ख) सन् 2000 तक बिजली की कितनी आवश्यकता होने का अनुमान है;

(ग) उक्त आवश्यकता को उत्तरी ग्रिड और अन्य स्रोतों से किस प्रकार पूरा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) राजधानी के लिए विद्युत उत्पादन हेतु किन-किन परियोजनाओं की संस्तुति की गई है;

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकृत की गई ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(च) दिल्ली सरकार के दिल्ली बिजली बोर्ड के गठन संबंधी प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार का क्या दृष्टिकोण है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) जून, 1995 के दौरान राजधानी में ऊर्जा की आवश्यकता तथा व्यस्ततमकालीन मांग क्रमशः 1215 मि०यू० तथा 2085 मे०वा० थी।

(ख) चौदहवीं विद्युत सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राजधानी में 1999-2000 की अवधि के दौरान विद्युत की अनुमानित आवश्यकता नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार आँकी गई :

1.	ऊर्जा की आवश्यकता	18104 मि.यू.
2.	व्यस्ततमकालीन मांग	3179 मे.वा.

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के मूल्यांकन के अनुसार राजधानी में विद्युत की उपरोक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए आठवीं योजना के दौरान 376 मे०वा० तथा नौवीं योजना के दौरान 126 मे०वा० विद्युत बढ़ाने की कल्पना की गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त, राजधानी केन्द्रीय क्षेत्र वाले विद्युत उत्पादक केन्द्रों, जिनको उत्तरी क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, से भी अपना उचित हिस्सा प्राप्त करेगी। यह पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों आदि से भी सहायता प्राप्त करेगी।

(घ) और (ङ) दो संस्तुति प्राप्त परियोजनाओं नामशः डेसू के विद्यमान गैस टर्बाइन यूनिटों में 9X34 मे०वा० क्षमता वाली वेस्ट हीट रिकवरी यूनिटें तथा बवाना स्थित 450 मे०वा० वाली संयुक्त साइकिल गैस आधारित विद्युत संयंत्र को राजधानी के लिए सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में पार्वती जल विद्युत परियोजना, जिसमें डेसू का विद्युत का हिस्सा 15 प्रतिशत है, को अभी स्वीकृति प्रदान की जानी है।

(च) दिल्ली के लिए एक बिजली बोर्ड का गठन करने के लिए सरकार कदम उठा रही है।

राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ यात्री सुविधाएं

1071. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री मोहम्मद असी अशरफ फातमी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ विश्राम गृहों सहित अन्य यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर संबंधित राज्यों के परिवहन मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ-साथ अब तक उपलब्ध कराई गई ऐसी सुविधाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) अभी हाल ही में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई गई है। फिलहाल जो स्कीम मौजूद है, वह 1986 की है।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रोघाट में लौह अयस्क की खानों का विकास

1072. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री महेश कनोडिया :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का मध्य प्रदेश में रोघाट में लौह अयस्क की खानों का विकास करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितना निवेश किया जाएगा और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का देश में लौह अयस्क की कुछ और अधिक खानों का विकास करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो ये खानें कहां-कहां पर स्थित हैं और तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) जी, हां। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के अनुसार 750 करोड़ रुपये के व्यय के लिये बजटीय अनुमान की परिकल्पना की गई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिये जाने के बाद ही बिल्कुल सही राशि का पता लग पायेगा। इस व्यय में खनन एवं प्रकमण काम्पलैक्स परियोजना के समीप बस्ती, जल एवं विद्युत सप्लाई तथा संबद्ध सुविधाएं शामिल हैं।

(ग) और (घ) 65 लाख टन लौह अयस्क इलों तथा घूरे के उत्पादन करने के लिये "सेल" का बिहार में चिरिया स्थित एक यंत्रीकृत खान का विकास करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित खान बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और बर्नपुर स्थित इस्पात संयंत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करेगी।

कोयलकारो जल विद्युत परियोजना

1073. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल झारखंड छात्र संघ द्वारा किन कारणों से कोयलकारो जल विद्युत परियोजना के विरूद्ध जन-आन्दोलन चलाया जा रहा है;

(ख) क्या आदिवासी लोगों को उनकी भूमि के अधिग्रहण के बदले में उपयुक्त पुनर्वास पैकेज देने की घोषणा की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या आदिवासियों की मांग को पूरा करने हेतु इस निर्माण कार्य में केवल आदिवासी लोगों को ही काम पर लगाया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) कोयलकारो जल विद्युत परियोजना, अखिल झारखंड छात्र संघ समेत स्थानीय समूह तथा दलों के विरोध के अलावा कार्य आरंभ करने के लिए अपेक्षित निधियों की कमी की समस्या का सामना कर रही है।

(ख) और (ग) आदिवासी अनुसंधान संस्थान, रॉची के साथ किए गए परामर्श के आधार पर अंतिम रूप दिए गए पुनर्वास पैकेज में, अधिग्रहित भूमि के बदले में नकद क्षतिपूर्ति प्रदान करके आदिवासियों समेत विस्थापित लोगों को उचित क्षतिपूर्ती करना आवास के लिए भूमि, प्रत्येक परिवार से एक सदस्य को उपयुक्तता तथा उपलब्धता के आधार पर लिपिकीय कार्यों या चतुर्थ श्रेणी के पदों में रोजगार प्रदान करना, यातायात संबंधी अनुदान, आवश्यक नागरिक सुख-सुविधाएं, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं तथा आदिवासियों के लिए प्रशिक्षण आदि की कल्पना की गई है।

(घ) परियोजना के निर्माण के लिए कार्मिकों की तैनाती परियोजना की विशेष आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी योग्यताओं तथा अनुभवों को ध्यान में रखकर की जाएगी। आदिवासियों के रोजगार पर विचार पुनर्वास पैकेज में लिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

निजी विद्युत क्षेत्र को प्रोत्साहन

1074. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को निजी विद्युत क्षेत्र तथा अन्य मंचों से निजी

विद्युत क्षेत्र को अपर्याप्त सहायता दिए जाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सेलम स्टील के कॉयन ब्लैकिंग प्लांट को बन्द करना

1075. **श्री प्रमथेश मुखर्जी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 जुलाई, 1995 के "इकानामिक टाइम्स" में "कॉयन ब्लैकिंग प्लांट ऑफ सेलम स्टली आन वर्ज ऑफ क्लोजर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेलम इस्पात संयंत्र, सेलम की ब्लैकिंग लाइन की संस्थापित क्षमता 3000 टन वार्षिक है। 1995-96 में 3347.5 एम.टी. बेटाग इस्पात कॉइन ब्लैंक की खरीद के लिये सेलम इस्पात संयंत्र को हाल ही में भारत सरकार टकसाल, नोएडा से एक आशय पत्र प्राप्त हुआ है।

[हिन्दी]

पारेषण और वितरण में क्षति

1076. **श्री नवल किशोर राय :**
श्री जगमीत सिंह बरार :
श्री नीतिश कुमार :
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 मई, 1995 के दैनिक समाचार पत्र "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" में पावर टी एण्ड डी लॉसेस अन्लायकली टू कम डाउन इन 8 प्लान" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उक्त क्षति को कम करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या इस लक्ष्य की प्राप्ति में कोई सफलता मिली है; और

(ङ) तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) से (ङ) जी हां। वर्ष 1993-94 में देश में विद्युत प्रणाली में पारेषण एवं वितरण हानियां 21.46 प्रतिशत थी। आठवीं योजना के लिए पारेषण एवं वितरण हानियों में 5 प्रतिशत तक की कमी का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसमें प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक प्रतिशत पारेषण एवं वितरण हानि की कमी शामिल है। देश में विद्युत यूटिलिटियों द्वारा किए गए अथक प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 1992-93 के दौरान पारेषण एवं वितरण हानियों में 1.03 प्रतिशत और 1993-94 के दौरान 0.34 प्रतिशत तक की कमी लाई गई। वर्ष 1994-95 के दौरान देश हेतु कुल कैपिसिटर आवश्यकता, बकाया (बैकलॉग) सहित, लगभग 11027 एम०वी०ए०आर० थी और वर्ष 1994-95 के लिए 8674 एम०वी०ए०आर० के लक्षित कार्यक्रम की तुलना में, वर्ष 1994-95 के दौरान केवल 2248 एम०वी०ए०आर० की अधिष्ठापना की जा सकी।

विद्युत एक समवर्ती विषय होने के कारण, यह राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है कि वे अपनी प्रणाली सुधार स्कीमों का क्रियान्वयन करें। तथापि, केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों के कैपिसिटर्स की अधिष्ठापना के लिए प्रमुख परियोजनाओं हेतु 456 लाख रुपये की कुल लागत में से 245.6 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल को 175.76 लाख रुपये और केरल राज्य बिजली बोर्ड को 114.62 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है, ताकि वे अपनी वितरण प्रणालियों में ऊर्जा लेखा-परीक्षा करवा सकें। वर्ष 1991-92 से 1993-94 के लिए विभिन्न राज्यों में पारेषण एवं वितरण हानियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

रा०बि०बो०/वि० वि० में रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण हानियों का प्रतिशत
(वाणिज्यिक हानियां जैसे चोरी इत्यादि सहित)

क्षेत्र	राज्य बिजली बोर्ड/ विद्युत विभाग	1991-92	1992-93	1993-94 (%)
1	2	3	4	5
	उत्तरी क्षेत्र			
1.	हरियाणा	26.79	26.78	24.53
2.	हिमाचल प्रदेश	20.37	19.51	17.31
3.	जम्मू एवं कश्मीर	49.21	48.28	47.73
4.	पंजाब	21.52	19.24	18.46
5.	राजस्थान	23.11	22.74	25.19
6.	उत्तर प्रदेश	26.06	24.43	23.20
7.	चंडीगढ़	29.64	26.21	16.40
8.	डेसू	24.35	23.56	30.32

1	2	3	4	5
	पश्चिमी क्षेत्र			
1.	गुजरात	23.56	22.03	20.00
2.	मध्य प्रदेश	25.08	21.35	20.13
3.	महाराष्ट्र	18.40	17.83	15.83
4.	दादर व नगर हवेली	19.66	17.98	11.52
5.	गोवा	23.78	21.85	27.55
6.	दमन एवं दीव	15.90	15.67	14.53
	दक्षिणी क्षेत्र			
1.	आंध्र प्रदेश	19.70	19.88	19.05
2.	कर्नाटक	19.88	19.55	18.60
3.	*केरल*	*21.67*	*21.95*	*20.99*
4.	*तमिलनाडु*	*18.69*	*17.50*	*17.25*
5.	*लक्षद्वीप द्वीप समूह*	*17.43*	*18.72*	*17.52*
6.	*पांडिचेरी*	*18.00*	*15.31*	*15.75*
	पूर्वी क्षेत्र			
1.	बिहार	23.19	22.00	19.00
2.	उड़ीसा	24.65	25.25	23.50
3.	सिक्किम	25.89	22.55	22.10
4.	पश्चिम बंगाल	22.26	24.87	22.02
5.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	21.66	23.62	23.71
	उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
1.	असम	21.76	21.41	20.82
2.	मणिपुर	24.43	22.35	22.50
3.	मेघालय	11.49	11.79	10.67
4.	नागालैंड	23.14	27.26	23.08
5.	त्रिपुरा	31.96	30.64	29.50
6.	अरुणाचल प्रदेश	28.20	32.32	31.63
7.	मिजोरम	34.95	29.04	28.00
	अखिल भारत (यूटिलिटीज)	22.83	21.80	21.46

टिप्पणी : 1. % अनंतिम

2. मेघालय के संबंध में निम्न पारेषण एवं वितरण हानि आंकड़े, पड़ोसी राज्यों को ऊर्जा की वृहत् बिक्री के कारण हैं।

पावरग्रिड कारपोरेशन

1077. **श्री जगजीत सिंह बरार :**
श्री गुमान मल लोढ़ा :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पॉवर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया द्वारा 1994-95 के दौरान कितना लाभ अर्जित किया गया;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मार्च, 1995 के अंत तक कारपोरेशन में कुल कितनी पूंजी का निवेश किया गया;

(ग) कारपोरेशन को उस पूंजी में से कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई;

(घ) क्या कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य पारेषण हानि को कम करना है;

(ङ) यदि हां, तो कारपोरेशन द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है तथा 1994 के दौरान कारपोरेशन द्वारा इस पर कुल कितनी राशि खर्च की गई;

(च) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान देश में पारेषण हानि में कमी हुई है; और

(छ) यदि हां, तो 1990-91 तथा 1994-95 के दौरान देश में कुल विद्युत उत्पादन की तुलना में पारेषण हानि का प्रतिशत क्या था ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 207.60 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया गया।

(ख) 31 मार्च, 1993, 1994 और 1995 की स्थिति के अनुसार पावर ग्रिड में निवेश की गई कुल पूंजी की राशि क्रमशः 4769.80 करोड़, 6060.12 करोड़ और 6972.94 करोड़ रुपए थी।

(ग) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार पावर ग्रिड में पूंजीगत निवेश में से कुल ऋण की राशि 3118.87 करोड़ रुपए है, जिसमें 577.04 करोड़ रुपए भारत सरकार के ऋण की राशि भी शामिल है।

(घ) और (ङ) पावर ग्रिड को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य केन्द्रीय क्षेत्र में सभी अतिरिक्त उच्च वोल्टता पारेषण प्रणालियों का निर्माण प्रचालन और अनुरक्षण तथा अन्तःक्षेत्रीय पारेषण लिंक स्थापित करने समेत राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का विकास करना है। अतिरिक्त उच्च वोल्टता प्रणाली में मात्र 3-4 प्रतिशत हानियां होती हैं, जो कि स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप है। पारेषण हानि की मात्रा को न्यूनतम करने के लिए पावर ग्रिड द्वारा पारेषण नेटवर्क की आयोजना की जाती है और इनको क्रियान्वित किया जाता है, इसलिए इस प्रयोजनार्थ अलग से व्यय किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

(च) और (छ) जी, हां। पारेषण और वितरण संबंधी मात्रा में 1990-91 के आंकड़ों की तुलना में 1993-94 में लगभग 1.43 प्रतिशत की कमी हुई है। वर्ष 1990-91 और 1993-94 में कुल मिलाकर पारेषण और वितरण संबंधी हानियों की मात्रा क्रमशः 22.89 प्रतिशत और 21.46 प्रतिशत थी। वर्ष 1994-95 से ये आंकड़ों का संकलन कार्य अभी नहीं किया गया है।

प्रमुख हानियों उप-पारेषण और वितरण प्रणाली के कारण होती है, जिसकी प्रबंधन राज्य बिजली बोर्डों द्वारा किया जाता है।

टिहरी बांध परियोजना

1078. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री जगमीत सिंह बराड़ :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1995 के ''द ट्रिब्यून'' के ''व्हाइट पेपर टिहरी डैम सॉट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के कुछ विशेषज्ञों ने सरकार से इस परियोजना के संबंध में विवाद पर श्वेत पत्र जारी करने की अपील की है;

(घ) क्या सरकार इनकी अपील पर सहमत हो गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) से (ङ) जी हां। समाचार पत्र की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि कई संबंधित वरिष्ठ नागरिकों द्वारा टिहरी बांध के सभी पहलुओं पर ''श्वेत पत्र'' जारी करने की मांग की गई है। सरकार को अलग से भी टिहरी बांध परियोजना के विभिन्न पहलुओं के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

सरकार द्वारा टिहरी बाँध के सभी पहलुओं की भली-भांति जाँच कर ली गई है और सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के पश्चात् परियोजना के निष्पादन को स्वीकृति दी गई थी।

अतः सरकार का इस संबंध में ''श्वेत पत्र'' जारी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार उठाए जाने वाले प्रत्येक नये और वास्तविक मुद्दे की जाँच करने के लिए तैयार है।

''ईस्ट इंडिया होटल्स'' को भूमि

1079. **डा० मुमताज अंसारी :**
श्री गोपी नाथ गजपति :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ''ईस्ट इंडिया होटल्स'' को दिल्ली में 2.7 एकड़ बहुमूल्य भूमि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो यह भूमि किस मूल्य पर आवंटित की गई; और

(ग) ऐसी भूमि के आवंटन में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) से (ग) नई दिल्ली में 2.7 एकड़ का एक प्लाट डी०टी०टी०डी०सी० को एक सस्ते होटल का निर्माण करने के लिए 1983 में लाइसेंस फीस पर आवंटित किया गया था। बकाया राशि का भुगतान न करने तथा आवंटन की शर्तों के उल्लंघन की वजह से इसे 1993 में रद्द कर दिया गया।

उसी दौरान सरकार के ध्यान में आया कि डी०टी०टी०डी०सी० ने 1992 में अन्तर्राष्ट्रीय बोली (निलामी) आधार पर मैसर्स ईस्ट इण्डिया होटल्स के साथ लाइसेंस करार किया था। अतः करार की वाणिज्यिक शर्तों के मद्देनजर डी०टी०टी०डी०सी० को संशोधित भुगतान शर्तों की पेशकश का विकल्प दिया गया। चूंकि लगातार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद डी०टी०टी०डी०सी० से कोई उत्तर नहीं मिल रहा था इसलिए कानूनी, प्रशासनिक तथा वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखकर होटल स्वामी के साथ डी०टी०टी०डी०सी० द्वारा किये गये पूर्ववर्ती करार को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया।

लाइसेंस फीस 2.5 करोड़ रुपए सालाना से 38 करोड़ रुपये सालाना तक है जो 39 वर्षों की अवधि के लिए 720 करोड़ रुपये बैठती है।

[अनुवाद]

उत्तर प्रदेश में उर्वरक एकक

1080. *डा० लक्ष्मी जी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :*

(क) गत दो वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में कितने उर्वरक एकक स्थापित किए गए हैं;

(ख) इनमें से कितने एककों ने कार्य करना आरंभ कर दिया है; और

(ग) मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे कितने एककों में उत्पादन शुरू हो जायेगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) मै. टाटा कैमिकल्स लि. के स्वामित्व में 7.4 लाख टन यूरिया प्रति वर्ष उत्पादन करने की क्षमता वाले गैस पर आधारित यूरिया संयंत्र ने दिसंबर, 1994 में बबराला, (उत्तर प्रदेश) में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया।

मै. बिन्दल एग्रो के स्वामित्व में 7.26 लाख टन यूरिया प्रति वर्ष उत्पादित करने की क्षमता वाले शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में स्थित एक अन्य गैस पर आधारित यूरिया संयंत्र से चालू वर्ष के दौरान उत्पादन शुरू करने की आशा है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

1081. **श्री रामपाल सिंह :**
श्री पंकज चौधरी :
श्री बलराज पासी :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई; और

(घ) उक्त कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) रा० रा० 2 के दिल्ली से मथुरा और मथुरा से आगरा के बीच दो लेन वाले कैरिजवे को चौड़ा करके 4 लेन का बनाए जाने संबंधी दो परियोजनाओं को सम्वीकृत किया गया है जिनकी लागत 167.21 करोड़ रुपये होगी। इसके अतिरिक्त, रा०रा० 24 के गाजियाबाद-हापुड़ खंड और रा०रा० 2 के इलाहाबाद शहरी लिंक को आठवीं योजना में चौड़ा किए जाने का प्रस्ताव है, जिसकी संस्वीकृति हेतु निधियों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ग) राज्यों को निधियां राज्य-वार आवंटित की जाती हैं कार्य-वार नहीं। पिछले तीन वर्षों में राज्य को आवंटित की गई राशि नीचे दर्शाई गई है :

वर्ष	1992-93	1993-94	1994-95
आवंटन	49.95	45.79	84.55
(करोड़ रुपए)			

(घ) संस्वीकृत कार्य 1999 तक पूरे होने की संभावना है।

समान सुविधा संपन्न शहर

1082. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान समान सुविधा संपन्न शहरों के रूप में विकसित किए जाने के लिए शहरों को कितनी राशि प्रदान की गई;

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी राशि प्रदान की जायेगी; और

(ग) इसमें से बरेली को कितनी राशि प्रदान की जायेगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) जहां तक केन्द्र प्रवर्तित आई०डी०एस०एम०टी० योजना के तहत छोटे तथा मझौले विकास केन्द्रों/काउण्टर मैगनेट का संबंध है, उन्हें वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 24.41 करोड़ रुपये की राशि मुहैया करायी गई थी।

(ख) आई०टी०एस०एम०टी के तहत वर्ष 1995-96 के दौरान व्यय हेतु प्रस्तावित राशि 35 करोड़ रुपये है।

(ग) आठवीं योजना (1992–97) के लिए राष्ट्रीय राजधानी के 5 काउण्टर मैगनेट शहरों बावत 100 करोड़ रुपये का एक मुश्त प्रावधान है। वर्ष-वार कोई नियतन नहीं किया गया है। बरेली को कोई राशि नहीं मिली है। बरेली नगर को आठवीं योजना के दौरान अधिकतम 10 करोड़ रुपये मुहैया कराये जा सकते हैं बशर्ते कि उत्तर प्रदेश सरकार उतनी ही राशि का अंशदान करे।

[अनुवाद]

खनन दुर्घटनाएं

1083. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 2 जुलाई, 1995 के "जनसत्ता" में "अवैध पट्टेदार की बेतहाशा खुदाई से हुई पाली की खान दुर्घटना" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) मृतकों के परिवारों को मुआवजा और राहत देने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद

1084. **श्री अन्ना जोशी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद के शासी निकाय ने विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद के कार्यकरण की निगरानी हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित करने हेतु सरकार से औपचारिक अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद के नवीकरण हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार भारतीय विश्व कार्य परिषद की कार्य प्रणाली की जांच के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन के लिए परिषद के शासी निकाय द्वारा संकल्प पारित किए जाने के संबंध में भारतीय विश्व कार्य परिषद के अध्यक्ष के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है।

[हिन्दी]

डी०डी०ए० फ्लैटों का आवंटन

1085. **श्री लक्ष्मीनारायण मणि त्रिपाठी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिकता के आधार पर डी०डी०ए० फ्लैटों के आवंटन हेतु वी०आई०पी० श्रेणी के अंतर्गत कितने व्यक्तियों के आवेदन लंबित हैं;

(ख) उन्हें ये फ्लैट कब तक उपलब्ध करा दिये जाएंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार संसद सदस्यों को भी मकान उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० कुंजन) : (क) और (ख) डी०डी०ए० ने बताया है कि प्राथमिकता के आधार पर डी०डी०ए० फ्लैट आवंटन में वी०आई०पी० लोगों की कोई अलग श्रेणी नहीं है। प्राथमिकता/बिना बारी आधार पर आवंटन निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। सांसदों के वरीयता आधार पर फ्लैट आवंटन का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) केवल सांसदों के लिए ही कोई स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, (आम जनता) के रूप में सांसद भी डी.डी.ए. द्वारा समय-समय पर जारी स्कीमों के अंतर्गत, पात्रता शर्तें पूरी करने पर, फ्लैट के आवंटन हेतु अपना पंजीकरण कराने के लिए पात्र होते हैं।

अनुवाद

आंध्र प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाएं

1086. **श्री एस०एम० लाखजान बाशा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में सभी अंतर्देशीय जलमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए 1995-96 के दौरान कोई धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) केन्द्र सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार हैं। जहां तक राष्ट्रीय जलमार्गों से भिन्न अंतर्देशीय जलमार्गों का संबंध है, उनका विकास करना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। केन्द्र सरकार का गोदावरी नदी के चेरला-राजमुन्दरी खंड तथा आन्ध्र प्रदेश में इसकी नौगम्य चैनल को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है जो फिलहाल जांच की प्रारंभिक अवस्था में है। 1995-96 के दौरान आई०डब्लयू०टी० क्षेत्र के लिए वार्षिक योजना में आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित राष्ट्रीय जलमार्ग के लिए 1.00 लाख रुपये का प्रावधान है।

[हिन्दी]

बड़े पत्तनों के लिए विद्युत गृह

1087. **श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील**
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास प्रत्येक बड़े पत्तन के लिए अलग-अलग विद्युत गृहों की स्थापना करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन किन पत्तनों पर इन विद्युत गृहों का निर्माण किया जाएगा;

(घ) इन विद्युत गृहों की अनुमानित लागत कितनी होगी; और

(ङ) विद्युत गृह कब तक कार्य करना शुरू कर देंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) सभी महापत्तनों को अपने स्वयं के आबद्ध विद्युत संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने का एक सैद्धान्तिक निर्णय लिया गया है। यह मामला प्रारंभिक अवस्था में है और अभी तक कोई विस्तृत योजना नहीं बनाई गई है।

(घ) और (ङ) चूंकि अभी तक ब्योरेवार योजनाएं नहीं बनाई गई हैं इसलिए इन विद्युत संयंत्रों की लागत और इन्हें पूरा करने के समय के बारे में अभी बताया नहीं जा सकता है।

कश्मीर का मामला

1088. **श्री साइमन मरान्डी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन देशों के क्या नाम हैं जो कश्मीर मामले के संबंध में भारत पर दबाव डाल रहे हैं;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं, जिनके साथ सरकार ने कश्मीर मामले का हल निकालने और पाक अधिकृत कश्मीर को मुक्त कराने के लिए उन का सहयोग प्राप्त करने की पहल की है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका के साथ यह मामला उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में उसकी क्या प्रतिक्रिया है और उसने क्या पहल की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) सरकार, भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को, जिसमें जम्मू और कश्मीर मसले से संबद्ध पहलू भी शामिल हैं, शिमला समझौते के अनुसार द्विपक्षीय बातचीत के जरिए शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के लिए वचनबद्ध है। कोई भी देश कश्मीर मसले के संबंध में भारत पर दबाव नहीं डाल रहा है। सरकार का यह दृढ़ विचार है कि इसमें किसी भी तीसरे पक्ष के लिए कोई भूमिका नहीं हो सकती। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जिसमें अमरीका भी शामिल है, सही परिप्रेक्ष्य में जम्मू और कश्मीर की स्थिति से अवगत करा दिया है, विशेष रूप से आतंकवाद को सहायता देने, उसे उकसाने और उसे समर्थन देने में पाकिस्तान की भूमिका तथा भारत के जम्मू एवं कश्मीर के प्रदेश के एक भाग पर अवैध रूप से कब्जा करने के विषय में।

द्विपक्षीय वार्ता के जरिये इस मसले का समाधान करने को व्यापक समर्थन मिला है। अमरीकी सरकार का यह कहना है कि इस मसले को भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के जरिये निपटाना सर्वोत्तम है जैसा कि शिमला समझौते के अंतर्गत है जिसमें जम्मू और कश्मीर के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखा जाए।

गंदी बस्तियों हेतु नागरिक सुविधाएं

1089. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में गंदी बस्तियों में रहने वाले लोगों की सामाजिक-आर्थिक तथा जीवन यापन दशाओं में सुधार करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार के पास इस संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

केन्द्र सरकार शहरी गरीबों की भलाई के प्रचलित शहरी गरीबी उप-शमन कार्यक्रमों को उच्च प्राथमिकता देती है जिसमें गरीब स्त्री, बच्चों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए बुनियादी सेवाओं और सुविधाओं पर बल दिया गया है। विभिन्न कार्यक्रमों यथा नेहरू रोजगार योजना, गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सुविधाएं तथा शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार को चलाकर शहरी गरीबों के उप-शमन हेतु एक समन्वित दृष्टिकोण लिया गया है।

नेहरू रोजगार योजना (एन०आर०वाई०) :

नेहरू रोजगार योजना में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने का प्रयास किया गया है। इसमें तीन स्कीमें हैं, (i) सभी शहरी क्षेत्रों में शहरी लाभार्थियों के लिए लघु उद्यम लगाने और प्रशिक्षण तथा अवस्थापना सहायता मुहैया कराने की योजना: (ii) एक लाख से कम आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों के दायरे में उपयोगी सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु मजदूरी रोजगार की योजना; तथा (iii) 1 लाख से 20 लाख की आबादी वाले शहरी स्थानीय निकायों में विशेषतः शहरी गरीबों और कमजोर आर्थिक वर्गों के लिए समीपस्थ निम्न आय परिक्षेत्रों में आवास तथा मकान निर्माण के जरिये रोजगार और लाभार्थियों को निर्माण शिल्प को प्रशिक्षण व कौशल विकास तथा अवस्थापनात्मक मदद देने की स्कीम पर होने वाले व्यय का केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ राज्य के बीच 60 : 40 के आधार पर बांटा जायेगा। आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम 3 वर्षों के दौरान योजना के तहत केन्द्रीय अंश के रूप में 216 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सुविधाएं (यू०बी०एस०पी०):

गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सुविधाओं की योजना के लक्ष्य विकास कार्यकलापों में स्लमवासिबों की कारगर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्लमों में परिवेश विकास समितियों को बढ़ावा करना तथा विशेषज्ञ विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर सामाजिक सेवाएं तथा भौतिक सुविधाएं मुहैया कराना है।

शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार (ई०आई०यू०एस०):

ये शहरी स्लमों के पर्यावरणीय सुधार की राज्य सेक्टर योजना है, जिसमें शहरी स्लमों में पेयजल नलके, सीवर की खुली नालियों, बरसाती पानी की नालियों, सामुदायिक स्नानघरों तथा सामुदायिक शौचालयों, मौजूदा गलियों को चौड़ा/पक्का करने और पथ-प्रकाश सहित जल आपूर्ति का प्रावधान किया जाता है इस स्कीम के लिए धन का प्रावधान राज्यों/संघ राज्यों की वार्षिक योजना में किया जाता है।

[अनुवाद]

पोत निर्माण कम्पनी

1090. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के तीन उपक्रमों—राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड का एक पोत निर्माण कम्पनी शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ऐसी पोत निर्माण कम्पनियों को देश में ही उत्पादित कोकिंग कोयले की सप्लाई करने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., और कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड द्वारा एक पोत निर्माण कम्पनी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि 3 संगठनों द्वारा एक संयुक्त उद्यम जहाजरानी कंपनी बनाने का प्रस्ताव है। चूंकि प्रस्तावित कंपनी मुख्य रूप से विदेशों से आयात किये जा रहे तथा उन्हें निर्यात किये जा रहे भारी मात्रा में माल के निजी कारगो की संभाल करेगी। इसलिए इस कंपनी को देश में उत्पादित कोयले की सप्लाई करने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

दिल्ली की कालोनियों में जन-सुविधाएं

1091. **श्री मोहन रावले** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जल आपूर्ति, सड़क निमार्ण एवं इसके रख-रखाव, मलजल निकास व्यवस्था एवं अन्य कार्यों के लिए अब तक किन-किन कालोनियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम को सौंपा गया है;

(ख) इन कालोनियों में उपरोक्त जन-सेवाओं के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर निगम को कितनी राशि दी गई है;

(ग) वर्ष 1995 में दिसम्बर माह तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली की किन-किन कालोनियों को जन-सुविधाओं के लिए दिल्ली नगर निगम को सौंपा जाएगा;

(घ) क्या इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम के बीच किसी समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०के० धुंगन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग

1092. **श्री खेसन राम जांगडे** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अधिकतर राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में मान्यता दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) बाइ-पास सड़कों के निर्माण सहित इन राजमार्गों को चौड़ा करने और इनकी मरम्मत पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) अभी तक सड़कों की कुल 54,058 कि०मी० लंबाई को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की राज्य-वार लंबाई संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

(ग) 1995-96 में विकास कार्य के लिए 737.89 करोड़ रुपये का प्रावधान है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करने तथा बाईपासों का कार्य भी शामिल है और राष्ट्रीय राजमार्गों के रख-रखाव के लिए 226.50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	लंबाई (कि०मी०)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2888
2.	अरूणाचल प्रदेश	330
3.	आसाम	2296
4.	बिहार	2117
5.	चंडीगढ़	24
6.	दिल्ली	72
7.	गोआ	229
8.	गुजरात	1631
9.	हरियाणा	698
10.	हिमाचल प्रदेश	854
11.	जम्मू और कश्मीर	648
12.	कर्नाटक	1996
13.	केरल	940
14.	मध्य प्रदेश	2946
15.	महाराष्ट्र	2918
16.	मणिपुर	431
17.	मेघालय	472
18.	मिजोरम	551
19.	नागालैण्ड	113
20.	उड़ीसा	1649
21.	पंजाब	892
22.	राजस्थान	2931
23.	सिक्किम	62
24.	तमिलनाडु	1896
25.	त्रिपुरा	200
26.	उत्तर प्रदेश	2613
27.	पश्चिम बंगाल	1638
28.	पांडिचेरी	23
	कुल	34058 कि०मी०

[अनुवाद]

एम० वी० अकबर पेसेंजर-कम-कारगो वेसल

1093. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में मुख्य भूमि और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच चल रहे "एम.वी. अकबर पेसेंजर-कम-कारगो वेसल" की विशाखापत्तनम स्थित हिन्दुस्तान शिपयार्ड में विशेष मरम्मत कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी लागत आई है और इस मरम्मत में कितना समय लगा है;

(ग) क्या मरम्मत के बाद पहली खेप के दौरान ही यात्रियों को मद्रास ले जाते समय जहाज का इंजन खराब हो गया था;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(ङ) यदि हो, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले और इसके लिए जिम्मेवार पाए गए व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां।

(ख) मरम्मत संबंधी संविदा के अनुसार अभी तक मरम्मत कार्य पर 32,37,78,000 रुपये व्यय हुए हैं। संविदा की तारीख से मरम्मत कार्य पूरा करने और पुनः सुपुर्दगी में 20 महीने तथा 3 दिन का समय लगा है।

(ग) से (ङ) जी नहीं। जहाज के नियंत्रणीय पिच नोदन (सी०पी०पी०) प्रणाली में पोर्ट ब्लेयर से मद्रास यात्रा के दौरान खराबी आ गई थी। इस मामले की जांच की गई थी जिससे यह पता चला कि पी०सी०सी० प्रणाली में यांत्रिक खराबी के कारण खराबी आई थी न कि मानव गलती के कारण।

[हिन्दी]

कीटनाशक के रूप में नीम का उपयोग

1094. **डा० लाल बहादुर रावलः**
श्री राम पूजन पटेलः

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उत्पादित की जा रही विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कीटनाशक तैयार करने के लिए नीम का उपयोग करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) देश में अभी 60 से ज्यादा विशिष्ट टेक्निकल ग्रेड पेस्टिसाइड्स उत्पादित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

हथकरघा बुनकरों और बीड़ी श्रमिकों के लिए आवास योजना

1090. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राजसहायता तथा "हुडको" के ऋण से हथकरघा बुनकरों और बीड़ी श्रमिकों के लिए कोई आवास योजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्ति लाभान्वित होंगे ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) हथकरघा बुनकरों तथा बीड़ी मजदूरों को आवास सुविधा हेतु केन्द्रीय सहायता/हुडको ऋण से संबंधित योजनाओं के ब्यौरे इस प्रकार हैं:–

(I) हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड एवं आवास योजना

कपड़ा मंत्रालय द्वारा संचालित हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड एवं आवास योजना नामक संशोधित योजना के अनुसार हथकरघा बुनकरों को वर्कशेड/मकान एवं वर्कशेड के निर्माण हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्ध ऋण की वित्तपोषण पद्धति इस प्रकार है :–

क्र० सं० योजना का नाम	यूनिट की संख्या	यूनिट की लागत (रु०)	अधिकतम केन्द्रीय सहायता	ऋण (रु०)	बुनकर अंशदान	अधिकतम आर्थिक सहायता (प्रतिशत)
1. वर्कशेड	75000	5000	4000	-	1000	80
2. ग्रामीण आवास एवं वर्कशेड	28000	20000	14000	5000	1000	70
3. शहरी आवास एवं वर्कशेड	14000	30000	14000	14000	2000	70

यदि निर्माण की वास्तविक लागत एकक की ऊपर उल्लिखित लागत से अधिक हो तो कार्यान्वयन एजेंसी हुडको/वित्तीय संस्था से ऋण ले सकती है। राज्य सरकार भी निर्माण की अधिक लागत को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजट प्रावधान कर सकती है।

साधारणतया यह योजना शीर्षस्थ हैंडलूम कोओपरेटिव सोसायटी अथवा राज्य हथकरघा विकास निगम अथवा प्राइमरी सोसायटियों अथवा सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ विशेष रूप से गठित किसी अन्य एजेंसी द्वारा कार्यान्वित की जाएगी।

वर्ष 1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान योजना के तहत स्वीकृत यूनिटों को राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में हैं। तारीख 30.6.1995 तक हुडको ने 31682 रिहायशी एककों के निर्माण के लिए 33.04 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता के साथ हथकरघा बुनकरों की 132 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

II. बीड़ी मजदूरों के लिए आवास योजनाएं

बीड़ी मजदूरों के लिए केन्द्र सरकार (श्रम मंत्रालय) द्वारा दो आवास योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनके ब्यौरे इस प्रकार हैं :

(क) बीड़ी उद्योग में लगे मजदूरों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना :

इस योजना के तहत, कोई बीड़ी मजदूर, चाहे वह किसी प्रतिष्ठान में कार्यरत हो अथवा घर खाता मजदूर, यदि बीड़ी उद्योग में एक वर्ष से अधिक समय से लगा है, तो वह राज्य सरकार की सिफारिशों पर अर्थ सहायता/अनुदान पाने का पात्र होगा। योजना के तहत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रत्येक यूनिट के निर्माण की वास्तविक लागत के 50 प्रतिशत की दर से तथा विकास प्रभार सहित अधिकतम 9000 रुपये के अध्यधीन अनुदान सहायता देने पर विचार किया गया है। बीड़ी वर्कर वेलफेयर फण्ड से दी जाने वाली अर्थ सहायता के अलावा राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकरण/बीड़ी उद्योग मालिक द्वारा भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है। शेष वित्त राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य एजेंसी जैसे हुडको से ऋणों/अंशदान के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) बीड़ी मजदूरों के लिए 'अपना मकान बनाओ योजना' :

इस योजना के अंतर्गत कोई भी बीड़ी मजदूर चाहे वह किसी प्रतिष्ठान में काम करता हो अथवा घर खाता मजदूर हो, यदि कम से कम 3 वर्ष से बीड़ी उद्योग में है, तो वह केन्द्रीय सहायता अनुदान का पात्र है। योजना के अंतर्गत मजदूरों के स्वामित्व वाले मकानों अथवा स्थलों के निर्माण/मरम्मत/विस्तार/परिवर्तन के लिए बीड़ी वर्कर वेलफेयर फण्ड से सहायता एवं ऋण प्रदान करने पर विचार किया गया है।

मजदूरों को 10,000 रुपये तक का बिना ब्याज ऋण दिया जाएगा, जिसे अधिकतम नौ वर्ष की अवधि में मासिक किश्तों में लौटाना होगा। मजदूर को सामग्री लागत खाते में 3000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। छोटा परिवार रखने वाले मजदूरों को अतिरिक्त 1700 रुपये दिये जाएंगे।

बीड़ी मजदूरों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना तथा अपना मकान बनाओ योजना के तहत निर्मित मकानों/लाभग्राहियों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-II में हैं। हुडको ने आरंभ से लेकर 30.6.1995 तक बीड़ी मजदूरों के लिए 10,350 रिहायशी यूनिटों के निर्माण हेतु 20.48 करोड़ रुपये की ऋण वचनबद्धता के साथ 30 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

विवरण-I

1991-92, 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान भारत सरकार की हथकरघा बुनकरों के लिए वर्कशेड एवं आवास योजना के तहत स्वीकृत वर्कशेड एवं आवास/वर्कशेड यूनिटों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	1991-92		1992-93		1993-94		1994-95	
		वर्कशेड व आवास	वर्कशेड	वर्कशेड एवं आवास	वर्कशेड	वर्कशेड एवं आवास	वर्कशेड	वर्कशेड एवं आवास	वर्कशेड
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	-	1725	-	-	1010	1217	400	2700
2.	असम	-	1145	-	1000	-	222	2000	78
3.	बिहार	-	-	-	1633	-	1500	-	2000
4.	हिमाचल प्रदेश	-	500	-	280	-	700	-	750
5.	जम्मू व कश्मीर	-	-	-	333	-	94	-	218
6.	कर्नाटक	-	1968	431	-	-	824	-	2000
7.	केरल	-	-	452	105	107	480	518	619

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	मध्य प्रदेश	-	433	-	1269	-	1000	-	456
9.	मणिपुर	-	-	-	-	-	750	-	1140
10.	मिजोरम	-	70	-	-	-	100	-	250
11.	उड़ीसा	-	1600	-	1500	-	1000	-	2500
12.	राजस्थान	-	576	-	-	-	1004	-	150
13.	त्रिपुरा	-	-	-	400	-	200	-	1000
14.	तमिलनाडु	-	-	2100	-	600	-	400	-
15.	उत्तर प्रदेश	-	1917	-	3287	2600	-	2000	1050
16.	पश्चिम बंगाल	-	800	-	-	-	-	-	1200
17.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	550
18.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	30
	योग	-	10734	2983	9807	4317	8891	5318	16691

विवरण-II

मजदूरों के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना तथा अपना मकान बनाओ योजना के अंतर्गत निर्मित मकानों/लाभार्थियों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण

क्र०स०	राज्य का नाम	ई०डब्ल्यू०एस०	बी०एल०ओ०एस०एस०
1.	मध्य प्रदेश	1353	74
2.	पश्चिम बंगाल	शून्य	966
3.	आसाम	शून्य	379
4.	उत्तर प्रदेश	शून्य	120
5.	महाराष्ट्र	5354	96
6.	आंध्र प्रदेश	13550	135
7.	तमिलनाडु	शून्य	72
8.	कर्नाटक	1706	6
9.	केरल	शून्य	1224
10.	उड़ीसा	100	975
11.	भीलवाड़ा क्षेत्र में राजस्थान, गुजरात और हरियाणा शामिल हैं।	445	10

पोटाश की आवश्यकता

1096. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान देश में पोटाश की राज्य-वार आवश्यकता कितनी-कितनी थी;

(ख) 1995-96 के दौरान पोटाश की अनुमानित आवश्यकता कितनी है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान देश में पोटाश का कितनी मात्रा में आयात किया गया;

(घ) इन वर्षों के दौरान कितने मूल्य की पोटाश का आयात किया गया; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान कितने मूल्य की पोटाश का आयात किया गया है तथा आगामी वर्ष के लिए अनुमानतः कितने मूल्य की पोटाश का आयात किया जाएगा ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) 25.8.92 को पोटासिक उर्वरकों के नियंत्रणमुक्त हो जाने से उनकी मांग व पूर्ती बाजार शक्तियों द्वारा शासित होती है। गत दो वर्षों के दौरान पोटाश की अनुमानित खपत संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) पोषक पोटाश की कुल मात्रा का आधा पोटाश आफ म्यूरिएट (एम०ओ०पी०) के आयात से आपूर्ति की जाती है। गत दो वर्षों के दौरान

एम०ओ०पी० के आयातों के अनुमान नीचे दिए गए हैं :

(आंकड़े लाख टनों में)

वर्ष	म्युरिएट आफ पोटाश
1993-94	14.67
1994-95	18.48

(घ) और (ङ) सरकार नियंत्रणमुक्त उर्वरकों के आयातों के संबंध में मूल्य सूचना नहीं रखती है। पोटासिक उर्वरकों के आयात को भी सारणीबद्ध कर दिया गया है।

वितरण

(5आंकडे 000 मीटरी टन में)

क्र०सं०	राज्य	1993-94 पोटाश (के)	1994-95 पोटाश (के)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	88.09	109.95
2.	कर्नाटक	116.40	119.46
3.	केरल	66.11	75.23
4.	तमिलनाडु	205.69	278.12
5.	गुजरात	39.18	50.16
6.	मध्य प्रदेश	16.83	29.85
7.	महाराष्ट्र	130.85	187.00
8.	राजस्थान	2.63	7.94
9.	गोआ	1.09	1.43
10.	हरियाणा	0.36	2.12
11.	हिमाचल प्रदेश	1.62	2.26
12.	जम्मू और कश्मीर	0.60	1.45
13.	पंजाब	7.47	16.44
14.	उत्तर प्रदेश	58.75	73.19
15.	बिहार	15.01	34.03
16.	उड़ीसा	18.95	23.58
17.	पश्चिम बंगाल	136.57	136.08
18.	आसाम	7.70	9.79
19.	मणिपुर	0.05	0.32
20.	मेघालय	0.27	0.19
21.	नागालैण्ड	0.14	0.11
22.	सिक्किम	0.09	0.06
23.	त्रिपुरा	0.89	1.36
24.	अरूणाचल प्रदेश	0.08	0.11
25.	मिजोरम	0.15	0.22
26.	अन्य	12.83	20.95
	योग	908.40	1181.40

पारादीप फास्फेट लिमिटेड

1097. **डा० कार्तिकेश्वर पात्र** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप फास्फेटस लिमिटेड को पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से घाटा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसे लाभार्जित करने वाला सरकारी उपक्रम बनाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है।

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के पारादीप फास्फेट्स लि०(पी०पी०एल०) के लाभ और हानि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

(रुपये करोड़)

वर्ष	लाभ (+)/हानि (-)
1992-93	(-) 80.94
1993-94	(+) 47.35
1994-95 (अनंतिम)	(+) 27.33

(ग) हानियों के मुख्य कारण ऋण/अनुपात में असंतुलन के कारण अत्यधिक ब्याज भार के अतिरिक्त डाई अमोनियम फास्फेट संयंत्र (डी०ए०पी०पी०) सल्फ्यूरिक एसिड संयंत्र (एस०ए०पी०) तथा फास्फोरिक एसिड संयंत्र (पी०ए०सी०) की कम क्षमता उपयोगिता थे।

(घ) कंपनी के वित्तीय निष्पादन में सुधार करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किये गये हैं/किए जाने का विचार है :

(i) सरकार ने 31.3.1994 से कंपनी के पूंजीगत आधार की पुर्नसंरचना की है ताकि ऋण/साम्य अनुपात में असंतुलन दूर किया जा सके तथा ब्याज के भार को कम किया जा सके।

(ii) कंपनी ने 1995-96 के दौरान डी०ए०पी०सी०, एस०ए०पी० तथा पी०ए०पी० की क्षमता उपयोगिता को सुधारने के उपाय किए हैं।

(iii) कंपनी ने चालू वर्ष में एन०पी० के० कम्पलैक्स के उत्पादन तथा बिक्री में परिवर्तन किया है।

(iv) कंपनी ने पारादीप पोर्ट में कन्वेयर सिस्टम का विस्तार किया है तथा अपनी कैपटिव बर्थ तथा अनलोडिंग सुविधाओं के बेहतर उपयोग के लिए नयी खात्ती का भी निर्माण किया है।

विवादास्पद खनन पट्टे

1098. **श्री श्रीकान्त जेना** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13 जुलाई, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "व्हीलर विदिन व्हील्स इन ए माईनिंग डील" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले के तथ्य क्या क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) यह मामला उड़ीसा के जाजपुर जिले में क्रोमाइट के टिस्को के खनन पट्टे के नवीकरण से संबंधित है। मैसर्स टिस्को ने केन्द्र सरकार के द्वारा सुकिन्दा घाटी में क्रोमाइट के लिए खनन पट्टे के दूसरे नवीकरण की अनुमति देने के आदेशों के खिलाफ समादेश याचिका ओ०जी०सी० संख्या 1993 की 7729 और 1994 की 4701 समादेश याचिका दायर की है। उड़ीसा उच्च न्यायालय में भी अन्य समादेश याचिकाएं संख्या 1994 की (3825, 5422 और 7054) दायर की गई है। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपने 4 अप्रैल, 1995 के निर्णय के तहत मैसर्स टिस्को और अन्य द्वारा दायर की गई याचिकाओं का निपटान कर दिया था जिसमें इस मामले को समादेश याचिकाओं में टिस्को और अन्य पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद संपूर्ण मुद्दे पर नए सिरे से विचार करने के लिए विशेष दिशा-निर्देशों के साथ केन्द्र सरकार के पास लौटाने के लिए कहा गया था। इस निर्देश के अनुसरण में खान मंत्रालय द्वारा उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार समादेश याचिका के संबंध में टिस्को और अन्य पक्षों की सुनवाई के लिए एक समिति गठित की गई है। टिस्को ने भी दिनांक 4.4.1995 के उपर्युक्त फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में एस०एल०पी० दायर की है।

विद्युत क्षेत्र में निवेश

1099. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र में अभी कुल कितने विदेशी निवेश की स्वीकृति दी गई है;

(ख) तत्संबंधी राज्यवार और परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन विदेशी कंपनियों ने विद्युत के क्षेत्र में निवेश किया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) अब तक लगभग 45668 करोड़ रुपये लागत की 16 निजी विद्युत परियोजनाओं को विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सी०सी०एफ०आई० द्वारा स्वीकृत निजी विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्र०सं०	परियोजना/राज्य का नाम	प्रवर्तक	क्षमता (मे०वा०)	अनंतिम लागत (करोड़ रु० में)
1	2	3	4	5
1.	गोदावरी जी०बी०पी०पी०, आंध्र प्रदेश	स्पैक्ट्रक टैक., यू०एस०ए०	208	748.43
2.	जेगुल्याडू जी०बी०पी०पी०, आंध्र प्रदेश	जी०बी०के०, यू०एस०ए०	216	827.00
3.	दभोल टी०पी०एस०, महाराष्ट्र	एनरॉन/बैचटेल/ जी०ई०, यू०एस०ए०	2015 (695 फेज-I)	9052.00 (2912 फेज-I)
4.	जीरो यूनिट एन०एल०सी०/ तमिलनाडु	एस०टी पावर/ सी०एम०एस०जन०, यू०एस०ए०	250	1325.11

1	2	3	4	5
5.	इब घाटी/उड़ीसा	ए०ई०एस० ट्रांसपावर, यू०एस०ए०	420	1995.63
6.	मंगलौर टी०पी०एस०, कर्नाटक	कोजैन्ट्रिक्स	*1000*	*5088.00*
7.	विशाखापत्तनम टी०पी०एस०, आंध्र प्रदेश	अशोक लेलैण्ड/ नेशलन पावर, यू०के०	1000	4797.00
8.	पगुथाण जी०बी०पी०पी०, गुजरात	जी०टी०ई०सी०/सिमन्स, जर्मनी	655	2298.14
9.	भद्रावती टी०पी०एस०, एम०ए०एच०	इस्पात एलॉयज/इ०सी०जी०डी०, यू०के०/ ई०डी०एफ०, फ्रांस	1072	5187.00
10.	जे०टी०पी०सी० कं० टी०पी०एस०, कर्नाटक	जिंदल ट्रैक्टबेल/ ट्रैक्टबेल, एस०ए० ऑफ बेल्जियम	240	838.00
11.	सागरदीघी टी०पी०एस०, पश्चिम बंगाल	सी०एम०एस० जनरेशन, यू०एस०ए०	1000	4960.00
12.	बक्रेश्वर टी०पी०एस०, पश्चिम बंगाल	सी०एम०एस० जनरेशन, यू०एस०ए०	420	1860.00
13.	पिल्लई पेरूमलनल्लूर, तमिलनाडु	जे० माकोवस्की, यू०एस०ए०/ डायना बिजन ऑफ रेड्डी ग्रुप	320	1120.00
14.	गौरीपोर, पश्चिम बंगाल	थर्मो एनर्जी सिस्टम्स/ बिरला टैकनीकल सर्विसेज	150	750.00
15.	रोजा टी०पी०एस०, उत्तर प्रदेश	इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स कॉरपोरेशन/पावर जन०,यू०के०	500	2587.47
16.	बालागढ़ टी०पी०एस०, पश्चिम बंगाल	बालागढ़ पावर कंपनी (सी०ई०एस०सी०/ए०डी०बी०/पी०एफ०सी०)	500	2235.00
	जोड़		9966	45,667.68

*सभी परियोजनाओं का वित्तीय समापन हो जाने के बाद ही इन परियोजनाओं में विदेशी निवेश की राशि ज्ञात की जाएगी।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन

1100. **श्री एम० रामन्ना राव** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि घरेलू कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा खनन के लिए प्रस्तावित खनिजों का ब्यौरा क्या है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : जिन खनिजों के बारे में विदेशी कंपनियों ने रुचि प्रकट की है, वे प्राथमिक तौर पर स्वर्ण, हीरा, लौह अयस्क तथा बेस धातुएं हैं।

[हिन्दी]

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की भूमिका

1101. **श्री छेदी पासवान** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नये क्षेत्रों के विद्युतीकरण में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की भूमिका क्या है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने के प्रयासों में ढिलाई हुई है; और

(ग) यदि हां, तो नये क्षेत्रों को विद्युत सप्लाई करने में ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के प्रभावी उपयोग हेतु उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों/ग्रामीण विद्युतीकरण सहकारिताओं को वैद्युत अवसंरचनात्मक ढाँचे के विकास और गैर-विद्युतीकृत क्षेत्रों में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

(ख) जी, नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण पर, प्रणाली सुधार स्कीमों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके विशेष जोर डाला जा रहा है, ताकि पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी लाई जा सके।

(ग) राज्य सरकारों/रा०बि०बोर्डों से आर०ई०सी० के जरिए संपर्क स्थापित किया जा रहा है, ताकि नये क्षेत्रों के विद्युतीकरण को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जा सके। उनसे शेष गांवों के विद्युतीकरण को पूरा किए जाने के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने का भी अनुरोध किया गया है।

भोपाल गैस पीड़ित

1102. **श्री सूरजभानु सोलंकी :**
श्री सुशील चन्द्र वर्मा :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भोपाल गैस दुर्घटना के संबंध में गत वर्ष के दौरान कोई कार्य योजना सौंपी है तथा इसमें कितनी राशि अंतर्ग्रस्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी कुल लागत कितनी है;

(ग) इस कार्य योजना पर होने वाले खर्च में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार की भागीदारी के संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 1985 से 1994-95 तक चिकित्सा तथा अन्य मदों पर कितना-कितना खर्च वहन किया गया है;

(ङ) इस कार्य योजना पर कुल कितनी राशि खर्च किये जाने का लक्ष्य था; और

(च) इस कार्य योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्धारित समय सीमा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) जी, नहीं। मध्य प्रदेश सरकार ने एक नई कार्य योजना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसकी कुल लागत 158.05 रुपये की है। इस बीच मौजूदा कार्य योजना की अवधि, जिसमें 963 करोड़ रुपए के खर्च की परिकल्पना की गई है, 31.3.1996 तक बढ़ा दी गई है। केन्द्रीय सरकार मौजूदा कार्ययोजना पर खर्च का 75 प्रतिशत वहन करती है।

(घ) मध्य प्रदेश सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार चिकित्सा तथा अन्य मदों पर हुआ खर्च नीचे दिया जाता है।

(रुपये लाखों में)

चिकित्सा पुर्नवास	9662.79
अन्य	19551.15
कुल	29213.94

31.5.95 तक उपर्युक्त खर्च में केन्द्रीय सरकार का योगदान लगभग 192 करोड़ रुपये का था।

(ङ) और (च) वर्तमान कार्य योजना की राशि का लक्ष्य 163.10 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया था और इसको 31.3.1995 तक कार्यान्वित किया जाना था। यह अवधि अब 31.3.1996 तक बढ़ा दी गयी है।

[अनुवाद]

पासपोर्ट गिरोह

1103. **श्री राम कापसे** : क्या विदेश मंत्री 13 जून, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 133 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि भविष्य में ऐसे पासपोर्ट गिरोह पुनः न बनें ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) और (ख) की गई जांच पड़ताल से इस बात का पता नहीं चला है कि बंबई बम विस्फोट मामले से संबद्ध किसी भी अभियुक्त का पासपोर्ट संबंधी किसी बड़ी जालसाजी में हाथ था।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

भारत-अमरीका संबंध

1104. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान सरकार ने भारत-अमरीका संबंधों को सुदृढ़ बनाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने भारत-अमरीकी संबंधों को सुदृढ़ बनाने का आह्वान किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) मई, 1994 में प्रधान मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान प्रधान मंत्री तथा राष्ट्रपति श्री क्लिंटन

ने भारत और अमरीका के बीच एक नई भागीदारी का आह्वान किया। यह निर्णय लिया गया था कि राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिक और सामाजिक मसलों के संपूर्ण क्षेत्र में उच्चस्तरीय भारत-अमरीकी आदान-प्रदानों की गति और गुंजाइश का विस्तार किया जाए।

गत वर्ष के दौरान अमरीका के मंत्रीमंडल स्तर के चार पदाधिकारियों अर्थात् ऊर्जा, रक्षा, वाणिज्य और राजकोष के अमरीकी सचिवों ने भारत की यात्रा की। अमरीका के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, रक्षा और विदेश विभागों के प्रिंसिपल अंडर सेक्रेट्री भी आपसी हितों पर बातचीत और परामर्श करने के लिए भारत की यात्रा पर आए। कई भारतीय मंत्री भी अमरीका की यात्रा पर गए। मई, 1995 के दौरान विदेश मंत्री की अमरीका यात्रा भारत अमरीकी संबंधों की गति बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर उच्च स्तरीय परामर्श प्रक्रिया का हिस्सा थी।

भारत-अमरीकी व्यापार और पूंजी-निवेश के संवर्धन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दोनों देशों के व्यापार नेताओं के बीच उच्चस्तरीय कार्यकलाप के लिए एक संस्थागत तंत्र मुहैया कराने हेतु वाणिज्य राज्य मंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान भारत-अमरीकी वाणिज्य गठबंधन की स्थापना की गई।

जनवरी, 1995 के दौरान अमरीका के रक्षा मंत्री श्री पेरी की भारत यात्रा के दौरान एक सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर हुए जिसमें समग्र द्विपक्षीय संबंधों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में भारत-अमरीकी सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई है। इस प्रक्रिया के अंग के रूप में कई आदान-प्रदान तथा संयुक्त सैनिक अभ्यास हुए हैं।

इस प्रकार गत वर्ष के दौरान उठाए गए कदमों से भारत-अमरीकी संबंधों का समग्र रूप से विस्तार हुआ है और उन्हें मजबूती मिली है। उम्मीद है कि प्रगति की यह गति बनी रहेगी।

सरकारी आवासों पर अवैध कब्जा

1105. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या शहरी और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो सरकारी आवास में अवैध रूप से रह रहे हैं अथवा रहे थे और उन पर अभी भी किराया बाकी है;

(ख) इन व्यक्तियों पर कितना किराया बाकी है तथा यह राशि कब से देय है;

(ग) इस राशि को अब तक वसूल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस देय राशि को और विलंब किए बिना ही वसूल करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाये जाने का विचार है तथा इसकी ब्याज दर कितनी होगी ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय पूल से बंगलों का आवंटन

1106. **श्री लाल बाबू राय** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संसद सदस्यों के क्या नाम हैं जिन्हें केन्द्रीय पूल से बंगलों/फ्लैटों का आवंटन किया गया है लेकिन जिन्हें इनका कब्जा नहीं दिया गया है क्योंकि अभी भी इनमें लोग अनधिकृत रूप से रह रहे हैं;

(ख) ऐसे बंगलों/फ्लैटों का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त आवासों का इन संसद सदस्यों को कब आवंटन किया गया था; और

(घ) इन अनधिकृत कब्जों वाले बंगलों/फ्लैटों को कब तक खाली करा कर इनके वास्तविक आवंटियों को सौंप दिया जायेगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) श्री जगन्नाथ मिश्र, ग्रामीण विकास मंत्री और श्री अरविंद नेताम, कृषि एवं सहकारिता राज्य मंत्री।

(ख) और (ग) बंगला नं. 12, तीन मूर्ती लेन 22.12.94 को श्री जगन्नाथ मिश्र को और बंगला नं० 5 वी० आर० मेहता लेन 5.4.95 को श्री अरविंद नेताम को खाली होने पर आवंटित किया गया था।

(घ) उपर्युक्त में से बंगला नं० 5 वी० आर० मेहता लेन, श्री के० सी० लेंका द्वारा अब खाली किया जा चुका है। बंगला नं० 12, तीन मूर्ती लेन, श्री कमल मोरारका के कब्जे में है और उनको सम्पदा अधिकारी द्वारा पहले ही बेदखली आदेश पारित किये जा चुके हैं। उनका नाम 27 से 29 जुलाई, 1995 को समाचार पत्रों में प्रकाशित अनधिकृत कब्जाकारों की सूची में भी दर्ज है और मामला उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन है।

गैस त्रासदी संबंधी दावे

1107. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल गैस विभिषिका (दावा कार्यवाही) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दायर मामलों में दावा न्यायालयों द्वारा कुल कितनी प्रतिपूर्ती राशि दी गई है;

(ख) दावा संबंधी मामलों को निपटाने के क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या राज्य सरकार ने इस गैस त्रासदी के कारण राज्य द्वारा वहन किए जा रहे आर्थिक भार के संबंध में न्यायालयों में दावा किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलेरियो) : (क) कल्याण आयुक्त द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार

15.7.95 तक कुल 616.88 करोड़ रुपये की राशि पारित की गई।

(ख) कल्याण आयुक्त के कार्यालय ने सूचित किया है कि व्यक्तिगत क्षति के दावा मामलों का निर्णय करने के लिए अपनाए गए मानदण्डों के अनुसार प्रत्येक दावा मामले का मूल्यांकन, चिकित्सा दस्तावेज तथा भोपाल गैस रिसाव दुर्घटना (दावों का पंजीकरण तथा कार्रवाई) योजना, 1985 जो अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई है, के अनुसार जिस श्रेणी के अंतर्गत यह आता है, के आधार पर किया जाता है। योजना में उल्लिखित प्रत्येक श्रेणी को देय मुआवजा राशि का निर्धारण सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के आधार पर किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

विद्युत उत्पादन लक्ष्य

1108. **डा० के० पी० आर० चौधरी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत उत्पादन के प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश में विद्युत उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) आंध्र प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के लिए ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य की तुलना में वास्तविक विद्युत उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित है :

(आंकड़े मि०यू०)

वर्ष	लक्ष्य	वास्तविक	प्रतिशत
1992-93	30335	31036	102.3
1993-94	30690	34809	113.6
1994-95	35525	35891	101.0

(ख) वर्ष 1995-96 के दौरान आंध्र प्रदेश के लिए 39010 मि०यू० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

[हिन्दी]

गुजरात में सड़कों की मरम्मत

1109. **श्री एन० जे० राठवा :**
श्री हरिन पाठक :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विश्व बैंक को उन सड़कों की सूची प्रस्तुत करने का विचार है जिन्हें विश्व बैंक की मदद से गुजरात में मरम्मत किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) कुल 415.00 करोड़ रुपये की लागत वाली लगभग 1490 कि०मी० लंबी सड़कों के सुधार, उन्नयन और सुदृढ़ीकरण तथा विस्तृत अभियांत्रिकी एवं पर्यवेक्षण के लिए गुजरात राज्य से प्राप्त प्रस्ताव को विश्व बैंक के समक्ष रखा गया है।

[अनुवाद]

हुडको

1110. **श्री येल्लैया नंदी** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में "हुडको" ने गत तीन वर्षों के दौरान व्यक्तियों तथा सहकारी आवास समितियों को कुल कितना ऋण मंजूर किया; और

(ख) व्यक्तियों को निम्न आय वर्ग, मध्य आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के फ्लैटों आदि के निर्माण हेतु श्रेणी-वार कितना ऋण दिया गया ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) हुडको सीधे ही व्यक्तियों को आवास ऋण स्वीकृत नहीं करता। जहां तक आंध्र प्रदेश में आवास सहकारिता का संबंध है, गत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्मी राघुरम्मैया सहकारी आवास समिति को गुन्टूर जिला के 4 गांवों में 100 रिहायशी एककों के निर्माणार्थ वर्ष 1993-94 में 37.33 लाख रुपये ऋण की एक स्कीम स्वीकृत की गई थी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दुलहस्ती के संबंध में भारत-फ्रांस समझौता

1111. **श्री चोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री की फ्रांस की यात्रा के दौरान भारत ने उत्तर प्रदेश में दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना के संबंध में सभी शंकाएं दूर कर दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत और फ्रांस के बीच हस्ताक्षर किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस परियोजना की स्थापना कहां पर की जाएगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) से (घ) 390 मे०वा० (3x130) की दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में न होकर जम्मू एवं कश्मीर के डोडा जिले में स्थित है। राष्ट्रीय जल विद्युत निगम (एन०एच०पी०सी०) द्वारा परियोजना को टर्न-की आधार पर क्रियान्वयन करने हेतु अक्टूबर, 1989 में फर्मों के एक फ्रेंच सहायता संघ (कंसोर्टियम) को सौंपा गया था। सहायता संघ ने अगस्त, 1992 में यह मानकर कार्य स्थगित कर दिया

था कि राज्य में सुरक्षा संबंधी वातावरण, इसके संविदात्मक दायित्वों के कार्यनिष्पादन के अनुकूल नहीं था। लंबी बातचीत के बाद जून, 1994 में एन.एच.पी.सी. और सहायता संघ के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें सहायता संघ के सिविल कार्यों को करने वाले साझीदार का नाम वापस लेने और शेष चार साझीदारों द्वारा कार्य आरंभ करने की परिकल्पना की गई है। बाद में संबद्ध सरकारों द्वारा समझौते पर सहमति प्रदान की गई थी। जून, 1995 में प्रधान मंत्री के फ्रांस दौरे के दौरान इन घटनाओं को संतोषजनक रूप से नोट कर लिया गया था। फ्रेंच सहायता संघ के सिविल कार्यों के साझीदार के साथ समझौता और जून, 1994 के समझौते के अनुसार सहायता संघ के शेष चार सदस्यों के साथ वास्तविक संविदाएं/समझौतों में किए गए संशोधन पर एन०एच०पी०सी० द्वारा 27 जून, 1995 को पेरिस में औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए थे।

मंत्री की विदेश यात्रा

1112. **श्री रवि राय** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले ढ़ाई महीनों के दौरान उन्होंने कई देशों की यात्रा की;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी यात्रा के परिणामों का राष्ट्रवार ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) विदेश मंत्री ने पिछले ढ़ाई महीनों के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमरीका, जर्मनी, आस्ट्रिया और पुर्तगाल की यात्राएं की।

(ख) और (ग) **संयुक्त राज्य अमरीका** : विदेश मंत्री की 21 से 27 मई, 1995 तक संयुक्त राज्य अमरीका की यात्रा का उद्देश्य भारत-अमरीका वार्ता को आगे बढ़ाना और दोनों देशों के बीच बढ़ रहे संबंधों को मजबूत बनाना था। विदेश मंत्री के अधिकारिक कार्यक्रम में अमरीकी विदेश मंत्री के साथ दोपहर का भोजन और उससे पहले उनके साथ निजी बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तथा अमरीकी विदेश उपमंत्री के साथ बैठकें शामिल थी। राष्ट्रपति श्री क्लिंटन के साथ भी एक संक्षिप्त बैठक हुई जो पहले से निर्धारित नहीं थी। राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने इस वर्ष मार्च में श्रीमती हिलेरी क्लिंटन की भारत यात्रा के दौरान भारत द्वारा किए गए सभी प्रकार के प्रबंधों के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री ने अनेक सीनेटरों और कांग्रेस सदस्यों के साथ भी मुलाकात की विशेषकर उनसे जो भारत से संबद्ध समितियों के सदस्य हैं।

मीडिया के साथ कुछ बैठकों में वाल स्ट्रीट जर्नल्स, वाशिंगटन टाइम्स, शिकागो ट्रिब्यून के संपादकीय बोर्डों, और एथनिक प्रेस के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें शामिल हैं। विदेश मंत्री ने नेशनल पब्लिक रेडियो तथा लास एंजिल्स टाइम्स को भी साक्षात्कार दिया। वाशिंगटन में उन्होंने हेरिटेज फाउन्डेशन को संबोधित किया। उन्होंने शिकागो तथा न्यूयार्क में विदेश संबंध परिषदों में भाषण दिए। न्यूयार्क में उन्होंने यहूदी समुदाय संबंध परिषद के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की। विदेश मंत्री के कार्यक्रम में वाशिंगटन, शिकागो तथा न्यूयार्क में आयोजित समारोहों में भारत-अमरीका समुदाय के अनेक व्यक्तियों के साथ बातचीत करना भी शामिल था।

सरकारी स्तर की बातचीत में दोनों देशों की इस वचनबद्धता को रेखांकित किया गया कि समग्र संबंधों के विस्तार के लिए और प्रयास किये जाएं और साथ ही असहमति के क्षेत्रों पर काबू पाया जाए और इनका द्विपक्षीय संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने दिया जाए। अप्रसार संधि, जम्मू तथा कश्मीर की स्थिति, प्रेसलर संशोधन में प्रस्तावित परिवर्तन और अमरीका द्वारा पाकिस्तान को एफ-16 विमानों की आपूर्ती के प्रश्न एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार से संबंधित मसलों पर भी बातचीत हुई। अमरीकी कांग्रेस के सदस्यों तथा सीनेटरों के साथ विदेश मंत्री की बैठकों के दौरान मुख्यतः भारत-अमरीकी संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी विचार-विमर्श हुआ जिसमें भारत का आर्थिक सुधार कार्यक्रम, एनरान परियोजना के संबंध में प्रगति, कश्मीर की स्थिति, भारत में आतंकवाद को पाकिस्तान से मिलने वाला सतत् समर्थन, प्रेसलर संशोधन, अमरीका-पाक संबंध, भारत-पाकिस्तान संबंध शामिल हैं।

अप्रसार संबंधी मसलों के संबंध में अमरीकी अधिकारियों ने कोई विशिष्ट कार्रवाई करने के लिए दबाव नहीं डाला। विदेश मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत में राजनीतिक विचारधारा वाले सभी वर्गों ने अप्रसार संधि के संबंध में भारत सरकार की सिद्धान्तगत नीति का समर्थन किया है।

कश्मीर के संबंध में अमरीकी विदेश मंत्री श्री वारेन क्रिस्टोफर ने फोटो सत्र के दौरान अपने वक्तव्य में न तो पाकिस्तान का उल्लेख किया और न ही कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं का। प्रश्नों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच एक "द्विपक्षीय मसला" है और "इस समस्या का उत्तम समाधान" यह होगा कि "वे आपस में मिल बैठकर इसको हल करें।"

प्रेसलर संशोधन में प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में अमरीकी प्रशासन ने बताया कि वे इस तरीके से इसे संशोधित करने के बारे में कांग्रेस के साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ की शुरूआत न हो। विदेश मंत्री ने जिन अमरीकी पदाधिकारियों से बातचीत की उन्हें अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों के अंतरण के प्रभावों से अवगत कराया।

जर्मनी

विदेश मंत्री ने 8 से 11 जुलाई, 1995 तक जर्मनी की यात्रा की और उन्होंने जर्मनी के राष्ट्रपति से भेंट की तथा जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ विचार-विमर्श किया एवं भारत तथा जर्मनी के बीच द्विपक्षीय पूंजी-निवेश संरक्षण करार संपन्न किया। उन्होंने बादेन-व्यूटेमबर्ग राज्य की भी यात्रा की तथा इस राज्य के मिनिस्टर-प्रेसीडेंट के साथ विचार-विमर्श किया। जर्मनी की यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध और प्रगाढ़ होंगे। विदेश मंत्री के साथ गए व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी की कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ सार्थक बैठकें कीं। इस यात्रा के दौरान एक द्विपक्षीय पूंजीनिवेश संरक्षण करार संपन्न हुआ। इस करार से जर्मनी से आने वाला पूंजी निवेश और बढ़ेगा और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और घनिष्ट और व्यापक होंगे।

आस्ट्रिया

विदेश मंत्री की 12 से 13 जुलाई, 1995 तक आस्ट्रिया की यात्रा के दौरान उन्होंने आस्ट्रिया के राष्ट्रपति तथा चांसलर से भेंट की और आस्ट्रिया के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इन तीनों नेताओं के साथ उनकी बातचीत उपयोगी रही। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और व्यापक एवं घनिष्ठ होंगे तथा राजनीतिक संबंध और मजबूत होंगे।

पुर्तगाल

विदेश मंत्री ने 13 से 15 जुलाई, 1995 तक पुर्तगाल की यात्रा की और पुर्तगाल के राष्ट्रपति तथा प्रधान मंत्री से भेंट की। उन्होंने पुर्तगाल के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। इस यात्रा से दोनों नेताओं के बीच द्वीपक्षीय तथा क्षेत्रीय मसलों पर विचारों का आदान-प्रदान करने का अवसर मिला। विदेश मंत्री के साथ गए व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने अपने पुर्तगाली समकक्षों के साथ आर्थिक क्षेत्र में सहयोग करने के संबंध में विभिन्न करार सम्पन्न किए। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध व्यापक होंगे तथा राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे।

नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी का विस्तार

1113. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी की बॉक्साइट खानों और एल्यूमिना रिफाइनरी के विस्तार कार्य में अंतर्ग्रस्त लागत अनुमानों का पुनः आकलन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अनुमानतः कितनी धनराशि व्यय होगी; और

(ग) इन एककों के विस्तार कार्य इस समय किस चरण में हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (ग) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि० (नाल्को) ने 2.4 एम०टी०पी०वाई० से 4.8 एम०टी०पी०वाई० तक की बाक्साइट खानों, 0.8 एम०टी०पी०वाई०० से 1.35 एम०टी०पी०वाई० तक की एल्यूमिना शोधनशाला और 2.18 लाख टी०पी०वाई० से 3.45 लाख टी०पी०वाई० तक एल्यूमिनियम प्रगालक और 6x120 एम०डब्ल्यू० से 8x120 एम०डब्ल्यू० तक का कैप्टिव पावर प्लांट के विस्तार का समकालिक प्रस्ताव किया था। प्रस्ताव पर सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पी०आई०बी०) द्वारा विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि परियोजना पर दो चरणों में विचार किया जाए। बाक्साइट खानों और एल्यूमिना शोधनशाला की क्षमता के विस्तार के प्रथम-चरण के लिए नाल्को द्वारा अप्रैल, 95 तक लागत के लिए किसी भी बजट समर्थन के बिना आंतरिक स्रोतों आदि से वित्तीय सहायता द्वारा 1207.10 करोड़ रुपये की लागत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। इस प्रस्ताव पर विभिन्न संस्तुति एजेंसियों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।

दिल्ली परिवहन निगम के निःशुल्क बस पास

1114. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालय के सभी छात्रों को दिल्ली परिवहन निगम के निःशुल्क बस पास जारी करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या है; और

(ग) दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय स्थिति पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है।.

इस्पात के मूल्यों में वृद्धि

1115. **डा० अमृतलाल कालीदास पटेल** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक किस्म के इस्पात के मूल्यों में रुपए की दृष्टि से प्रति टन औसत रूप से कितनी वृद्धि दर्ज की गई है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस्पात के मूल्यों पर नियंत्रण लगाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) देश में इस्पात की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) द्वारा उत्पादित इस्पात की प्रतिनिधी मदों के मूल्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान हुई वृद्धि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) आदान लागतों में वृद्धि और उत्पाद शुल्क में वृद्धि मूल्य वृद्धि के मुख्य कारण हैं।

(ग) 16.1.1992 से लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियंत्रण समाप्त करने के बाद मुख्य इस्पात उत्पादक आदान लागत, उत्पाद शुल्क में परिवर्तन और विद्यमान बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने उत्पादों के मूल्य स्वयं निर्धारित कर रहे हैं। गौण इस्पात उत्पादक इस तारीख से पहले भी अपने मूल्य स्वयं निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र थे।

तथापि, सरकार ने विभिन्न उपाय किए हैं जिनसे यह सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी कि लोहे और इस्पात के उत्पाद प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो सकें। कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :–

1. सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य आरंभ किया गया है और निजी क्षेत्र में लोहे और इस्पात के उत्पादन के लिए अतिरिक्त क्षमता सृजित करने को प्रोत्साहित किया जा रहा है। तथा इसके लिए सुविधा दी जा रही है। भारी संख्या में उत्पादकों से लोहे और इस्पात की अधिक उपलब्धता से लोहे और इस्पात के मूल्यों पर संतुलित प्रभाव पड़ने की आशा है।

2. लोहा और इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के आयात और पूंजीगत माल के आयात पर सीमा शुल्क में कमी करने से इस्पात विनिर्माताओं की उत्पादन लागत में कमी करने में सहायता मिलेगी।

3. इस्पात का स्वतंत्र रूप से आयात करने की अनुमति है। इस्पात के उत्पादों के आयात पर सीमा शुल्क में कमी करने से इस प्रकार के आयात की उतराई तक लागत कम हो गई है।

विवरण

इस्पात की प्रतिनिधि मदों के लिए "सेल" के कारखाना द्वार मूल्यों में वृद्धि (इसमें उत्पाद शुल्क के साथ-साथ अन्य सांविधिक लेवियां जैसे इस्पात निधि*) एस०डी०एफ०, ई०जी०ई०ए०एफ०, जे०डी०सी० उपकर शामिल है किन्तु इसमें रेल भाड़ा और स्टॉकयार्ड वितरण प्रभार शामिल नहीं हैं

(रुपये प्रति टन)

श्रेणी	1992-93	1993-94	1994-95
बिलेट : 80-100 एम०एस० (आई०एस० 2830)	2530	1006	708
टार इस्पात : 8 एम०एम० (आई०एस० 1786)	2380	887	1574
तार छड़ें : 8 एम०एम० (आई०एस० 2062 ग्रेड-ए)	2480	823	458
एंगिल : 65x65x6 (आई०एस० 2062 ग्रेड-ए)	1810	802	819
चैनल : 100x50 (आई०एस० 2062 ग्रेड-ए)	1780	893	198
प्लेट ए०बी० 5 से 7 (आई०एस० 2062 ग्रेड-ए)	2205	767	462
एच० आर० क्वायलें : 3.15 एम०एम० (आई०एस० 10748 ग्रेड "I")	2447	849	1324
सी०आर० क्वायलें : 0.63 एम०एम० (आई०एस० 513 ग्रेड "0" एस०के०)	3163	656	1302
जी०पी० शीट : 0.63 एम०एम० (आई०एस० 277 श्रेणी)	2511	1955	1141

*21.4.94 से समाप्त

महात्मा गांधी की प्रतिमा

1116. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया गेट के पास महात्मा गांधी की प्रतिमा की स्थापना हेतु स्थान का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० कुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में विद्युत परियोजनाएं

1117. **श्री दत्ता मेघे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान पर्याप्त संसाधनों, अपेक्षित उपस्करों/मशीनों और आधारभूत सुविधाओं के अभाव के कारण महाराष्ट्र में कतिपय विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी विद्युत परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जायेंगे ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) और (ख) समबित परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :

क्र०सं०	परियोजनाओं का नाम/क्षमता (मे०वा०)	विलम्ब होने के कारण
1	2	3
	ताप विद्युत	
1.	उरन बेस्टहीट रिकवरी यूनिट 1 और 2 (120 मे०वा०)	(क) सिविल कार्यों के पूरा होने में विलंब होना।
		(ख) टर्बाइन सामग्री के पोत लदान में विलंब होना।

1	2	3
		(ग) केबलिंग सामग्री और ए०सी० संयंत्रों की आपूर्ती में विलंब होना।
		(घ) यूनिट 1 को चालू करने हेतु जीटी 5 और 6, और यूनिट 2 को चालू करने हेतु जीटी 7 और 8 के तैयार होने में विलंब।
2.	उरन वाटर हीट रिकवरी यूनिट 3 (120 मे०वा०)	गैस की अनुपलब्धता के कारण परियोजना को अस्थगित कर दिया गया है।
3.	ट्राम्बे सी०सी०जी०टी०एस०टी० (60)	उपस्कर की सप्लाई में विलंब होना।
4.	खापरखेड़ा विस्तार चरण-2 यूनिट 3 और 4 (2x210)	निधियों की कमी होने के कारण परियोजना को निजी क्षेत्र को प्रस्तुत कर दिया गया है।
	जल विद्युत	
1.	कोयना जलविद्युत परियोजना (4x250)	बोलीदाताओं की पूर्व अर्हताओं और बोली संबंधी कागजात की स्वीकृति में विलंब होना।
2.	घाटघर जल विद्युत परियोजना (2x125)	परियोजना को अनुमोदन प्रदान करने और ढ़ांचागत सुविधाओं के सृजन में विलंब होने के कारण ऋण के प्रभावी होने में विलंब होना।

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु कि विद्युत परियोजनाओं का क्रियान्वयन समय से हो। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इन परियोजनाओं की प्रगति की सघनता से मॉनिटरिंग कर रहा है और सम्बद्ध प्राधिकरणों के साथ मामला उठा कर परियोजना को समय से सहायता भी प्रदान कर रहा है।

अवैध निर्माण

1118. **श्री जनार्दन मिश्र** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अभी भी अवैध निर्माण कार्य तीव्र गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का इसे रोकने हेतु कुछ विशेष कदम उठाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (ग) सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण/अनाधिकृत निर्माण एक सनातन समस्या है तथा इस अतिक्रमण को हटाना एक चिरंतन प्रक्रिया है। भूस्वामी अभिकरणों को सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित निर्देश जारी किए गए हैं :

(i) खाली भूमि की चौकसी और निगरानी कड़ी की जाए। लापरवाही/मिलीभगत/तत्काल रिपोर्ट न करने के मामलों को रोकने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित की जाएं।

(ii) प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति जिम्मेदार बनाया जाए ताकि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो और जिम्मेदारी का ठीक-ठाक निर्धारण किया जा सके।

(iii) झुग्गी समूहों के आसपास की खाली भूमि की तार से घेराबन्दी करके या चाहरदीवारी बनाकर सुरक्षा की जाए, ताकि झुग्गियों का खाली भूमि पर विस्तार न हो सके; तथा

(iv) अनाधिकृत निर्माणों, विशेषतया अनाधिकृत कालोनियों के रूप में, निर्माण की शुरू में ही रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई की जाए।

सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण की तत्काल रोकथाम के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा विशेष सतर्कता दल बनाये गए हैं। प्रत्येक दल का अध्यक्ष एक अपर जिला मजिस्ट्रेट है तथा इसमें पुलिस, डी०डी०ए०, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली नगर निगम के प्रतिनिधि शामिल हैं। अतिक्रमण पाए जाने/इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय एजेंसियों द्वारा, जरूरी होने पर पुलिस की मदद से संबद्ध कानूनों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

हीरा खनन ठेका

1119. **श्री चेतन पी० सी० चौहान** :
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में हीरा खानों में हीरों का पता लगाने के लिए हाल ही में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को ठेका दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस ठेके की शर्तें क्या हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बसलम सिंह यादव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

सड़क दुर्घटनाएं

1120. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
डा० मुमताज अंसारी :
श्री फूलचन्द वर्मा :
श्री राम कापसे :

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के महानगरों में सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और 1994 की इसी अवधि की तुलना में गत छः महीने के दौरान प्रतिमाह दिल्ली और अन्य शहरों में कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं;

(ग) इन दुर्घटनाओं में हुई वित्तीय हानि और मारे गये/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण पाने हेतु क्या विशेष कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र द्वारा बिक्री

1121. **डा० रामकृष्ण कुसमरिया :**
श्री प्रभू दयाल कठेरिया :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ने चालू वित्तीय वर्ष के पहली तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की तुलना में अपनी बिक्री में 25 प्रतिशत वृद्धि हासिल की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसी तिमाही के दौरान सरकारी क्षेत्र के अन्य इस्पात संयंत्रों के कार्य निष्पादन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस इस्पात संयंत्रों के कारोबार और लाभ दोनों के निष्पादन में और सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र ने 1995-96 की प्रथम तिमाही के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में मूल्य की दृष्टि से बिक्री में 29 प्रतिशत की रिकार्ड वृद्धि की।

(ख) इसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

	कुल बिक्री		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
	1995-96 की प्रथम तिमाही	1994-95 की प्रथम तिमाही	
वी०एस०पी०	581	452	29 प्रतिशत

(ग) 1995-96 की प्रथम तिमाही के लिए स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लि० जिसमें चार एकीकृत इस्पात संयंत्र और दो विशेष इस्पात संयंत्र तथा उसकी सहायक कंपनियां अर्थात् इंडियन आयरन स्टील कंपनी (इस्को) तथा विश्वेश्वरैया आयरन एण्ड स्टील लिमिटेड (वी०आई०एस०एल०) शामिल हैं, का निष्पादन नीचे दिया गया है :

(करोड़ रुपये)

	कुल बिक्री		पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि
	1995-96 की प्रथम तिमाही	1994-95 की प्रथम तिमाही	
"सेल"	3101	2901	7 प्रतिशत
इस्को	264	179	47.5 प्रतिशत
वी०आई०एस०एल०	48	49	- 2 प्रतिशत
कुल	3413	3129	9 प्रतिशत

(घ) कारोबार और लाभ में और अधिक सुधार करने के लिये इस्पात संयंत्रों द्वारा निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :

वी०एस०पी०

(i) विक्रेय इस्पात का उत्पादन 1995-96 में बढ़ाकर 22.47 लाख टन करना जो कि 1994-95 में 15.6 लाख टन था।

(ii) ब्याज के बोझ को कम करने के लिये बेहतर नकद प्रबंधन।

(iii) संयंत्र में तकनीकी आर्थिक प्राचलों में और लागत में कमी करने के उपायों में और सुधार करना।

"सेल"

(i) क्षमता उपभोग में वृद्धि करना।

(ii) उत्पादकता और उत्पादन में सुधार करना।

(iii) उत्पाद-मिश्र में सुधार करना, मूल्य वर्धित मदों का उत्पादन करना और उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करना।

(iv) वस्तुओं तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना।

(v) तकनीकी आर्थिक प्राचलों में सुधार करके आदानों अर्थात कोक, ऊर्जा, स्टोर, अतिरिक्त हिस्से पुर्जों आदि की खपत में कमी करना।

(vi) प्रभावी अनुरक्षण के जरिए उपस्करों की उपलब्धता में सुधार करना।

(vii) ऊर्जा संरक्षण उपाय लागू करना।

जमशेदपुर से औद्योगिक वस्तुओं की चोरी

1122. **श्री राम कृपाल यादव :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 जून, 1995 के "द टेलीग्राफ" में "इंडस्ट्रियल थेफ्टस प्लेग स्टील सिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देब) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति

1123. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री राजेश कुमार :
श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :
श्रीमती शीला गौतम :

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसानों को रियायती दरों पर विद्युत आपूर्ति हेतु विदेशी विद्युत कंपनियों के साथ बातचीत करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) से (ग) संबंधित राज्य सरकार की सहमति की शर्तों तथा पारस्परिक सहमति प्राप्त दरों पर निजि विद्युत कंपनियों द्वारा किसी भी उपभोक्ता को प्रत्यक्ष रूप से विद्युत की आपूर्ति किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

मद्रास में तेल पर आधारित विद्युत परियोजना

1124. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मद्रास में इन्नौर के पास गैर-सरकारी विद्युत क्षेत्र में तेल पर आधारित पहली विद्युत परियोजना की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आएगी और परियोजना की अनुमानित उत्पादन क्षमता कितनी है;

(घ) क्या इस विद्युत परियोजना की स्थापना में किसी विदेशी कंपनी द्वारा मदद दी जा रही है; और

(ङ) यह परियोजना कब तक पूरा होने की संभावना है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) से (घ) तमिलनाडु सरकार (जी०ओ०टी०एन०) ने सूचित किया है कि उन्होंने मैसर्स चाइना लाइट एण्ड पावर (इंटरनेशनल) लि०, हांगकांग के 6x120 मे०वा० और 4x200 मे०वा० विद्युत केन्द्रों को एक संयुक्त क्षेत्र परियोजना के रूप में पुनःस्थापित किए जाने के मैसर्स एच०एम०जेड० पावर लिमिटेड, बंगलौर के प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया है। तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने मैसर्स एच०एम०जेड० पावर लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो परियोजना के भारतीय प्रवर्तक हैं। पुनःस्थापित की जाने वाली प्रस्तावित यूनिटें तेल दहन पर आधारित हैं, जो इस समय हांगकांग में कार्य कर रही हैं। कंपनी द्वारा वर्तमान एन्नौर ताप विद्युत केन्द्र से जुड़ी हुई भूमि के आवंटन के लिए अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अभी तक कम्पनी के अनुरोध पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। कार्य-स्थल के निर्धारण और परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही परियोजना की लागत ज्ञात हो सकेगी।

(ङ) परियोजना द्वारा सभी आवश्यक सांविधिक और गैर-सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त कर लेने और इनका वित्तीय समापन होने के पश्चात् ही परियोजना को पूरा किए जाने का कार्यक्रम ज्ञात हो सकेगा।

गुजरात को नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत धनराशि

1125. **श्री शंकरसिंह वाघेला** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात को गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान नेहरू रोजगार योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित/जारी की गई;

(ख) क्या राज्य सरकार ने आवंटित/जारी की गई धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) गत दो वर्षों के दौरान गुजरात राज्य को आवंटित जारी की गई केन्द्रीय धनराशि तथा चालू वर्ष के लिए नियतन इस प्रकार हैं :

वर्ष	आवंटित धनराशि (रु. लाखों में)	जारी धनराशि (रु. लाखों में)
1993-94	269.45	212.52
1994-95	246.40	194.45
1995-96	254.00	-

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान 458.89 लाख रुपये का उपयोग किया है। इस धनराशि में गत वर्षों में उपयोग में नहीं लायी गयी धनराशि एवं राज्य अंश भी शामिल है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

1126. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 और 31 मार्च, 1995 को देश में कुल अधिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी-कितनी थी;

(ख) 31 मार्च, 1991 के इन्हीं आंकड़ों की तुलना में उक्त आंकड़ों में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई है अथवा कमी आई है;

(ग) वर्ष 1990-91 और 1994-95 के दौरान इसकी उपयोग क्षमता कितनी-कितनी रही;

(घ) 1.4.91 और 1.4.95 को सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र में अधिष्ठापित क्षमता का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में अनुमानतः कितनी वृद्धि होगी, और

(च) अधिष्ठापित की जा रही अतिरिक्त क्षमता के लिए किए जाने वाले विदेशी पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) और (ख) 31.3.91 की स्थिति की तुलना में 31.3.91, 31.3.94 और 31.3.95 के अनुसार प्रतिशत अभिवृद्धि के संबंध में देश में अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा निम्नानुसार है :

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	31.3.91 की स्थिति की अपेक्षा प्रतिशत अभिवृद्धि
31.3.91	66055	-
31.3.94	76718	16.14 प्रतिशत
31.3.95	81164	22.87 प्रतिशत

(ग) 1990-91 और 1994-95 के दौरान देश में ताप विद्युत केन्द्रों की क्षमता समप्रयोजन (संयंत्र भार अनुपात प्रतिशत) क्रमशः 55.8 प्रतिशत और 62.0 प्रतिशत था।

(घ) 1.4.91 और 1.4.95 के अनुसार अधिष्ठापित क्षमता का क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नवत है :

(आंकड़े मेगावाट में)

क्षेत्र	1.4.91 की स्थिति के अनुसार	1.4.95 की स्थिति के अनुसार
केन्द्रीय	16771.51	24766.00
निजी	2673.50	3544.58
राज्य	46610.00	52853.82
जोड़	66055.01	81164.40

(ङ) 1995-96 के लिए 2161.55 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(च) विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों तथा अन्य संगठनों से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 1,50,673 करोड़ रुपए की लागत से 38597 मेगावाट अतिरिक्त क्षमता जोड़े जाने के लिए 52 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित किए जाने हेतु विदेशी निवेशकों (अनिवासी भारतीयों तथा संयुक्त प्रस्तावों समेत) द्वारा रुचि प्रकट की गई है। सभी निजी विद्युत परियोजनाओं में विदेशी निवेश की मात्रा का इस अवस्था में अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन सभी परियोजनाओं के वित्तीय समापन के पश्चात् ही इस संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी।

मसूरी तथा देहरादून में चूने का खनन

1127. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून और मसूरी क्षेत्र में चूने के खनन कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये प्रतिबंध कब लगाए गए थे और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने खनन का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में वैज्ञानिक आंकड़े और खनन रोकने से पैदा हुई बेरोजगारी संबंधी आंकड़े इकट्ठे किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन क्षेत्रों में खनन कार्य अभी भी चल रहा है;

(च) यदि हां, तो यह खनन किनके द्वारा और किन शर्तों के अंतर्गत किया जा रहा है;

(छ) क्या ये एजेंसियां पर्यावरण की क्षतिपूर्ति कर रही हैं और क्या ये क्षतिपूर्ति उपाय संतोषजनक पाए गए हैं;

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन्हीं शर्तों पर और अधिक खनन कार्य की अनुमति देने पर विचार किया है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय पूल से राज्यों को विद्युत की आपूर्ति

1128. **डा० तारीजी :**
श्री फूलचन्द वर्मा :
डा० कार्तिकेश्वर पात्र :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय पूल से राज्यों को विद्युत की आपूर्ति हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है;

(ख) 1994-95 के दौरान केन्द्रीय पूल से प्रत्येक राज्य को कितनी विद्युत की आपूर्ति की गई;

(ग) क्या राज्यों को विद्युत की आपूर्ति उनकी मांग के अनुरूप नहीं की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों से प्रत्येक राज्य को विद्युत आवंटन किए जाने से संबंधित फार्मूला विवरण-I में दिया गया है।

(ख) 1994-95 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों में प्रत्येक राज्य के हिस्से की विद्युत और वस्तुतः प्राप्त की गई विद्युत का राज्यवार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1994-95 के दौसन राज्यवार विद्युत सप्लाई की स्थिति विवरण-III में दी गई है।

(घ) अनेक वर्षों से विद्युत उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि होने के बावजूद विद्युत की कमी बनी रही थी। इस समय विद्युत की कमी का मुख्य कारण विद्युत सप्लाई में वृद्धि की अपेक्षा विद्युत की मांग का और अधिक बढ़ जाना है।

विवरण-I

केन्द्रीय पूल (केन्द्रीय उत्पादन केन्द्र) से राज्यों को विद्युत सप्लाई किए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीति

(क) **केन्द्रीय क्षेत्र के ताप विद्युत /परमाणु विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत आवंटन किए जाने सम्बन्धी मानदण्ड :**

1. प्रत्येक राज्य की समय-समय पर आपातिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 15 प्रतिशत विद्युत अनावंटित के रूप में केन्द्र द्वारा अपने पास रखी जाती हैं;
2. 10 प्रतिशत विद्युत उस राज्य को आवंटित की जाती है जिस राज्य में विद्युत केन्द्र अवस्थित है; और
3. शेष 75 प्रतिशत विद्युत क्षेत्र के राज्यों (जिस राज्य में परियोजना स्थित है समेत) राज्यों में ऊर्जा के समुपयोजन, और गत पांच वर्षों के दौरान राज्यों को प्रदान की गई केन्द्रीय योजना सहायता के अनुसार आवंटित की जाती है। संघ शासित क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति समुचित आवंटन के द्वारा की जाती है।

(ख) **केन्द्रीय क्षेत्र के जल विद्युत केन्द्रों से राज्यों को विद्युत आवंटन किए जाने के लिए वर्तमान मानदण्ड :**

1. 15 प्रतिशत उत्पादन क्षमता को समग्र आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए क्षेत्र के अंदर अथवा क्षेत्र से बाहर आवंटित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अपने पास अनावंटित रूप में रखी जाती है।
2. विद्युत केन्द्र से उत्पादित 12 प्रतिशत विद्युत को क्षेत्र के उन राज्यों (जिस राज्य में जल विद्युत परियोजना अवस्थित है समेत) जिसमें किसी विशेष स्थल पर परियोजना अधिष्ठापित किए जाने के कारण अनेक आपदाओं यथा, जल मग्नता, आबादी के विस्थापन की स्थिति बनी है, विद्युत का आवंटन इन आपदाओं के परिणाम के अनुरूप निःशुल्क किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु "विद्युत उत्पादन" की गणना बस-बार स्तर पर की जाएगी अर्थात् इसमें आनुवंशिक खपत की गणना नहीं की जाएगी और पारेषण लाइन की हानियों को भी हिसाब में नहीं लिया जाएगा। 12 प्रतिशत निःशुल्क विद्युत सप्लाई लिए जाने के प्रयोजन हेतु इस प्रकार की आपदा के परिणाम का अनुमान संबंधित राज्यों के परामर्श से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा लगाया जाएगा।
3. शेष (75 प्रतिशत) विद्युत को क्षेत्र के राज्यों के बीच क्षेत्र के विभिन्न राज्यों द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान उपभोग की गई ऊर्जा तथा केन्द्रीय योजना सहायता के अनुरूप आवंटित किया जाएगा, दोनों घटकों को समान अधिमान्यता प्रदान की जाएगी।

विवरण-II

केन्द्रीय केन्द्रों से अपने हिस्से की ऊर्जा की अपेक्षा वस्तुतः प्राप्त की गई ऊर्जा

1994-95

(सभी आंकड़े मि०यू० में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अधिकृत मात्रा	वस्तुतः प्राप्ति
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
सिंगरौली एस०टी०पी०एस०		
चण्डीगढ़	9.5	9.4
दिल्ली	11348.2	1360.5
हरियाणा	1634.1	1636.8
हिमाचल प्रदेश	34.3	27.1
जम्मू एवं कश्मीर	259.7	267.8
पंजाब	1421.7	1383.8
राजस्थान	2878.9	2890.6
उत्तर प्रदेश	5607.7	5618.1
जोड़	13194.1	13194.1
रिहन्द एसटी०पी०एस०		
चण्डीगढ़	63.5	63.5
दिल्ली	756.7	779.1
हरियाणा	525.0	524.6
हिमाचल प्रदेश	222.3	218.3

1	2	3
जम्मू एवं कश्मीर	531.8	541.3
पंजाब	696.7	816.0
राजस्थान	960.9	962.7
उत्तर प्रदेश	2153.7	2195.0
जोड़	5900.6	5900.6
अन्ता सी०सी०जी०टी०		
चण्डीगढ़	25.5	19.2
दिल्ली	266.4	231.8
हरियाणा	157.3	141.1
हिमाचल प्रदेश	72.7	19.2
जम्मू एवं कश्मीर	175.3	152.3
पंजाब	250.9	186.0
राजस्थान	833.1	1080.7
उत्तर प्रदेश	502.4	453.3
जोड़	2283.6	2283.6
औरैया सी०सी०जी०टी०		
चण्डीगढ़	29.9	25.8
दिल्ली	414.1	477.4
हरियाणा	255.3	299.4
हिमाचल प्रदेश	113.0	46.7
जम्मू एवं कश्मीर	269.9	274.8
पंजाब	733.4	576.0
राजस्थान	500.1	533.1
उत्तर प्रदेश	1106.4	1188.9
जोड़	3422.1	3422.1
ऊंचाहार टी०पी०एस०		
चण्डीगढ़	1.9	3.8
दिल्ली	26.9	136.5
हरियाणा	15.3	79.9
हिमाचल प्रदेश	7.5	17.6
जम्मू एवं कश्मीर	17.9	61.2
पंजाब	36.8	47.2
राजस्थान	30.0	141.9
उत्तर प्रदेश	1629.8	1278.0
जोड़	1766.1	1786.1
दादरी पी०टी०		
चण्डीगढ़	15.1	14.3
दिल्ली	309.3	421.8
हरियाणा	163.8	212.1
हिमाचल प्रदेश	74.8	21.5
जम्मू एवं कश्मीर	194.1	166.6
पंजाब	374.0	143.8
राजस्थान	362.5	458.0
उत्तर प्रदेश	739.0	794.0
जोड़	2232.6	2232.6
एन०सी०आर०टी०पी०पी०		
चण्डीगढ़	0.0	0.7
दिल्ली	2077.7	1264.8
हरियाणा	99.1	283.9
हिमाचल प्रदेश	0.0	7.8
जम्मू एवं कश्मीर	0.0	69.5
पंजाब	0.0	9.4
राजस्थान	0.0	421.6
उत्तर प्रदेश	131.9	271.0
जोड़	2308.7	2308.7
सलाल एच०ई०पी०एस० (चरण 1 + चरण 2)		
चण्डीगढ़	2.6	2.4
दिल्ली	240.8	238.7
हरियाणा	354.0	353.1

1	2	3
हिमाचल प्रदेश	7.5	7.1
जम्मू एवं कश्मीर	*688.9*	*698.9*
पंजाब	*587.8*	*585.9*
राजस्थान	*20.8*	*19.6*
उत्तर प्रदेश	57.2	53.9
जोड़	1959.6	1959.6
चमेरा एच०ई०पी०एस०		
चण्डीगढ़	17.8	4.5
दिल्ली	293.5	389.1
हरियाणा	570.5	566.4
हिमाचल प्रदेश	330.2	302.8
जम्मू एवं कश्मीर	163.4	26.0
पंजाब	325.6	111.9
राजस्थान	161.8	338.2
उत्तर प्रदेश	422.3	546.1
जोड़	2285.1	2285.1
टनकपुर एच०ई०पी०एस०		
चण्डीगढ़	4.2	1.6
दिल्ली	71.7	108.7
हरियाणा	37.6	50.1
हिमाचल प्रदेश	16.3	3.2
जम्मू एवं कश्मीर	42.2	29.6
पंजाब	77.6	33.3
राजस्थान	39.2	31.7
उत्तर प्रदेश	155.3	186.1
नेपाल	17.3	17.3
जोड़	461.6	461.6
बैरासूल एच०ई०पी०एस०		
चण्डीगढ़	0.0	0.0
दिल्ली	85.9	85.7

1	2	3
हरियाणा	240.9	240.5
हिमाचल प्रदेश	*92.8*	*93.7*
जम्मू एवं कश्मीर	*0.0*	*0.8*
पंजाब	366.1	365.6
राजस्थान	0.0	0.0
उत्तर प्रदेश	0.0	0.0
जोड़	785.6	785.6
नरोरा ए०पी०एस०		
चण्डीगढ़	10.3	4.6
दिल्ली	132.9	168.9
हरियाणा	83.1	145.7
हिमाचल प्रदेश	35.8	5.0
जम्मू एवं कश्मीर	92.8	42.1
पंजाब	110.0	46.9
राजस्थान	80.6	198.8
उत्तर प्रदेश	295.0	228.5
जोड़	840.5	840.5
उत्तरी क्षेत्र में केन्द्रीय केन्द्र		
चण्डीगढ़	180.3	150.0
दिल्ली	6024.0	5663.0
हरियाणा	4136.0	4513.7
हिमाचल प्रदेश	1007.4	770.0
जम्मू एवं कश्मीर	2436.0	2330.1
पंजाब	4900.6	4105.8
राजस्थान	5857.9	7076.9
उत्तर प्रदेश	12800.7	12813.4
नेपाल	17.3	17.3
जोड़	37440.2	37440.2

1	2	3
पश्चिम क्षेत्र		
कोरबा एस०टी०पी०एस०		
गुजरात	2832.9	3550.5
मध्य प्रदेश	4852.7	3597.9
महाराष्ट्र	3953.8	3185.0
गोवा	1030.3	336.3
जोड़	12669.7	12669.7
विन्ध्याचल एस०टी०पी०एस०		
गुजरात	2091.9	2192.7
मध्य प्रदेश	2880.5	3471.2
महाराष्ट्र	2682.9	1962.9
गोवा	179.9	208.4
जोड़	7835.2	7835.2
कवास जी०बी०एस०		
गुजरात	749.7	587.8
मध्य प्रदेश	554.0	911.7
महाराष्ट्र	664.4	537.6
गोवा	69.2	0.0
जोड़	2037.3	2037.3
गांधार जी०बी०एस०		
गुजरात	162.1	116.9
मध्य प्रदेश	96.0	170.7
महाराष्ट्र	119.2	98.5
गोवा	9.0	0.2
जोड़	386.3	386.3
तारापुर ए०पी०एस०		
गुजरात	682.6	682.6
महाराष्ट्र	682.6	682.6
जोड़	1365.2	1365.2

1	2	3
काकरापार ए०पी०एस०		
गुजरात	92.7	77.7
मध्य प्रदेश	68.3	116.1
महाराष्ट्र	82.0	57.8
गोवा	8.6	0.0
जोड़	251.6	251.6
पश्चिमी क्षेत्र में केन्द्रीय केन्द्र		
गुजरात	6611.9	7208.2
मध्य प्रदेश	8451.5	10267.6
महाराष्ट्र	8184.9	6524.6
गोवा	1297.0	544.9
जोड़	24545.3	24545.3
दक्षिणी क्षेत्र		
रामागुण्डम एस०टी०पी०एस०		
आन्ध्र प्रदेश	4564.0	5041.5
कर्नाटक	2677.9	2036.0
केरल	1944.5	1400.7
तमिलनाडु	3757.7	4515.7
गोवा	515.5	465.9
जोड़	13459.6	13459.6
मद्रास ए०पी०एस०		
आंध्र प्रदेश	207.8	813.6
कर्नाटक	164.4	531.4
केरल	126.1	223.1
तमिलनाडु	1603.8	734.0
जोड़	2102.1	2102.1
नेवेली-2 टी०पी०एस०		
आन्ध्र प्रदेश	1767.2	2595.3

1	2	3
कर्नाटक	1217.7	1027.8
केरल	939.7	728.1
तमिलनाडु	2804.5	2377.9
जोड़	6729.1	6729.1
दक्षिणी क्षेत्र में क्षेत्रीय केन्द्र		
आन्ध्र प्रदेश	6539.0	8450.2
कर्नाटक	4060.0	3395.2
केरल	3010.3	2351.9
तमिलनाडु	8166.0	7627.6
गोवा	515.5	465.9
जोड़	22290.8	22290.8
पूर्वी क्षेत्र		
फरक्का एस०टी०पी०एस०		
बिहार	1341.8	2791.3
डी.वी.सी.	719.1	698.3
उड़ीसा	1112.4	1066.0
प० बंगाल	1586.4	249.3
सिक्किम	62.7	70.5
जोड़	4822.4	4822.4
कहलगांव एस०टी०पी०एस०		
बिहार	178.6	266.6
डी०वी०सी०	61.9	73.0
उड़ीसा	107.4	99.8
प० बंगाल	97.5	11.9
सिक्किम	8.3	2.4
जोड़	453.4	453.4
चूला एस०टी०पी०एस०		
बिहार	394.9	654.9
डी०वी०सी०	333.9	349.4

1	2	3
उड़ीसा	220.8	233.7
प०बंगाल	395.3	121.0
सिक्किम	22.7	8.8
जोड़	1367.6	1367.6
पूर्वी क्षेत्र में केन्द्रीय केन्द्र		
बिहार	1915.3	3712.8
डी०वी०सी०	1114.9	1020.7
उड़ीसा	1440.6	1399.5
प० बंगाल	2079.2	382.2
सिक्किम	93.7	28.5
जोड़	6643.7	6643.7
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
लोकतक (एन०एच०पी०सी०/खाण्डोंग एवं कोपिली (नीपको)		
अरूणाचल प्रदेश	78.8	45.1
असम	563.9	706.9
मणिपुर	234.5	266.9
मेघालय	142.2	41.7
मिजोरम	103.1	96.0
नागालैण्ड	121.5	103.7
त्रिपुरा	125.0	108.7
जोड़	1369.0	1369.0

विवरण-III

विद्युत सप्लाई की वास्तविक स्थिति

(सभी आंकड़े निवल मिलियन यूनिट में)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 94—मार्च, 95	
	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
चण्डीगढ़	729	724

1	2	3
दिल्ली	12205	12076
हरियाणा	11695	11139
हिमाचल प्रदेश	1842	1842
जम्मू कश्मीर	4045	3296
पंजाब	20035	19259
राजस्थान	17000	16080
उत्तर प्रदेश	37195	32652
कुल (उत्तरी क्षेत्र)	104746	97068
पश्चिमी क्षेत्र		
गुजरात	31985	30678
मध्य प्रदेश	27840	25805
महाराष्ट्र	49525	48558
गोवा	965	965
कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	110315	106006
दक्षिणी क्षेत्र		
आन्ध्र प्रदेश	31245	28757
कर्नाटक	23280	19280
केरल	8902	8831
तमिलनाडु	29570	28730
कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	92997	85598
पूर्वी क्षेत्र		
बिहार	9410	6295
डी.वी.सी	7970	7392
उड़ीसा	9420	8723
पश्चिमी बंगाल	13540	12708
कुल (पूर्वी क्षेत्र)	40340	35118
उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र		
अरूणाचल प्रदेश	157.3	118.4
आसाम	2437.1	2231.3
मणिपुर	337.2	287.0
मेघालय	342.8	342.8
मिजोरम	139.5	122.9
नागालैण्ड	136.7	116.7
त्रिपुरा	311.2	271.9
कुल (उत्तरी पूर्वी क्षेत्र)	3826.0	3491.0
अखिल भारत	352260	327281

औषधि के मूल्य

1129. **श्री संतोष कुमार गंगवार :**
श्री शरत पटनायक :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 पूरी तरह से लागू कर दिया गया है;

(ख) क्या आवश्यक औषधियां घरेलू बाजार में कम मात्रा में उपलब्ध हैं;

(ग) यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या दवाई कंपनियों द्वारा लगभग सभी औषधियों का मूल्य काफी बढ़ा दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार औषधियों के मूल्य पर सीमा शुल्क में दी गई रियायतों के प्रभाव पर निगरानी रखती है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) डी०पी०सी०ओ०, 95 के उपबन्धों को लागू करना एक सतत कारंवाई है।

(ख) और (ग) कुछ खास ब्रान्डों के सूत्रयोगों की स्थानीय कमी को छोड़कर आवश्यक औषधों की किसी आम कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अस्थायी कमी के इन मामलों में भी दवाइयों के चिकित्सीय समतुल्य सामान्यतः उपलब्ध रहते हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। इक्का दुक्का मामलों को छोड़कर दवाइयों की कीमतों में कोई आम भारी वृद्धि नहीं देखी गई है।

(च) और (छ) मूल्य नियंत्रित औषधों और सूत्रयोगों के मामले में सीमा शुल्क रियायत के प्रभाव पर विचार किया गया है और जिस किसी मामले में रियायतों से कुल लागत में कमी आई है, कीमतें पुनः निर्धारित की गई हैं।

आवास निर्माण के लिए विदेशों से वित्तीय सहायता

1130. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार निर्धनों के लिए आवास निर्माण के क्षेत्र में ब्रिटेन अथवा किसी अन्य देश से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अभी तक किन-किन देशों से कितनी कितनी सहायता ली गई और यह कब से प्राप्त हो रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निर्धनों के लिए राज्य-वार बनाए गए आवासों के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंगन) : (क) और (ख) ब्रिटिश सरकार आवास के लिए ओवरसीज इवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (ओ०डी०ए०) के मार्फत धनराशि मुहैया नहीं करती। तथापि, गरीबों तथा उपेक्षित व्यक्तियों के लिए हुडको एवं एच०डी०एफ०सी० द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न आवास कार्यक्रमों के लिए जर्मनी सरकार के०एफ०डब्ल्यू० के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। दिसंबर, 1994 तक के.एफ.डब्ल्यू-हुडको-II के तहत् (4156.32 लाख रुपये तथा एच०डी०एफ०सी०-I) के तहत 3762.85 लाख रुपये के ऋण मंजूर किये हैं।

(ग) उपर्युक्त योजनाओं के लिए दिसंबर, 1994 तक स्वीकृत रिहायशी इकाइयों की संख्या इस प्रकार है :

के०एफ०डब्ल्यू०-हुडको-II	
तमिलनाडु (शहरी)	958
केरल (शहरी)	27600
उत्तर प्रदेश (ग्रामीण)	50000
एच०डी०एफ०सी०-I	
केरल	18474
तमिलनाडु	12218
उत्तर प्रदेश	1450
गुजरात	66
आंध्र प्रदेश	1107
तमिलनाडु/केरल	850
महाराष्ट्र	148
कर्नाटक	72
विभिन्न राज्यों के सदस्यों वाली समितियां	739

विदेशी निवेश आधारित विद्युत परियोजनाओं पर निगरानी

1131. **श्री एस० एम० ताहजान बाशा** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी निवेश पर आधारित सभी विद्युत परियोजनाओं पर निगरानी रखने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में समन्वय करने हेतु कोई उपाय किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसी परियोजनाएं, जिनमें विदेशी निवेश निहित होता है, इन परियोजनाओं समेत सभी निजी विद्युत परियोजनाओं के कार्य की प्रगति की आवधिक रूप से मानिटरिंग किए जाने के लिए विद्युत मंत्रालय में 1991 में निवेश प्रवर्तन कक्ष (आई०पी०सेल) का सृजन किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रत्येक विद्युत परियोजना, जिसकी लागत 100 करोड़ रुपये से अधिक होती है, उनके लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सी०ई०ए०) से तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्राप्त करना अपेक्षित होता है। तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान करते समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि परियोजना राष्ट्रीय विद्युत नीति के अनुरूप हो।

औषधियों के लिए ताप संवेदनशील पेंट

1132. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मई, 1995 के "बिजनेस स्टेन्डर्ड" के नई दिल्ली संस्करण में "यूज आफ टेम्परेचर सेंसिटिव पेंट्स, लेबल्स सजेस्टेड इन वैक्सीन्स, ए लाइफ सेविंग ड्रग्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान तथा मूल्यांकन परिषद (टी०आई०एफ०ए०सी०) द्वारा प्राप्त किए गए तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने ताप संवेदनशील पेंटों का वैक्सीनो तथा प्राणरक्षक दवाइयों में उपयोग करने के संबंध में कोई क्लिनिकल या फामाकोलाजिकल परीक्षण किये हैं;

(घ) यदि हो, तो उसके क्या परिणाम रहे; और

(ङ) यदि नहीं तो क्या निकट भविष्य में ऐसा कोई परीक्षण किया जायेगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में पीने के पानी संबंधी योजनाएं

1133. **श्री चिन्मयानंद स्वामी :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के कार्यान्वयन हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) इन योजनाओं के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंधन) : (क) बीस हजार से कम आबादी (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले कस्बों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी०) के तहत, महाराष्ट्र राज्य के लिए 570.01 लाख रुपये की लागत वाली 5 जल आपूर्ति स्कीमों का अनुमोदन कर दिया गया है। इसके अलावा, राज्य के अपने योजना कार्यक्रम और विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम के तहत 1469.55 करोड़ रुपये की लागत वाली (40 परियोजनाएं) मंजूर की गई हैं।

उत्तर प्रदेश में ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी० के अंतर्गत, 42 जल आपूर्ति स्कीमों का अनुमोदन किया गया है जिनकी कुल लागत 2947.84 लाख रुपये है।

(ख) ए.यू.डब्ल्यू.एस.पी. के तहत, धन का स्कीम-वार निर्धारण नहीं किया जाता है। तथापि महाराष्ट्र राज्य को केन्द्रीय अंश के 177.86 लाख रुपये की कुल राशि जारी की गई है। इसी प्रकार, केन्द्रीय अंश से 914.06 लाख रुपये की राशि उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई है।

(ग) ए०यू०डब्ल्यू०एस०पी० के अंतर्गत स्कीमों को 2-3 वर्षों की अवधि में राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा पूरी की जाने की आशा की है।

[अनुवाद]

कोलम्बिया-कनाडा हाइड्रो कंपनी द्वारा निवेश

1134. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलंबिया-कनाडा हाइड्रो कंपनी ने भारत में जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) से (ग) विभिन्न राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार मै० कोलंबिया-कनाडियन हाइड्रो कंपनी को कोई जल विद्युत परियोजना निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु सौंपी नहीं गई है। तथापि उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि ऐसा प्रतीत है कि मै० कोलंबिया-कनाडियन हाइड्रो कंपनी राज्य सरकार द्वारा विज्ञापित कुछ जल विद्युत परियोजनाओं को निजी क्षेत्र में क्रियान्वित करने हेतु मै० डालमिया ब्रदर्स के साथ सहयोग कर रही है। निजि विद्युत नीति विदेशी निवेश/सहयोग की अनुमति देती है।

यमुना खेल परिसर का निर्माण

1135. **श्री मोहन रावले :**
श्री राम टहल चौधरी :
श्री अर्जुन सिंह यादव :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में यमुना खेल परिसर के निर्माण कार्य में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) यमुना खेल परिसर परियोजना का निर्माण कार्य कब से शुरू हुआ तथा उस समय इसकी अनुमानित लागत कितनी थी;

(ग) परियोजना की निर्माण लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(घ) निर्माण कार्य पूरा होने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) इस खेल परिसर का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा तथा यह कब से कार्य करना शुरू कर देगा ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० धुंधन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिल्ली में यमुना खेल परिसर के निर्माण में अब तक 25 प्रतिशत प्रगति होने की सूचना दी है।

(ख) यमुना खेल परिसर परियोजना का निर्माण कार्य जून, 1989 में प्रारंभ हुआ था। दिल्ली नगर कला आयोग और अन्य एजेंसियों में स्वीकृतियां विचाराधीन होने के कारण 1989 में विस्तृत लागत नहीं आंकी जा सकी। 1992-93 में अपेक्षित स्वीकृतियां लेने के पश्चात् परियोजना की कुल लागत 50 करोड़ रुपये निकाली गयी थी।

(ग) परियोजना की निर्माण लागत में मूल लागत से 20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(घ) मूल योजना के अनुसार, आउटडोर स्टेडियम और तरणताल के लिए धन की व्यवस्था दिल्ली सरकार द्वारा की जानी थी और धन राशि चरणबद्ध रूप में रिलीज की जानी थी। यथा अपेक्षित धनराशि रिलीज नहीं की गयी और परियोजना में विलंब हुआ।

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि उन्होंने अब इस परियोजना को अपनी निधियों में से पूरा करने का निर्णय लिया है और स्पोर्टस परिसर के वर्ष 1998-99 के अंत तक चालू हो जाने की आशा है।

गैर-सरकारी विद्युत क्षेत्र में विश्व बैंक द्वारा सहायता

1136. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में गैर-सरकारी क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं को वैकल्पिक प्रत्याभूति का ढांचा उपलब्ध करने तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के पूंजी निवेश का वित्तपोषण करने के लिए आई०सी०आई०सी०आई० को प्रारंभ में 800 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण देने में काफी रुचि दिखाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय ने इस मामले पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे उस प्रत्याभूति को पूरा करने में सहायता मिलेगी जो गैर-सरकारी निवेशकों द्वारा विद्युत परियोजनाओं में थोपी जा रही है; और

(घ) सरकार विश्व बैंक के सुझावों से कहां तक सहमत हुई है और इस संबंध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

इस्पात उत्पादों की डम्पिंग

1137. **डा० पी० वल्लल पेरूमान** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विभिन्न इस्पात उत्पादों, विशेषतः "हॉट रोल्ड कॉयलो" टिनप्लेटों और इलेक्ट्रिकल स्टील सीटों के जमाव में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) और (ख) डम्पिंग उस समय विद्यमान होती है जबकि किसी विशेष उत्पाद का भारत को निर्यात जिस मूल्य पर किया जाता है, वह उस मूल्य से कम होता है जिस पर उसे निर्यातक देश के घरेलू बाजार में बेचा जाता है। यदि डम्पिंग उपरोक्त परिभाषा के अनुसार होती है तो घरेलू उद्योग के माल की क्षति का कारण होने की स्थिति में इस प्रकार के डम्पिंग को रोकने के लिए जांच करने और अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में प्रावधान विद्यमान है।

सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत नामजद प्राधिकारी के पास किसी भी श्रेणी के इस्पात की डम्पिंग के बारे में हाल ही में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है।

[हिन्दी]

सड़कों तथा पुलों का विस्तार

1138. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ राज्यों में केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता से कुछ सड़कों तथा पुलों का विस्तार किये जाने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ चयनित सड़कों तथा पुलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी-कितनी है; और

(घ) इनके लिए किए गए धनराशि संबंधी प्रावधान का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) से (घ) केन्द्र सरकार मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों से भिन्न सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकारें अनिवार्यतः जिम्मेदार होती हैं। तथापि, केन्द्र सरकार अन्तर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए राज्य सरकारों को सहायता उपलब्ध करवाती है। आठवीं योजना के दौरान इस सहायता के अंतर्गत निर्माण कार्यों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण-I संलग्न है। अंतर्राज्यीय और आर्थिक महत्व की सड़कों के लिए आठवीं योजना में 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

सड़कों और पुलों के सुधार के लिए विभिन्न राज्यों के प्रस्तावों, जो आठवीं योजना के दौरान ऋण सहायता के विचारार्थ विश्व बैंक को भेजे गए हैं, से संबंधित दूसरा विवरण-II संलग्न है। इनके लिए निधि के प्रावधान के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

विवरण-I

क्र०सं०	राज्य का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	केन्द्र का हिस्सा (लाख रु.)
1.	राजस्थान	(i) कोटपुतली-सीकर सड़क का सुधार	500.00	500.00
		(ii) बांदीकुई-बादीयल सड़क पर सांवां नदी पर निमज्जनीय पुल का निर्माण	142.00	71.00

क्र०सं०	राज्य का नाम	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	केन्द्र का हिस्सा (लाख रु.)
		(iii) कुन्डालगुधा-बांदीकुई सड़क पर संवों नदी पर निमज्जनीय पुल का निर्माण	106.10	53.05
2.	जम्मू और कश्मीर	डोमेल-कटरा सड़क का विकास	425.00	212.50
3.	महाराष्ट्र	वीर टॉल और खाड़ के मध्य बाईपास	400.00	200.00
4.	उड़ीसा	बौध-कैंकता-रैराखोले सड़क के समीप महानदी पर पुल का निर्माण	1500.32	750.16
5.	मध्य प्रदेश	झांसी-खजुराहो सड़क पर डासन नदी पर पुल का निर्माण	1000.00	1000.00
6.	आंध्र प्रदेश	नैल्लोर नगर सीमाओं में मद्रास-कलकत्ता सड़क को 165/0 से 174/6 कि०मी० तक चौड़ा करना/सी०सी० पेवमैंट तथा जल निकासी एवं पैदल पथों आदि की व्यवस्था	985.00	492.50
7.	तमिलनाडु	तिप्पुर नगर की सड़कों के विकास का प्रथम चरण	1500.00	750.00 +250.00 (सी०आर०एफ० में)

विवरण-II

सड़कों और पुलों के सुधार के लिए विभिन्न राज्यों के प्रस्तावों जो आठवीं योजना के दौरान ऋण सहायता के विचारार्थ विश्व बैंक को भेजे गए हैं, से संबंधित विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र०सं०	राज्य	अनुमानित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	1315
2.	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	225
3.	गुजरात	415
4.	हरियाणा	465
5.	हिमाचल प्रदेश	1000
6.	मध्य प्रदेश	975
7.	महाराष्ट्र	300
8.	नागालैण्ड	164
9.	उड़ीसा	353
10.	पांडिचेरी	111
11.	राजस्थान	740
12.	तमिलनाडु	2322
13.	त्रिपुरा	215
14.	पश्चिम बंगाल	911

[अनुवाद]

सड़कों का निर्माण

1139. श्री एम० रमन्ना राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र को सड़कों का निर्माण कार्य आवंटित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्राइवेट कंपनियों द्वारा शुरू की जा रही ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) संपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा उसके भाग के विकास और रख-रखाव में निजी क्षेत्र की सहभागिता आमंत्रित करने का निर्णय लिया गया है। कुछेक बाईपासों, पुलों, रेल उपरि पुलों और सुपर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण निजी निवेश से करने का प्रस्ताव है और उनकी पहचान कर ली गई है। अभी यह बताना संभव नहीं है कि कौन सी परियोजनाएं निजी कंपनियों द्वारा प्रारंभ की जाएंगी।

यूरिया के आयात हेतु निविदाएं

1140. **डा० लाल बहादुर रावत** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरिया के आयात हेतु नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और पाइराइटस, फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड द्वारा अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो 1994 के दौरान और चालू वर्ष के दौरान अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले न्यूनतम निविदाकर्ताओं को ठेके प्रदान किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस प्रकार की अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को सजा देने और न्यूनतम निविदाकर्ताओं के हितों का ध्यान रखने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी हां।

(ख) वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) से (ङ) निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले निम्नतम बोली लगाने वालों को आर्डर दिए गए थे।

(च) संबंधित कंपनियों ने संविदाओं को प्रदान करने को अंतिम रूप देने में विधिवत अनुमोदित क्रियाविधि का अनुसरण किया है।

विवरण

कंपनी का नाम	विश्वव्यापी निविदा जारी करने की तारीख	दिए गए आदेश (संख्या)	आयातित मात्रा (मीट्रिक टन)
नेशलन फर्टिलाइजर्स लि०	28 अक्टूबर, 1994	5	शून्य
	30 जनवरी, 1995	8	25,000 (अगस्त-सितंबर, 95 में संभावित)
	5 मई, 1995	7	75,000 (अगस्त-सितंबर, 95 में संभावित)
	10 जून, 1995	10	3,70,000 (अगस्त-अक्टूबर, 95 में संभावित)
पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि.	19 अक्टूबर, 1994	30	शून्य
	23 जनवरी, 1995	20	शून्य
	1 मई, 1995	10	जुलाई, 1995 में 35,481 प्राप्त हुए अगस्त-अक्टूबर, 1995 में 1,35,000 संभावित

भू-विज्ञान में प्रशिक्षण

1141. **श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वियतनाम, भूटान, म्यानमार, इथ्योपिया, नामीबिया, फिलीपिन्स और अफगानिस्तान तथा कुछ अन्य देशों के कर्मचारियों को भू-विज्ञान और खनिज पदार्थों के विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में वर्षवार कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) प्रशिक्षण संस्था ऐस्केप देशों के कार्मिकों के लिए ही भूविज्ञान और खनिज गवेषण के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधाओं का विस्तार कर रहा है। तथापि, 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान ऐस्केप देशों से कोई कार्मिक प्रशिक्षण के लिए नहीं आया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रमुख पत्तनों द्वारा माल दुलाई

1142. **डा० के० वी० आर० चौधरी** : क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख पत्तनों द्वारा माल दुलाई के संबंध में 1994-95 के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गये हैं ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) जी नहीं। पिछले वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान सभी महापत्तनों ने 181.00 मिलियन टन के लक्ष्य के मुकाबले 197.18 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया था और वित्त वर्ष 1993-94 के दौरान 179.26 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया गया था। इस तरह इसमें क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की धनात्मक वृद्धि हुई।

विद्युत परियोजनाएं

1143. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में विद्युत परियोजनाएं लगाने की प्रगति बहुत धीमी है;

(ख) क्या योजना आयोग ने प्राइवेट कंपनियों और राज्यों के बीच विद्युत संयंत्र लगाने हेतु किए गए समझौता ज्ञापन की समीक्षा करने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा इस संबंध में राज्य सरकारों को दिए गए निर्देशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पत्तन प्राधिकरण द्वारा मजदूरी समझौता

1144. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्तन एवं गोदी श्रमिकों के पांच संघों ने पत्तन प्राधिकरण द्वारा मजदूरी समझौते की अनेक शर्तों का कार्यान्वयन नहीं किए जाने के परिणामस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों की समीक्षा करने हेतु सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उनकी मांगों को स्वीकार कर लिया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जायेगा ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) पत्तन और गोदी कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच परिसंघों ने पेंशन के उदारीकरण और उत्पादकता से जुड़े बोनस पर पात्रता सीमा को समाप्त करने के बारे में 26 मई, 1995 को एक पत्र लिखा है।

(ग) से (ङ) पत्तन और गोदी पेंशन भोगियों को मिलने वाले पेंशन संबंधी लाभों के उदारीकरण के बारे में केन्द्र सरकार का अनुमोदन पहले ही दिनांक 30 जून, 1995 को जारी किया जा चुका है। बोनस हेतु पात्रता-सीमा की समाप्ति के बारे में यह निर्णय लिया गया था कि भारतीय पत्तन संघ के अध्यक्ष पांच श्रमिक परिसंघों के साथ विचार-विमर्श करके एक स्कीम तैयार करके उसे 31 जुलाई, 1995 तक जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के पास भेज देंगे।

[हिन्दी]

नये इस्पात संयंत्र

1145. **श्री दत्ता मेघे :**
श्री के० जी० शिवप्पा :
श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :
श्री एन० जे० राठवा :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले नये इस्पात संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन संयंत्रों को कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस्पात संयंत्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित पड़े हैं;

(घ) इस अवधि के दौरान मौजूदा इस्पात संयंत्रों में अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए स्वीकृत किए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इनमें कुल कितना स्वदेशी और विदेशी निवेश किया जायेगा ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) और (ख) जुलाई, 1991 में घोषित औद्योगिक नीति के अंतर्गत लोहा और इस्पात उद्योग को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकाल दिया गया है और स्थान-स्थिति संबंधित कुछ प्रतिबंधों जिनके लिये सरकार की मंजूरी लेनी होती है, को छोड़कर इसे अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से भी छूट दे दी गई है।

उपलब्ध सूचना के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष के दौरान देश में चार इस्पात संयंत्र स्थापित किये जाने के बारे में बताया गया है इनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

इकाई का नाम तथा स्थान	क्षमता (लाख टन वार्षिक)	निवेश (करोड़ रुपये)	चालू होने की संभावित तारीख
नोवा स्टील (इंडिया लि०) बिलासपुर, मध्य प्रदेश	2.00	140.00	अक्टूबर, 1995
गैमी मेटल्स (गुजरात लि०), बरोंच, गुजरात	1.00	220.00	जून, 1995
जिंदल स्ट्रिप्स लि०, रायगढ़, मध्य प्रदेश	5.00	421.00	दिसम्बर, 1995
राजेन्द्र स्टील्स लि०, रायपुर, मध्य प्रदेश	1.75	175.50	अक्टूबर, 1995

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी के लिये सरकार के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(घ) से (च) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मौजूदा इस्पात संयंत्रों में अतिरिक्त क्षमता सृजित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने हेतु कोई प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

विद्युत क्षेत्र संबंधी विश्व बैंक की रिपोर्ट

1146. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार विद्युत की खरीद करने वाले राज्य विद्युत बोर्डों को भुगतान संबंधी काउंटर गारंटी के द्वारा विद्युत क्षेत्र में प्रारंभिक विद्युत परियोजनाओं में निजी पूंजी निवेश को अपना सीधा समर्थन देने के लिए सहमत हो गई है जैसा कि जून, 1995 में पेरिस में भारत विकास मंच की बैठक के दौरान प्रस्तुत किए गए विश्व बैंक के दस्तावेजों में बताया गया है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजनाओं और दी गई काउंटर गारंटी का ब्यौरा क्या है तथा इस पर विश्व बैंक और भारत विकास मंच की प्रतिक्रिया क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने निम्नलिखित विद्युत परियोजनाओं हेतु स्वतंत्र विद्युत निर्माताओं (आई०पी०पी०) को राज्य बिजली बोर्डों के भुगतान संबंधी दायित्वों हेतु राज्य गारंटी के बदले प्रति-गारंटी देने का निर्णय लिया है :

1. दभोल सी०सी०जी०टी०-695 मे०वा० (फेज I)
2. जेगुरूपाडु जी०बी०पी०पी०-216 मे०वा०
3. गोदावरी जी०बी०पी०पी०-208 मे०वा०
4. विशाखापटनम टी०पी०एस०-1000 मे०वा०
5. मंगलोर टी०पी०एस०-1000 मे०वा०
6. इब घाटी टी०पी०एस०-420 मे०वा०
7. जीरो यूनिट आफ एन०एल०सी०-250 मे०वा०
8. भद्रावती टी०पी०एस०-1072 मे०वा०

विश्व बैंक ने हाल ही में प्रकाशित अपनी रिपोर्ट "इंडिया कंट्री इकनामिक मेमोरेंडम" में निजी विद्युत कार्यक्रम समेत भारतीय विद्युत क्षेत्र के विद्यमान ढांचे के संबंध में कुछ टिप्पणियां की हैं।

निर्यातोन्मुखी उपभोक्ता खाद्य उद्योगों को स्वीकृति

1147. **श्री मुस्तापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1994 और 1995 के दौरान निर्यातोन्मुखी शत प्रतिशत उपभोक्ता खाद्य उद्योगों की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे और अधिक एककों की स्थापना हेतु आवेदन पत्र स्वीकृति के लिए लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) जी हां।

(ख) 1994-95 के दौरान निम्नलिखित दो यूनिटों को शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी उपभोक्ता खाद्य उद्योग की स्थापना हेतु स्वीकृति की गई है :

क्र०सं०	कंपनी का नाम	निर्माण मद	स्थान
1.	मै० अलाइड ब्रेवरीज, कंपनी प्रा. लि.	वातित जल	हरियाणा
2.	मै० सतनाम हेगेन्स लि.	खनिज जल	हरियाणा

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक एककों का बंद होना

1148. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**
श्री नवल किशोर राय :
श्री जगमीत सिंह बरार :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में प्रमुख उर्वरक एककों के बंद हो जाने से उर्वरकों के मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों के बंद होने के क्या कारण हैं;

(घ क्या सरकार का विचार उर्वरक राज सहायता बंद करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या गत तीन वर्षों के दौरान स्वदेशी रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन के कमी आई है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) सरकारी क्षेत्र के रुग्ण एकक कब से सामान्य रूप से कार्य करने लगेंगे ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) एफ०सी०आई० का गोरखपुर एकक तथा एच०एफ०सी० के नामरूप एकक का अमोनिया सल्फेट संयंत्र क्रमशः जून 1990 तथा जुलाई 1992 से बंद हैं। इसके अलावा एच०एफ०सी ० की हल्दिया उर्वरक परियोजना जिसे यांत्रिक रूप से नवम्बर 1979 में पूरा किया गया को इसके आरंभण के दौरान बारंबार उपस्कर खराबियों के कारण वाणिज्यिक रूप से प्रचालन नहीं किया जा सका। परियोजना के आरंभण कार्यकलापों को अंततः अक्टूबर 1986 में लंबित करना पड़ा था।

इन एककों के बंद होने से उर्वरकों के मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) गत तीन वर्षों के दौरान रासायनिक उर्वरकों का उत्पादन (पोषकों के रूप में) निम्नानुसार रहा है :

वर्ष	एन	पी
1992-93	74.30	23.06
1993-94	72.31	18.16
1994-95	79.45	24.93

(ज) एच०एफ०सी० तथा एफ०सी०आई० के लिए पुनरुद्धार पैकेजों में जिसमें एच०एफ०सी० के बरौनी, दुर्गापुर, और नामरूप एककों तथा एफ०सी०आई० के तालचर, रामागुण्डम और सिन्दरी एककों का पुनरुद्धार परिकल्पित है, को हाल ही में सिद्धान्त रूप से अनुमोदित कर दिया गया है। चूंकि पुनरुद्धार पैकेजों के लिए निधिकरण व्यवस्थाओं को जिसमें वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता के माध्यम से निधिकरण करना शामिल है, को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। अतः इस स्तर पर इन एककों द्वारा सामान्य कार्य प्रारंभ करने हेतु किसी समय सीमा को सूचित करना संभव नहीं है। तथापि, एच०एफ०सी० और एफ०सी०आई० के प्रचालन एककों में उत्पादन बनाये रखने के विचार से इन कंपनियों की कार्यशील पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान की गई है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार

1149. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की पचासवीं वर्षगांठ के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र की व्यवस्था के पुनर्गठन के संबंध में प्रकाशित विभिन्न रिपोर्टें देखी हैं;

(ख) यदि हां, तो सुरक्षा परिषद के विस्तार के संबंध में इन रिपोर्टों में क्या सिफारिशें की गई हैं;

(ग) क्या इन रिपोर्टों में भारत सहित कुछ और सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता प्रदान करने की सिफारिश की गई है,; और

(घ) किन-किन सदस्य देशों ने सुरक्षा परिषद में भारत को स्थाई सदस्यता देने का खुला समर्थन किया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) सरकार ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के पुनर्गठन के विषय में विभिन्न रिपोर्ट देखी हैं। जो संयुक्त राष्ट्र की पचासवीं वर्षगांठ के साथ प्रकाशित थी जिसमें (i) सार्वभौम अभिशासन पर आयोग की रिपोर्ट और (ii) संयुक्त राष्ट्र के भविष्य पर स्वतंत्र कार्य दल की रिपोर्ट शामिल है। इन रिपोर्टों में कई सिफारिशें की गई हैं जिनमें सुरक्षा परिषद के विस्तार के प्रस्ताव भी शामिल हैं। विशेष रूप से, सार्वभौम अभिशासन पर आयोग की रिपोर्ट में 2005 तक पांच स्थायी सदस्यों के एक नए वर्ग का सृजन करने के लिए कहा गया है जिसमें दो औद्योगिकृत देशों से और एक-एक अफ्रीका, एशिया तथा लातिन अमरीकी देश से शामिल होंगे और सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता भी 10 से 13 तक बढ़ाना शामिल है, स्वतंत्र कार्यदल की रिपोर्ट में सुरक्षा परिषद की संख्या 15 से बढ़ाकर 23 करने की सिफारिश की गई है जिनमें नए स्थायी सदस्य 5 से अधिक नहीं होने चाहिए। किसी एक देश की विशिष्ट उम्मीदवारी का कोई उल्लेख नहीं है और इस समय उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता वाली आवास योजनाएं

1150. **श्री रामपाल सिंह** :
श्री कृष्णभूषण शरण सिंह :
श्री पंकज चौधरी :
श्री महेश कनोडिया :

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी सहायता वाली आवास योजनाएं किन किन राज्यों में आरंभ की गई हैं;

(ख) इनकी वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त योजनाएं कब तक पूरी हो जाने की संभावना है; और

(ग) विदेशी सहायता का उपयोग किस ढंग से किया जा रहा है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन): (क) से (ग) जर्मनी के "के०एफ०डब्ल्यू०" की सहायता से विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आवास परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं/कार्यान्वित की जा रही है :

परियोजना का नाम	राज्य का नाम	वर्तमान स्थिति
के०एफ०डब्ल्यू० हुडको-I	केरल, तमिलनाडु, उ.प्र. त्रिपुरा, राजस्थान	कार्यान्वित
के०एफ०डब्ल्यू०-हुडको-II	तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश	कार्यान्वित
के०एफ०डब्ल्यू० हुडको-IV	केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, राजस्थान, उ. प्र., पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र	कार्यान्वयनाधीन
के०एफ०डब्ल्यू०-एच०डी० एफ०सी०-I	केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक	कार्यान्वयनाधीन

इसके अतिरिक्त, महाराष्ट्र के भूकंप पीड़ितों के पुनर्वास के लिए विश्व बैंक के 246 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण से महाराष्ट्र एमरजेन्सी रिहैबीलेटेशन प्रोग्राम का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों का विकास/आधुनिकीकरण

1151. **श्री एस० एम० साहजान बाशा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्रमुख पत्तनों के विकास एवं आधुनिकीकरण के कार्य में गैर-सरकारी उद्यमियों को शामिल करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा शामिल किए गए गैर-सरकारी उद्यमियों की भूमिका क्या है और उक्त योजना के अंतर्गत विकास/आधुनिकीकरण के लिए किन-किन क्षेत्रों/पत्तनों का चयन किया गया है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां।

(ख) पत्तन अवसंरचना और सुविधाओं के कुछेक क्षेत्र जैसे कंटेनर टर्मिनल, कार्गो हैंडलिंग टर्मिनल, निकर्षण, पत्तन क्राफ्ट और उपस्कर, पायलटेज और क्रेनेज सेवाएं, भंडारण और स्टोरेज सुविधाओं को पत्तन अवसंरचना और सुविधाओं के विकास और आधुनीकीकरण के प्रयोजन से पट्टा, लाइसैंस, बी०ओ०टी० (निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण) इत्यादि जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं के अंतर्गत निजी निवेश के लिए खोल दिया गया है।

विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश

1152. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में देश में विद्युत क्षेत्र में विदेशी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा हांगकांग गए भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किया था;

(ख) यदि हां, तो दौरे का परिणाम क्या रहा; और

(ग) यह शिष्टमंडल इन देशों से विदेशी निवेश आकर्षित करने में कहां तक सफल रहा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) जी, हां। विद्युत मंत्री ने अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय निजी विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए 12 जून से 25 जून, 1995 के दौरान यू.के., अमरीका और हांगकांग गए एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था।

(ख) और (ग) यह दौरा सफल रहा था, क्योंकि भारतीय निजी विद्युत क्षेत्र में निवेशों की व्यवहार्यता तथा लाभ प्रदता के संबंध में विदेशी निवेशकों के बीच रुचि पैदा करने के उद्देश्य की पूर्ती हुई है। इससे भारतीय निजी विद्युत कार्यक्रम के संबंध में इन निवेशकों के बीच शंकाएं भी कम हुई हैं।

[हिन्दी]

गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों में पक्की सड़कें

1153. **श्री एन० जे० राठवा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों के काफी बड़े भाग में पक्की सड़कें नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) जी हां। गुजरात राज्य में सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर डामर डाला हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

"हुडको" की नई आवास योजना

1154. **श्री जगत वीर सिंह द्रोण** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अप्रैल, 1995 से हुडको द्वारा शुरू की जाने वाली नई आवास योजना की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना इस बीच शुरू हो गयी है और इसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

तमिलनाडु में मोलिब्डिनम का खनन

1155. **डा० पी० वल्लल पेरुमान** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में मोलिब्डिनम अयस्क का खनन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तमिलनाडु में गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कुल कितने टन मोलिब्डिनम अयस्क का खनन हुआ; और

(ग) इस अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु को इस खनन के लिए कुल कितनी रायल्टी दी गई ?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) : (क) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) तमिलनाडु के धर्मपुरी के हारूर-एलांगयाम क्षेत्र तथा उत्तरी आर्कोट जिले में मोलिब्डिनम के लिए गवेषण कार्य कर रहा है। मोलिब्डिनम अयस्क के 0.078% एम०ओ० औसत ग्रेड वाले 2.544 मिलियन टन भंडार होने का अनुमान है।

(ख) अभी तक मोलिब्डिनम अयस्क का खनन/विदोहन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड के विस्तार की योजना

1156. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत ग्रिड निगम ने हाल ही के वर्षों में कार्यनिष्पादन में प्रगति को बनाए रखा है;

(ख) यदि हां, तो उसके अंतर्गत आने वाली पारेषण लाइनों के सर्किट किलोमीटरों के नेटवर्क और इसे पांच क्षेत्रीय ग्रिडों से जोड़ने, प्रत्येक ग्रिड द्वारा उत्पादन तथा 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान और 30 जून, 1995 तक इनके वित्तीय कार्यनिष्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पारेषण नेटवर्क का और विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के पास सक्रिय रूप से विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो विस्तार योजना का ग्रेडवार ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आएगी तथा इसका वित्तपोषण किस प्रकार से किया जाएगा; और

(ङ) विद्युत ग्रिड निगम की विस्तार योजना का कार्य कब से शुरू हो जाएगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (पावरग्रिड) 21173 एम०वी०ए० की कुल रूपांतरण क्षमता और 97-98 प्रतिशत उपलब्धता घटक वाले 50 उपकेन्द्रों के साथ 26000 सर्किट कि०मी० की अतिरिक्त उच्च वोल्टता वाली (ई०एच०वी०) पारेषण लाइनों का भी अनुरक्षण कर रहा है। इसने वर्ष 1994-95 के दौरान विभिन्न क्षेत्रीय ग्रिडों में लगभग 2200 सर्किट कि०मी० पारेषण लाइनों को चालू किया है और 1335 सर्किट कि०मी० पारेषण लाइनों को बिछाया है। वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान पावरग्रिड द्वारा क्रमशः 236.61 करोड़ रुपये, 187.88 करोड़ रुपये और 207.80 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया गया।

ये ग्रिड विद्युत के पारेषण/अंतरण के लिए हैं। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में विद्युत का उत्पादन निम्नवत् है :

क्षेत्र	1992-93 (जी०डब्ल्यू०एच०)	1993-94 (जी०डब्ल्यू०एच०)	1994-95 (जी०डब्ल्यू०एच०)
उत्तरी	94077	96793	104060
पश्चिमी	97978	107776	116407
दक्षिणी	77215	83211	91961
पूर्वी	28647	32387	35393
उत्तर-पूर्वी	3072	3156	3199
जोड़	300989	323323	351020

(ग) से (ङ) पावरग्रिड अगले पांच वर्षों में पारेषण नेटवर्क के लगभग 10000 सर्किट कि०मी० जोड़े जाने का प्रस्ताव रखता है। प्रमुख प्रचालनाधीन और प्रस्तावित परियोजनाओं का उनकी अनुमानित लागत तथा पूरा होने के कार्यक्रम सहित ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रिडों के अन्तःसंबद्ध के लिए एक राष्ट्रीय ग्रिड के गठन का कार्य पहले ही चल रहा है।

परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक प्रावधान पंचवर्षीय योजनाओं/वार्षिक योजनाओं में कर लिए गए हैं और आंतरिक संसाधनों, भारत सरकार से इक्विटी/ऋण बाण्डों, बहुपक्षीय/द्विपक्षीय विदेशी उधारों, आपूर्तिकर्ताओं के ऋण इत्यादि के जरिए पावरग्रिड द्वारा निधियां जुटाई जा रही हैं।

विवरण-I

प्रचालनाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना	परियोजना लागत (करोड़ रुपये)	चालू किए जाने का कार्यक्रम
	उत्पादन से जुड़ी हुई पारेषण स्कीमें		
1.	विन्ध्याचल एडिशनल	424	1997-98
2.	किशनपुर-मोगा	524	1997-98
3.	गांधार गैस-1	230	1995-96
4.	कठलगुड़ी	678	1995-96
5.	नावपा-झाकरी	1687	1997-98
6.	टिहरी	550	1997-98
	प्रणाली समन्वयन एवं नियंत्रण स्कीमें		
1.	दक्षिणी क्षेत्रीय भार प्रेषण एवं संचारण स्कीमें	622	1990-00
2.	उत्तरी क्षेत्रीय भार प्रेषण एवं संचार स्कीमें	470	1999-00
	अन्तःक्षेत्रीय लिंक		
1.	चन्द्रपुर एच०वी०डी०सी० बैक-टू-बैक	900	1997-98
2.	जैपौर-गाजुवाका एच०वी०डी०सी० बैक-टू-बैक	651	1998-99

विवरण-II

प्रस्तावित नई परियोजनाओं का ब्यौरा

उत्पादकता संबद्ध	परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	चालू करने का कार्यक्रम
1. विन्ध्याचल-2	598	1998-99
प्रणाली समन्वयन एवं संचारण स्कीमें		
1. उत्तर-पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण एवं संचारण स्कीमें	146	1999.00
2. पूर्वी क्षेत्रीय भार प्रेषण एवं संचारण स्कीमें	400	2002-03
3. पश्चिमी क्षेत्रीय भार प्रेषण एवं संचारण स्कीमें	400	2002-03
अन्तःक्षेत्रीय लिंक्स		
1. मऊ-बिहारशरीफ एच०वी०डी० ०सी० बैक-टू-बैक	550	1999-00

परियोजनाएं अनुमोदन के अंतिम चरण में

क्र०सं०	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रुपये में)
1.	राजस्थान एटमिक पावर प्रोजेक्ट 3 व 4, 220 के०वी० पारेषण लाइन	97.80
2.	कायामकुलम, 220 के०वी० पारेषण लाइन	83.00
3.	फरीदाबाद पारेषण प्रणाली 400 के०वी० एवं 200 के०वी०	179.90
4.	उचाहार पारेषण प्रणाली	143.30

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों के निर्धारित मूल्य

1157. **श्री राव कृपाल यादव** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) द्वारा इस समय आवेदकों को फ्लैटों का श्रेणीवार कितना मूल्य लगाया जा रहा है;

(ख) क्या ये मूल्य निम्न एवं मध्यम आय वाले समूहों की पहुंच से बाहर हो गये हैं;

(ग) कितनी किश्तों में इन मूल्यों की वसूली होगी;

(घ) क्या दिल्ली सरकार ने डी०डी०ए० को ऐसी योजनाएं तैयार करने के लिए कहा है ताकि निम्न आय समूह के व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी की जा सकें; और

(ङ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० घुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि पंजीकृतों को प्रस्तावित विभिन्न टाइप के फ्लैटों की वर्तमान लागत लगभग इस प्रकार है :

जनता	— 1.55 लाख रुपये
एल०आई०जी० (बहुमंजिला)	— 3.00 से 3.50 लाख रुपये
एम०आई०जी० (बहुमंजिला)	— 5.50 से 6.00 लाख रुपये

विस्तारणीय मकान निम्नलिखित लागत श्रेणी में हैं :

टाइप ए	— 1.90 लाख से 3.76 लाख रुपये
टाइप बी	— 4.32 लाख से 5.21 लाख रुपये

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ऐसा कोई अध्ययन/सर्वेक्षण नहीं कराया है, तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों की लागत की गणना "लाभ हानि रहित" के सिद्धान्त पर की जाती है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने फ्लैटों की कीमतें तय करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं ताकि उनको क्रय योग्य बनाया जा सके।

(i) जनता और कम आय वर्ग के फ्लैटों के भूमि घटक की देयता को दोहरी इमदाद के माध्यम से कम किया गया है।

(ii) जनता फ्लैटों के लिए ऊपरी प्रभारों की गणना कम दरों पर की जाती है।

(ग) एम०आई०जी० और एल०आई०जी० के पंजीकृतों को आवंटन नकद और किराया खरीद दोनों आधार पर किया जाता है। किराया खरीद पद्धति के तहत आबंटी को भूमि की लागत तथा निर्माण लागत का 30 प्रतिशत पेशगी जमा करना होता है।

शेष धनराशि की वसूली इस प्रकार की जाती है :

जनता	180 समान मासिक किस्तें
एल०आई०जी०	144 समान मासिक किस्तें
एम०आई०जी०	120 समान मासिक किस्तें

विस्तारणीय आवास योजना, 1995 के तहत 6 तिमाही किस्तों में भुगतान की सुविधा दी गयी है।

(घ) और (ङ) एल०आई०जी० श्रेणी के तहत 25782 पंजीकृतों के वर्तमान पिछले बकाये को ध्यान में रखते हुए अभी कोई नई स्कीम आरंभ करना प्रस्तावित नहीं है।

[अनुवाद]

इस्पात का उत्पादन

1158. डा० के० वी० आर० चौधरी : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1994-95 के दौरान इस्पात का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) देश में इस्पात के सबसे बड़े उत्पादनकर्ता का नाम क्या है; और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान इस्पात के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) 1994-95 के दौरान परिसज्जित इस्पात का कुल उत्पादन 172.2 लाख टन (अनंतिम) हुआ।

(ख) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड देश में इस्पात की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है।

(ग) 1995-96 के दौरान इस्पात का अनुमानित निर्यात 15.40 लाख टन है।

अफगान शरणार्थी

1159. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने अफगानिस्तान से उन शरणार्थियों, जिन्होंने युद्ध के दौरान अफगानिस्तान छोड़ दिया था और जो अब भी भारत में रह रहे हैं, को वापस लेने का आग्रह किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनमें से कितने शरणार्थी अफगानिस्तान वापस लौट गये हैं; और

(घ) कितने शरणार्थी अभी भी भारत में रह रहे हैं ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) से (घ) बड़ी तादाद में अफगान लोग भारत आ गए हैं परन्तु भारत सरकार ने उन्हें शरणार्थी के रूप में मान्यता नहीं दी है।

सरकार को उम्मीद है कि ये अफगान राष्ट्रीक अफगानिस्तान में स्थिति सामान्य होते ही वापस चले जाएंगे और सरकार इस मामले में अफगानिस्तान की सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों से सम्बद्ध उच्चायुक्त से संपर्क बनाए हुए है।

शरणार्थियों से सम्बद्ध उच्चायुक्त के आंकड़ों के अनुसार 31.6.1995 की स्थिति के अनुसार इस कार्यालय में लगभग 21, 168 अफगान राष्ट्रिक शरणार्थी के रूप में पंजीकृत हैं।

अफगानिस्तान की स्थिति को देखते हुए अफगान शरणार्थी अपने देश वापस नहीं गए हैं और शरणार्थियों से संबद्ध उच्चायोग तीसरे देश में उन्हें बसाने का प्रयास कर रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में नये पासपोर्ट कार्यालय

1160. श्री दत्ता मेघे : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में 1995-96 के दौरान नये पासपोर्ट कार्यालय खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा ये कार्यालय कहां-कहां खोले जाएंगे; और

(ग) राज्य में कार्यरत पासपोर्ट कार्यालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) महाराष्ट्र राज्य में दो पासपोर्ट कार्यालय कार्य कर रहे हैं जो क्रमशः बम्बई और नागपुर में स्थित हैं।

[अनुवाद]

जम्मू और कश्मीर में जल विद्युत परियोजनाएं

1161. **श्री श्रवण कुमार पटेल :**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
डा० लक्ष्मीनारायण पाडेय :

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में जल विद्युत उत्पादन क्षमता के आकलन संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में इस समय वार्षिक जल विद्युत उत्पादन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में जल विद्युत के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या परियोजनाओं के कार्यान्वयान में काफी विलंब हुआ है जिसके कारण भारी वित्तीय हानि हुई है;

(च) यदि हां, तो इस विलंब के क्या कारण हैं; और

(छ) विद्युत परियोजनाओं का कुशल और शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने जम्मू एवं कश्मीर में 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 7487 मे०वा० जल विद्युत शक्यता आंकी है। 31.5.95 तक इसमें से 60 प्रतिशत भार अनुपात पर 308.33 मे०वा० क्षमता 868 मे०वा० है, जिसमें से 178 मे०वा० राज्य क्षेत्र में और 600 मे०वा० केन्द्रीय क्षेत्र में शामिल है। 1994-95 के दौरान जम्मू एवं कश्मीर में जल विद्युत केन्द्रों से उत्पादन 2744 मिलियन यूनिट थी।

(ग) और (घ) इस समय जम्मू एवं कश्मीर में निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं :

	परियोजना का नाम	क्षमता	परियोजना को चालू करने का कार्यक्रम
1.	अपर सिंध जल विद्युत परियोजना-2	70 मे०वा० (2X35)	आठवीं योजना
2.	अपर सिंध विस्तार	35 मे०वा० (1X35)	आठवीं योजना
3.	कारगिल	3.75 मे०वा० (3X1.25)	आठवीं योजना
4.	पहलगाम	3 मे०वा०(2X1.5)	आठवीं योजना
5.	उड़ी चरण-1	480 मे०वो०(4X120)	आठवीं-नौवीं योजना
6.	दुलहस्ती	390 मे०वो०	नौवीं योजना

(ङ) और (च) राज्य में अशांत परिस्थितियां होने के कारण जम्मू कश्मीर में परियोजनाएं धीमी गति से आगे बढ़ रही हैं। इसके कारण, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अधिक समय लग रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लागत में भी अभिवृद्धि हो रही है।

(छ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, देश में क्रियान्वयनाधीन परियोजनाओं की विभिन्न गतिविधियों की प्रगति की गहराई से मानीटरिंग करता है, ताकि इनका क्रियान्वयन समयानुसार किया जा सके। कार्य को, समयानुसार पूरा करने के लिए परियोजना प्राधिकारियों, मुख्य निर्माताओं के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं। परियोजना के क्रियान्वयन को प्रभावित करने वाले सभी घटकों पर नजदीकी नजर रखी जाती है और इस संबंध में उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

पावर फाइनेंस कारपोरेशन और पावर ग्रिड कारपोरेशन

1162. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पावर फाइनेंस कारपोरेशन तथा पावर ग्रिड कारपोरेशन जैसे संगठनों की भूमिका और उनके भविष्य की समीक्षा कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या परिणाम निकले; और

(ग) सरकार विद्युत संबंधी आर्थिक उदारीकरण नीतियों में इन संगठनों की भूमिका किस प्रकार शामिल करेगी ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) से (ग) विद्युत क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों को मद्देनजर रखते हुए, जिसमें विद्युत क्षेत्र को निजी भागीदारी के लिए खोला जाना भी शामिल है, विद्युत वित्त निगम (पी०एफ०सी०) की भूमिका और उद्देश्यों की निरंतर समीक्षा की जाती है। श्री वी०बी० ईश्वरन की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा भी पी०एफ०सी० के कार्यकलापों की जांच की गई है और इसके द्वारा की गई अनेक सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्रियान्वयान किए जाने हेतु विचार किया जाता है।

सरकार पावरग्रिड कारपोरेशन की भूमिका की समीक्षा नहीं कर रही है, तथापित पावरग्रिड द्वारा प्रचालन को हाथ में लिए जाने जैसे कार्यकलापों का विद्युत क्षेत्र में पावरग्रिड की बदलती हुई भूमिका पर प्रभाव पड़ेगा।

भारत में आतंकवाद से निपटने हेतु अमरीका से अनुरोध

1163. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए अमरीका से सहायता हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अमरीका की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अमरीका से पाकिस्तान के साथ भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने संबंधी मुद्दे को उठाने का भी अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सरकार ने अमरीकी सरकार को बार-बार इस बात पर बल दिया है कि इस बात के अकाट्य साक्ष्य हैं कि पाकिस्तान हथियारों, उपस्करों की सप्लाई करके तथा प्रशिक्षण एवं घुसपैठ के जरिये भारत में आतंकवाद को लगातार सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रहा है। अमरीकी सरकार के प्राधिकारियों को इस साक्ष्य से अवगत कराया गया है। भारत सरकार इस बात का अवश्य स्वागत करेगी कि अमरीकी सरकार अपने प्रभाव के जरिये पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवाद को समर्थन देना बंद करवाए।

निर्यातोन्मुख फल/सब्जी एकक

1164. **श्री मुस्तापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र राज्य में स्थापित पूर्णतः निर्यातोन्मुख फल/सब्जी प्रसंस्करण एककों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे और एककों की स्थापना संबंधी आवेदन स्वीकृती हेतु विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां तो ब्यौरा क्या है;

(घ) 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रसंस्कृत किए गए कुल फल/सब्जी उत्पादों का प्रतिशत कितना है; और

(ङ) अधिक मात्रा में फलों और सब्जियों के बढ़े प्रसंस्करण का घरेलू बाजार में ताजा फलों और सब्जियों की कीमत और उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) स्थापित किए गए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी फल तथा सब्जी प्रसंस्करण एककों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी फल तथा सब्जी प्रसंस्करण एककों की स्थापना संबंधी कोई आवेदन लंबित नहीं है।

(घ) 1993-94 के दौरान, तले हुए तथा धूप में सुखाए गए उत्पादों को छोड़कर फल तथा सब्जी उत्पादों को तैयार करने के लिए वाणिज्यिक रूप से कुल प्रसंस्कृत किए गए फल तथा सब्जी का प्रतिशत क्रमशः लगभग 1 प्रतिशत और 1.3 प्रतिशत था।

(ङ) अधिक मात्रा में फलों तथा सब्जियों के बढ़े प्रसंस्करण का घरेलू बाजार में ताजा फलों तथा सब्जियों की उपलब्धता तथा उपभोक्ता मूल्यों पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है।

फलों तथा सब्जियों के बढ़ते उत्पादन तथा उसके बहुत कम प्रतिशत का प्रसंस्करण किए जाने के कारण उपलब्धता में कमी नहीं हुई है। लेकिन कुछ क्षेत्रों में फल तथा सब्जियों बढ़े हुए प्रसंस्करण के कारण किसानों को बेहतर दाम मिल रहे हैं।

विवरण

कार्यान्वित की गई शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी एककों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	एककों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	असम	1
3.	गुजरात	10
4.	हरियाणा	1
5.	हिमाचल	1
6.	कर्नाटक	8
7.	केरल	4
8.	महाराष्ट्र	5
9.	मध्य प्रदेश	1
10.	पंजाब	2
11.	तमिलनाडु	5
12.	उत्तर प्रदेश	1
13.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल योग	44

बैलाडिला की खानें

1165. **श्री राम विलास पासवान**
श्री रूपचंद पाल :

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1995 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित समाचार "सी०पी०आई०यू० रेजिस्ट टेकओवर आफ बैलाडिला माइन" शीर्षक की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बहुत ही सस्ती दर पर यह खान निजी क्षेत्र को पट्टे पर दी जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या बैलाडिला खान परिसर में उच्च किस्म के लौह अयस्क 11/बी भंडार को संयुक्त उद्यम परियोजना के तौर पर विकसित करने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक निर्णय कर लिये जाने की संभावना है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) जी, हां।

(ख) से (च) इस्पात की खपत किसी देश के औद्योगिक और आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक है। अनुमानित निर्यात सहित भारत में इस्पात की कुल मांग सन 2001-02 तक बढ़कर 370 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है। उस समय तक विद्यमान एकीकृत इस्पात संयंत्रों और गौण क्षेत्र की इकाइयों का उत्पादन लगभग 240 लाख टन तक पहुंचने की संभावना है। 130 लाख टन के अनुमानित अंतर को केवल निजी क्षेत्र में निवेश द्वारा ही पूरा करना होगा क्योंकि सरकारी क्षेत्र में नए ग्रीनफील्ड संयंत्रों की स्थापना करने की परिकल्पना नहीं की गई है। इसलिए यदि मांग और उपलब्धता के बीच अनुमानित अंतर को पूरा करना है तो निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना होगा।

धातु स्क्रैप की स्वदेशी उपलब्धता कम है और स्वदेशी मांग को पूरा करने के लिए भारी मात्रा में आयात करना पड़ता है। स्पंज लोहे में धात्विक लोहे की प्रतिशतता अधिक होती है और यह इस्पात गलन स्क्रैप के लिए एक अच्छा एवजी है। इसलिए विदेशी मुद्रा बचाने के लिए सरकार द्वारा स्पंज लोहे के उत्पादन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस समय देश में 18 स्पंज लोहा इकाईयां हैं जिनकी कुल क्षमता 54 लाख टन है। इन इकाईयों में 1994-95 में 34 लाख टन उत्पादन हुआ और निर्यात 10 लाख टन के लक्ष्य को प्राप्त करने की संभावना सहित इस वर्ष 40 लाख टन उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने की आशा है। 7.39 लाख टन वार्षिक क्षमता की और स्पंज लोहा इकाइयां इस समय कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

भारत में गैस पर आधारित केवल 3 संयंत्र नामतः इस्सर गुजरात लिमिटेड, विक्रम इस्पात लिमिटेड और निप्पोन डेनरो इस्पात लिमिटेड हैं और उन्हें 65 प्रतिशत और इससे अधिक लोहांश के केलिब्रेटिड लौह अयस्क की आवश्यकता होती है।

एन०एम०डी०सी० संयुक्त उद्यम परियोजना के रूप में निक्षेप II-बी का विकास करने पर 1991 से विचार कर रहा था परन्तु यह प्रस्ताव लाभपूर्ण नहीं हो सका क्योंकि तीन प्रमुख लौह अयस्क उपभोक्ता कंपनियों को संभावित संयुक्त उद्यम भागीदार के रूप में अभिज्ञात किया गया है। ये भागीदार संयुक्त उद्यम में भागीदार बनने के लिए तभी सहमत हैं जबकि एन०एम०डी०सी० और प्रबंधन के साथ एकमात्र सह प्रवर्तक का उन्हें अधिकार हो।

इस्पात मंत्रालय ने मई, 1994 में इसके अंतर्गत मुद्दे की जांच की और एन०एम०डी०सी० को सलाह दी कि इस परियोजना को, देश में गैस पर आधारित स्पंज लोहा संयंत्र का प्रचालन करने वाली अथवा स्थापित की जाने वाली निजी कंपनियों, जिन्हें संयंत्र के लिए लौह अयस्क की आवश्यकता के अधिकांश भाग को पूरा करने के लिए एन०एम०डी०सी० से पहले ही आश्वासन मिल गया है, में से एक के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में विकसित किया जा सकता है। संयुक्त उद्यम के भागीदार का चयन करने के लिए सरकार ने एन०एम०डी०सी० को विशेष मानदण्ड भी सुझाये हैं।

इस्पात मंत्रालय द्वारा सुझाए गए मानदण्डों के आधार पर संयुक्त उद्यम भागीदार का चयन करने के लिए एन०एम०डी०सी० के निदेशक मंडल ने एक उप समिति गठित की है। एन०एम०डी०सी० बोर्ड द्वारा स्वीकार की गई उप समिति की सिफारिशें निम्नानुसार हैं :

(I) दिए गए तरजीह क्रम में निम्नलिखित भागीदारों में से एक के साथ संयुक्त उद्यम करना :

(i) मैसर्स निप्पोन डेनरो इस्पात लिमिटेड

(ii) मैसर्स इस्सर गुजरात लिमिटेड

(II) निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एन०एम०डी०सी० द्वारा धारित निक्षेप 2-बी (अर्थात निक्षेप II-बीमें शामिल क्षेत्र) के पट्टे के एक भाग को संयुक्त उद्यम कंपनी को हस्तांतरित करना।

(III) खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए वसूल किए जाने वाले मुआवजे के बारे में सरकार का निर्णय प्राप्त करना।

इस्पात मंत्रालय के एन०एम०डी०सी० से प्राप्त सिफारिशों का गहन विश्लेषण किया और मंत्रीमंडल के विचारार्थ एक नोट प्रस्तुत किया। खनन पट्टे के हस्तांतरण के लिए वसूल किए जाने वाले मुआवजे के संबंध में यह महसूस किया गया कि इसे एक सामान्य वाणिज्यिक लेन-देन मानना और अधिकतम मुआवजा वसूल करना उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि इससे अंतिम उत्पाद महंगे तथा अप्रतिस्पर्धी होंगे। इसके अतिरिक्त हस्तांतरण एक संयुक्त उद्यम कंपनी जिसमें एन०एम०डी०सी० स्वयं भी भागीदार है, को करने का प्रस्ताव है। इसी बीच इस्पात मंत्रालय ने महसूस किया कि एन०एम०डी०सी० को कोई आर्थिक हानि नहीं होनी चाहिए और इसने गवेषण, शक्यता और अन्य प्रारंभिक कार्यों पर जो वास्तविक व्यय किया है, उसकी क्षतिपूर्ती की जानी चाहिए। अतः इस्पात मंत्रालय ने प्रस्ताव किया कि उपरोक्तानुसार हुआ वास्तविक व्यय चालू लागतों के अनुसार अद्यतन करने के लिए भारतीय लागत एवं निर्माण लेखाकार (आई०सी०डब्ल्यू०ए०आई०) जैसे मान्यता प्राप्त व्यावसायिक संगठन द्वारा एक उपयुक्त पद्धति द्वारा निर्धारित करके संयुक्त उद्यम भागीदार से वसूला जाए।

बैलाडिला II-बी निक्षेप का संयुक्त उद्यम के रूप में विकास करने के लिए मंत्रीमंडल ने उनकी 30.5.95 को हुई बैठक में मंजूरी दे दी। इसके आधार पर संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने के लिए और उसके बाद की जाने वाली अन्य कार्रवाई करने के लिए दिनांक 13.6.95 को एन०एम०डी०सी० को मंजूरी प्रदान की गई। संयुक्त उद्यम करार में यह निर्धारित करने की संयुक्त उद्यम कंपनी केवल उन कामगारों को छोड़कर जो कि स्थानीय रोजगार कार्यालय में उपलब्ध नहीं हैं, सभी कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कामगारों की भर्ती स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से करेगी, के लिए एन०एम०डी०सी० को सलाह देकर स्थानीय लोगों और ट्रेड यूनियनों के हितों की रक्षा की गई है। 10.7.95 को संयुक्त उद्यम करार हो गया है।

उर्वरक एककों को अर्थक्षम बनाना

1166. **श्री अमरपाल सिंह :**
डा० रमेश चन्द्र तोमर :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय औद्योगिक ऋण

तथा निवेश निगम फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन को अर्थक्षम बनाने हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराने पर सहमत नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में उर्वरक एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एदुआर्दो फलेरो) : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र में एफ०सी०आई० और एच०एफ०सी० उर्वरक उत्पादन करने वाली दो कंपनियां हैं जिन्हें बी०आई०एफ०आर० ने रुग्ण घोषित कर दिया है। हाल ही में सरकार इन कंपनियों के लिए पुनरुद्धार पैकेज सिद्धान्त रूप में अनुमोदित किए हैं जिनमें एफ०सी०आई० के सिन्दरी, रामागुण्डम, तालचर एककों तथा एच०एफ०सी० के दुर्गापुर, बरौनी, नामरूप एककों के पुनरुद्धार की परिकल्पना की गयी है। जिसमें 2201.13 करोड़ रुपए की नयी निधियों की आवश्यकता परिकल्पित है। आई०सी०आई०सी०आई०, आई०डी०बी०आई० आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं की सहभागिता के जरिये एफ०सी०आई० तथा एच०एफ०सी. के पुनरुद्धार पैकेज के निधिकरण पर कोई अंतिम परिणाम अभी तक नहीं निकला है।

गोवा में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता

1167. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोवा में खाद्य प्रसंस्करण की कितनी क्षमता है तथा अब तक इसका कितना उपयोग हो पाया है; और

(ख) गोवा में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता का उपयोग करने के लिए चालू वर्ष तथा अगले तीन वर्षों के दौरान उठाए जाने वाले कदमों का क्या ब्यौरा है तथा प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का कितनी मात्रा में निर्यात होने की संभावना है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) और (ख) गोवा में खाद्य प्रसंस्करण की क्षमता मौजूद है, उदारीकरण से लेकर जून, 1995 तक आठ औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें लगभग 61 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश तथा 1211 व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था है इनके अलावा, 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिट/संयुक्त उद्यम/विदेशी सहयोग/औद्योगिक लाइसेंस आदि के 17 प्रस्तावों को भी मंजूर किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में हैं तथा सभी यूनिटों के संबंध में सूचना इस मंत्रालय द्वारा नहीं रखी जाती। बहरहाल, उपलब्ध सूचना के अनुसार गोवा में निम्नलिखित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटें हैं :

चावल मिलें	720
रोलर फ्लोर मिलें	2
फल तथा सब्जी प्रसंस्कृत उत्पाद	48
मृदु वातित जल	92
मछली प्रसंस्करण	6
बीयर	3
मांस प्रसंस्करण	18

सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ अधिकांश खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को उच्च प्राथमिकता वाला उद्योग घोषित करना, अल्कोहल पेयों के किण्वन और आसवन और लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को लाइसेंसमुक्त करना, घरेलू/विदेशी/अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश को बढ़ावा देना, वित्तीय राहत उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं। सरकार भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है।

[हिन्दी]

फलों/सब्जियों के अपशिष्ट

1168. **श्री सुखदेव पासवान** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भंडारण, परिवहन और विपणन सुविधा अनुपलब्धता के कारण प्रतिवर्ष औसतन कुल कितने फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं;

(ख) क्या सरकार कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने तथा फलों और सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए फल और सब्जी प्रसंस्करण उद्योग को कुटीर उद्योग के रूप में बढ़ावा देने के लिए किसी कार्य योजना पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) फल और सब्जियों के अपव्यय का सर्वेक्षण करने के लिए हालांकि कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है लेकिन सड़ जाने वाले कृषि उत्पादों संबंधी एक दल की रिपोर्ट (1981) के अनुसार अनुमान लगाया गया था कि उपयुक्त फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं तथा उत्पाद के सड़ जाने के कारण कतिपय 25-40 प्रतिशत फल और सब्जियों की गुणवत्ता और मूल्य में कमी आ जाती है।

(ख) और (ग) फल और सब्जियों की फसलोत्तर हानि को कम करने और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ साथ प्रीकूलिंग, अल्ट्रा हाई आद्रता, स्टोरेज, पैकिंग, ग्रेडिंग, उपयुक्त ढुलाई और प्रसंस्करण जैसी फसलोत्तर बुनियादी सुविधाओं की स्थापना के लिए सहायता देना शामिल हैं। सरकार ग्रामीण उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना में सहायता देने हेतु एक योजना स्कीम भी चला रही है ताकि स्थानीय रूप से उपलब्ध फल और सब्जी समेत कृषिगत कच्चे माल के प्रसंस्करण द्वारा स्वरोजगार को प्रोत्साहन मिले।

विद्युत उत्पादन

1169. **डा० लाल बहादुर रावल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में विद्युत उत्पादन का कितना-कितना लक्ष्य रखा गया है और कितना लक्ष्य पूरा किया गया;

(ख) क्या विद्युत का उत्पादन आवश्यकतानुरूप नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या को हल करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान ऊर्जा उत्पादन लक्ष्यों की तुलना में वास्तविक ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा निम्नवत है :

श्रेणी	1993-94		1994-95	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ताप विद्युत	243200	247757	274700	262868
न्यूक्लीय	6000	5399	8300	5646
जल विद्युत	67500	70375	69000	82511
जोड़	316700	323531	352000	351025

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान देश में ऊर्जा की 323252 मिलियन यूनिट और 352260 मिलियन यूनिट की आवश्यकता की तुलना में क्रमशः 299494 मि०यू० और 327281 मि०यू० ऊर्जा उपलब्ध थी।

(ग) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को समाप्त करने और विद्युत की उपलब्धता में सुधार करने हेतु किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल हैं। नई विद्युत उत्पादन क्षमता को शीघ्र चालू करना, अल्पावधि में निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्य निष्पादन में सुधार करना, पारेषण और वितरण संबंधी हानियों की मात्रा को कम करना, बेहतर मांग प्रबंध और ऊर्जा संवर्धन उपायों को क्रियान्वित करना, ऊर्जा की कमी वाले क्षेत्रों को अधिशेष ऊर्जा वाले क्षेत्रों से ऊर्जा के अंतरण की व्यवस्था करना और विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहन देना।

[अनुवाद]

राज्य विद्युत बोर्डों पर राष्ट्रीय विद्युत निगम की देनदारी

1170. **डा० वसंत पवार** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की ओर राष्ट्रीय विद्युत निगमों की भारी धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों से कुल कितनी धनराशि वसूल की जानी शेष थी;

(ग) गत तीन वर्षों के संबंध में राज्यवार/वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस धनराशि की वसूली हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार विद्युत मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सी०पी०एस०यूस०) की राज्य बिजली बोर्डों (एस०ई०बी०) से वसूल की जाने वाली बकाया राशि 4484.19 करोड़ रुपये थी।

(ग) 31.3.93, 31.3.94 और 31.3.95 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) तत्परता से भुगतान करने के लिए राज्य बिजली बोर्डों को प्रोत्साहित करने हेतु उठाए जा रहे कदमों में ये शामिल हैं। राज्यों के केन्द्रीय योजना आवंटन से कटौती करना, मंत्रालय से विभिन्न स्तरों पर चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों को अपनी बकाया राशियों का भुगतान किए जाने के लिए सलाह देना, संबंधित राज्य सरकारों और राज्य बिजली बोर्डों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित करना, सघन राजस्व वसूली अभियान चलाना, जिन मामलों में वस्तुतः और तकनीकी दृष्टि से व्यवहारिक हो, चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों के मामले में विद्युत सप्लाई बंद करना/प्रतिबंधित विद्युत सप्लाई करना/पुनः विद्युत आवंटित करना तथा समुचित राशि का साख पत्र खोलने के लिए राज्य बिजली बोर्डों से अनुरोध करना।

विवरण

31.3.93, 31.3.94 और 31.3.95 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों की राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया राशि को दर्शाने वाला ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र० सं०	रा०बि० बोर्ड का नाम	31 मार्च को समाप्त वर्ष	आर०ई०सी०	एन०टी०पी०सी०	नीपको	डी०वी०सी०	एन०एच०पी०सी०	पी०एफ०सी०	पी०जी०सी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	1993	2.20	73.80					15.88
		1994	0.25	80.78					22.21
		1995	-	90.81					44.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	असम	1993	19.18		2.19		20.20		8.39
		1994	44.25		16.68		33.94		0.80
		1995	48.02		25.96		35.21		-1.20
3.	बिहार	1993	117.22	395.29		116.94	22.76		
		1994	159.72	360.66		82.87	11.20	-	
		1995	201.97	323.02		50.44	5.97	0.02	
4.	गुजरात	1993	0.24	106.48				0.07	7.49
		1994	0.32	80.44				-	-
		1995	-	60.53				-	-
5.	हरियाणा	1993	0.01	225.87			64.67		23.77
		1994	0.12	372.21			93.94		1.08
		1995	-	304.15			167.17		23.55
6.	हिमाचल प्रदेश	1993	0.10	17.78			16.74		3.21
		1994	0.25	22.44			18.70		6.76
		1995	-	11.28			17.55		6.00
7.	कर्नाटक	1993	1.27	46.13					9.33
		1994	0.05	41.71					7.66
		1995	-	38.06					10.14
8.	केरल	1993	0.20	33.89				-	2.53
		1994	0.22	35.78				2.41	12.19
		1995	-	27.53				-	4.89
9.	मध्य प्रदेश	1993	33.68	213.77					7.64
		1994	66.27	174.61					-
		1995	78.39	174.36					-
10.	महाराष्ट्र	1993	0.49	150.03					10.14
		1994	-	119.02					-
		1995	-	88.26					-
11.	मेघालय	1993	0.60		-		-		0.25
		1994	6.90		-		-		-
		1995	15.35		0.99		0.69		0.11
12.	उड़ीसा	1993	46.49	42.97			6.39	0.01	7.19
		1994	62.36	47.31			3.23	-	-0.88
		1995	79.78	66.09			1.59	-	-1.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	पंजाब	1993	-	32.29			16.37	0.14	18.71
		1994	0.29	46.08			25.77	0.24	0.74
		1995	-	22.26			36.96	0.33	2.60
14.	राजस्थान	1993	1.49	180.18			0.30		34.69
		1994	0.33	211.06			4.06		11.89
		1995		152.72			25.83		97.73
15.	तमिलनाडु	1993	0.71	99.38					16.67
		1994	0.36	100.14					17.04
		1995		72.90					13.41
16.	उत्तर प्रदेश	1993	175.12	503.63			1.23	40.21	84.18
		1994	219.36	641.78			6.14	17.41	23.21
		1995	285.56	821.26			128.18	68.85	106.54
17.	पश्चिम बंगाल	1993	42.41	84.62		24.97	11.75	-	10.43
		1994	82.52	60.50		30.48	8.24	0.13	0.08
		1995	134.77	54.02		36.95	5.15	-	7.36

बिहार में फल प्रसंस्करण एकक

1171. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मधुबनी, दरभंगा और ओइनी में सहकारी क्षेत्र में फल प्रसंस्करण उद्योग है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये उद्योग पिछले कई वर्षों से रुग्ण पड़े हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या बिहार सरकार को इन एककों को अर्थक्षम बनाने अथवा इन्हें गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यमियों को लीज पर सौंपने के लिए कहा गया है अथवा कहा जा रहा है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) क्या केन्द्रीय पहल पर इन तीनों एककों को पुनःस्थापना संबंधी प्रभावों का आकलन करने हेतु बारीकी से जांच की जा रही है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) से (घ) वर्ष 1966-67 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा मधुबनी, दरभंगा तथा ओइनी जिलों में सहकारी क्षेत्र में 3 खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को स्थापना के लिए मंजूरी जारी की गई और यह कार्य 1969 के अंत तक पूरा हुआ। ठेकेदार तथा संबंधित समितियों के बीच विवाद के कारण ये यूनिटें वाणिज्यिक उत्पादन नहीं कर सकीं। 1975 में जब विवाचन द्वारा इस विवाद का हल हुआ, समिति को इसमें रुचि नहीं रही तथा ये यूनिटें बंद हो गई। इसके बाद, राज्य सरकार की सिफारिशों पर राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम में 1976 में दरभंगा यूनिट, के लिए 4.80 लाख रुपये तथा 1982 में ओइनी यूनिट के लिए 4.20 लाख रुपये और मधुबनी यूनिट के लिए 4.12 लाख रुपये की सहायता मंजूर की। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई इसलिए समितियों की मंजूरियां रद्द कर दी गई।

(ङ) से (छ) यूनिटों को पुनः चालू करने के लिए सहायता हेतु इस मंत्रालय में संबंधित समितियों अथवा राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राज सहायता में वृद्धि

1172. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1995-96 से उर्वरक पर राज सहायता में वृद्धि करने का था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) 1995-96 के दौरान उर्वरकों पर राज

सहायता के संबंध में नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

राज्य बिजली बोर्डों पर परमाणु विद्युत निगम की बकाया राशि

1173. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई बिजली बोर्डों पर परमाणु विद्युत निगम की धनराशि बकाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बकाया राशि की वसूली के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) न्यूक्लीय पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (एन०पी०सी०आई०एल०) को देय बकाया राशियों का राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न दिया गया है।

(ग) न्यूक्लीय पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० की राज्य बिजली बोर्डों की ओर 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार 650 करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, इस राशि को 3 वर्षों के दौरान समान तिमाही किस्तों (कुल मिलाकर 12 किस्तों) में वर्ष 1995-96 से केन्द्रीय योजना सहायता से वसूल किए जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

विवरण

31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर बकाया राशियों का ब्यौरा

(लाख रुपये में)

क्र० सं०	लाभग्राही राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	बकाया राशि		
		ऊर्जा	विलंब से भुगतान करने संबंधी प्रभार	जोड़
1	2	3	4	5
1.	महाराष्ट्र	1137	300	1437
2.	गुजरात	4592	1030	5622
3.	मध्य प्रदेश	73	349	422
4.	राजस्थान	9795	10415	20210
5.	उत्तर प्रदेश	11742	7202	18944
6.	पंजाब	219	168	387
7.	हिमाचल प्रदेश	57	9	66
8.	जम्मू एवं कश्मीर	543	514	1057
9.	हरियाणा	6234	2789	9023
10.	तमिलनाडु	383	127	500
11.	केरल	373	716	1089
12.	कर्नाटक	1471	79	1550
13.	आंध्र प्रदेश	2171	222	2393
14.	चण्डीगढ़	20	5	25
15.	दिल्ली	1689	687	2376
16.	पाण्डिचेरी	-50	0	-50
	जोड़	40449	24611	65060

उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र

1174. **श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हैदराबाद में उन्नत प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण एककों के विकास को व्यापक संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) : (क) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) जी हां। आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की संभावना मौजूद है। उपलब्ध सूचना के अनुसार उदारीकरण से लेकर जून, 1995 तक आंध्र प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने हेतु 205 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें लगभग 1539 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश तथा 41974 व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके अलावा, आंध्र प्रदेश राज्य में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी यूनिटों, संयुक्त उद्यमों, विदेशी सहयोग आदि की स्थापना के लिए 126 मंजूरियां दी गई हैं।

विदेशी विद्युत कंपनियां

1175. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी विद्युत कंपनियों को आमंत्रित करने और उनके साथ समझौतों को अंतिम रूप देने से पूर्व सरकार की राज्य सरकारों के साथ पूर्व चर्चाएं करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसी चर्चाओं में तीनों पक्षों को शामिल किए जाने पर सरकार को क्या आपत्तियां हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) विद्यमान नीति की सीमाओं के अंतर्गत निजी विकास कर्ताओं को परियोजनाओं के ठेके देना संबंधित राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है प्रस्तावों को अंतिम रूप देने के लिए राज्य सरकार/प्रवर्तकों द्वारा जिस प्रकार की सहायता की अपेक्षा की जाती है, भारत सरकार द्वारा समय समय पर सहायता प्रदान की जाती है।

विद्युत नीति

1176. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार की वर्तमान विद्युत नीति के प्रति अपना विरोध प्रकट किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी विद्युत नीति में कुछ परिवर्तन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना

1177. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं स्थापित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति वर्ष राज्य-वार शुरू की जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रख-रखाव केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है तथा राज्य सरकारें इस कार्य के निष्पादन के लिए उसके एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। इसलिए ऐसे सभी प्रस्तावों पर कार्रवाई केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

(ग) आठवीं योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान जारी की गई संस्वीकृतियों का विवरण संलग्न है। इनके अतिरिक्त संस्वीकृतियां प्रदान करना निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करेंगी।

विवरण

(करोड़ रुपये)

क्र०सं०	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	7.44	10.87	36.59
2.	अरूणाचल प्रदेश	-	0.24	-
3.	असम	14.54	4.47	8.01
4.	बिहार	12.03	14.85	13.57
5.	चंडीगढ़	-	0.23	-
6.	दिल्ली	0.66	0.37	2.38
7.	गोआ	0.49	1.96	8.82
8.	गुजरात	16.82	79.11	18.50
9.	हरियाणा	7.69	1.81	0.64
10.	हिमाचल प्रदेश	6.38	5.56	28.60
11.	जम्मू एवं कश्मीर	1.03	-	0.21
12.	कर्नाटक	5.35	17.25	28.37
13.	केरल	92.58	23.17	1.53
14.	मध्य प्रदेश	117.00	1.89	33.37
15.	महाराष्ट्र	16.64	130.08	16.56
16.	मणिपुर	- 0.66	1.85	4.66

1	2	3	4	5
17.	मेघालय	12.49	4.70	4.39
18.	नागालैण्ड	0.48		
19.	उड़ीसा	6.28	141.51	21.70
20.	पाण्डिचेरी	0.05	0.23	0.30
21.	पंजाब	9.02	86.10	4.61
22.	राजस्थान	22.54	0.79	23.57
23.	तमिलनाडु	8.94	4.79	23.07
24.	उत्तर प्रदेश	124.23	131.44	43.19
25.	पश्चिम बंगाल	20.00	100.42	3.90
	जोड़	504.22	763.69	331.54

तमिलनाडु तथा केरल में नेशलन बिल्डिंग सेन्टर

1178. **डा० पी० बल्लभ पेरूमान** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई नेशलन बिल्डिंग सेंटर, जो कारीगरों को कम लागत वाले निर्माण कौशल तथा सामग्री बनाने का प्रशिक्षण देता है, तमिलनाडु तथा केरल में चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ये सेंटर कहां कहां हैं;

(ग) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इन सेंटरों को दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इन सेंटरों के कार्यकरण की देख रेख के लिए कोई राष्ट्रीय स्तर की समिति बनाई गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) तमिलनाडु तथा केरल राज्यों में चल रहे भवन निर्मित केन्द्रों की संख्या क्रमशः 28 तथा 24 है। स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) गत दो वर्षों अर्थात् 1993-94 और 1994-95 के दौरान दिया गया केन्द्रीय अनुदान इस प्रकार है :

वर्ष	तमिलनाडु	केरल
1993-94	10 लाख	शून्य
1994-95	7.5 लाख	2 लाख

(घ) जी, हां।

(ङ) इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश तैयार करने के लिये शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है।

विवरण

तमिलनाडु तथा केरल में चल रहे भवन निर्मित केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा

क्र०सं०	केन्द्र स्थल	नोडल एजेंसी
	तमिलनाडु	
1.	मदुराक्काइल	जिला प्रशासन
2.	औरोविल्ले	औरोविल्ले फाउंडेशन
3.	कोयम्बतूर	जिला प्रशासन
4.	इरोड	-वही-
5.	मदुरई	-वही-
6.	सेलम	-वही-
7.	त्रिची	-वही-
8.	तिरूनेलवेल्ली	-वही-
9.	तिरूपुर	-वही-
10.	तुतीकोरीन	-वही-
11.	वेल्लूर	-वही-
12.	मुट्टुकाडु	मद्रास क्राफ्ट फाउंडेशन
13.	गांधी ग्राम	गांधी ग्राम रूरल इंस्टीटयूट
14.	वायनाड	जिला प्रशासन
15.	नाशापट्टीनम	-वही-
16.	कोडियंगेयुर	निर्माण कामगार संघ
17.	मद्रास	जी०वी०जी० शेल्टर ट्रस्ट
18.	विरूद्धनगर	जिला प्रशासन
19.	शिवगंगा	-वही-
20.	तंजावूर	-वही-

क्र.सं.	केन्द्र स्थल	नोडल एजेंसी
21.	पुडुकोटई	जिला प्रशासन
22.	गुड्डालोर	-वही-
23.	धर्मपुरी	-वही-
24.	तिरूवन्नामलाई	-वही-
25.	नगेरकोईल	-वही-
26.	वेलाचेरी	तमिलनाडु स्लम क्लीयरेन्स बोर्ड
27.	आदयार	अन्ना यूनिवर्सिटी
28.	डिंडिगुल	जिला प्रशासन
	केरल	
1.	क्वीलोन	जिला प्रशासन
2.	त्रिवेन्द्रम	-वही-
3.	त्रिचूर	-वही-
4.	कालीकट	-वही-
5.	कन्नानोर	-वही-
6.	अरनाकुलम	-वही-
7.	इदुक्की	-वही-
8.	कासरगोड	-वही-
9.	कोट्टायम	-वही-
10.	मालापुरम	-वही-
11.	पालघाट	-वही-
12.	पठानमथिटा	-वही-
13.	वायंड	-वही-
14.	अल्लेप्पी	-वही-
15.	त्रिवेन्द्रम	केशनिक केरला स्टेट निर्मिति केन्द्र
16.	छठानूर	केडियास, केरला एजुकेशनल डवलपमेंट सोसाइटी
17.	त्रिवेन्द्रम	केशनिक केरला स्टेट निर्मिति केन्द्र
18.	कोट्टायम	-वही-
19.	अरनाकुलम	-वही-
20.	कालीकट	केशनिक केरला स्टेट निर्मिति केन्द्र
21.	वायंड	-वही-
22.	पठानमथिट्टा	-वही-
23.	इडुक्की	-वही-
24.	पालक्कड	-वही-

इस्पात के क्षेत्र में संयुक्त उद्यमों की समीक्षा तथा समझौता ज्ञापन

1179. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही के महीनों में किए गए संयुक्त उद्यम समझौतों और समझौता ज्ञापनों पर नए सिरे से/फिर से विचार करने हेतु राज्य द्वारा नियंत्रित इस्पात कंपनियों को हाल ही में अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष रूप से विनिधिकरण परियोजनाओं में गैर-सरकारी बोलीदाताओं के मामले में बोलियों को अधिक प्रतियोगी बनाने और निर्णय लेने के मामले में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु नए नियम/पैरामीटर निर्धारित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उनके मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों का किन-किन संयुक्त उद्यम परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(च) क्या नए दिशा-निर्देशों का इस्पात परियोजनाओं में निवेश के संबंध में गैर सरकारी विदेशी पार्टियों पर प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथापि निर्णय लेने के मामले में सदा पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।

(घ) उपरोक्त (ग) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

12.00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं एक-एक करके सदस्यों को अनुमति दूँगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री राम विलास पासवान को अनुमति देता हूं। मेरे विचार में आप एक लम्बे अंतराल के पश्चात बोलना चाहते हैं। आपके दो वक्तव्यों के बीच इस तरह का अंतराल अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सदन में उठा रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि सदन के सारे माननीय सदस्य और नेता उसका समर्थन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज भी छुआछूत देश के विभिन्न भागों में, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित हैं, लेकिन छुआछूत का इतना वीभत्स रूप, जो घटना अभी तमिलनाडु में घटी हैं, उसमें देखने को मिलता है। सेलम जिले के मैटूर क्षेत्र में कटोचनपट्टी एक गाँव है। वहाँ आज भी स्कूल में दलितों के लिये अलग बर्तन रखे जाते हैं और जनरल कास्ट के लोगों के बच्चों के लिये अलग बर्तन रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

श्री एम० आर० काडम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : जिलाधीश मामले की जाँच कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: मामले की जाँच एक पृथक मामला है। (व्यवधान)

श्री एम०आर० काडम्बूर जनार्दनन : आप सच्चाई नहीं बता रहे हैं।

श्री रामविलास पासवान : मैंने तथ्यों की सच्चाई मालूम कर ली है। महोदय, मैं आपसे आपके कक्ष में मिला था। आपने कहा था कि सबसे पहले मुझे बोलने का अवसर दिया जायेगा। वह बताने की कृपा करें कि यह सच है या झूठ है। (व्यवधान) श्री जनार्दन को बोलने का अधिकार है। पहले मैं अपना भाषण समाप्त कर लूँ।

अध्यक्ष महोदय : एक महत्वपूर्ण मामला उठाया जा रहा है हमको इस मामले में भावुक नहीं होना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : यह सरकार अथवा दल अथवा अन्य किसी से सम्बद्ध प्रश्न नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : जी हाँ, यह हमको समझना चाहिए।

श्री रामविलास पासवान : यह एक सामाजिक बुराई है।

श्री एम० आर० काडम्बूर जनार्दनन: आप उस गाँव का दौरा करिये और उसके पश्चात ही सदन में कुछ कहिये। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : पांच साल की एक लड़की धन्नम, जो दलित लड़की है, दो सप्ताह पहले की घटना है, वह बर्तन से पानी पीने के लिए गई। वहां पर सिस्टम यह है कि दलित बच्चे को कोई दूसरा सामान्य जाति का बच्चा पानी ऊपर से उसके मुँह में डालता है। संयोग से उस दिन कोई सामन्य जाति का बच्चा उस दलित बच्ची को नहीं मिला, बच्ची को प्यास लगी थी तो उसने अपने आप बर्तन से पानी निकाला। जैसे ही उसने पानी निकाला तो दूसरे लोगों की बात तो छोड़िए, क्लास का जो टीचर था, वह देख रहा था और वह वहां से दौड़ा हुआ आया और उस बच्ची को पीटने के बाद उसकी आंख में उंगली डाल दी, जिसकी वजह से उस बच्ची की एक आंख खत्म हो गई। अब वह बच्ची मदुरई अस्पताल में भर्ती है। इसके बाद कहते हैं कि कलेक्टर ने इस घटना की इन्क्वायरी बिठाई है।

अध्यक्ष महोदय, यह समस्या कलेक्टर की इन्क्वायरी की नहीं है, समस्या यह है कि आजादी के 48 साल के बाद भी इस देश में इस तरह की घटनाएं होती हैं और वह भी एक स्कूल में सामान्य जाति के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग बर्तन रखे जाएं और दलित विद्यार्थियों के लिए अलग बर्तन रखे जाएं। यदि प्यास से तड़पती कोई 18-20 साल की नहीं, 5 साल की एलीमेंट्री स्कूल की बच्ची गर्मी और प्यास के कारण अपने आप बर्तन से पानी ले ले तो उसकी आंख फोड़ दी जाती है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा शर्मनाक घटना इस देश में दूसरी नहीं हो सकती। हम यहां पर पालियामेंट में बैठकर ह्यूमन राइटस की बातें करते हैं, लेकिन यह एक ऐसी घटना है जो आज भी हमारे देश के सामाजिक तंत्र के खोखलेपन को उजागर करती है। अध्यक्ष महोदय, अभी तक उस टीचर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जनार्दनन, बाद में बोल सकते हैं। (व्यवधान)

श्री एम०आर० काडम्बूर जनार्दनन : मदोदय, यह सच नहीं है। मैं इस पर आपत्ति करता हूँ (व्यवधान) मैं आपत्ति करता हूँ कि यह सच नहीं है। (व्यवधान) यह खबर "द स्टेटसमेन" में छपी थी। यह 'द हिन्दू' और "द इंडियन एक्सप्रेस" में नहीं छपी थी। वह अखबार की खबर के आधार पर बोल रहे हैं। मैं दावा करता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मैंने तथ्यों की जाँच कर ली हैं। (व्यवधान)

श्री एम०आर० काडम्बूर जनार्दनन : उनको तमिलनाडु के बारे में क्या जानकारी है, वह सभा को भ्रमित कर रहे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान : ठहरिये एक मिनट। सर , ऐसी स्थिति में 11 संसद सदस्य आज से दस साल पहले, ए० आई० ए० डी० एम० के०, डी० एम० के०, सी०पी०आई०, सी०पी०एम०, बी०जे०पी०, के लोग मीनाक्षीपुरम गये थे जहां पर धर्म परिवर्तन की घटना घटी थी। इसी छुआछूत को लेकर घटना घटी थी। जब हमने वहां एक चाय वाले से पूछा कि आप चाय दलित को क्यों नहीं पिलाते हो, तो उसने कहा कि चाय पिला दूँगा तो हमारी दुकान में आग लगा दी जायेगी। वह लड़का जो धर्म-परिवर्तन करके मुसलमान बना था उस लड़के ने कहा था कि पासवान साहब 11 एम० पी० मिलकर जब आप हमें चाय नहीं पिला सकते हैं तो क्यों पूछने आएं है कि हम किस धर्म में है। इसलिए सरकार की बात नहीं है।

[अनुवाद]

श्री एम०आर० काडम्बूर जनार्दनन : आप 'द स्टेट्समेन' में छपी खबर के आधार पर बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान: इसीलिए मैं कहता हूं कि आज भी जो इस तरह

की घटनाएं हैं इसकी निंदा होनी चाहिए और मैं पूरी जवाबदेही के साथ यह बात कह रहा हूं।

यह ए०आई०ए०डी०एम० के० अथवा डी०एम०के० अथवा जनता दल अथवा कांग्रेस (आई) से संबद्ध प्रश्न नहीं है। यह सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न हैं ...(व्यवधान)

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन : आप तमिलनाडु में जाकर खुद देखिये कि पूरे राज्य में डा० अम्बेडकर की कितनी प्रतिमाएं लगी हुई हैं ...(व्यवधान) हमारे यहां तमिलनाडु में पूरे देश की तुलना में डा० अम्बेडकर की अधिक प्रतिमाएं लगी हुई हैं ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : आप विषय को बदल क्यों रहे हैं ?

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन : आप मुद्दे को तोड़ मरोड़ रहे हैं। आप इसको साम्प्रदायिक मुद्दा बना रहे है। यह ठीक नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री पी० जी० नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, यह सच नहीं है। हमको स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दीजिये। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान इसलिए सर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि सदन इस तरह की घटना की निंदा करें। क्या पार्लियामेंटरी मिनिस्टर, इस संबंध में इंक्वारी करेंगे कि क्या एक्शन लिया गया ? उनके परिवार के लोगों को धमकाया जा रहा है जिन्होंने एफ० आई० आर० दर्ज करवाई। लेकिन इस टीचर के खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि सरकार सदन में वक्तव्य दें। यह बहुत गंभीर हैं। 48 साल की आजादी के बाद इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

[अनुवाद]

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदय यह सच नहीं है। मैं आपत्ति करता हूँ कि वह सभा को भ्रमित कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा० आर० मस्तान (नगर कुरनूल) : महोदय, यह एक अति गम्भीर मामला है, जाति के आधार पर इस प्रकार भेदभाव करना एक अत्यन्त गम्भीर मामला है। संसद को इसे गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए। यह एक राज्य अथवा स्थानीय सरकार से संबद्ध मामला नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं ए०आई०ए०डी०एम०के० के एक सदस्य को भी बोलने की अनुमति दूँगा। कृपया, हमको समझना चाहिये कि यह किसी एक सरकार के खिलाफ आरोप नहीं है। यह एक सामाजिक बुराई है।

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, सभा में सिर्फ सच्चाई ही व्यक्त करनी चाहिये

श्री ए० अशोकराज (पैरम्बलूर) : महोदय, बालिका के चिकित्सा खर्च हेतु माननीय मुख्य मंत्री ने 25,000 रुपये स्वीकृत किये हैं। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जनार्दनन, आप इसको अच्छी प्रकार से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये, कृपया श्री वाजपेयी जी को बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न केवल एक प्रदेश का नहीं हैं और किसी विशेष सरकार का भी नहीं है। सारे देश में और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में अभी छुआछूत विद्यमान है। पीने का पानी अलग-अलग रखा जाता है। यह ठीक है कि यह पद्धति निरन्तर कम होती जा रही है, सुधार हो रहा है। लेकिन जिस तरह की घटना सेलम में हुई, उस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, इस बार घटना प्रकाश में आ गई है, इसलिए सारे देश का ध्यान खींच रही है। कई प्रदेशों के सचिवालय में, अगर मैं गलती नहीं करता हूं तो शैड्यूल्ट कास्ट और शेड्लड ट्राइब्ज कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सचिवालय में, पंचायतों में, चाय की दुकानों में आम तरीका है कि बर्तन अलग रखते हैं और उन बर्तनों के आधार पर वर्गीकरण होता है दुकानदार कहता है कि अगर ऐसा न करें तो हमारी दुकान में और लोग नहीं आयेंगे। इसलिए हमें बर्तन अलग रखने पड़ते हैं। हमारे तमिलनाडु के मित्र उत्तेजित न हों यह सारे देश का कलंक है लेकिन एक छोटी सी लड़की इस बात पर घायल कर दी गई। हमारे मित्र कह रहे हैं कि डी०एम० जांच कर रहे हैं, जांच होनी चाहिए और इस बारे में जांच के परिणाम से सदन को अवगत कराया जाना चाहिए। ऐसी घटनाएं वातावरण बनाने का अवसर देती हैं।

यह किसी एक पार्टी की आलोचना करने के लिए नहीं है लेकिन शरीर में कहा दर्द हैं, उसकी तरफ सारे शरीर का ध्यान चला जाता है और वह दर्द किस तरह से मिटे, यह अवसर इस तरह की घटनायें होने पर विचार करने के लिए है। मैं रामविलास पासवान जी को धन्यवाद देता हूं और बातों में तो नहीं मगर उन्होंने ठीक मामला उठाया है। मैं तमिलनाडु के मित्रों से कहूंगा कि वह इसे किसी एक पार्टी का मामला न बनायें। इस तरह की घटनायें हो रही हैं और वे बंद होनी चाहिए। सारे सदन की एक स्वर से आवाज जायेगी तो उसका असर होगा।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : अध्यक्ष महोदय, यह एक अति गंभीर मामला है और सारा सदन इसकी निंदा करता है। यह आवश्यक है कि सरकार इसके बारे में रिपोर्ट मंगवाए और उसको सभा पटल पर रखे। दूसरे श्री वाजपेयी जी ने कहा कि यह प्रथा सारे देश में विद्यमान है और सचिवालय इमारतों तथा पंचायत कार्यालयों में पानी और अन्य चीजों के लिए पृथक बर्तन रखे जाते हैं। इसलिये, मैं चाहता हूँ कि उन जगहों का पता लगाने के लिये जहाँ यह प्रथा जारी है और उसको तत्काल खत्म करने हेतु एक कार्यालय का गठन किया जाना चाहिए। तीसरे, मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह घटना वास्तव में हुई है तो उक्त स्कूल के दोषी शिक्षक को जिसने नन्हीं बालिका को इस प्रकार की क्षति पहुँचाई है उसको उदाहरणात्मक सजा दी जानी चाहिये।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : अध्यक्ष महोदय, अभी पासवान जी ने जो मामला उठाया, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। तमिलनाडु में ऐसी घटना आज पहली बार नहीं हुई हैं। ऐसी घटनायें विगत 4-5 वर्षों में अनेक बार हुई हैं। हुसूर और तसन्दूर कांड भी वहीं की देन थी और उस पर इस हाऊस में काफी देर तक आपने स्वंय चर्चा भी करायी थी। काफी दबाव पड़ने पर भी यह बात अभी तक प्रकाश में नहीं आयी है। निश्चय ही यह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बात

है, अभिशाप है और कानून का खुला उल्लंघन है। पांच साल की एक लड़की प्यासी रह जाये और उसकी क्लास अध्यापक उसकी आँखे निकाल दें, इससे अधिक गम्भीर घटना कोई नहीं और कोई नहीं हो सकती है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। यदि हमारे तमिलनाडु के मित्र चैलेंज कर रहे हैं और बार-बार यह कह रहे हैं कि ऐसी घटना हुई है और हम इसकी जांच करवा रहे हैं तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ऐसी घटना हुई ही नहीं तो जांच किस बात की करवा रहे हैं और कलैक्टर कहां जाकर जांच करवा रहा है ? संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुए हैं। वह या गृह मंत्री जी इस घटना के बारे में पता लगाये और 1-2 दिन में वक्तव्य दें क्योंकि यह हरिजनों और अछूतों का मामला है। इतना ही नहीं यह संविधान की खुले आम हत्या है।

[अनुवाद]

श्री ए० अशोकराज : अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि हम लोग सिर्फ प्रेस में छपी खबरों के आधार पर सभा में यह सब वक्तव्य दे रहे हैं। मैं अपनी पार्टी की सरकार का बचाव नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी की सरकार पर किसने दोषारोपण किया है।

श्री ए० अशोकराज : महोदय, खैर कुछ भी हो , श्री पासवान जी कह रहे थे ...

अध्यक्ष महोदय : आपकी पार्टी की सरकार के ऊपर किसने दोषारोपण किया है।

श्री ए० अशोकराज : खैर कुछ भी हो हमें इसके लिए दुख है। जब मुख्य मंत्री को सूचना मिली कि बालिका को इस प्रकार की क्षति अर्थात चोट, पहुँचाई गई है तो उन्होंने तत्काल जिलाधीश को खुद अस्पताल जाने के लिये कहा। मुख्य मंत्री जी ने तत्काल बालिका के इलाज हेतु 25,000 रुपये की धनराशि भी दी। बालिका को चिकित्सा के लिये तत्काल मद्रास भी ले जाया गया था। (व्यवधान) हम लोग सिर्फ प्रेस में छपी खबरों के आधार पर सभा में वक्तव्य दे रहे हैं। किसी ने भी स्वयं छानबीन नहीं की है। हमको इस सब की जानकारी सिर्फ प्रेस में छपी खबरों से मिल रही है।

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन : अध्यक्ष महोदय, यह लोग तमिलनाडु में अनुसूचित जाति और अन्य जाति के लोगों के बीच साम्प्रदायिक दंगे भड़काना चाहते हैं। यह विरोधी दलों का षड्यंत्र है और वह वहां कोशिश कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को नम्रता पूर्वक बताना चाहता हूं कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। वह मेरे निर्वाचन क्षेत्र में स्वयं आकर स्थिति का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर वह किसी भी चाय की दुकान पर एक भी पृथक बर्तन को पाते हैं तो मैं अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ।

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अध्यक्ष महोदय, यह वास्तव में एक निंदात्मक घटना है और मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं। हम निःसंदेह तमिलनाडु सरकार से पूछताछ करेंगे और तथ्यों को पता लगायेंगे। हम उन सदस्यों से भी तथ्य मालूम करेंगे। जो कि इस घटना के बारे में सूचना देना चाहते हैं।

श्री वाजपेयी जी ने ठीक ही कहा है कि पूरे देश में इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। कहीं पर ऐसी घटनाएं अधिक होती हैं और कहीं पर कम होती हैं। इसलिये, ऐसी निंदनीय घटनाओं में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न सरकारों द्वारा सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए और इन घटनाओं के खिलाफ जोरदार जनमत अति आवश्यक है। मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसी घटना के खिलाफ सभा उत्तेजित है और सभा में इसके विरूद्ध सभी एकमत हैं।

इसलिये, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वह उत्तेजित होने के बजाय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, और अन्य संस्थाओं से, जो कि इस प्रकार की सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगे हुए हैं, सहयोग करें। परन्तु, जहाँ तक इस घटना का प्रश्न है हम राज्य सरकार से पूछताछ करेंगे और कोशिश करेंगे कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृति न हो।

[हिन्दी]

श्री विश्वनाथ शर्मा (हमीरपुर) : अध्यक्ष जी, मैं झांसी में रहता हूं और सब को मालूम है कि महारानी लक्ष्मी बाई झांसी की थी, और उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था।

अध्यक्ष जी, झांसी का पुराना नाम बलवंत नगर है जो 15वीं शताब्दी में बसायी गयी नगरी है। यहां पर गुसाईयों का मठ, मन्दिर और विशाल भवन हैं। ये राष्ट्र की धरोहर हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि यदि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की कहीं यादगार बनानी हो तो वह झांसी में ही बनानी चाहिये। यह बहुत ही खेद का विषय है कि गत मई और जून महीने में वहां के गुसाईपुरा मोहल्ले में छोटे और बड़े मठों, भवनों, उनके बड़े द्वार, झरोखे, कुंये, बावड़ियां हैं, उन्हें तोड़ा गया। वहां पर कामर्शियल लोगों ने अपने भवन बनाने के लिए विद्यालय को तोड़ा है। यह दुख की बात है कि तत्कालीन सरकार के नुमायंदे वहां उपस्थित थे, पुलिस वहां खड़ी हुई थी जिनके सामने यह सब हुआ है। वहां के नागरिकों ने मिलकर कलेक्टर को लिखा है, समाचार पत्रों में छपा है। मेरा मानव संसाधन मंत्री से आग्रह है कि वे भारतीय पुरातत्व विभाग से कहें कि इस बात की जांच की जाये और उन स्थानों को संरक्षण दिया जाये तथा उन्हें राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाये।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक अहम सवाल सरकार के सामने रखना चाहता हूं।

पिछले दिनों इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन रिफार्म्स के सिलसिले यह अहम एलान किया कि फोटो पहचान पत्र बनायें जायेंगे ताकि देश में इलेक्शन्स के दौरान जो रिगिंग होती है, उसे रोका जाय, लेकिन आज जो भी फोटो पहचान पत्र बन रहे हैं, उसमें भी बड़े पैमाने पर रिगिंग हो रही है। क्या आप रिगिंग के बारे में सोच सकते हैं ? सरकारी अफसरों के बयान के मुताबिक 4 फोटो पहचान पत्र गलत बन रहे हैं लेकिन उसके फौरन बाद गिल साहब का बयान आया कि दिल्ली में 20 परसेंट गलत पहचान पत्र बने हैं जिसके लपेटे में मैं खुद आ गया हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरे पास ऐसे 4 फोटो पहचान पत्र हैं, जिनको हम सदन

के सामने रखना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे खुद के फोटो पहचान पत्र में मैं अपनी तस्वीर खुद नहीं पहचान सकता हूं।

मामला यही नहीं, जब मेरी बीवी ने आईडेण्टिटी कार्ड देखा .....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कहीं आपकी जवानी की तस्वीर तो नहीं है इस पर ?

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, मैं बुड्ढा हो गया हूं। जब से मेरी बीवी ने उसका आईडेण्टिटी कार्ड देखा तो उसने कहा कि दूसरी बीवी कहां से आ गई ? तलाक तक मामला पहुँच गया है। अध्यक्ष जी। मेरे पड़ोस में किरन बेदी रहती हैं और किरन बेदी जो कि पूरे हिन्दुस्तान मे अखबारों में, मैगजीन्स में बराबर छपती रहती हैं, उनके आइडेण्टिटी कार्ड पर किसी और की तस्वीर इतनी भौण्डी है कि जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि मैं इतनी खराब नहीं हो गई हूँ, मैं इससे अच्छी दिखती हूं। यह तस्वीर कैसे आ गई ? लेकिन मामला हमारे आईडेण्टिटी कार्ड के गलत छपने का नहीं है। हिन्दुस्तान के आने वाले चुनावों पर यह असर डालेगा। मेरा कहना था कि गिल साहब के हिसाब से कोई 20 प्रतिशत गलत आईडेण्टिटी कार्ड बन गए हैं। मैं समझता हूं कि चाहे सत्ता पार्टी हो या चाहे आईडेण्टिटी कार्ड बनाने वाला इलेक्शन कमीशन, न जाने किन ताकतों के साथ मिलकर वह सांठ-गांठ कर रहा है। आने वाले इलैक्शन पर इसका काफी बुरा असर पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मैं कभी आईडेण्टिटी कार्ड के लिए अपनी फोटो खिचवाने नहीं गया लेकिन मेरा आईडेण्टिटी कार्ड बनकर आ गया। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के अंदर आगामी चुनावों में जाली फोटो पहचान पत्र के जरिये दिल्ली पर कब्जा करने की साजिश होगी। मैं चाहता हूं कि इस पर एक कमीशन बैठाया जाए और कमीशन बैठाकर पूरी जांच कराकर व्हाइट पेपर सदन के सामने रखा जाए और इलेक्शन कमीशन का जो कथन है कि "नो आईडेण्टिटी काडर्ज, नो इलेक्शन", अगर ऐसे आईडेण्टिटी काडर्ज से इलेक्शन हुआ तो मैं समझता हूं कि किस तरह की पार्लियामेंट बनेगी और किस तरह की हुकूमत बनेगी वह आप समझ सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब मैंने इलेक्शन कमीशन को कमप्लेण्ट की तो मेरे पास उनका एक लेटर आया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं इनकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप समाप्त करिये।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : वह बहुत गंभीर मामला है। उन्होंने लेटर में लिखा कि अगर आपने अपना आइडेण्टिटी कार्ड नहीं बनवाया तो आपका नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। बड़े ताज्जुब की बात है कि जब मैंने उसके लिए ऐप्लाइ ही नहीं किया तो कैसे नाम निकाल दिया जाएगा ? इस पर एक कमीशन बैठाया जाए। यह पूरे मुल्क का मामला है। आने वाले इलेक्शन अर्जुन सिंह जी की मेहरबानी से जल्दी भी हो सकते हैं। इसलिए इस पर जल्दी से जल्दी एक कमीशन बैठाकर जांच करायी जाए और इसकी रिपोर्ट सदन के सामने लायी जाए। यह बहुत ही अहम सवाल है।

श्री शिवाजीराव नामदेवराव गूडेवार (हिंगोली) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1972 में केन्द्रीय सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के आरक्षण का एक कानून सरकारी कर्मचारियों के लिए अमल में लाने हेतु बनाया था। न्यायालयिक कर्मचारियों के लिए यह कानून कुछ ही राज्यों में लागू किया गया है, बाकी राज्यों में यह कानून अमल में नहीं लाया जा रहा है। मसलन, अभी महाराष्ट्र में भी यह कानून न्यायपालिका कर्मचारियों के लिए लागू नहीं किया गया है। 1972 से 23 वर्ष बीतने के बाद भी न्यायालयिक कर्मचारियों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें उनके हक से वंचित किया जा रहा है। अंत में मेरा विधि और न्याय मंत्री से अनुरोध है कि जिन राज्यों में यह व्यवस्था अमल में नहीं लायी जा रही हैं, उन राज्यों में इसे शीघ्र अमल में लाने हेतु व्यवस्था करें।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : अध्यक्ष जी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन की देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी बड़ौदा के पास कोइली में है। एक बड़ी दुर्घटना शुक्रवार की सुबह साढ़े तीन बजे वहां हुई। 50 लाख लीटर की क्षमता वाले एक टैंक में अचानक बहुत बड़ी आग लग गई। देखते ही देखते उसके पड़ोस में 50 लाख लीटर की क्षमता वाले एक और टैंक में आग लग गई। अचानक आग ने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया। करीब सौ करोड़ रुपए का नुकसान इसमें हुआ। आग कैसे, लगी, वह अखबारों के जरिये हम जानते हैं। जो कारण दिया जाता है कि अचानक साढ़े तीन बजे सीआईएसएफ का एक इंस्पैक्टर जीप में गया। जीप स्टार्ट करने के कारण उसके पीछे से जो स्पार्क हुआ, उससे आग लग गई। यह मानने वाली बात नहीं है। हमारे गुजरात तथा देश के लिए एक बात हुई कि उस दिन सुबह विण्ड डायरेक्शन उस रिफाइनरी के पीछे आईपीसीएल के प्लाण्ट की तरफ नहीं थी।

उसमें इतने पोइजन्स कैमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है कि अगर उसका विंड डायरेक्शन साउथ-वेस्ट के बजाय वेस्ट-ईस्ट में होता तो इस देश में भोपाल से भी खतरनाक घटना घट जाती। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि दो-तीन दिनों में अखबारों से पढ़ते रहे हैं उसका असली कारण क्या है ? हमारे मन में शंका है। उसका कारण सबोटेज ही होना चाहिए, सबोटेज के कारण भी हुआ होगा। विद्वेष प्रतिकारी प्रवृत्ति के कारण भी हुआ होगा। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी ज्युडिशियल इंक्वायरी कराई जाए।

अध्यक्ष जी, मैं दूसरी बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उसके बिल्कुल पड़ौस में जवाहरनगर इंडस्ट्रीयल एस्टेट हैं। सरकार के रासायनिक पैट्रो कैमिकल्स डिपार्टमेंट ने सर्वेक्षण किया है, उसके मुताबिक 55 बड़ी यूनिटस् ऐसी हैं जिनमें जहरीली गैस और जहरीले कैमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आज नहीं तो कल अगर सरकार ठीक तरह से प्रिवेंटिव मैजर्स नहीं लेती है, जिसके कारण से जो गैस और कैमिकल्स में घटना बनी, अगर देखती नहीं है तो बड़ा खतरा हो जाएगा। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यह जो 50-55 जवाहर नगर इंडस्ट्रीयल एस्टेट में यूनिट्स है उसकी भी रिपोर्ट रखी जाए और इस घटना की पूरी जांच की जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या सरकार प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहती है ?

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : इस देश में बहुत बड़ी घटना घटी है।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : हम तथ्यों का पता लगायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप सभा को तथ्यों से अवगत करायेंगे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : जी हाँ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : मैं जिस मुद्दे को उठाना चाहता हूँ इसकी सूचना आपको पहले ही दे दी गई थी। मुझे दुख है कि ऐसा मामला इस प्रकार से शून्य काल में उठाना पड़ रहा है। मेरे विचार में यह अधिक उपयुक्त होता यदि सरकार ने स्वयं अथवा आपने सभा को इसकी पुनः सूचना दी होती। कल यानि 6 अगस्त को इसकी 50वीं वर्षगांठ थी।

अध्यक्ष महोदय : हम इसकी चर्चा कर रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कहाँ ? क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : हम इस पर नेताओं की बैठक में आज चर्चा करने जा रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह कल थी। कल हिरोशिमा में बम गिराये जाने की 50वीं वर्षगांठ थी।

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक तरह से होना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं चाहता था कि उल्लेख किया जाए। बहुत समय पहले भारत सरकार ने इस बारे में कुछ कहना ही बंद कर दिया है। इन दिनों इन मामलों में वह कुछ भी नहीं कह रही है। मुझे मालूम नहीं है, क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : आप ठीक कह रहे हैं और आपने मुझे कल भी बताया था। परन्तु, हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। यह 9 अगस्त को हो सकता है क्योंकि 9 अगस्त को भी बम गिराया गया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : 9 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी पर गिराया गया था।

अध्यक्ष महोदयः हम 6 अगस्त अथवा 9 अगस्त को कर सकते हैं। इसीलिये हम सोच रहे हैं। 6 अगस्त को अवकाश था। अगर आप इस प्रकार से उठाना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, हम ठीक प्रकार से भी कर सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः क्या मैं इसको आश्वासन के रूप में ले सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आपको ऐसी अपेक्षा नहीं करनी चाहिये क्योंकि मैं यह आश्वासन नहीं देने जा रहा हूँ। परन्तु, आपको मेरी बात का तात्पर्य समझना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे तात्पर्य समझ में नहीं आता है क्योंकि देश के जनप्रतिनिधियों के रूप में हम इसकी अभिलाषा नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों के लिए यह उचित नहीं है कि वह पीठासीन अधिकारी से आश्वासन देने के लिए कहें। मैं कह चुका हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। आपने यह बात कही है और आपका कहना ठीक भी है और हम आपकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। मैं देखूँगा कि आप क्या निर्णय करते हैं।

श्री पी० जी० नारायणनः श्रीलंका की नौ-सेना द्वारा भारतीय मछुआरों पर अक्सर आक्रमण किये जाते हैं। पिछले सप्ताह समुद्र में मछली पकड़ने के लिये गये पांच मछुआरों को कोडईक्कराई के पास श्रीलंका की सेना ने विमान से बम गिराकर निर्ममता से मार डाला। इस आक्रमण से तमिलनाडु के लोगों में शोक और भय की लहर दौड़ गई थी।

पुनः यंत्रीकृत मछली पकड़ने वाली नावों पर गोलियां दागने का एक अन्य मामला प्रकाश में आया है।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। श्रीलंका की सेना द्वारा हमारे मछुआरों की समय-समय पर हत्या की जाती है। मछुआरों के मामलों को भारत सरकार बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेती है। हमारी मुख्य मंत्री ने इस बारे में प्रधान मंत्री महोदय को अनेक पत्र लिखे हैं। लेकिन सरकार मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करने के अपने कर्तव्य में असफल रही है। अतः अपने मछुआरों की हत्या रोकने के लिए श्रीलंकाई सरकार के साथ यह मामला उठाने के लिए तत्काल कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। मछुआरों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने प्रभावित मछुआरों को दिए जाने वाले मुआवजे को अचानक रोक दिया है। एक वर्ष पहले तक भारत सरकार प्रभावित मछुआरों को मुआवजा देती थी। अब इसे बन्द कर दिया गया है। अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह प्रभावित मछुआरों को मुआवजे की अदायगी पुनः बहाल करें .... (व्यवधान)। यह बहुत गंभीर मामला है। ऐसा अक्सर हो रहा है। सैकड़ों मछुआरे मारे जाते हैं। सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह अति गंभीर मामला है ..... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सरकार से इस मामले पर भली-भांति विचार करने के लिए कहूंगा।

श्री पी०जी० नारायणन : यह कोई साधारण मामला नहीं है।..... (व्यवधान)

श्री एन०आर० कादम्बूर जनार्दनन : रोज़ हत्यायें हो रही हैं। सारे सदन को इस मामले का समर्थन करना चाहिये। मैं सरकार से जवाब चाहता हूं। मैं सारी सभा से तमिलनाडु के अपने गरीब मछुआरों के बचाव के लिए, जो श्रीलंका की सैन्य- आक्रमण में दिन-प्रतिदिन मर रहे हैं, आगे आने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, जो मामला उठाया गया है वह बहुत गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यही कारण है कि मैंने सरकार से इस पर विचार करने के लिए कहा है।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार (फरीदकोट) : अध्यक्ष महोदय, देश की अकल्लीयतों के साथ बुरा सलूक हो रहा है उसका वर्णन आपकी इजाजत से करना चाहूंगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसकी जानकारी है कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जो जवान आर्मी, बी०एस०एफ० व सी०आर०पी०एफ० से लिए जाते हैं वे देश के वी०वी०आई०पीज० की सिक्योरिटी करते है, जेड सिक्योरिटी और तमाम मुल्क की जो डिग्नेटरीज् हैं उनकी सिक्योरिटी में जाते हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि 7400 के करीब जवानों की इस फोर्स में रखा गया, मेरे पास बिल्कुल कन्फर्म रिपोर्ट है और मैंने इस संबंध में होम मिनिस्टर से बात की थी .... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपने इस बारे में कोई प्रश्न क्यों नहीं दिया। ताकि सरकार आपके सभी प्रश्नों और अनुपूरक प्रश्नों का जवाब दे सकती? आप अचानक ही सरकार से इस बारे में पूछ रहे हैं। आप कुछ उद्धत कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

श्री जगमीत सिंह बरार : जी नहीं, महोदय। मैं गृह मंत्री जी से मिला हूं। मैं यह बात उनके नोटिस में लाया हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न रखिये। यह कोई तात्कालिक मामला नहीं है। यह एक ऐसा मामला है जो काफी समय से चला आ रहा है।

श्री जगमीत सिंह बरार : यह तात्कालिक महत्व का मामला है क्योंकि मैं सिर्फ एक प्रश्न उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला पहले से ही चल रहा है।

श्री जगमीत सिंह बरार : जिन 7400 लोगों को रोजगार दिया गया है, उनमें से एक व्यक्ति भी वहां अल्पसंख्यक समुदाय का नहीं है। उनमें से तो कोई मुसलमान हैं, न ही सिक्ख न ही जैन। इनमें से कोई भी उसमें नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात भी सुनिए। आप आंकड़े दे रहे हैं। आप किसी रिपोर्ट में से पढ़ रहे हैं।

श्री जगमीत सिंह बरार : मैंने इसकी जांच-पड़ताल कर ली है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला उठाने के लिए यह उपयुक्त अवसर नहीं है। आपने सरकार को नोटिस नहीं दिया है। आप सभा में इतना महत्वपर्ण मामला उठा रहे हैं। सभा से बाहर इस मामले का क्या प्रभाव है ?

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : यह संविधान का उल्लंघन है और देश के संविधान की धारा 12(2) के मुताबिक.... (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए आपको प्रश्न रखना चाहिये था। कृपया संक्षेप में बोलिए। कृपया ये सभी बातें उद्धृत मत कीजिये।

[हिन्दी]

श्री जगमीत सिंह बरार : आपने कहा कि बोला नहीं गया, मैंने होम मिनिस्टर श्री पायलट जी से मिलकर ....(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कोई तरीका नहीं है। आपको लिखित रूप में सूचना देनी पड़ेगी।

श्री जगमीत सिंह बरार : यह उनके नियंत्रण में है। मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने 'हां' कहा था।

अध्यक्ष महोदय : आपको इसे लिखित रूप में देना पड़ेगा। आप उनसे मौखिक रूप से बातचीत करके यह नहीं कह सकते कि आपने उनसे बात कर ली हैं। इसके लिए नियम बनाये गये हैं। इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। आप यह बताते हुए कि अनेक सदस्य इस प्रश्न को उठाना चाहते हैं, सूचना दे सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप प्रत्येक सदस्य की इच्छानुसार सभा की कार्यवाही चलाना चाहते हैं तो यह बहुत मुश्किल है।

श्री जगमीत सिंह बरार : आप जो कुछ कहते हैं, मैं उससे सहमत हूं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : आप खड़े हुए हैं। कृपया संक्षेप में बोलिये और बैठ जाइये। इन सभी चीजों को उद्धृत मत कीजिये।

श्री जगमीत सिंह बरार: मैं कुछ भी उद्धत नहीं करूंगा। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि 52 प्रतिशत जवान सेना और अन्य अर्ध-सैन्य बलों से लिये जाते हैं। मैं निदेशक का नाम नहीं लूंगा। लेकिन जब 'इकानामिक टाइम्स' के किसी पत्रकार ने विशेष रूप से यह पूछा कि जिन 7400 लोगों को रोजगार दिया गया है, उनमें से अल्पसंख्यक समुदायों का कोई भी व्यक्ति नहीं है और उसका उत्तर क्या था, उसका उत्तर था..... ठीक है, महोदय मैं उद्धृत नहीं करूंगा.... (व्यवधान)

[हिन्दी]

मेरी यही गुजारिश होगी कि अकल्लीयतों ने देश के लिए बहुत कुर्बानियां की हैं। देश के विधान के अनुसार धर्म, जात-पात, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई बेइंसाफी नहीं होनी चाहिए। इसलिए इसकी थोरो इंक्वायरी करके जो जवान माइनोरिटी से हैं उनको भी इसमें मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि यह बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है।

[अनुवाद]

श्री विद्याचरण शुक्ल : महोदय, ऐसे संवेदनशील मामले को उठाने का यह बहुत ही गलत तरीका है धर्म अथवा अल्पसंख्यकों अथवा बहुसंख्यकों के आधार पर सुरक्षा संबंधी मामलों पर निर्णय नहीं लिया जाता है। यह बिल्कुल गलत आरोप है और इस प्रकार का आरोप और आक्षेप सभा में किसी सदस्य को नहीं लगाना चाहिए। मैं उस रिपोर्ट में सन्निहित सुझावों का कड़ा विरोध करता हूं। मेरा सुझाव है कि सौहार्द्रता का माहौल बनाये रखने के लिए यह अच्छा है कि.....(व्यवधान)

श्री जगमीत सिंह बराड़ (फरीदकोट) : वह इसका महत्व कम करना चाहते हैं। वह इस को समाप्त करना चाहते हैं .... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना प्रश्न रखिये।

(व्यवधान)

श्री जगमीत सिंह बराड़ : मैं सरकार के विरुद्ध आरोप क्यों लगाऊंगा ? वह इस बात से परेशान क्यों हैं कि मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं। उनका कहना है कि मैं सरकार पर आरोप लगा रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह अच्छे सम्बन्ध बनाये रखने में उपयोगी नहीं हैं। इससे बिल्कुल गलत संदेश जाता है। तथ्यों की जानकारी सदस्य महोदय को भी नहीं है; हमें तथ्यों की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। वह जो कुछ कह रहे हैं, वह बिल्कुल गलत है।

वक्तव्य देने से पहले हमें जांच करनी होगी। ऐसा नाजुक वक्तव्य इस तरह से नहीं दिया जाना चाहिए। मैं इस मामले को कार्यवाही वृतान्त से निकालने का अनुरोध करूँगा ताकि ....(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : सभा को यह भी स्पष्ट है कि 74,000 व्यक्तियों में से कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय में से नहीं है ....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है, यह एक बहुत ही नाजुक मामला है। इसे बहुत सावधानी से सुलझाना चाहिए। अब यदि इसे सभा के ध्यान में लाया गया है कि स्थिति यह है तो इसकी सावधानीपूर्वक जांच करने दीजिए। और यदि सुधार की कोई गुंजाइश है तो ऐसा किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : उन्होंने सुझाव दिया है कि इस मामले को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से नहीं निकालूँगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे सही तरीके से निपटाया है। यदि प्रत्येक सदस्य अपनी बात पूरी करना चाहे तो यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीयकृत उद्योगों के निजीकरण की जो नीति जो सरकार ने अपनाई हैं, इसके बारे में काफी विवाद बना हुआ है। उस पर संसद में व संसद के बाहर चर्चा चलती है।

मैं आपके सामने एक दूसरा महत्वपूर्ण विषय उपस्थित करना चाहता हूं, ऐसा लगता है कि कापरेटिव इंस्टीट्यूशन्स का भी प्राइवेटलाइजेशन करने की सरकार ने एक नई नीति बनाई है। मुंबई में डेवलपमेंट कापरेटिव एक बहुत बड़ा बैंक है। उस बैंक में लगभग एक हजार करोड़ के डिपाजिट्स हैं, 50 हजार के उसके शेयर होल्डर्स हैं और उसकी 32 ब्राचिस है। किसी भी कापरेटिव इंस्टीट्यूशन को बंद करके उसको प्राइवेट कम्पनी करने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट कापरेटिव बैंक को डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक करके रजिस्टार किया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ने जो पहले का बैंकिंग लाइसेंस था, वही लाइसेंस उनको दिया है।

मैं आज सदन में यह प्रश्न इसलिए उपस्थित करना चाहता हूं कि अगर एक बार कापरेटिव बैंक का इस प्रकार से निजीकरण कर दिया गया तो बाकी के जो अर्बन बैंक्स हैं, उन सब में भी यह हो जायेगा। जो कापरेटिव शुगर फैक्ट्रियां है, कापरेटिव मिल्क एसोसियेशन्स हैं, उन सबमें भी यह हो जायेगा। सरकार की इस बात की गंभीरता को समझकर, कि वह इसके बारे में क्या कर रही है, उस पर एक बयान देना चाहिए। सौभाग्य से वित्त मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। अगर वे इस पर कुछ कहेंगे तो उचित होगा।

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री राम नाईक ने एक बैंक विशेष के मामले को उठाया है। जिस तरह से उन्होंने तथ्यों को प्रस्तुत किया है, मैं बहुत सम्मानपूर्वक कहता हूं कि उससे मामले की सही स्थिति पता नहीं चलती है। एक सहकारी विकास बैंक था और वह महामहिम श्री आगा खान के सहारे से चलता था। श्री आगा खान यहां दो वर्ष पहले आए थे और उन्होंने कहा था कि वे इस बैंक को अनुसूचित बैंक में बदलना चाहते हैं ताकि वे भारतीय लोगों की सेवा कर सकें और अपनी नीति के एक भाग के रूप में अल्पसंख्यको की बड़े पैमाने पर सेवा कर सकें। इसलिए उनकी सहमति से और उनके द्वारा ऐसा कहने पर हमने उस बैंक को सहकारी बैंक से अनूसूचित बैंक में बदल दिया। इसलिए इस दृष्टि से यह कहना कि हम सहकारी बैंकों का निजीकरण कर रहे हैं पूर्णतः गलत है।

श्री राम नाईक : अनूसूचित बैंक एक भिन्न मामला है। एक सहकारी बैंक अनुसूचित बैंक हो सकता है। लेकिन उसे संयुक्त स्टाक कम्पनी बना दिया गया है। यह मेरा निवेदन है। कृपया इस बात की जांच कीजिए।

श्री मनमोहन सिंह : यह सब बैंकों के प्रोमोटरों के कहने पर किया गया है।

श्री रामनाईक : इसमें 45,000 शेयर-धारक हैं। उनका क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है, हमने इस पर 40 मिनट लगा दिए हैं। अब एक अन्य मद अर्थात सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों पर विचार करना चाहिए।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

जल-परिवहन परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण):–

(1) सा०का०नि० 417 (अ), जो 23 मई, 1995 के भारत के राजपत्र

में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (नौभरकों की अनुज्ञप्ति) और सहबद्ध मामले, (पहला संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(2) सा०का०नि० 420 (अ), जो 24 मई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विशाखापत्तनम न्यास गोदी (संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(3) सा०का०नि० 522 (अ), जो 27 जून, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कांडला पत्तन न्यास (नौभरकों की अनुज्ञप्ति) (संशोधन) विनियम, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(4) सा०का०नि० 545 (अ) जो 12 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा मुम्बई पत्तन न्यास (संविदा का प्ररूप और रीति) (संशोधन) विनियम, 1995 का अनुमोदन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल.टी. 7979/95]

12.40 ½ म०प०

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

दसवाँ प्रतिवेदन

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने 4 अगस्त 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गए अपने दसवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके सामने दर्शाई गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए :–

(1) श्री प्रवीण डेका	24.4.95 से 3.6.95 तक
(2) श्री राजाराम शंकरराव माणे	31.7.95 से 17.08.95 तक
(3) श्री आर० जीवरत्नम	31.7.95 से 14.08.95 तक
(4) श्री श्याम लाल कमल	31.7.95 से 25.08.95 तक
(5) कुमारी उमा भारती	31.7.95 से 25.08.95 तक

क्या सभा समिति द्वारा यथा संस्तुत अनुमति देती है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति प्रदान की जाती है। सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

12.41 म० प०

गृह कार्य सम्बन्धी समिति

इक्कीसवाँ प्रतिवेदन

श्री किरिप चलिहा (गुवाहटी) : मैं अधिक्रय (संशोधन विधेयक, 1989 के बारे में गृह कार्य संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

12.41 ½ प० प०

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1995-96

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह) : मैं वर्ष 1995-96 के बजट (सामान्य) के संबंध में अनुपूरक अनुदानों की मांगें दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 7979/95]

12.42 म०प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) **हिमाचल प्रदेश की पनबिजली परियोजनाओं को स्वीकृति दिये जाने की आवश्यकता**

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हि०प्र० में पन बिजली दरियाओं और नदियों से पैदा करने हेतु 20 हजार मेगावाट की क्षमता है। हिमाचल राज्य सरकार ने नई नीति के मुताबिक प्राइवेट लोगों को उत्साहित करने हेतु कुछ योजनाएं भारत सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी हैं परन्तु अभी तक राज्य सरकार को इसकी मंजूरी प्राप्त नहीं हुई हैं। जितना इसमें समय अधिक लग रहा है, उससे सारे प्रोजेक्टों पर जो धन व्यय होगा, उसके निर्माण व्यय में भी अधिक खर्च आएगा और पढ़े-लिखे युवक-युवतियां हैं, जो इन प्रोजक्टों में काम करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं और उद्योगों का विस्तार भी हो सकेगा, ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली अधिक मात्रा में मिल सकेगी। मैं भारत सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसकी जो भी हिमाचल राज्य सरकार से विद्युत संबंधी योजनाएं प्राप्त हुई हैं, उन सबकी स्वीकृति तुरन्त दी जाए, ताकि जो लोग इस क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उन्हें काम करने में कोई कठिनाई न आए और यह पन बिजली योजना का कार्य एक निश्चित अवधि में समाप्त हो सके।

(दो) **बिहार के सीमावर्ती जिले सहरसा, दरभंगा और फोरबिसगंज के बीच सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा किये जाने की आवश्यकता**

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, उत्तरी बिहार का सहरसा एक सीमावर्ती जिला है जिसकी सीमा पड़ोसी देश नेपाल से लगती है। वर्ष 1962 में जब चीन के द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था और उस वक्त सुरक्षा सेनाएं सीमावर्ती सड़क न होने के कारण समय से नहीं पहुँच पा रही थीं तो तत्कालीन प्रधान मंत्री पं० जवाहरलाल नेहरू ने इस कमी को महसूस करते हुए कश्मीर से लेकर असम तक सीमा क्षेत्र में एक सड़क बनाने का निर्णय लिया था और उसी के अनुसार कश्मीर से दरभगा तक तथा फारबिसगंज से असम तक एक सड़क का निर्माण हुआ। परन्तु यह सड़क कोसी नदी में पुल न बनाए जाने के कारण दरभंगा से फोरबिसगंज तक जो एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, वह 30 वर्ष गुजर जाने के बाद भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी है।

इस सड़क दरभंगा से फारबिसगंज के पूरे न होने से सुरक्षा सेनाओं को अत्यधिक चक्कर काटकर जाना पड़ता है जिसमें समय एवं व्यर्थ में धनराशि खर्च होती है। इस सड़क के बनने से जहां सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा होगी वहीं इस क्षेत्र की जनता जो कि आवागमन न होने के कारण परेशान रहती है, उसे भी सुविधा हो जाएगी।

अत : मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि वह विशेष परिस्थिति में दरभंगा से फारबिसगंज तक के इस छूटे हुए भाग को अविलम्ब बनाए जिससे कश्मीर से लेकर असम तक एक सुरक्षित सड़क बन सके और वही सहरसा दरभंगा जिले की सीमावर्ती जनता को भी अपने आवागमन में सुविधा हो सके। इस कारण इस अति महत्वपूर्ण सीमावर्ती सड़क का निर्माण कार्य अविलम्ब करवाया जाए।

(तीन) उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेषतः पौड़ी तथा चमोली जिलों में पेयजल की समस्या का स्थायी समाधान ढूंढे जाने की आवश्यकता

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर-प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों, विशेषत, पौड़ी एवम् चमोली जनपदों में पेयजल का संकट लगातार गहराता जा रहा है। इन जनपदों में करीब तीन चौथाई गांवों में अभी तक पेयजल का भारी संकट व्याप्त है। हालांकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार बहुत से गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है पर वास्तव में पेयजल उपलब्ध नहीं है। अधिकतर गांवों में पेयजल योजनाएं अस्त-व्यस्त पड़ी हैं और 1991 के भूकम्प के बाद अभी तक ठीक नहीं की गई हैं।

लोगों को पेयजल प्राप्त करने हेतु पहाड़ों में चार से पांच किलोमीटर की दूरी तय कर घाटियों तक जाना पड़ता है। आजकल इस भंयकर बरसात में भी लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है। मेरे जनपद पौड़ी व चमोली में पेयजल संकट का एक प्रमुख कारण पानी का स्तर अत्यधिक गहराई में होना भी है। इन जनपदों में गंगा यमुना जैसी नदियों का कोई महत्व नहीं रहता है। किसी भी पेयजल योजना के निर्माण के लिए पम्पिंग सैट लगाना पड़ता है, जिसपर अत्यधिक धनराशि व्यय होती है।

इन जनपदों में पेयजल का संकट ग्रीष्म काल में और भी अधिक बढ़ जाता है। जबकि प्राकृतिक स्त्रोत भी सूख जाते हैं। लोगों को एक बाल्टी पानी प्राप्त करने हेतु भी पूरा दिन व्यतीत करना पड़ता है। मैं इस समस्या को पहले भी कई बार उठा चुका हूं पर अभी तक कोई भी ठोस कदम सरकार द्वारा नहीं उठाया गया है।

अतएव मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि पेयजल संकट से ग्रस्त इन जनपदों में इस समस्या के शीघ्र निराकरण हेतु पौड़ी गढ़वाल और चमोली जनपदों के लिए एक विशेष केन्द्रीय समिति का गठन करें और एक ठोस सर्वव्यापी पेयजल योजना इन दोनों जनपदों के लिए बनाएं और यहां पेयजल संकट से ग्रस्त गांवों का शीघ्र सर्वेक्षण करवाया जाय तथा उन ग्रामों में पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिवर्ष लक्ष्य रखा जाय। मेरा अनुरोध है कि यह कार्य युद्धस्तर पर किया जाय।

(चार) बिहार के पलामू, चतरा और गया जिलों के गांवों को वन सेना के उपयोग के लिये अधिग्रहीत किये जाने से रोकने की आवश्यकता

श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा (चतरा) : अध्यक्ष महोदय, ज्ञात हुआ है कि बिहार राज्य के अन्तर्गत देश के अति पिछडे जिले पलामू, चतरा और गया के मनातू, प्रतापपुर, कुन्दा, हन्टरगंज, डुमरिया, ईमामगंज प्रखण्डों के सैकड़ों गांवों को सरकार सेना के इस्तेमाल के लिए अधिग्रहीत करने जा रही है। सेना के अभ्यास के लिए पहले रांची और पलामू जिले के कुछ गांवों को उजाड़ने का प्रस्ताव था, किन्तु स्थानीय लोगों के विरोध के कारण शायद स्थान का बदलाव किया जा रहा है और अब हमारे लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र चतरा के अधिकांश हिस्से को इसकी चपेट में लिया जा रहा है, जिससे सैंकड़ों गांव और लाखों व्यक्ति प्रभावित होने वाले हैं। समाचार-पत्रों के माध्यम से इस बात की जानकारी मिलते ही सम्बन्धित गांवों में खलबली मची हुई है।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह स्थिति स्पष्ट करे तथा इस कदम को रोके।

(पांच) राजस्थान में गैस पर आधारित बिजलीघरों की स्थापना करने हेतु प्रदेश को प्राथमिकता के आधार पर प्राकृतिक गैस की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पिछड़ा मरू प्रदेश है, उसकी अपनी नदियां न होने से बिजली के मामले में आज भी उसे अन्य राज्यों से मंहगी बिजली लेने को मजबूर होना पड़ता है।

यह ठीक है कि राज्य सरकार के प्रयत्नों से बीकानेर-नागौर बेसिन में भारी तेल के अनुमानित 100 मिलियन टन के भण्डारों को विकसित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रयत्न किये जा रहे हैं। यह विश्वित किया जा रहा है कि राज्य प्राप्त पैट्रोलियम का शीघ्र विकास राज्य में ही किया जाय। देश के पश्चिम तट के पास समुद्र के नीचे (बम्बई हाई) तेल व गैस के बड़े भण्डार हैं, जिसमें तेल के उत्पादन के साथ-साथ गैस भी निकलती है। गैस के समुचित उपयोग की व्यवस्था सरकार द्वारा नहीं की जा सकी है। इस कारण गैस को समुद्री सतह पर ही जला दिया जाता है।

समुद्र के नीचे पाये जाने वाले गैस के भण्डार सम्पूर्ण राष्ट्र की सम्पत्ति है। यह एक ऐसी प्राकृतिक सम्पदा है, जिसका समुचित उपयोग सम्पूर्ण देश की उन्नति के लिए किया जाना चाहिए। राजस्थान में ऊर्जा के साधन न होने से गैस को प्राथमिकता के आधार पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार राजस्थान प्रदेश को उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, जिससे वह गैस आधारित बिजलीघरों का निर्माण कर बिजली के मामले में आत्मनिर्भर हो सके।

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 377 में यह भी व्यवस्था है कि इस नियम के अन्तर्गत उठाये गये मामलों का प्रत्युत्तर तत्सम्बन्धी विभाग हमें दे, लेकिन खेद का विषय है कि जब से मैं सांसद बना हूं, पच्चीसों मामले मैंने नियम 377 के तहत उठाये हैं, परन्तु एक प्रत्युत्तर के अलावा कोई प्रत्युत्तर किसी भी मंत्रालय ने नहीं भेजा है। इसको भी आप देखने की कृपा करें।

[अनुवाद]

(छह) जलपाईगुड़ी जिले के मयनागुड़ी ब्लाक मुख्यालय में एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री विश्वेन्द्र नाथ दास (जलपाईगुड़ी): महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यद्यपि मिनागुड़ी जलपाईगुड़ी जिले में ब्लाक मुख्यालय है फिर भी इस में अभी भी एस०टी०डी० सुविधा उपलब्ध नहीं है। यह एक बड़ा व्यवसायिक केन्द्र है और इसमें बहुत से शैक्षिक संस्थान, सरकारी कार्यालय

अस्पताल आदि हैं। यहां पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज पहले से ही मौजूद है। इस क्षेत्र के लोग इस मुद्दे पर बहुत उत्तेजित हैं।

अतः मैं केन्द्र सरकार से इस संबंध में तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं ताकि मिनागुड़ी के लोग एस०टी०डी० सुविधा का लाभ उठा सकें।

12.51 म०प०

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधयेक

राज्य सभा द्वारा यथापारित– जारी

अध्यक्ष महोदय : अब सभा प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक पर आगे चर्चा करेगी। श्रीमती सरोज दुबे अपना भाषण जारी रखेंगी। .

[हिन्दी]

12.52 म०प०

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपने वक्तव्य को आगे बढ़ाते हुए कहना चाहती हूं कि जो यह अधिनियम आया है यह बहुत सीमित उद्देश्य को लेकर आया है। लेकिन बड़ी चतुराई से भरा हुआ है। इसके तहत मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेगनेंसी में 6 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश स्वीकृत किया गया है, तथा टयूबेक्टॉमी आपरेशन में दो सप्ताह का वेतन सहित अवकाश स्वीकृत किया गया है, यह बहुत कम है। गर्भधारण और प्रसव, फिर प्रसव के बाद, नारी शरीर बहुत जटिल प्रक्रिया से गुजरता है। इसी दौरान उसे केयर और विश्राम की जरूरत होती है। जब प्रसव के बाद नारी की गोद में नवजात शिशु आ जाता है तो वह सारी पीड़ा को भूल जाती है। लेकिन एमटीपी के बाद वह शारीरिक रूप से नहीं , मानसिक रूप से भी आहत होती है। ऐसे में उसको पुनः स्वास्थ्य लाभ करने के लिए समय की आवश्यकता होती है। इसी तरह से ट्यूबेक्टॉमी में केवल दो सप्ताह का अवकाश दिया गया है, यह भी समय बहुत ही कम है। डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार भी इसमे कम से कम 45 दिन आराम की जरूरत है। सरकार ने इस पर गम्भीरता से विचार नहीं किया। मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि इसमें प्रसूति विशेषज्ञ की राय ली जाती तो यह कमी इस बिल में नहीं रहती।

ड्यूटी ज्वाइन करने का मतलब यह नहीं होता है कि वह घर से उठे और ड्यटी ज्वाइन कर ले। उसका मतलब यह होता है कि वह पहले घर के कामकाज को निपटायेगी, उसके बाद घर से निकलेगी, पैदल चलेगी, फिर बस या स्कूटर आदि पर बैठकर यात्रा करने के बाद कार्यालय पहुंचेगी, फिर वहां सीढ़िया चढ़ेगी और दफ्तर जाकर आठ घंटे काम करेगी, उसके बाद पुनः यही प्रकिया अपनाकर वह घर लौटेगी। ऐसी स्थिति में क्या आपने यह नहीं सोचा कि उसको पूरे आराम की जरूरत है, क्योंकि एमटीपी के बाद उसको नया जीवन मिलता है। उसको नारी शक्ति की जरूरत होती है। इसलिए आपको मानसिक और शारीरिक रूप से टूटी हुई नारी के बारे में इतनी हृदयहीनता से विचार नहीं करना चाहिए। आपने अपनी हृदयहीनता पर पर्दा डालने के लिए कहा है कि अगर प्रसूति अवकाश ज्यादा देगें तो उसको कोई काम पर नहीं रखेगा। अगर आप जनसंख्या नियंत्रण का बोझ महिलाओं पर डालना चाहते हैं तो आप कानून द्वारा उनको सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं में 30 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध करायें। इससे महिलाओं को काम की कमी नहीं होगी और वह आवश्यकतानुसार आराम भी कर लेंगी।

मेटरनिटी बेनिफिट संशोधन बिल के पीछे जो सरकार की जनसंख्या नियंत्रण की भावना छिपी है उसके सुधार का जामा पहनाकर आप यहां पेश रहे हैं। लेकिन इसमें आपकी नीयत बहुत ठीक नहीं लगती है। आपकों मालूम है कि परियार का आकार महिला तय नहीं करती है। पुत्र प्राप्ति की लालसा में बार-बार महिला को परिवार के लोग एमटीपी के लिए मजबूर करेंगे। क्योंकि आज के युग में नये-नये वैज्ञानिक विकास हो चुके हैं, जिसके कारण गर्भ में ही सेक्स का परिक्षण करा लिया जाता है और यह देख लिया जाता है कि यदि गर्भ में कन्या है तो उसकी गर्भ में ही भ्रूण हत्या कर दी जाती है। ऐसी परिस्थितियों में आप दो बच्चों के नाम की जिम्मेदारी महिलायों पर थोपना चाहते हैं या फिर बालिका के भ्रूण की हत्या को ज्यादा बढ़ावा देना चाहते हैं ? क्या यह आपका मातृत्व पर क्रूर प्रहार नहीं है। नारी को मेडिकल बेनिफिट अमेंडमेंट बिल 1995 के कुचक्र में आपने डाल दिया है।

लेकिन आपने इस मामले में पुरूषों को बिल्कुल स्वतंत्र रखा है। मैं आपसे यह जानना चाहती हूं कि अगर आप परिवार को सीमित रखना चाहते हैं, अगर आप नारी को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की सुविधा देकर कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं तो जैसाकि मैंने अभी बताया कि परियार का आकार वह नहीं तय करती है। पुत्र प्राप्ति की लालसा में बार-बार उसका एम०टी०पी० कराया जायेगा तो इससे उसका शरीर खोखला हो जायेगा लेकिन अगर उसी चक्र में आप पुरुष वर्ग को भी डाल दें तो काफी स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। जैसा कि अन्य सोशलिस्ट कंट्रीज तथा स्केन्डीनेवियन कंट्रीज नोर्वे, स्वीडन वगैरह में होता है क्योंकि वहां पर पेटरनिटी बैनेफिट एक्ट लागू हैं। उसी प्रकार से अगर इस शिकंजे में आप पुरुष को भी लायेंगे तो क्या इससे नारियों को कुछ रिलीफ नहीं मिलेगा ? आजकल संयुक्त परिवार नहीं होते हैं। जब भी महिलायें प्रसूति के लिए अस्पताल में जाती हैं, पुरुष को ही घर में उसकी देखभाल करनी पड़ती है अतः उसे भी अवकाश दिया जाना चाहिए और अगर इसी के साथ-साथ अगर तीसरा बच्चा होता है, तो इससे दो बच्चे के नार्मस को आघात पहुंचता है। अगर पुरुष को भी आप कानूनी शिकंजे में लाये कि टू चाईल्ड नॉर्मस तोड़ने पर उसको भी नौकरी में एडवर्स एंट्री कर दी जायेगी या उसका प्रमोशन रोक देंगे, या उसका इंक्रीमेंट रोक देंगे, तभी आप अपने उद्देश्य में सफल हो पायेंगे। लेकिन आप अगर इसमें केवल महिलाओं को ही इसका शिकार बनाना चाहते हैं तब इस बात को एक सीमा के बाद महिला संगठन और महिला सांसद भी बर्दाशत नहीं कर पायेंगी क्योंकि आपने बहुत अच्छा स्वरूप देकर अमेन्डमेंट को पेश किया है। उसमें औरत के पीछे, आपकी जो वदनीयती है, वह झलकती है। परन्तु यह जो आपने तीसरे बच्चे के ऊपर नारी को चेतावनी दी है कि उसको मेटरनिटी सुविधा नहीं देंगे तो यह आपका नारी के ऊपर बहुत अधिक अन्याय है। क्योंकि जिस बात में नारी स्वंतत्र नहीं है, उस पर अगर आप नियंत्रण करना चाहेंगे तो नारी के ऊपर यह क्रूर हमला होगा। बालिका भ्रूण हत्या को भी इससे प्रोत्साहन मिलेगा क्योंकि पुत्र प्राप्ति की लालसा में आप जानते ही हैं कि नारी के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं और सामाजिक सन्तुलन... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ किया गया है और आप कुछ और देने के लिए कह रही हैं। यही बात है।

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : तो इसलिए मैंने यह कहा कि इस अमेंडमेंट के जरिये आप जो महिलाओं के ऊपर वार कर रहे हैं, यह उसके तन मन को क्षत-विक्षत कर देगा। 1991 में आप मेटरनिटी बैनिफिट एक्ट लाये थे और आप इतने साल के बाद 1995 में इसमें अमेंडमेंट लाये हैं। लेकिन यह केवल आर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए है। आर्गेनाइज्ड सैक्टर में आठ या साढ़े आठ प्रतिशत महिलायें काम करती हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहती हूं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली हमारी जो बहनें हैं और जो गरीबी की रेखा के नीचे चल रही हैं, आपको मालूम होगा: सड़कों में, खेतों में, बिल्डिंग बनाने में जहां पर ये महिलायें काम करती हैं, वहां पर उन्हें कोई प्रसूति सुविधा नहीं होती है जब उन्हें लेबर पेन होती हैं तो वे वहीं पर ही किसी झाड़ी के पीछे या किसी मिट्टी के ढेर के ऊपर बच्चे को जन्म देती है। और फिर उसे चिथड़ों में लपेटकर सुला देती है। हसियां या खुर्पी से उसकी नाल काटकर 3-4 घंटे आराम कर फिर सुलाकर काम पर चली जाती हैं क्योंकि अगर वे काम पर नहीं जायेगी तो उनको ठेकेदार काम से निकाल देगा। अतः बीड़ी उद्योग का काम करने वाली, खेतों में कटाई व रोपनी करने वाली महिलाओं को भी अगर आप इस घेरे में ले आते हैं तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि आजाद भारत में जो भी नारी बच्चे को जन्म देती है, वह राष्ट्र की धरोहर है और राष्ट्र की धरोहर की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरा आपसे यह भी अनुरोध है कि इसे आप असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी लागू करें क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि चाहे किसी बच्चे का जन्म भव्य नरसिंग होम में हो, या कालीन बिछे वातानुकूलित कमरे में हो या किसी नाली के किनारे किसी गरीब मां की कोख से किसी बच्चे का जन्म हो, या किसी मिट्टी के ढेर के ऊपर किसी बच्चे का जन्म हो, ये सारे बच्चे राष्ट्र के नागरिक हैं और राष्ट्र तभी स्वस्थ होगा जब वहां के बच्चे और वहां की अमानत जो कि राष्ट्र की धरोहर है, वह स्वस्थ होगी। इसलिए मेरा आपसे मेरा अनुरोध है कि इसको आप असंगठित क्षेत्र में भी मेटरनिटी बैनिफिट एक्ट लागू करने का प्रयास करें ताकि मातृत्व की गरीमा का विभाजन न हो।

1.00 म०प०

हर मां को यह गौरव प्राप्त हो कि उस देश के लिए जिन बच्चों को भी जन्म दिया है, उनकी देखभाल सरकार कर रही है।

जहां तक बच्चों की देखभाल का प्रश्न है, अगर आप महिलाओं से काम लेना चाहते हैं, तो सभी फैक्ट्रियों के पास क्रच की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही महिलाओं को दो बार बच्चों को दूध पिलाने की सुविधा भी दी जानी चाहिए। केवल बच्चों को जन्म दे देना ही बहुत बड़ी बात नहीं होती है। उनका उचित पालन भी सबसे बड़ा काम होता है। दूध के लिए बिलखते बच्चे को छोड़कर महिलायें काम पर जाती हैं, जो कि महिलाओं के लिए वेदना पूर्ण स्थिति होती है। इसलिए मेरा निवेदन है कि क्रच की सुविधा और बच्चों को दो समय दूध पिलाने के लिए छुट्टी देने की सुविधा को भी लागू करना चाहिए। अगर आप महिलाओं को प्रसूति के समय हर प्रकार की सुविधा देना चाहते हैं और पूरी तरह से रिलीफ देना चाहते हैं, तो आपको इस बिल पर विस्तार से विचार करना होगा और जिसके अन्तर्गत आपको क्रच की सुविधा भी देनी पड़ेगी तथा महिलाओं द्वारा बच्चों को फीडिंग कराने की भी सुविधा देनी होगी। मैं यह भी कहना चाहती हूं, यह अमेंडमेंट शिशु आहार अधिनियम 1992 की भी अवहेलना करता रहा है।

बच्चों के लिए पौष्टिक और सर्वोत्तम आहार मां का दूध होता है, इसलिए आपको इस ओर भी ध्यान देना होगा। इसके साथ ही पेटरनिटी बैनिफिट को लागू करना होगा तथा अन-आर्गेनाइज्ड सैक्टर को भी इसके अन्तर्गत लाना होगा। इतना सब कुछ करने पर ही आप देश की महिलाओं के साथ न्याय कर पायेंगे। मैं यह भी कहना चाहती हूं, इसमें अगर आपने पन्द्रह वर्ग को शिंकजे में नहीं लिया, तो आप महिलाओं के साथ न्याय नहीं कर पायेंगे। अगर महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, तो हम सब उसको बर्दाशत नहीं कर पायेंगी। बार-बार थोड़ी सी सुविधा के नाम पर एमटीपी और टुबैक्टोमी करवाने के नाम पर कुछ अवकाश देने का प्रलोभन उनके ऊपर अत्याचार होगा, जिसको वे बरदाशत नहीं कर पायेंगे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप यह जो संशोधन विधेयक लाए हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद दिया जा सकता है, लेकिन जो इसमें कमियां हैं, उनको आपको दूर करना होगा। इसलिए मैं कहना चाहती हूं, महिला राष्ट्र के नागरिक को जन्म देती है अतः उनकी सम्पूर्ण सुविधा के बारे में, उनके सम्पूर्ण इलाज और पौष्टिक आहार की सुविधा के बारे में, विचार होना चाहिए। केवल यह छोटा सा अमेंडमेंट लाकर और अपनी पीठ थपथपाने से महिलाओं का कल्याण नहीं हो सकता है।

आपने इस बिल में तीसरे सुधार की बात भी कही है, जब भी किसी महिला को एमटीपी या ट्यूबेक्टामी में काम्पलीकेशन्स पैदा होगी, तो आप उस महिला को वेतन सहित एक माह की छुट्टी और देंगे। लेकिन अगर बीमारी लम्बी हो गई, तो क्या आप बीमार महिला को बीच में ही काम पर बुला लेंगे। मेरे विचार से इसमें अगर यह कर देते कि डाक्टर के सर्टिफिकेट के आधार पर अवकाश अधिक भी दिया जा सकता है। अवकाश के साथ आपको पूरे पौष्टिक आहार की सुविधा भी आपको देनी चाहिए

इन शब्दों के साथ इस बिल के प्रावधानों से सहमत न होते हुए भी, जो आपने कदम उठाया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं और आपसे अनुरोध करती हूं कि इस बिल पर आप विस्तार से विचार करेंगे। मेरे विचार से इस बिल में महिलाओं के मातृत्व की गरिमा व अधिकार पर हमला किया गया है और आर्गेनाइज्ड व अनआर्गेनाइज्ड सैक्टर को विभाजित किया गया है वरन मातृत्व की गरिमा को विभाजित किया है इसको दूर किया जाना चाहिए। इस बिल में यह संशोधन और इसका उद्देश्य तभी सार्थक हो सकता है, जब महिलाओं पर हो रहे क्रूर हमलों को दूर करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा 2 म०प० पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है

1.04 म०प०

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 म०प० तक के लिए स्थगित हुई

2.10 म०प०

2.00 म०प० गणपूर्ति के लिए घंटी बजाई गई। गणपूर्ति नहीं हुई। 2.03 म०प० गणपूर्ति के लिए पुनः घंटी बजाई गई लेकिन गणपूर्ति नहीं हुई। 2.06 बजे म०प० पर गणपूर्ति के लिए पुनः घंटी बजाई गई लेकिन फिर भी गणपूर्ति नहीं हुई। तत्पश्चात महासचिव ने निम्नलिखित घोषणा की।

2.11 म०प०

गणपूर्ति के अभाव में सभा की बैठक स्थगित करने संबंधी घोषणा

महासचिव : गणपूर्ति नहीं है। अतः सभा की बैठक नहीं हो सकती है और हम तब तक सभा की कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते हैं जब तक गणपूर्ति न हो। उपाध्यक्ष महोदय ने निर्देश दिया है कि सभा की बैठक 2.25 म०प० पर होगी।

2.11 ½ म०प०

तत्पश्चात् सभा 2.25 म०प० तक के लिए स्थगित हुई

2.28 म०प०

सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2.28 बजे म०प० पर पुनः समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक

राज्य सभा द्वारा यथापारित– जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं डा० बसंत पवार को बोलने के लिए आमंत्रित करता हूं।

इस विधेयक के लिए एक घंटे का समय आवंटित किया गया था। अनेक माननीय सदस्य इस विधेयक पर विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अधिकांशतः महिला सदस्यों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। अतः यदि सुसंगत बातें हो तो कृपया आप कहिए।

डा० बसंत पवार (नासिक) : महोदय, मैं केवल दस मिनट का समय लूंगा उससे अधिक नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लेने का अवसर दिया।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। विधेयक महिलाओं के रोजगार को विनियमित करने के लिए लाया गया है। मूल अधिनियम अर्थात प्रसूति अधिनियम 1961 और एमटीपी अधिनियम 1971 पर गौर करना होगा। मूल अधिनियम में गर्भपात होने के मामले में दस सप्ताह के अवकाश का प्रावधान है– अब इसे एमटीपी के लिए बढ़ाया जाना है– नलबंदी कराने वालों के लिए दो सप्ताह का अवकाश और गर्भपात के बाद या नलबन्दी या एमटीपी के बाद होने वाली किसी बीमारी के मामले में चार सप्ताह का अवकाश जिसे एमटीपी के लिए बढ़ाया गया है।

मूल अधिनियम में जैसाकि कहा गया है, स्तनपान के लिए कार्य में अन्तराल की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन संशोधन करने वाले विधेयक में सेवा के दौरान स्तनपान के लिए सेवा के दौरान दो अन्तरालों की अनुमति दी गई है। बच्चे के चार साल का होने तक माता क्रेच में जाकर उसे स्तनपान करा सकती है। संशोधन करने वाले विधेयक में यह प्रावधान किया गया है।

दूसरा अति महत्वपूर्ण प्रावधान यह है कि यदि गर्भपात या एमटीपी या नलबंदी के बाद महिला की मृत्यु हो जाती है तो मृतक कार्यरत महिला को उसकी मृत्यु होने की तिथि तक का लाभ दिया जाता है। पूरा लाभ दिया गया है। कुछ प्रतिष्ठानों में 250 रुपये का मेडिकल बोनस भी शामिल किया गया है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन यह भी एक परन्तुक है। नियोक्ता पर एक प्रतिबंध है। यदि कोई महिला प्रसूति अवकाश पर है तो नियोक्ता उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता है। लाभ मांग किए जाने के बाद 48 घंटे के अंदर दिया जाना चाहिए। अन्यथा नियोक्ता को 2000 से 5000 रुपये जुर्माने सहित तीन माह से एक वर्ष की सजा हो सकती है। 1961 के मूल अधिनियम में ये प्रावधान हैं।

जिस संशोधन की चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं। वह गर्भ से चिकित्सीय समापन का प्रावधान भी जोड़ने के बारे में संशोधन का दोहरा उद्देश्य है: प्रथम परिवार या महिलाओं के कल्याण और बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देना और साथ ही जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में सोचना है क्योंकि एमटीपी का पिछले कुछ दिनों से बच्चों के ठीक नियोजन व उनके बीच ठीक से अन्तर रखने के लिए बहुतायत प्रयोग किया जा रहा है ताकि बच्चे अच्छा पालनपोषण व अच्छा स्वास्थ्य पा सकें। यदि लगातार बच्चों का जन्म होता है तो पूर्ण बच्चा हमेशा ही स्तनपान से वंचित हो जाता है और इसीलिए उसकी कम ही देखभाल हो पाती है। इसलिए यह विधेयक लाया गया है। वास्तविकता तो यह है कि सरकार को यह प्रावधान बहुत पहले ही लाना चाहिए था। इसमें अब बहुत अधिक देर हो चुकी है। किंतु कोई बात नहीं वे महिलाओं के कल्याण के दृष्टिकोण से ही सोच रहे हैं। मैं सरकार को बधाई देता हूं। (व्यवधान)

श्री दिलीप भाई संघाजी (अमरेली) : व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

डा० बसंत पवार : कृपया, यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न ही नहीं है। उन्हें गम्भीरता से मत लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं, जब कोई माननीय सदस्य गणपूर्ति का प्रश्न उठाता है तो उस पर विचार करना पीठासीन अधिकारी का कर्त्तव्य है कि यह एक पूर्वोदाहरण है। हमारे मित्र ने गणपूर्ति का प्रश्न उठाया है।

घन्टी बजाई जा रही है–

अब गणपूर्ति हो गई है। डा० बसंत पवार अब अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

डा० बसंत पवार: महोदय, धन्यवाद। मैं जनसंख्या नियन्त्रण और परिवार कल्याण के विषय पर चर्चा कर रहा था। हमारी सरकार ने जो लक्ष्य निश्चित किया है उसे सन् 2001 ई. तक प्राप्त किया जाना है। यह है:

(एक) जन्मदर को प्रति हजार 21 तक नीचे लाना;

(दो) शिशु मृत्युदर को प्रति हजार 60 तक से नीचे लाना जो अति महत्वपूर्ण बात है;

(तीन) मृत्युदर को प्रति हजार 9 तक नीचे ले आना; और

(चार) राष्ट्रीय प्रजनन दर को 1% पर रखना।

इस उद्देश्य से यह संशोधन बहुत लाभकारी होगा। हम 2011 ई. तक यह आशा कर रहे हैं कि जनसंख्या 100 करोड़ होगी और अभी हम विश्व की 16% जनसंख्या

रखते हैं जो विश्व के 2.14% भाग पर है। हमें जनसंख्या नियंत्रण के दृष्टिकोण से सोचना है। इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य देना है। यह लाभ महिलाओं को खान प्रसूति लाभान्वयन अधिनियम, 1941 और बम्बई प्रसूति लाभान्यवन अधिनियम, 1929 के अन्तर्गत दिया गया था। दोनों ही अधिनियमों को निकाल दिया गया है क्योंकि लाभ केवल उस आधार पर दिया जाता था कि कामगार महिलाओं को शारीरिक मेहनती कार्य करना पड़ता है और जिससे शारीरिक थकान के कारण गर्भपात होने की सम्भावनाएं रहती हैं इसी कारण इसे वापस ले लिया गया है और अब प्रसूति लाभान्वयन अधिनियम, 1961 सभी महिलाओं को लाभ प्रदान कर रहा है।

यह अधिनियम उन कामगार महिलाओं के लिए है जो बहुत से संगठनों में काम करती हैं। इसके मुख्य उद्देश्य हैं, प्रसव पूर्व या शिशु प्रतिरोधी देखभाल की जानी जिससे परेशानियों से बचा सके और सामान्य रूप से बच्चे का जन्म हो जाए और बच्चे को स्वस्थ्य रखा जा सके और उसके पोषक आहार को बनाए रखना और शिशु मृत्यु दर को कम करना। यही इसका मुख्य उद्देश्य है इसीलिए जन्म के पहले आराम ही आवश्यकता होती है और 6 सप्ताह की अवधि का आराम दिया गया है। जन्म के बाद बच्चे की देखभाल के लिए और स्तनपान के लिए भी आराम आवश्यक है।

एमटीपी के मामलों में भी मानसिक और शारीरिक आघात से बाहर आने के लिए आराम आवश्यक है और ठीक से पोषक खुराक की भी आवश्यकता होती है। इसलिए इस संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है।

यह केवल संगठित क्षेत्र के लिए ही लागू होता है और मेरी प्रार्थना यह है कि इसे असंगठित क्षेत्र के लिए भी लागू किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में मां ही वर्षों तक सारे कार्यों की जननी होती है। हमारी सभ्यता के अनुसार हम महिलाओं को सबसे ऊँचा सम्मान देते हैं। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। वह विश्व की जननी है। मैं प्रसन्न हूँ कि सरकार महिलाओं को 30% आरक्षण और अन्य लाभ भी देने पर विचार कर रही है। महिलाओं को रोजगार में अभी आरक्षण दिया जाना है जो सभी सेवा क्षेत्रों और शस्त्र सेनाओं में भी होना चाहिए।

मैं इस विधेयक के बारे में कुछ बातें सुझाव स्वरूप रखना चाहता हूँ। यह विधेयक केवल उन्हीं कारखानों या प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिस में 30 मजदूर काम करते हैं। क्योंकि बहुत सी छोटी फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाएं इस लाभ से वंचित हो जाएंगी। इसे ऐसी फैक्ट्रियों या प्रतिष्ठानों में लागू किया जाना चाहिए जहां पर कम से कम केवल 10 मजदूर हों। यह सुविधा अवश्य ही दी जानी चाहिए।

मेरी दूसरी प्रार्थना है कि यह लाभ ग्रामीण महिलाओं, फार्म मजदूरों या कृषि मजदूरों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को दिया जाना चाहिए।

मेरी तीसरी प्रार्थना यह है कि नलबंदी कराने वाली ग्रामीण महिलाओं को सरकार 200 रुपये प्रतिमाह देती है। हमें यह जानना चाहिए कि यह धन क्यों दिया जा रहा है। यदि वे प्रतिदिन की मजदूरी के आधार पर काम करती हैं तो यह उनकी मजूदरी की प्रति पूर्ति करता है। यदि कोई आई यू डी का मामला है तो केवल तीन रुपये ही दिए जाते हैं। यह अधिनियम ग्रामीण महिलाओं पर लागू नहीं होता है। मेरी भारत सरकार से यह प्रार्थना है कि नलबंदी के लिए दी जानेवाली रकम 200 रुपये से बढ़ाकर 840 रुपये कर दी जानी चाहिए और यहाँ तक कि इसे एमटीपी मामलों में भी दिया जाना चाहिए। यह लाभ सभी महिलाओं को दिया जाना चाहिए जो गर्भ के चिकित्सीय समापन, नलबंदी और अकाल प्रसव से गुजरती हैं। कामगार महिलाओं के कार्यस्थल के पास शिशु सदन (क्रेच) भी बनाए जाने चाहिएं।

मेरी अगली प्रार्थना है कि केन्द्रीय सरकार को सभी राज सरकारों से अनुरोध करना चाहिए कि वे इस अधिनियम को सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक उपक्रमों और कृषि क्षेत्र में भी लागू करें।

मेरा अगला अनुरोध है कि यदि एमटीपी मादा गर्भ निवारण के लिए ली गई हो तो महिलाओं को कोई लाभ नहीं दिया जाना चाहिए और वास्तव में चिकित्सीय गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम के अंतर्गत दण्ड भी दिया जाना चाहिए।

महोदय, हमारे पास लगभग एक सौ मेडिकल कालेज और लगभग 550 जिला अस्पताल हैं। एमटीपी के लिए हमारा बजट प्रावधान केवल 150 लाख रु० ही है। इसलिए हम एमटीपी प्रक्रिया को नियंत्रित करने अथवा लोकप्रिय बनाने में सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि केन्द्रीय सरकार इस पर अवश्य विचार करे और इन रोगियों की देखभाल के लिए प्रत्येक अस्पताल में एमटीपी की एक अलग इकाई स्थापित करें ताकि एमटीपी और अधिक लोकप्रिये बन सके।

अतः, इन्हीं शब्दों के साथ, मैं प्रसूति लाभ (संशोधन) विधेयक का पूरी तरह समर्थन करता हूँ और मैं पुनः यह अनुरोध करता हूँ कि इसे असंगठित क्षेत्र विशेषकर कृषि (फार्म) क्षेत्र में काम करने वाली ग्रामीण महिलाओं के लिए अवश्य लागू किया जाए।

श्री सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ तथा इस संबंध में केवल दो बातें संक्षेप में कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि हमारे समाज में महिलाओं का उनके जीवन के हर स्तर पर सामाजिक एवं आर्थिक शोषण हो रहा है तथा कई बार तो भ्रूण के स्तर पर ही यह उत्पीड़न प्रारम्भ हो जाता है। एक माननीय सदस्य ने अभी-अभी देश में हो रही भ्रूण हत्या की घटना के बारे में जिक्र किया है, जोकि हमारे देश के कुछ हिस्सों में बड़ी तेजी से बढ़ रही है तथा मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जनगणना के अद्यतन आंकड़ों से– उन विशिष्ट वर्गों एवं विशिष्ट क्षेत्रों, जिनमें भ्रूण-हत्या बड़े सुनियोजित ढंग से की जा रही हैं – के बारे में स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। जब वे बालिकाएं शिशु-अवस्था में होती हैं, तो उन्हें बड़ी निर्दयतापूर्वक मारा जाता है तथा इस प्रकार वहां भ्रूण-हत्या की प्रथा जारी है। इस संबंध में प्रकाशित प्रेस-रिपोर्टों में डाक्टरों, दाइयों एवं यहां तक की संबंधित परिवार वालों ने भी भ्रूण-हत्या की बात स्वयं स्वीकार की है। ऐसी रिपोर्ट भी प्रकाशित हुई है कि कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताहों अथवा कुछ महीनों की उम्र की बालिका शिशुओं की हत्या कर दी गई है। उदाहरण के तौर पर बिहार में भी बाल-हत्या किये जाने की घटनाओं का पता चला है। यह प्रथा न केवल बिहार में बल्कि देश के अनेक भागों में प्रचलित है।

महोदय, हमारे समाज में लड़की के रूप में जन्म लेना पाप समझा जाता है। जन्म के थोड़े-समय बाद, लड़की को जानबूझ कर कुपोषण का शिकार बनाया जाता है। लगभग सभी परिवारों में, लड़कों से लड़कियों के मुकाबले ज्यादा अच्छा व्यवहार किया जाता है। यदि किसी परिवार के संसाधन सीमित हैं, तो लड़की की मां स्वयं, बेटे के पक्ष में बेटी से भेदभाव करती है और यदि परिवार के लिए हरेक को शिक्षा देना सम्भव नहीं है, तो लड़का स्कूल में शिक्षा पाने जाता है, लड़की को

स्कूल नहीं भेजा जाता। अनुपातिक तौर पर यह कहा जा सकता है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में निरक्षरता की संख्या बहुत ज्यादा है। जब वे थोड़ा बड़ी हो जाती हैं, तो लड़को को विवाह के लिए कभी भी मजबूर नहीं किया जाता, जबकि लड़कियों को विवाह के लिए मजबूर किया जाता है। पतियों को तलाक की पीड़ा का समाना नहीं करना पड़ता जबकि पत्नियों को इसकी पीड़ा का सामना करना पड़ता है। जब हम विधवाओं के पुनर्विवाह की अवधारणा का जिक्र करते हैं तो विधुर व्यक्ति के लिए पुनर्विवाह करना बहुत आसान होता है, लेकिन हमारी पीढ़ी की विधवाओं को एकाकी एवं उपेक्षित जीवन बिताना पड़ता है।

ऐसी ही स्थिति तलाक के मामले में है। ऐसी बात नहीं है कि पुरुष अपनी पत्नियों को न केवल आसानी से तलाक दे सकते हैं बल्कि तलाकशुदा महिलाओं को एक ऐसे कलंक का सामना करना पड़ता है, जिसे कि उन्हें जीवन भर झेलना पड़ता है तथा इसकी वजह से वे पुनर्विवाह नहीं कर सकती हैं। इसके विपरीत विधुर व्यक्ति को तुरंत नयी दुल्हन मिल जाती है और कई बार तो तलाकशुदा औरत की बहन से उसकी शादी कर दी जाती है। महिलाओं को उनके परिवार के पैतृक अधिकार से भी वंचित कर दिया जाता है। यहां तक कि संशोधित कानूनों के अतंर्गत भी महिलाओं को उनके पिता, पति अथवा पुत्रों की सम्पति में उनको उचित अधिकार नहीं मिल रहा है।

अतः, हम महिलाओं को समानता कहां से देना शुरू करें, ताकि उनके साथ हम न्यायोचित एवं बराबरी का व्यवहार कर सकें ? हम अपनी अंगुली कहां रखें? महिलाओं के प्रति उसने जो थोड़ा बहुत कार्य किया गया है हम उसके लिए सरकार के अभारी हैं। मुझे न केवल विधेयक का समर्थन करने, बल्कि इस सुझाव का भी समर्थन करने में अत्यंत खुशी है कि इस विधेयक को अपने उपलब्ध संसाधनों के अतंगत ही असंगठित क्षेत्र में भी लागू करना चाहिये।

जहां पर समेकित क्षेत्र का सवाल है, मेरा यह सुझाव है कि समूचे क्षेत्र को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। यहां तक कि अगर किसी कारखाने अथवा प्रतिष्ठान अथवा लाइसेंस प्राप्त प्रतिष्ठानों में दस से कम व्यक्ति भी कार्य कर रहे हैं, तो भी महिला कर्मियों को कानून द्वारा प्रदत्त इस प्रसुविधा का लाभ मिलना चाहिए। इसमे संख्या की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, चाहे यह संख्या तीन हो अथवा दस।

असंगठित क्षेत्र में, यदि सरकार कोई नियत राशि वित्तीय भत्तों के रूप में दे रही है, तो उसे समय-समय पर संशोधित की जाने वाली न्यूनतम मजदूरी से संबद्ध किया जाना चाहिए। अतः, इस विधेयक में जो वेतनसहित छुट्टी के दिनों की संख्या का प्रावधान किया गया है, दिनों की उस संख्या को न्यूनतम मजदूरी से गुणा किया जाना चाहिए और यह राशि—जिन परिस्थितियों में यह विधेयक लागू होता है— उनमें महिलाओं के लिए उपलब्ध भत्तों की राशि/मात्रा होनी चाहिए।

इन दो सुझावों के साथ, मैं अपने दल की ओर से इस विधेयक का पूरा समर्थन करता हूँ।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथापि यह विधेयक सीमित प्रयोजन से लाया गया है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि महिला संगठनों के विरोध के फलस्वरूप सरकार को महिला कर्मचारियों एव कामगारों को यदि उनके पास दो से अधिक बच्चे हैं— तो प्रसूति सुविधा से वंचित रखे जाने का विचार मजबूर होकर वापिस लेना पड़ा है। परमात्मा का शुक्र है कि वे यह समझ गये हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा और इसे वे वापस ले रहे हैं।

महोदय, मुझसे पूर्व बोलने वाले मेरे साथी डाक्टर पवार जी के सुझावों से मैं सहमत हूं, सिवाय इस बात के कि जहाँ झिल्ली अथवा महिला भ्रूण को क्षति पहुँचाई गई हो, उस मामले में दण्ड दिया जाना चाहिए न कि सुविधा। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। महोदय, हमने लिंग निर्धारण विधयेक में एक सुझाव दिया था, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। हमने यह सुझाव दिया था कि ऐसे परीक्षण केवल सरकारी संस्थानों में ही किये जाने चाहिए। उस सुझाव पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए तथा यह कि इस विधेयक में दंड का कोई प्रावधान करने की बजाय इस संबंध में पुनः एक विधेयक लाया जाना चाहिए।

स्वाभाविक ही है कि हरेक अन्य सदस्य की तरह ही, मैं भी यही चाहती हूं कि प्रसूति-प्रसुविधा अन्य क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं पर भी लागू होनी चाहिए। अन्यथा, इससे कुछ कर्मचारियों की मात्र आठ प्रतिशत संख्या को ही लाभ मिल पायेगा। मैं यह जानना चाहती हूं कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत आने वाली महिलाओं पर प्रसूति-प्रसुविधा अधिनियम लागू क्यों नहीं होता। ऐसा निर्णय लेने का कारण था ? अब मुझे और मुझे विश्वास है कि हम सभी को यह विचार करना चाहिए कि सकल रूप से समाज का और विभिन्न स्तरों पर सरकार का यह और सामाजिक उत्तरदायित्व है कि बच्चों के पालन-पोषण का दायित्व मिलजुलकर निभाएं।

जब रूस में नवम्बर समाजवादी क्रांति सफल हुई थी, तो लेनिन ने यह कहा था कि महिलाओं की बच्चों को पालने एवं उन्हें रोजगार दिलाने के दोहरे बोझ से मुक्ति दिलाने में उन्हें स्वयं अपनी सहायता करनी चाहिए। यद्यपि यह यह चाहते थे कि यदि महिला नौकरी करना चाहती है, तो हर महिला को नौकरी मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कार्य के स्थानों पर बाल-गृहों में बच्चों को रखने एवं कैंटीन की व्यवस्था की थी। सरकार द्वारा स्थापित इस नेटवर्क के माध्यम से सभी इच्छुक महिलाओं के लिए नौकरी करना सम्भव हुआ है। लेकिन हमारे देश में कितनी संस्थाओं ने बाल-गृह स्थापित किये हुए हैं ? निजी मालिकों की बात तो छोड़िये यहां तक कि सरकार द्वारा भी विभिन्न स्तरों पर भी बाल-गृहों की व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसा प्रावधान है कि बाल-गृह होने चाहिए, तो आप इसे लागू क्यों नहीं कर सकते ? जहां तक प्रसूति-प्रसुविधा का प्रश्न है, यह एक अत्यंत महत्वपूण है। ऐसी स्थिति में, जैसा कि मैंने कहा है कि सुनिश्चित करने के लिए कि बाल-गृहों की व्यवस्था हो, सरकार को इसका अवश्य ही कोई तरीका ढूंढना चाहिये।

सभी ने असंगठित क्षेत्र के बारे में प्रश्न उठाया है, अतः यह स्वाभाविक है कि इस सुविधा का लाभ इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं को भी मिलना चाहिये क्योंकि इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दुर्भाग्यवश, इस असंगठित क्षेत्र में प्रसूति-प्रसुविधा का कोई प्रावधान नहीं हैं तथा न ही किसी को इस क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए कुछ करने की चिन्ता है। फिलहाल, उन्हें प्रसूति प्रसूविधा अधिनियम के दायरे से बाहर रखा गया है। मुझे विदित है कि आप यही कहेंगे कि इसका विस्तार राज्य सरकारों द्वारा किया जाना है। लेकिन जब केन्द्र एवं राज्यों के कानून एक समान नहीं हैं तो कौन-सा अधिनियम लागू होगा ? मेरे विचार से, केन्द्र सरकार के कानून ही ऐसी स्थिति में लागू होने चाहिए। ऐसी स्थिति में, आप इस लाभ को असंगठित क्षेत्र तक क्यों नहीं बढ़ा सकते ? यदि आप ऐसा कर देंते हैं, तो राज्यों के भी इन कानूनों का अनुपालन करना पड़ेगा। अतः यह बात बिल्कुल स्पष्ट की जानी चाहिए कि आप ऐसा करने जा रहे हैं यदि ऐसा प्रावधान तत्काल इस विधेयक में नहीं किया जा सकता— क्योंकि समय नहीं है— तो कम-से-कम आप जितनी जल्दी हो सके विधेयक में ऐसा संशोधन प्रस्ताव तो पेश कर सकते हैं।

राज्यों के अधिनियमों में अनेक खामियाँ हैं। ऐसी खामियाँ वहां क्यों हों ? उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में मात्र 3.50 रुपये प्रति सप्ताह की दर से 8 सप्ताह का, उत्तर प्रदेश में भी 3.50 रुपये प्रति सप्ताह की दर से 8 सप्ताह का, पंजाब में 3.50 रुपये प्रति सप्ताह की दर से 12 सप्ताह का तथा पश्चिम बंगाल में सात रुपये प्रति सप्ताह की दर 12 सप्ताह का प्रसूति प्रसुविधा लाभ दिया जाता है। मेरे विचार से यह पर्याप्त नहीं है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि यह प्रसुविधा अन्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी के आधार पर दी जानी चाहिये तथा कानूनों में ऐसी खामियों की तत्काल जांच की जानी चाहिये। मुझे विदित हुआ है कि मंत्री महोदय ने कहा है कि वह राज्य सरकारों से इस संबंध में बैठक करने जा रहे हैं; मुझे विदित नहीं है कि आप उनसे मिले हैं अथवा नहीं।

यदि राज्य सरकारों से बात नहीं की है, तो कृपया तुरन्त इस संबंध में राज्य सरकारों की एक बैठक बुलाइए और हमें बताइए कि इस बैठक में क्या निर्णय किया गया है ताकि समान कानून लाया जा सके।

महोदय, जहाँ तक कई सदस्यों द्वारा उठाए गये 'पेटरनिटि बेनिफिट' का सवाल है, मैं समझती हूँ कि इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिए क्योंकि छोटे परिवारों में यह सच है कि महिलाओं के लिये बच्चों की देखभाल करना हमेशा संभव नहीं होता है और इससे पहले भी मैंने महिलाओं को दोहरे बोझ से मुक्त करने के सामाजिक उत्तरदायित्व में सहभागिता करने की भी बात उठायी थी। 'पेटरनिटि बेनिफिट' पर भी विचार किया जाना चाहिए। मैं मानती हूं कि ऐसा तुरन्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन मुझे आशा है कि इस पर भी विचार किया जाएगा।

दूसरी ओर से देखा जाए तो यह लिंग समानता का मामला भी है।

इन विचारों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ।

*श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की महिलाओं के लाभार्थ विधेयक में प्रस्तावित संशोधन पूरी तरह से सन्तोषजनक नहीं है परन्तु तब भी इनमें अब जो कुछ परिवर्तन किये जाने की मौंग की गई है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। यद्यपि हम पूरे मन से इसका समर्थन नहीं कर पाये फिर भी हम अखिल भारतीय अन्नाद्रमुक मुन्नेत्र कड़िगम की ओर से कुछ हद तक इसका समर्थन करते हैं। हम 2000 ई. के बाद के देश के भविष्य के लिए रणनीति तैयार करते रहे हैं और योजनाएं बनाते रहे हैं। देश का उज्जवल भविष्य स्वस्थ शिशुओं/बच्चों पर निर्भर करता है जोकि देश का भविष्य है। अतः हमें मामलों को उपयुक्त सुविधाएं देनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ बच्चों को जन्म दे सकें। देश के भविष्य के लिए स्वस्थ बच्चों का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि स्वस्थ बच्चे चाहिए तो हमें माताओं के स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना होगा। मैं समझता हूं कि हम इस प्रकार का प्रसूति अधिनियम इस आशय से लाएं कि देश में स्वस्थ बच्चे हों, स्वस्थ माताएं हों।

हमारी साथी माननीय श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य जी ने अपने भाषण में कहा है कि गर्भावस्था के दौरान स्कैनिंग टैस्ट किया जाता है। ऐसे परिक्षण यह जांच करने के लिए किये जाने चाहिए कि भ्रूण स्वस्थ है अथवा नहीं और गर्भ में शिशु सही स्थिति में है अथवा नहीं। परन्तु इसके विपरीत ये परीक्षण यह मालूम करने के लिए किये जा रहे हैं कि गर्भ में जो शिशु है वह लड़का है अथवा लड़की है। यदि माता को यह पता चल जाता है कि उसके गर्भ में लड़की है तो यह सुनकर उसे संतोष नहीं होता है। एक लड़की के पालन-पोषण की जो विभिन्न सामाजिक समस्याएँ हैं, उनको देखकर महिलाएं भ्रमित हैं और आज उपलब्ध प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करते हुए ये गर्भपात के लिए भी तैयार हो जाती हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश देती है। तमिलनाडु में भी, राज्य सरकार 12 सप्ताह का प्रसूति अवकाश देती है। परन्तु इससे अधिक आवश्यकता इस बात की है कि हम महिलाओं में इस तरह की जागरुकता पैदा करें कि ताकि वे बालिका शिशु को जन्म देने के लिए तैयार हो सकें। यह सच है कि बालिका शिशुओं को अच्छा नहीं माना जाता है। इस तरह का दृष्टिकोण समाप्त हो जाना चाहिए। हमने इतिहास में पढ़ा है कि वीर शिवाजी की माता उन्हें बचपन में वीर योद्धाओं की कथाएं सुनाया करती थीं इसलिए शिवाजी वीर योद्धा बने। ऐसी कई लोक कथाएं एवं पौराणिक कथाएं हैं जिसमें प्राचीन युग के वीर योद्धाओं का गुण-गान किया गया है। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान इस प्रकार की कथाएं सुननी चाहिए और माताओं को चाहिए कि वे अपने बच्चों को इस प्रकार की कथाएं बार-बार सुनायें। यह कितना प्रभावशाली हो सकता है, इसे हमारी हिन्दु पौराणिक कथाओं में अच्छी तरह से बताया गया है। हमारे पास अभिमन्यु जैसे कई उदाहरण हैं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी की पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे बीच थी। वो एक ऐसे महान पिता की महान संतान थी जिसने इस देश के गौरव को बढ़ाया है। नेहरू जी के घर में एक पुत्री ने जन्म लिया लेकिन उन्होंने इस देश पर शासन किया। यह उदाहरण महिलाओं में बालिका शिशु को जन्म देने के लिए आवश्यक साहस जागृत करने की आवश्यकता पर बल देगा। उनमें आत्म-विश्वास पैदा करके उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। महिलाओं में परिवर्तन आना चाहिए और यह सरकार का कर्त्तव्य है कि उनमें ऐसा परिवर्तन लाये। हमारे पास इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम हैं। सरकार इसका उपयोग कर सकती है।

हमें अपनी पौराणिक कथाओं एवं लोक कथाओं से कुछ कहानियों को चुनना चाहिए और उसे प्रचार माध्यम से विशेषकर गर्भावस्था के दौरान सुनने के लिए महिलाओं को तैयार करना चाहिए तब महिलाएँ अपने देश का इतिहास और जीवन-मूल्य सुन पाएंगी और समझ पायेंगी। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिकांश महिलाएँ अशिक्षित हैं। डा० वसंत पवार जी ने अपने भाषण में असंगठित क्षेत्र की महिलाओं से संबंधित समस्याओं को उजागर किया है। असंगठित क्षेत्र की अधिकांश महिलाएं अशिक्षित हैं। वे समाचार-पत्र अथवा पुस्तकें नहीं पढ़ सकती हैं और इसलिए हमें उनको उचित सन्देश देने के लिए इलेक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम का उपयोग करना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि इसे सही माने में गम्भीरता से लागू किया जाता है तो यह एक लाभकारी योजना सिद्ध हो सकती है। मैं यहां पर यह कहना चाहूँगा कि मात्र कानूनों एवं अधिनियमों से आपेक्षिक परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। केवल हृदय परिवर्तन द्वारा ही आमूल परिवर्तन एवं सुधार लाया जा सकता है।

इसको ध्यान में रखते हुए तथा बालिका-शिशु हत्या को समाप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने अवांछित बालिका-शिशुओं को संरक्षण देने के लिए एक योजना शुरू की है। उस योजना का नाम है 'क्रेडल बेबी स्कीम'। कुछ परिवारों में लोग नहीं चाहते हैं कि दूसरी अथवा तीसरी संतान लड़की हो। इसके परिणामस्वरूप बालिका शिशु-हत्या की घटनाएं घटती हैं जैसाकि तमिलनाडु के सलेम

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

एवं उसिलामपट्टी के कतिपय भागों में आम तौर से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। ऐसे अवांछित बालिका शिशुओं को किसी निर्जन स्थान पर त्याग देने के बजाय उनको ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अथवा सरकारी अस्पतालों में रखे गये पालनों में रखा जा सकता है।

तमिलनाडु सरकार ने उसके संरक्षण में इस प्रकार पालने में छोड़े गए बच्चों की देखभाल करने का दायित्व अपने ऊपर लिया है। तमिलनाडु के केवल दो-तीन भागों में ऐसी प्रथा है और तमिलनाडु सरकार ने अब तक 150 बच्चों को अपनाया है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने इस योजना को इस तरह से शुरू किया है कि वहां पर ऐसे बच्चों के लिए उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। मैं यहां पर इसका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा हूं कि इस योजना को तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। परन्तु इसलिए कि इस योजना को भारत सरकार ने स्वीकार किया है और अनुमोदित किया है। हमने तमिलनाडु में पहले ही दोपहर के भोजन की योजना सफलतापर्वूक चलायी है जबकि भारत सरकार अब देशभर में दोपहर के भोजन की योजना शुरू करने वाली है।

यह पूरे देश में पालना शिशु योजना क्रियान्वित करने पर भी विचार कर सकती है। इसे हर राज्य में शुरू किया जा सकता है और यही मेरा सुझाव भी है। मैं आशा करता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस सुझाव पर उचित ध्यान देगी।

जहाँ तक इस योजना को शुरू करने की बात है मैं केन्द्रीय सरकार का समर्थन करूंगा। आजकल यह भी देखने को मिलता है कि जो भी जांच संबंधी सुविधायें डाक्टरों को उपलब्ध की जाती हैं वे उनका दुरुपयोग यह पता लगाने के लिए करते हैं कि भ्रूण लड़का है या लड़की। ऐसे कार्यों के लिए जांच नहीं कि जानी चाहिए। मैं चाहता हूं कि यह महान सभा ऐसे बच्चों की रक्षा संबंधी पहलू पर और अधिक ध्यान देगी। जिन्हें जन्म लेंने से पूर्व ही मिटा दिया जाता है। अशिक्षित महिलाएं आमतौर पर लड़की पैदा होने से घबराती हैं। 36 से 40 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं और वे लड़की पैदा होने से डरती हैं। उनमें यह डर की भावना खत्म होनी चाहिए। वे बालिका के पालन-पोषण के विचार से ही घबरा जाती हैं। हमारे कानूनों को पुरुष और महिलाओं में भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि महिलाओं में विश्वास पैदा किया जाय और उन्हें जीवन की वास्तविकता का बहादुरी से सामना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। इस विधेयक के सभी मुख्य पहलुओं का स्वागत करते हुए, मैं इस बात पर भी बल देना चाहूंगा कि यह विधेयक व्यापक नहीं है। उदाहरण के लिए यदि तमिलनाडु, बिहार या पश्चिम बंगाल के ग्रुदूर क्षेत्रों में हम ट्यूबेकटमी की बात करते हैं तो इसे महिलाये एकदम नहीं समझ पायेंगी। अतः यह उचित होगा कि हम ग्रामीण महिलाओं से सम्पर्क करके उनकी भाषा में ही यह संदेश दें। हमें उन महिलाओं को ये उपाय और योजनाएं उनकी अपनी भाषाओं में समझानी चाहिए। हम कई परिवार कल्याण योजनाएं चला रहे हैं और उनके दुरुपयोग की सम्भावना भी रहती है। गर्भपात के संबंध में जो भी कानूनी संरक्षण प्रदान किया जाता है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि सरकार उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये। हमें अपने यहाँ माताओं को इंदिरा जी और झांसी की रानी जैसी महान भारतीय महिलाओं की सफलता की कहानियां सुनाकर संसार की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करना चाहिए। यह देश का कर्त्तव्य है कि इस तरह के संदेश लोगों खासतोर पर भारत की माताओं तक पहुँचायें।

मैं चाहता हूं कि सरकार महिलाओं विशेषरूप से माताओं को स्वस्थ बच्चों के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रदान करे ताकि हमारे देश का भविष्य उज्जवल हो सके। इसके साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

3.00 म०प०

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह संशोधन विधेयक जो सदन में प्रस्तुत है, स्वागत तो उसका है ही, लेकिन इसमें जो तीन संशोधन दिए हैं, उसमें कही न कहीं ऐसा लगता है कि इन संशोधनों को रखते हुए सरकार की भावना में कहीं खोट है। वास्तविक रूप से जो मूल अधिनियम हैं, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक कल्याण, इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 को बनाया गया था। अब जो इसमें तीन संशोधन रखे गए हैं, उनको देखने से ऐसा लगता है कि जो मूल विधेयक है, मूल अधिनियम है, उसकी भावना को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। मैं कहना चाहती हूं कि इस देश के स्वस्थ शिशु और स्वस्थ माता से ही इस राष्ट्र का निर्माण होना है। यह भावना इस विधेयक के तीन संशोधनों में कहीं तक भी नहीं दिखाई देती है। इसलिए मैं कह रही हूं कि वास्तविक रूप से यदि आप इस बिल में सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक कल्याण और मातृत्व व शिशु की सुरक्षा की बात कहना चाहते हैं, तो आपको मुख्य बातों की ओर ध्यान देना होगा।

उदाहरण के लिए, आपने इस बिल में निरीक्षक की बात कही है और व्यवस्था की है कि जहां-जहां पर भी इस नियम का पालन नहीं होगा, जिन-जिन क्षेत्रों में वे जिन-जिन आफिसिज में इन नियमों का पालन नही होगा, वहां यह निरीक्षक निरीक्षण करेगा कि उस स्थान पर महिला को सुविधायें दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही हैं। इसमें केवल छुट्टी की बात नहीं हैं। इस अधिनियम में यह है कि गर्भावस्था के दौरान कुछ काम हैं जो महिलाओं से नहीं कराने चाहिए, जिनसे उनको तकलीफ हो रही हैं। यह मूल विधेयक 1961 में बना था और उसके बाद फिर 1976 में संशोधन किया गया और अब बीस साल के बाद मन में जो विचार आया है कि इसमें संशोधन किया जाए, इससे लगता है कि इसमें कहीं खोट है। खोट यह है कि किसी न किसी तरह से पोपुलेशन को कन्ट्रोल करना है और कन्ट्रोल करने की जो मशीन हो सकती है, वह है स्त्री। इसके जरिए ही हम पोपुलेशन को कन्ट्रोल कर सकते हैं। यह भावना, यह खोट कहीं न कहीं, इस बिल को पढ़ने से लगता है। इसलिए विरोध होने के बावजूद भी भलमनसाहत की जो बातें हैं, उसको तो निकाल लें और मूल बात जो नर्सिंग के लिए छुट्टी है, तो वह छुट्टी पर जा सकती हैं। बच्चे के पालन के लिए दो बार जा सकती है। लेकिन क्या क्रेश की व्यवस्था है यह बिल्कुल सही बात उठाई हैं। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ? अधिनियम का पालन हो, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं ? क्रेश की व्यवस्था कहीं किसी सरकारी आफिस में नहीं है। मुबंई जैसे शहर में उसके घर से 3-4 घंटे का रास्ता है तो क्या इसके लिए वह वहां जा सकती हैं, कोई सुविधा नहीं है। इसकी हम कोई चर्चा ही नहीं करते हैं। केवल जनसंख्या पर नियंत्रण करना है और इसके लिए मेडीकल टर्मिनेशन की बात कहीं गई, इसीलिए इसके लिए छुट्टी बढ़ा दी गई और उसके उपरान्त भी यहां यह बात होती है कि उसमें अगर कन्याभ्रूण हत्या है तो उसे सजा दी जाएगी। यह अच्छा-खासा पुरुष प्रधान सामाजिकता का हम परिचय दे रहे हैं। कन्याभ्रूण हत्या होती है, इसमें मैं तो यह कहूंगी कि अगर हो सकती है तो हो भी, लेकिन क्या इसमें अकेले स्त्री का दोष है ? क्या कभी कोई मां चाहेगी कि अपने ही बच्चों को जन्म से पूर्व मार डालूं। यह कभी नहीं हो सकता। उसके लिए सामाजिक परिस्थितियां कारण हैं।

हम यहां सजा की बात करते हैं लेकिन उस समय यह प्रश्न नहीं आता

है जब मेडीकल टर्मिनेशन में गर्भपात होता है उसमें भी उतनी ही शारीरिक हानि होती है। जितनी प्रसव के समय होती है। मेरा कहना यह है कि उससे ज्यादा मन की हानि होती है हम जब कानून बनाते हैं तो हम कानून किसी मशीन या किसी पशु के लिए कानून नहीं बना रहे हैं, हम मनुष्य के लिए कानून बना रहे हैं और उसमें भी माता के लिए कानून बना रहे हैं, जो एक मन को साथ लेकर चलती है और जब यह मन सशक्त होगा तब आप कुछ राष्ट्र की बात कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि मूल अधिनियम की भी कुछ बातें हम सोचें। इसमें एक बात और कही गई है। महोदय, मैं केवल 2-3 सुझाव दूंगी, उसके बाद समाप्त करूंगी। इसमें मेडीकल बोनस की कुछ बातें मैं समझ नही पाई हूं, जो मूल अधिनियम है इसमें अगर हम संशोधन भी करना चाहे तो उस पर भी कुछ सोच सकते हैं। उसकी तो हमने कुछ बात ही नहीं की है। मैं इसलिए कह रही हूं, क्योंकि यह जो संशोधन लाया गया है इसमें भावना की खोट हैं। मैं इसमे यह चाहूंगी, यह वास्तविकता है कि पुरुष को भी छुट्टी की जो बात आई है यह सही है। 6 सप्ताह के बाद जब वह स्त्री काम पर आती है तो 6 सप्ताह के छोटे शिशु को वह कहां, किस के पास छोड़े, इसकी अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो यह भी हो सकता है कि उसके बाद और 6 सप्ताह के लिए उसके पति को छुट्टी की कोई सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि लालन-पालन में दोनों का उतना ही हाथ होता है। माता-पिता दोनों उसके अधिकारी हैं तो वास्तविक रूप से इस पर कुछ न कुछ सोचना चाहिए।

महोदय, असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं उनके बारे में तो जैसे हमने सोचना ही बंद कर दिया है और वे सबसे ज्यादा हैं। 2 परसैंट गवर्नमेंट सर्विसेस में हैं और बाकी 6 परसैंट कुछ कारखानों में हैं लेकिन बाकी जो 90 परसैंट के ऊपर हैं, जो असंगठित क्षेत्र में हैं, वही सबसे ज्यादा तकलीफ पा रही हैं। इसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जा सके, उन्हें भी कैसे सुविधाएं मिल सकें, उसके लिए हम कोई संशोधन लाने की बात नहीं करते और यहां तक कि अगर मूल अधिनियम में भी कुछ व्यवस्था है उसका ठीक ढंग से पालन करते हुए उनको कैसे सुविधा दी जा सकती है यह भी हम बात नहीं करते हैं। उसकी भी कुछ चर्चा होनी चाहिए। अभी एक बात जो गीता दीदी ने कही है मैं उसका समर्थन करती हूं कि अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग प्रकार के नियम हैं। मुझे तो लगता है स्त्री आखिर स्त्री है वह इस देश में कहीं भी निवास करती हो। उस मां को उतनी ही तकलीफ है, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तकलीफ प्रसूति के लिए नहीं हो सकती है। इसलिए इस बाबत जो अधिनियम है वह सभी राज्यों में एक समान होना चाहिए।

महोदय, मेरा आखिर में इतना ही निवेदन है, क्योंकि हमेशा यह बात देखने में आती है कि जब भी कोई स्त्री के बाबत चर्चा होती है तो कहीं न कहीं मन में खोट लेकर के चर्चा होती है। अभी जो बात शहाबुद्दीन जी ने कही उसका यहां सम्बन्ध तो नहीं है लेकिन यह बात बिल्कुल वास्तविक है कि स्त्री और पुरुष दोनों की तरफ देखने का अलग-अलग नजरिया है। मेरा कहना यह है कि हम कानून बनाते समय, जब हम कानून बनाने के लिए बैठे हैं तब तो मन में खोट लेकर नहीं चलें। यह जो आपने इसमें टयूबेकटामी आपरेशन के लिए सुविधा दी है यह तो ठीक है लेकिन इस संशोधन के अंतर्गत आप जो सुविधाएं दे रहे हैं उसमें मन में जो खोट है, यह जो जनसंख्या बढ़ रही है उस पर नियंत्रण करने के लिए स्त्री को या तो कुछ सुविधाए दे दो या स्त्री को प्रताड़ित कर दो, मानों वही दोषी है। यह दृष्टिकोण रख कर कृपया इस प्रकार का संशोधन मत लाईए। वास्तविक रूप से इस देश में माता और शिशु को सुविधा देने की दृष्टि से विधेयक आना चाहिए। हमारे देश का भविष्य इस पर निर्भर है, ऐसा सोचकर कि जितने भी संशोधन आप लाएंगे, अधिनियम बनाएंगे, उन सब का हम पूरा पूरा समर्थन करेंगे, इसका भी समर्थन करते हैं। लेकिन बार-बार एक ही निवेदन है कि इस देश की मातृशक्ति की तरफ देखने का नजरिया बदलिए।

3.11 म०प०

[अनुवाद]

[श्रीमती गीता मुखर्जी पीठासीन हुईं]

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : महोदय, मैं प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम में सशोधन करने वाले विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य प्रसूति के दौरान महिलाओं को और सुविधाएं उपलब्ध करना है। यद्यपि मुझे विधेयक की कतिपय बातों पर आपत्ति है कुछ मतभेद हैं, तथापि मैं विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

सर्वप्रथम, तो मैं यह बताना चाहूंगा कि इस पर कल्याण सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति में व्यापक विचार-विमर्श हुआ था, लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि संशोधित विधेयक में स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर ध्यान नहीं दिया गया है। यदि सरकार स्थायी समिति की सिफारिशों को गम्भीरता से नहीं लेती है तो स्थायी समिति की क्या आवश्यकता है और विधेयकों को समिति में विचार-विमर्श के लिए भेजने की क्या आवश्यकता है ? यदि सरकार सिफारिशों को गम्भीरता से नहीं लेती है तो यह प्रयास व्यर्थ हो जायेगा।

महोदया, हम सब इस बात से सहमत हैं कि स्त्री ही मानवता की जननी हैं। हम जानते हैं कि माताएं बच्चों को जन्म देती हैं और यह भी स्वीकार करते हैं कि यह माता ही अच्छे समाज का सृजन करती हैं। अतः ऐसी महिलाएं संशोधित विधेयक में दी गई सुविधायें पाने की हकदार हैं। महिलाओं को यह विशेषाधिकार भी इसमें कोई कृपा या दयालुता वाली बात नहीं है। माता होने के नाते उन्हें यह अधिकार है इस सन्दर्भ में, हम इस बात से सहमत हैं कि प्रसूति प्रसुविधा शीर्ष के अन्तर्गत ये सुविधायें मिलनी ही चाहिएं।

जहां तक केन्द्रीय अधिनियम के विस्तार और क्षेत्र का सम्बन्ध है, मेरी राय है कि इसे पूरे देश में लागू किया जाए, राज्य विधान मंडलों में भी कार्यान्वित किया जाय भले ही वहां समानान्तर अधिनियम हों, लेकिन केन्द्रीय अधिनियम सभी राज्यों में लागू होना चाहिए ताकि सभी जगह ही अधिनियम लागू हो सके। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों में जहां इस प्रकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। ये सुविधाएं असंगठित या निजी प्रतिष्ठानों या राज्य संस्थानों में भी उपलब्ध नहीं हैं। संस्थानों के मामले में वे निजी संस्थान जहां केवल महिलाएं ही काम करती हैं ये सुविधाएं उन्हें वहाँ उपलब्ध नहीं हैं, इस प्रकार जो महिलाएं वहां काम करती हैं, उन्हें नुकसान होता है। मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करूंगा कि—जब यह अधिनियम बन जाये और राज्यों में लागू हो जाये तो देश में असंगठित निजी प्रतिष्ठानों के कार्यरत महिलाओं को ये सुविधाएं प्राप्त हो जायेंगी। यही मेरा अनुरोध है।

अब मैं उन विशेष खंडों की बात करूंगा जिन्हें संशोधित किये जाने का विचार है। जहां तक उस संशोधन का सम्बन्ध है जिसमे प्रसूति संबंधी सुविधा छः सप्ताह के लिए देने का प्रस्ताव है, स्थायी समिति ने इसे लगभग दो महीने अर्थात् 60 दिनों तक बढ़ाने का प्रस्ताव किया, जहां तक दूसरे प्रस्ताव का सम्बन्ध है जिसमें

नलबंदी आपरेशन के अगले दिन से प्रसूति सुविधा को दो सप्ताह की अवधि के लिए देने की बात है, मै समझता हूं कि इसमें भी स्थायी समिति ने इसे कम से कम तीन सप्ताह तक करने का प्रस्ताव किया है और यह तीन सप्ताह से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि इसे बढ़ाया जाता है तो यह महिलाओं के लिए लाभदायक होगा। यहां, में संतुष्ट भी नहीं हूं और खुश नहीं हूं क्योंकि इन प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया गया है और इन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है, इसलिए मैं इस विधेयक के प्रभारी माननीय मंत्री को बताना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें और इसे दो सप्ताह से तीन सप्ताह तक और छ सप्ताह से 60 दिनों तक संशोधित करने का प्रयास करें। इससे इसमें उल्लिखित महिलाओं को और अधिक सुविधाएं मिलेंगी।

अन्ततः मैं एक बार फिर अपील करना चाहूंगा कि इस केन्द्रीय अधिनियम को पूरे देश में लागू किया जाय। इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज) : सभापति महोदय, मातृत्व के सरक्षण के लिये संशोधन विधेयक आने वाला हैं, इसकी महीनों से नहीं वर्षों से चर्चा हो रही थी। हमें ऐसी आशा बंधी थी कि नारी का सर्वोच्च पद और सुरक्षा य गरिमा जहां प्रस्फुटित होती है, वह मातृत्व का पद है। मातृत्व के पद को प्राप्त करने के लिये जिन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, उसी में प्रसूति काल का समय है जिस में कष्टों से गुजर कर कोई भी स्त्री इस सर्वोच्च गरिमा को प्राप्त करती है। कहीं न कहीं समाज में कमी है, इन कमियों को देखते हुए सन् 1919 में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। वहां भारतवर्ष की भागीदारी नहीं थी। बाद में 1929 में एक बार इस सदन में चिन्तन हुआ। बाद के वर्षों में सभी राज्यों ने इस कानून को बनाया। मद्रास में सबसे पहले 1934 में कानून बना, 1938 में बंगाल में, 1939 में पंजाब में, 1943 में असम में, 1944 में बिहार में भी ऐसा एक कानून बना। केन्द्र सरकार ने केवल खानों में काम करने वाली महिलाओं के लिए 1941 में कानून बनाया और यहां सबसे पहले 1961 मे प्रसूति सुविधाओं पर आधारित 1961 का एक कानून बना। एक संशोधन 1978 में हुआ। इसकी खामियों की ओर अनेक महिला सगठनों न बार-बार उंगली उठायी। जब यहां प्रसूति कानून आया तो हमें आशा बंधी थी कि हम मातृत्व को टुकड़ों में बांध कर नहीं बल्कि समग्र दृष्टि से देखेंगे और पूरे देश की महिलाओं के लिये कोई एक समन्वित कानून बनायेंगे। इस संशोधन विधेयक से जितनी आशा की गई थी, उसकी बिल्कुल भी पूर्ति नहीं हो रही है।

इसके उद्देश्य में पहले ही यह कह दिया गया है कि स्त्री कर्मचारियों को परिवार कल्याण उपाय अपनाने के लिये और पारित करने की दृष्टि से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिनियम में संशोधन के लिए कतिपय सिफारिशें की थीं। यह कानून कहीं से मातृत्व की गरिमा को देखकर नहीं किया गया है बल्कि यहां माता को या औरत को व्यक्ति न देख कर वस्तु देखा गया है और यह सोचा गया है कि जनसंख्या वृद्धि का कारण यही महिलायें हैं। यहां हम रोक या प्रलोभन देकर इनको रोकने के लिये उत्साहित करें यह हमारा चिकित्सकीय गर्भपात हो या टयूबक्टामी हो, इन सारी खामियों से जहां भी परिवार नियोजन हो रहा है, वहां हम जनसंख्या को रोक नहीं पा रहे हैं। उनको प्रलोभन देना ही इसका एकमात्र मकसद लगता है। मकसद इसलिये सीमित है कि हम प्रसूति और मातृत्व की गरिमा को और गौरवान्वित नहीं करते हैं। उसमें इनका कहां तक साथ दें और कहां तक साथ न दें, इसमें हमारा मन हिचकिचा जाता है। प्रसूति गृह में जाने वाली महिलाओं के दर्द और संताप और उसके बाद जितनी वेदनायें शिशु के पालन-पोषण में भुगतनी होती हैं, या उस माता को, जो इतने बड़े प्रसवकाल की पीड़ा झेलकर माता का पद प्राप्त करती है उसे कैसे सामाजिक या स्वास्थ्य के सदर्भ में निजात मिले, आर्थिक दृष्टि से उसे सहायता मिले। इन सारे बिन्दुओं को अनदेखा कर दिया गया है। केवल एक दृष्टि अपनायी गयी है कि महिलायें ही जनसंख्या वृद्धि का कारण है, इस पर रोक लगाओ, उसे लालच देकर। जिस दिन यह थम जायेगी, जनसंख्या वृद्धि पर काबू पाने में सफल हो जायेंगे। यदि यह उद्देश्य भी मान लें तो पहले ही सीमित दृष्टि है। 1961 के कानून के मुताबिक ऐसी सभी कामगर महिलायें जिनका कार्य दिवस 80 दिन हो जाता है, इस कानून के दायरे में आ जाती हैं लेकिन यहां पर यह कानून का दायरा शिथिल हो गया है। उसके बाद हमारे यहां पर महिलायें 10 प्रतिशत भी संगठित क्षेत्र में काम करने वाली नहीं हैं लेकिन यदि असंगठित क्षेत्र की भागीदारी देखें तो 80 प्रतिशत से अधिक महिलायें कामगर हैं। उनका मातृत्व यहां पर नकार दिया गया है कि कैसे, कहां और कब वह बच्चा पैदा करें? जब इस बारे में महिला संगठनों की तरफ से आवाज उठने लगी तो एक सेफ मदरहुड का कार्यक्रम चला लेकिन यह मखौल बनकर रह गया। सेफ मदरहुड के नाम पर कुछ फंड या राशि या अनुदान देकर हम निश्चित हो जाते हैं कि हमने मातृत्व को बिल्कुल सेफ कर दिया है लेकिन हमारे भारत में माताओं का मातृत्व अनसेफ है। भूखे पेट गर्भावस्था की स्थिति में भूखे पेट शिशु भी भूखी मां के पेट से निकल कर कब और कैसे स्तन का दुग्धपान करेगा, इसके लिये शिशु चिल्लाता रहता है। इन बिन्दुओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हमने 1992 में यहां एक विधेयक पारित कर दिया डिब्बा बंद शिशु आहार के लिये और सब पर यह लिख दिया कि यह स्वास्थ्य के लिये अहितकर है। हमने 1961 में एक कानून बनाया था कि 15-15 मिनट के लिये दो बार माता को अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिये छुट्टी दी जायेगी लेकिन यह बात लगती तो बड़ी मनमोहक है परन्तु यदि उस दौरान बच्चा इठला गया तो माता क्या करे ? यह ठीक है कि 15 मिनट का समय बहुत कम है लेकिन इस 15 मिनट का हम कैसे उपयोग करें, इसके लिए सरकारी दफ्तर में इसके प्रावधान के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। तो असंगठित क्षेत्रों की बात तो दरकिनार रही। हमारे यहां पुरुषों और उस समाज में जहां महिलायें सिगरेट पीती हैं, के लिये स्मोकिंग रूम बने होते हैं लेकिन कामगर महिलाओं के अपने शिशु को दूध पिलाने के लिये स्थान की व्यवस्था नहीं होती है। कहीं भी माताओं का हित नहीं होता है बल्कि किसी विभाग के हित में हो सकता है। हमें आकड़ें दिखाये जा सकते हैं कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को इतनी मदद दी। मातृत्व को मदद मत दीजिये। उसकी गरिमा को सोचिये। इसी मातृत्व के बल पर शिशु स्वस्थ होते हैं और मां स्वस्थ रहती है। बच्चे जब स्वस्थ होंगे तभी आपका राष्ट्र स्वस्थ हो सकता है। इसलिये इस कानून का संबंध केवल माता और शिशु तक ही नहीं है बल्कि इसका संबंध संपूर्ण राष्ट्र से है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप मातृत्व को खंड खंड में बांटकर नहीं बल्कि समग्र दृष्टि से सोचिये। चाहे मातृत्व खेत-खलिहानों, फैक्ट्रियों में या चारा बागानों में काम करने वाली महिलाओं का हो जिनमें अपने बच्चों के प्रति ममता होती है, इसलिये इसी माध्यम से हम एकरस या एक समान सहायता सब को दे सकते हैं।

महोदया, और जो बातें हमसे पूर्व वक्ताओं ने कहीं हैं, मैं स्वंय को उनके साथ करते हुये एक बात और कहना चाहती हूं कि 1961 के कानून में एक भयानक खोट है।

जो हम छह सप्ताह या दो सप्ताह की छुट्टी देते हैं, उसके अलावा यह बात भी कही गई है कि यदि शिशु की ऐसे काल में मृत्यु हो जाती है तो उसी दिन उसकी छुट्टी समाप्त मानी जाएगी। यह इसकी धारा 5, खंड 3 में है। मैं कहना चाहती हूं कि उसके बाद भी कई प्रकार की शारीरिक खामियां माता में रह जाती हैं और मानसिक रूप से वह इतनी उद्वेलित रहती है उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण छुट्टी उसको मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए मिलनी चाहिए।

महोदया, जहां-जहां भी कार्यशील महिलाएं हों, उनके लिए कानून में संशोधन होने में अभी देर है, लेकिन एक स्वर में सब जगह क्रेच की मांग की जा रही हैं। क्रेच की मांग को इस कानून में संशोधन के तहत जोड़ दिया जाए कि जहां भी कारगर महिलाएं जाती हैं, वहां क्रेच जरूर होनी चाहिए और जब तक क्रेच नहीं बनती हैं, तब तक उन सारी कामगर महिलाओं को जो स्तनपान कराती हैं, अपने घर से कार्यालय तक लाने ले जाने की व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिए। मैंने एक बार स्वास्थ्य विभाग से यह बात पूछी थी। उसका प्रधान मंत्री ने उत्तर दिया था कि महिलाओं और पुरुषों की महिला कल्याण में और जनसंख्या नियोजन में क्या भागीदारी होनी चाहिए, इसको सुनिश्चित कर देना चाहिए। इस संशोधन में ऐसा लगता है कि महिलाओं को फिर एक बार जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। गर्भधारण या जनसंख्या वृद्धि में जितनी जिम्मेदारी मां की होती है, उतनी ही जिम्मेदारी पिता की भी होती है। कहीं भी पिता की जिम्मेदारी इस संशोधन के द्वारा तय नहीं की गई है और उस दिन के प्रधान मंत्री के आश्वासन की भी जो इस सदन में दिया गया था कि पुरुषों की कितनी भागीदारी होनी चाहिए, मुझे लगता है कि उसको हम जरूर सुनिश्चित करेंगे। इसकी अवहेलना की गई है। इस ओर भी बिल पास करने से पहले दृष्टि जानी चाहिए।

महोदया, पुरुषों की जिम्मेदारी प्रसव के उपरान्त अधिक बढ़ जाती है। उनका भी आप छुट्टी दें और उनकी जिम्मेदारी के प्रति उनको जागरूक करें, तभी इस बिल की मंशा पूरी हो सकती है। बिल में लगता है कि मैटर्निटी बैनिफिट में महिलाओं को फायदा नहीं पहुंचेगा, बल्कि उनको एक वस्तु मानकर उस पर और भी कुछ थोपने के लिए उनको समाज की ओर से MTP या ट्यूबैक्टॉमी के लिए धकेला जाएगा। जैसा हमारे अन्य सदस्यों ने कहा है कि MTP के माध्यम से हमारे महिला शिशु भ्रूणों को खतरा उत्पन्न होगा, ऐसी मुझे भी शंका है। इन शंकाओं के बाद भी मैं भारी मन से इस बिल का समर्थन करती हूं, भले ही पूरे मन से नहीं कि संशोधन को स्वीकार करके एक बार फिर मातृत्व को गरिमा देकर महिलाओं को और भी अधिक सुविधा देकर आप इस बिल को पास करेंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी (सिक्किम) : सभापति महोदया, ऊपरी तौर पर मैं विधेयक का पूरे मन से स्वागत करती हूं। विधेयक के उद्देश्यों के बारे में मेरे माननीय साथियों श्रीमती सुमित्रा महाजन, श्रीमती गिरिजा देवी, श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य और स्वयं आपने अपनी आशंकाएं व्यक्त की हैं। महिलाओं का कल्याण करने के बहाने से सरकार जनसंख्या नियंत्रण करने के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहती है। मुझे इस बात की हैरानी है कि सरकार यह सब कुछ स्वेच्छा से कर रही है अथवा विश्व बैंक और अन्य संगठनों के दबाव में कर रही है, जो चाहते हैं कि हम अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें।

महोदया, मैं गहराई में जाना चाहती हूं क्योंकि अन्य माननीय सदस्यों ने अधिकांशतः सभी मुद्दों को उठाया है। मैं सिर्फ दो मुद्दे उठाना चाहती हूं। यह सभी राज्यों में समान रूप से लागू किया जाना चाहिए। यह असंगठित क्षेत्र में भी लागू किया जाना चाहिये क्योंकि विधेयक देश की सिर्फ 8 प्रतिशत महिलाओं पर ही लागू होता है। विधेयक के गहन अध्ययन से मालूम होता है कि जिन महिलाओं की बात की गयी है वे पहले से ही शिक्षित हैं और कामकाजी महिलाएं हैं, और उनके ऊपर समय का दबाव है कि वे छोटे परिवार के प्रतिमान को अपनाएं तथा वे पहले से ही कई चीजों से प्रभावित हैं। यह महिलाएं पहले से ही अधिकांशतः छोटे परिवार के प्रतिमान को अपना रही हैं। सरकार अगर इससे जनसंख्या के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहती है तो निश्चना ठीक नहीं है। यहां पर मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूं कि उसको यह कायदा असंगठित क्षेत्र को भी देना चाहिये।

देश में अशिक्षित महिलाएं हैं। जिन लोगों पर यह विधेयक लागू होता है उनके बच्चों की देखभाल भली-भांति हो रही है और वह अपने बच्चों को छोटे परिवार के प्रतिमान के बारे में शिक्षित कर सकते हैं। परन्तु अशिक्षित लोगों में जनसंख्या वृद्धि तेजी से हो रही है। हमारी देश की जनसंख्या वृद्धि का यही प्रमुख कारण है और सरकार को अपना ध्यान इस ओर केन्द्रित करना चाहिये।

श्रीमती गिरिजा जी और श्रीमती सुमित्राजी ने सच ही कहा है कि महिलाओं को बच्चे पैदा करने का विषय बनाना और उन्हीं की जनसंख्या वृद्धि का कारण बनाना ठीक नहीं है। सरकार भी इसमें भेदभाव कर रही है। आकड़ों से पता चलता है कि 96 प्रतिशत मामलों में वंध्याकरण सिर्फ महिलाओं पर ही किया जा रहा है। सरकार पुरुषों को वंध्याकरण के लिए प्रोत्साहित क्यों नहीं करती है ? महोदया, आपने स्वयं पुरुषों के लिए पितृत्व छुट्टी का भी सुझाव दिया है। मैं जानना चाहती हूं कि सरकार पुरुषों को क्यों नहीं ऐसे कार्यों के लिये प्रोत्साहित करती है और उनको पितृत्व छुट्टी देती है ?

महोदया, मैं उन मुद्दों पर विस्तार से नहीं बोलूंगी जिन्हें अन्य सदस्य पहले ही उठा चुके हैं।

मैं इस विधेयक का पुनः समर्थन करती हूं और अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : सम्माननीय सभापतिजी, बिल कुछ अच्छा है, इसमें कुछ तो राहत दी है लेकिन बिल की जिस तरह से आलोचना हुई है वह भी विचारणीय है।

देश में परिवार नियोजन की अहम् भूमिका है और उसमें यह बिल योगदान दे सकता है। हमारे यहां तो आयुर्वेद में पूरा एक तंत्र वर्णित है। उसमें जिन 8 अंगों का वर्णन किया है उसमें प्रसूति तंत्र और कौमारभृत्य विषयों को बड़ी महत्ता के साथ लिया गया है और उसके माध्यम से गर्भस्थ शिशु के लिए विस्तृत विवेचना की गई है।

यदि गर्भस्थ शिशु की आवश्यकता नहीं है तो उसके लिए अनेक प्रकार की दवाईयों की व्यवस्था की गई है जिससे मां को किसी प्रकार की वेदना न हो। पूर्व में जो गर्भपात अपराध था, उसको सरकार ने अपराध प्रवृति से निकालकर संवैधानिक दर्जा दे दिया। गर्भस्थ महिला को ज्यादा से ज्यादा राहत किस प्रकार मिले, यह चिन्ता इस बिल के तहत की गई है।

मैं स्वास्थ्य मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि आपने हिन्दुस्तान भर में महिलाओं के लिए अस्पतालों को जो व्यवस्था की है, क्या उनका उपयोग ठीक हो रहा है? गांवों के अस्पतालों में गर्भस्थ महिलाओं के लिए आयरन टैबलैटस की जो व्यवस्था की गई है, उनका उपयोग ठीक से हो रहा है या नहीं, इसका एक बार सर्वे तो करवाकर देखें। मैं कुछ दिन पहले अपने क्षेत्र में गया तो वहां की डिस्पैन्सरी में हजारों की तादाद में आयरन टैबलेटस बिना उपयोग किए हुए पड़े थे।

यह अच्छा है हमने महिलाओं को कुछ सुविधाएं दी हैं लेकिन जो और्गनाइज्ड क्षेत्र नहीं हैं, उनके लिए आपने इसमें कोई परिकल्पना नहीं की।

सभी महिला सदस्यों ने पुरुष प्रधान व्यवस्था की आलोचना की है स्थायी समिति का एक बिल आपके पास है। आज उसको डेढ़-दो साल हो गए। हम बिल ला रहे थे कि दो से अधिक सन्तान होने पर व्यक्ति को किसी भी कीमत पर चुनाव के आयोग्य घोषित करेंगे। मुझे लगता है कि आप उस बिल को नहीं लाएंगे। समिति ने बिल पास कर दिया लेकिन सदन के एक माननीय सदस्य ने एक नोट लिखा कि यह शरियत के खिलाफ है। वह एक अच्छा बिल था। लोग यही कहते हैं कि मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट या विधान सभा के सदस्य अपने लिए जो कानून लाते हैं उसे शीघ्र ही पास करवा लेते हैं लेकिन जिनके कारण उनपर प्रतिबंध लगता है, उस बिल को रोक रहे हैं। यदि वह बिल यहां पर आ जाता तो सदन की महिलाएं सीधा आरोप न लगाती। आप इसी सत्र में उस बिल को भी स्वीकार करवाएं जिससे महिला वर्ग में यह भावना, कि हम इस बिल को स्वीकार नहीं करेंगे, न रहें। यह बिल अच्छा है लेकिन इसे और अधिक विस्तृत करना आवश्यक है ताकि मां को अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : सभापति महोदया, मैंने जो इस बिल के संबंध में संशोधन दिए हैं, उनके संबंध में मुझे कुछ विचार व्यक्त करने हैं। मेरी प्रार्थना करना यह है कि केवल महिलाओं को ही दंड क्यों, पुरुषों को भी दंड मिलना चाहिए इसका जिक्र अभी माननीय दाऊ दयाल जोशी जी ने भी किया है। मेरी राजस्थान की सरकार ने एक बिल पास किया है, जिसमें कोई व्यक्ति चाहे विधान सभा का सदस्य हो, चाहे पंचायत का सदस्य हो, चाहे सरपंच हो, चाहे प्रमुख हो या नगर-पालिका का सदस्य हो, सदस्य बन जाने के बाद.....(**व्यवधान**) पहले का दोष नहीं है। यदि अयूब खां जी के आठ बच्चे हैं, तो वे उस परिधि में नहीं आयेंगे .....(**व्यवधान**)।

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : मेरे नहीं हैं.....(**व्यवधान**) इनसे पूछिए, इनके कितने बच्चे हैं..... (**व्यवधान**) इस लाइन में बैठने वाले सब से पूछिए कि कितने इनके बच्चे हैं।....(**व्यवधान**) कितनी बीवियां हैं, यह भी पूछिए।.... (**व्यवधान**)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : 4 बजे कृषि नीति पर चर्चा आरम्भ होगी। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूं कि मुख्य वाद विवाद को समाप्त किया जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : महोदया, इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि सदस्य बने जाने, चुनाव जीत जाने के बाद– यदि बच्चा पहले से ही गर्भ में है, तब तो उसका दोष नहीं होगा– बाद में बच्चा पैदा होता है, दो के बाद तीसरा बच्चा, तो उसका जीता हुआ चुनाव चाहे वह चुनाव विधान सभा का हो या पंचायत का हो या प्रमुख का हो या नगर-पालिका का हो, वह चुनाव स्वतः ही अवैध हो जाएगा। यह प्रावधान हमारी राजस्थान की सरकार ने किया है। हमारी राजस्थान ने एक और योजना शुरू की है और वह योजना है– गृह लक्ष्मी योजना। मान लीजिए, लड़की पैदा हो गई, लड़की का पैदा होना तो बुरा नहीं माना गया है, तो उसको पहले एक हजार रुपए और बाद में फिर 18 हजार रुपये देने की व्यवस्था है। यह पैसा मैच्योर्ड जब होगा, तो उसको मिल जाए, इसके लिए भी राजस्थान सरकार ने कदम उठाया है। पहले यदि दो लड़कियां पैदा हो गई, तो लड़के की समस्या इसलिए पैदा होती हैं, क्योंकि मेरी कपाल-क्रिया कौन करेगा। कपाल-क्रिया के लिए तो लड़का ही आवश्यक है। वैसे आज लड़की का उतना ही महत्त्व है, जितना की लड़के का। अब आप यह देख रहे हैं कि चुनाव में, चाहे वह चुनाव पंचायत का हो या नगर-पालिका का, सभी स्थानों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व मौजूद है। इसलिए महिलाओं और पुरुषों में कोई अन्तर नही रह गया है। इसलिए मेरा निवेदन करना यह है कि आप लोक सभा में भी इसी तरह का बिल लायें, क्यों ऐसे बिल को लाना आवश्यक हो गया है। लोकसभा का सदस्य होने के बाद यदि बच्चा पैदा होता है, तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तब जाकर इसका लाभ होगा और वैसे भी पुरुषों को दंड मिलना जरूरी है।

जहां तक मैडिकल के खर्च की बात है, तो मैडिकल में वास्तविक जितना खर्च हुआ है, उतना उसको पूरा-पूरा मिलना चाहिए। इस बारे में भी मैंने एक संशोधन दिया है। दूसरा संशोधन है, छहः सप्ताह की छुट्टी के बारे में। मैडिकल केयर में जितना समय लगे, कोई आवश्यक नहीं है कि वह छः सप्ताह ही हो, समय बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है यानि महिला ठीक हो गई, तो छः सप्ताह नहीं बैठ पाएगी और वह छः सप्ताह पहले भी काम पर आ सकती है, उतना समय दिया जाना चाहिए। छः सप्ताह की क्यों, जब तक उसको मैडिकल केयर आवश्यक हो, वह समय उसको दिया जाना चाहिए। मुझसे पूर्व माननीय सदस्या कर रही थीं, यदि बच्चा मर जाए, उस स्थिति में भी जितना समय और जो खर्चा आता है, वह दिया जाना चाहिए।

मैं इस विधेयक का समर्थन तो कर रहा हूं ,लेकिन मेरा निवेदन करना यह है कि इसमें सक्षम डाक्टर की बात कही गई है, मैं पूछना चाहता हूं कि वह सक्षम डाक्टर कौन होगा ? आप किस को सक्षम डाक्टर मानते हैं ? इसके अलावा माननीय सदस्या कह रही थी कि अंतराष्ट्रीय संगठन में यह बात कही गई थी कि यदि गरीब महिला का गर्भपात हो गया, तो उसका पड़ौसी सेवा नहीं करेगा, सेवा करेगा उसका पति। शादी के वक्त जब फेरे लिए जाते हैं, तो कहा जाता है कि मैं तेरे सुख-दुःख में साथ रहूंगा, निभाऊंगा, तो पति की जिम्मेदारी होती है कि वह उसकी सेवा करे। फेरे के वक्त लड़का-लड़की साथ बंधने के लिए हूं-हूं करते हैं और फेरे लेते जाते हैं। सेवा भी उसको करनी चाहिए और उसको कानून में मान्यता देनी चाहिए।

पति को ही उस महिला की सेवा करने के लिए छुट्टी का प्रावधान हो तो मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में जो 7 फेरे वाला नियम है उसको भी निभा सकेंगे।

महोदय, अंत में मेरा निवेदन यह है कि संगठित और असंगठित 2 क्षेत्र हैं। संगठित क्षेत्र में महिलाए कम हैं और असंगठित क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा हैं। महिलाएं खेती में काम करती हैं, ईट का काम करने वाली हैं, बीड़ी के मजदूर हैं उस क्षेत्र में महिलाएं ज्यादा हैं। असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं उनको भी इस प्रावधान में लाया जाए और पति पत्नी दोनों को बराबर की छुट्टी दी जाए। अंत में मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से महिलाओं को 2 बच्चे पैदा होने के बाद उसको नलबंदी कराना, गर्भपात कराना आवश्यक है उसी प्रकार से पुरुषों को भी प्रोत्साहन दिया जाए कि तुमको भी हम चुनाव में जिताएंगे, तुमको भी

आईएएस ऑफिसर बना देंगे, यदि तुम नसंबदी करा लोगे। इसलिए पुरुषों को भी उतना ही दंड मिलना चाहिए, क्योंकि केवल महिलाओं ने देश में इस प्रकार का अपराध नहीं किया है। इसलिए इस कानून को पूरे देश में लागू करें और जो बात मैंने आपसे निवेदन की है कि अगर दो बच्चों के बाद तीसरा बच्चा हो गया तो चुनाव अवैध माना जाएगा, यदि आपने इस बात को लागू कर दिया तो इस चक्कर में कई लोग आ जाएंगे। आपकी लोकसभा में कई सदस्य नये-नये चुन कर आ जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो इनमें से कई सदस्य बार-बार चुनकर आ जाते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि इस संबंध में भी माननीय मंत्री जी विचार करेंगे।

महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि मंत्री जी मेरे इन सुझावों को मानेंगे।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): सभापति महोदया, विधेयक को पुरःस्थापित करते हुए मैंने व्यक्त किया था कि इस विधेयक को लाने का सीमित उद्देश्य है। देश में कामकाजी महिलाओं की प्रसूति प्रसुविधाओं के संबंध में दो अधिनियम हैं, पहला कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम के तहत प्रसूति प्रसुविधा दी जाती है और दूसरा प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम है।

महोदया, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है। उन्होंने देश में माताओं और बच्चों की स्थिति के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं और कई माननीय सदस्यों ने इस विधेयक के विषय क्षेत्र से बाहर भी चर्चा की है। विधेयक पर वाद-विवाद के दौरान वे सोच रहे होंगे कि यह विधेयक स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा लाया गया है लेकिन यह स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नहीं लाया गया है। मैं श्रम मंत्री की ओर से विधेयक पेश कर रही हूं जो कि दूसरे सदन में व्यस्त हैं और यह विधेयक कुछ सीमित प्रयोजनों हेतु ही पुनःस्थापित किया गया है।

महोदया, ऐसा नहीं है कि हम सम्पूर्ण प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम को बदलने जा रहे हैं। यह कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और अन्य संगठनों की मांग है। श्रम मंत्रालय ने विचार विमर्श के पश्चात ही इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है। राज्य सभा में यह विधेयक 2.5.1995 को पुरःस्थापित किया गया था और उसने 9.5.1995 को स्थायी समिति को भेज दिया गया था। स्थायी समिति ने विचार विमर्श के पश्चात विधेयक के प्रावधानों को एकमत से स्वीकार किया है और राज्य सभा ने 1.6.1995 को विधेयक पारित कर दिया था। इसलिये, सरकार ने राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को यहां पर पुरःस्थापित किया है।

कई सदस्यों ने चर्चा के दौरान गर्भाधान के चिकित्सीय समापन और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के खण्डों तथा दूसरे सदन में स्वास्थ्य मंत्रालय का लंबित संविधान (संशोधन) विधेयक का उल्लेख किया है। मेरे विचार में ये उन विधेयकों से संबद्ध है। परन्तु, इस मामले में ये प्रसुविधायें नई नहीं हैं। यह उन कामकाजी महिलाओं के लिये नयी हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत नहीं आती हैं। हम उनको भी इसमें सम्मिलित करके उन्हें ये प्रसुविधायें देने वाले हैं।

महोदया, यह सच नहीं है कि भारत सरकार परिवार नियोजन के एक तरीके के रूप में गर्भाधान के चिकित्सीय समापन को बढ़ावा दे रही है, गर्भाधान के चिकित्सीय समापन अधिनियम, 1971 में स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित है कि कब और कैसे कोई महिला एमटीपी करा सकती है और यह कौन संपन्न कर सकता है। यह सब उसमें है। इसलिए, भारत सरकार द्वारा एमटीपी को परिवार नियोजन के एक साधन के रूप में बढ़ावा देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। महोदया, मैं इसको भी स्पष्ट करना चाहती हूं।

कई सदस्यों ने कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिये शिशुगृह की सुविधा का उल्लेख किया है। यह सच है कि बागान श्रम अधिनियम और कारखाना अधिनियम में शिशुगृह के लिए प्रावधान हैं। परन्तु माननीय सभापति महोदया की चिन्ता ठीक है कि ये अधिनियम उचित तरीके से लागू नहीं किये जाते हैं। मेरे विचार में माननीय श्रम मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वह राज्य सरकारों की बैठक बुलाने जा रहे हैं और वे विशेषतः अधिनियम के प्रावधानों पर चर्चा करने जा रहे हैं। वे यह भी चर्चा करेंगे कि कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए कहां और कैसे शिशुगृह उपलब्ध कराये जा सकते हैं। मेरे विचार में अधिकांश माननीय सदस्यों ने इसको शामिल किये जाने का स्वागत किया है और जैसा कि हम उल्लेख करते रहते हैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति ने सरकारी संशोधन अनुमोदित कर दिया है। इसलिये, मैं राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित और यथापारित विधेयक को सभा द्वारा पारित किये जाने का अनुरोध करती हूं।

जहाँ तक अन्य प्रश्नों की बात है वे अधिकांशतः परिवार कल्याण विभाग से संबद्ध हैं। मेरे विचार में उन मामलों पर विचार प्रकट करने के लिए माननीय सदस्यों को अवसर मिलेगा क्योंकि इस संशोधन के बड़े सीमित प्रयोजन हैं। इसलिये मैं माननीय सदस्यों से इस विधेयक का समर्थन करने और पारित करने के लिये अनुरोध करता हूं।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर) : महोदया, मैं एक स्पष्टीकरण चाहूंगी।

सभापति महोदय : मुझे दूसरी मद से पहले, जिसे 4 बजे लिया जाना है, इस विधेयक को समाप्त करने के लिए सभा की अनुमति लेनी पड़ेगी। मेरे विचार से आप सभी इसके लिए सहमत हैं।

अनेक माननीय सदस्यः ठीक है, महोदया।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य : महोदया, क्या मुझे स्पष्टीकरण शीघ्र मिल सकता है ? मेरे विचार से पूर्णतः अभूतपूर्व बात है कि बिल्कुल किसी अलग मंत्रालय का मंत्री किसी मंत्री की ओर से जवाब दे। मेरे विचार से सदस्यों के मन में इस बात को लेकर कुछेक संदेह हैं कि जो उपाय श्रम कल्याण के लिए किये जाते हैं, उन्हें ही परिवार कल्याण के लिए अपनाया जा रहा है। निःसंदेह मंत्री महोदय ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि सरकार की परिवार नियोजन के एक नियमित उपाय के रूप में एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रगनैन्सी को प्रयुक्त करने की कोई मंशा नहीं है। चर्चा के दौरान मैंने इस प्रश्न को उठाया था और मंत्री महोदय ने इसका जवाब दिया है। लेकिन मैं उनसे यह पूछना चाहती हूं कि अगर ऐसा है तो फिर उद्देश्यों और कारणों में इस वाक्य का क्या अर्थ है :

> "कामगार महिलाओं को परिवार नियोजन के उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए इन सभी को अपनाया गया है।"

अगर आप इसे परिवार नियोजन के उपाय के रूप में नहीं अपना रहे हैं

तो फिर उद्देश्यों और कारणों में आपने यह वाक्य क्यों शामिल किया है ? मेरे विचार में परिवार नियोजन के उपाय के रूप में अगर एमटीपी का प्रयोग किया जाता है अथवा इसे प्रयुक्त करने का जरा भी अदेंशा है, तो यह बहुत बुरा होगा।

श्री पवन सिंह घाटोबार : महोदया, परिवार नियोजन में महिलाओं का स्वास्थ्य भी शामिल है क्योंकि हमारे देश की हजारों महिलायें ऐसी हैं, जो एमटीपी अपना रही हैं। मेरे पास इसके सही-सही आंकड़े नहीं हैं, लेकिन इनकी संख्या हजारों में है।

4.00 म०प०

महिलायें हजारों की संख्या में एमटीपी अपना रही हैं, लेकिन इससे उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए यह फायदा होना उनके लिए अति आवश्यक है और इसी वजह से हम यह फायदा अपनी कामगार महिलाओं को, जिन्हें राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, देने जा रहे हैं। इस विधेयक का यही उद्देश्य है।

श्रीमती भाखिनी भट्टाचार्य : यह अच्छी बात है लेकिन संदेह फिर भी बना हुआ है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार करेगी।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 4 - धारा 9 के लिए नई धारा का प्रतिस्थापन

सभापति महोदय : श्री राजागोपाल नायडू रामासामीजी क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं।

श्री राजागोपाल नायडू रामासामी (पेरियाकुलम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 11–

"प्रसुविधा" **के पश्चात्** और उपगत वास्तविक चिकित्सीय व्ययों के अनुरूप भत्ते" **अंत:स्थापित किया जाये।** (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 11–

"छह सप्ताह" **के पश्चात्** "या चिकित्सीय देखभाल में व्यतीत वास्तविक अवधि या जो भी अधिक हो" **अंत: स्थापित किया जाये** (2)

महोदया, चिकित्सीय देखभाल की संपूर्ण अवधि के लिए वास्तविक चिकित्सीय व्यय तथा वेतन प्राप्ति के लिए इस विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिए। अगर यह नहीं दिया जाता है तो बहुत सी महिलाओं को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सभी महिलाओं के लिए समान अवधि का सुझाव देने के स्थान पर इस विधेयक को व्यवहारिक जीवन की सच्चाई को ध्यान में रखना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मेरे संशोधन स्वीकार करें। अगर उन्हें स्वीकार नहीं किया जाता, तो फिर मैं उन्हें स्वीकार करने के लिए जोर दूंगा।

सभापति महोदय : श्री गिरधारी लाल भार्गव जी पहले ही अपने संशोधनों पर बोल चुके हैं। क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री गिरधारी लाल भार्गव : जी नहीं।

[हिन्दी]

माननीय मंत्री जी ने मेरी बात नहीं मानी, मैं इसे वापस लेता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्री एस ०पी० यादव उपस्थित नहीं हैं; श्रीमती सरोज दुबे यहां नहीं हैं। अतः मेरे विचार में वह अपने संशोधन पेश नहीं कर रही हैं।

अब, मैं श्री राजगोपाल नायडु रामासामी द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 1 और 2 को सभा में मतदान के लिए रखती हूं।

संशोधन संख्या 1 और 2 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5 - नई धारा 9क का अंत:स्थापन

सभापति महोदय : श्री राजागोपाल नायडु रामासामी जी क्या आप अपने संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री राजागोपाल नायडु रामासामी : मैं ये संशोधन पेश कर रहा हूँ और सरकार ने इस पर विचार करने का अनुरोध करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 2 पंक्ति 15–

"ट्यूबेक्टॉमी आपरेशन" **के पश्चात्** "या डिंब ग्रन्थि को हटाने के लिए शल्य-चिकित्सा" **अंत:स्थापित किया जाये।**(3)

पृष्ठ 2, पंक्ति 17–

"प्रसुविधा" **के पश्चात्** "और उपगत वास्तविक चिकित्सीय व्ययों के अनुरूप भत्ते " **अंत:स्थापित किया जाये।** (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 17—

'दो सप्ताह की कालावधि के लिए" के पश्चात् "या चिकित्सीय देखभाल में व्यतीत अवधि, जो भी अधिक हो," अंतः स्थापित किया जावे।(5)

सभापति महोदय : मेरे विचार से श्री भार्गव अपने संशोधन पेश नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव : माननीय मंत्री जी, आप इसे मान जाएं तो मुझे प्रसन्नता होगी। नहीं मानें तो रात को मुझे नींद नहीं आयेगी।

सभापति महोदय : इनको स्लीपिंग पिल्स लेनी चाहिए।

[अनुवाद]

क्या माननीय सदस्य संशोधनों को पेश करना चाहते हैं ?

श्री राजागोपाल नायडु रम्मासामी : महोदया, मैं अपने संशोधन वापिस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन संख्या, 3,4, और 5 सभा की अनुमति से , वापस लिये गये।

सभापति महोदय : गिरधारी लाल भार्गव अपना संशोधन पेश करें।

श्री गिरधारी लाल भार्गव : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : डा० एस० पी० यादव अनुपस्थित ।

श्रीमती सरोज दुबे- अनुपस्थित।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री पवन सिंह चाटोवार : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

" कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रारूप कृषि नीति संकल्प (यथा उपान्तरित) पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव– जारी

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब माननीय मंत्री श्री बलराम जाखड़ प्रारूप कृषि नीति संकल्प (यथा उपान्तरित) संबंधी प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा 14 मई, 1993 को सभा पटल पर रखे गये प्रारूप कृषि नीति संकल्प (यथा उपान्तरित) पर विचार करती है।"

[हिन्दी]

सभापति महोदया, मैं सोच रहा हूं कि मैं इसे आपके सामने रखूं या ना रखूं। 2 साल 8 महीने हो गये हैं, जब मैंने इसे हाउस के सामने रखा था। बार-बार प्रार्थना करने के बाद भी समय ही नहीं मिल पाया। यह 75 परसैंट किसानों के मुतालिक बात है। इनके लिए हम रात-दिन आंसू बहाते हैं। जब मैं इसे हाउस के सामने पेश करने जा रहा हूं तो चारों तरफ देखता हूं तो मेरा मन इसे हाउस के सामने पेश करने का नहीं होता है। इसके द्वारा 75 परसैंट लोगों की उपेक्षा की जा रही है। यह इतनी बेइज्जती है जिससे मैं बर्दाशत नहीं कर सकता। मैं क्या करूं और किस से कहूं ?

श्री वीरेन्द्र सिंह भिर्जापुर : आप पीछे न देखो।

श्री बलराम जाखड़ : मैं सब तरफ देख रहा हूं । मैं चारों तरफ आंख उठाकर देख रहा हूं। यह कहने की बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं इनकी बात का शत प्रतिशत समर्थन करता हूं। जिन बातों पर इन्होंने दुख प्रकट किया, उनका हर दल को समर्थन करना चाहिये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आज इस मामले को स्थगित कर दिया जाये क्यों कि देश के लिये इससे बढ़कर और कोई शर्म की बात नहीं हो सकती है। हम किसानों की बात करते हैं और किसानों के लिये रोते हैं। और यहां पर यह महत्वपूर्ण कार्य एग्रीकल्चर मिनिस्टर द्वारा पेश किया जा रहा है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है या मैं इस हाउस में ऐसे शब्द नहीं कहना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मेरे विचार से मंत्रीजी तथा सभा के सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता निश्चय ही पूरी सभा तथा पूरे राष्ट्र के लिए चिन्ता का विषय है। अब प्रश्न यह है कि क्या हम इस स्थिति में चर्चा जारी रखें अथवा समाप्त कर दें ?

कुछ माननीय सदस्य : हमें यह चर्चा जारी रखनी चाहिए **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : तो आइए, आरम्भ करें । मेरा विचार है कि चाहे स्थिति गंभीर है फिर भी, हम सब जो यहां मौजूद हैं चर्चा के लिए आए हैं। श्री बलराम जाखड़ जी, आपकी क्या राय है ? क्या आप अपना वक्तव्य जारी रखेंगे ?

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह (आंवला) : सभापति महोदया, यह देश का दुर्भाग्य है कि देश को औद्योगिक नीति 30-40 साल पहले तय हो गयी लेकिन जब कृषि नीति की बात आयी हो तो जैसा कृषि मंत्री जी ने कहा है, मैं उनका पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं कि कुछ लोग बाहर जाकर किसानों के मसीहा बनते हैं, उनके लिये आंसू बहाते हैं लेकिन आप चारों तरफ देख लीजिए, लोग गायब हैं।.... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री सुदर्शन रायचौधरी (सीरसपुर) : हो सकता है कृषि नीति के मसौदे से सदस्य संतुष्ट न हों। इसीलिए उन्होंने अपने विचार इस तरह से व्यक्त किए हैं..... **(व्यवधान)**।

सभापति महोदय : मेरे विचार से चर्चा के लिए सहमति हो गयी थी। मैंने पहले ही अपने तथा मंत्रीजी के विचारों को व्यक्त कर दिया है। **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़ : महोदया, मैं माननीय सदस्यों के विचार जानकर हैरान हूं यदि यह गलत है तब भी इस पर चर्चा होनी चाहिए.. **(व्यवधान)** यह बात पूर्णतः अनुचित है।

[हिन्दी]

श्री-अनिल बसु (आरामबाग) : यह हो सकता है कि इस अवसर का अंतिम समय आ गया हो और जब नयी सरकार आयेगी तो कृषि की नयी पालिसी कार्य करेगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सबके बारे में है प्रश्न यह है कि क्या हमें चर्चा जारी रखनी चाहिए अथवा नहीं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (वियजवाड़ा) : पहले कृषि नीति के मसौदे चर्चा आरम्भ कीजिये।

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह : आज इस बहस को स्थगित न किया जाये। ढाई साल बाद नम्बर आया है यदि स्थगित कर दिया तो न जाने फिर कब नम्बर आयेगा? मेरा निवेदन है कि किसानों की दशा खराब है। हम और आप बाहर और अंदर किसानों के लिये रोना रोंय

सभापति महोदय : माननीय मंत्रीजी बोल रहे थे। वे अपना वक्तव्य जारी रख सकते हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : प्रत्येक सत्र के दौरान इसे कार्यसूची में शामिल किया गया था लेकिन इस पर चर्चा नहीं की गई।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मेरे दिल में बड़ा दुख है। मैं सब की बात सुनता हूं सब की करता हूं और आज पौने तीन साल हो गये हैं। देश की इंडस्ट्रियल पालिसी, एक्नामिक पालिसी और ऐजुकेशन पालिसी आ गयी है।

[अनुवाद]

हर प्रकार की नीति सामने आई है। जब हमने इसे ठीक करने की कोशिश की तो किसी ने बात नहीं सुनी। किसी ने उस पर चर्चा करने की कोशिश नहीं कि और उन्होंने कहा था कि यह बात इतनी गलत है कि वे उस बारे में कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। आप कितनी गलत बात करते हैं। यह बात है।

महोदया इसका लम्बा इतिहास है। यह सन् 1990 में आरम्भ हुई।

इस नीति को तैयार करने का कार्य श्री शरद जोशी को सौंपा गया था। उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। इसके बाद भानुप्रताप सिंह समिति गठित की गई। इस पर पुनः विचार किया गया। कुछ भी नहीं हुआ। यह बात पूर्णतः समाप्त हो गयी। तत्पश्चात् 18.6.1992 को कृषि मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कृषि नीति के मसौदे पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किया गया और उसे मंत्रियों के एक दल के पास भेज दिया गया था। मंत्रियों के दल की बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 17.8.1992 को हुई थी।

इस मसौदे पर मंत्रिमंडल द्वारा 11.11.1992 को पुनः चर्चा की गई। तत्पश्चात् 5.3.93 को इस नीति पर चर्चा करने के लिए मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया गया जिसमें सभी मुख्य मंत्रियों को बुलाया गया था। उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कुछ सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। उन्होंने कुछ संशोधन भी किया था। इस बात पर पूर्णतः सहमति हो गयी थी कि मसौदा नीति यह होनी चाहिए और बाद में हमने उसका मसौदा तैयार किया।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : हिन्दी में ही बोला जाए तो अच्छा है।

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : किसानों की बात तो कम से कम हिन्दी में कहीं जाए। किसान की उपेक्षा हो रही है। किसान अंग्रेजी नहीं जानता और किसान के बारे में यहां सारा काम अंग्रेजी में हो रहा है।....' **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह सदस्य की इच्छा है वह किसी भी भाषा में बोल सकता है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : आप आज्ञा दीजिये तो मैं हिन्दी क्या, पंजाबी में उर्दू में, गुजराती में, संस्कृत में जिसमें कहें उस भाषा में कह दूं।

मैं कह रहा था कि 5.3.93 को मुख्य मंत्रियों की बैठक में डिसकस हुआ। सभी मुख्य मंत्रियों ने पूरी तरह से इसका विश्लेषण किया। बाद में इसमें कुछ तब्दीलें की। कुछ सुझाव उन्होंने दिये जो इसमें डाल दिय गये। इसके पश्चात 14.5.94 को यहां सदन में हमने आपके सामने इसको रखा। इस सारे का अर्थ यह हुआ कि किस तरीके से किसानों का पुनरुत्थान किया जाए, यह हमने सोचा, जो आज तक कृषि क्षेत्र में नहीं हुआ क्योंकि हमारी 75 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है। उनका निर्वाह गांव की जमीन से होता है, चाहे खेती से किसी प्रकार से भी वे संबंधित हो। चाहे वह मजदूरी करते हैं, चाहे किसी के साथ मिलकर साझेदारी करते हैं, लेकिन सभी कृषि पर निर्भर हैं। कृषि नीति लाने का हमारा मकसद यही था कि किसी प्रकार से गांव की स्थिति को सुधारा जाए और गांवों में रहने वाले किसानों की स्थिति को सुधारा जाए।

इस नीति में पहली बात यह है कि किस प्रकार कृषि का उत्पादन बढ़ाएं। किस प्रकार हम किसानों को बताएं कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जा सकता है। जिस भूमि से काम ठीक नहीं हुआ है, उस क्षेत्र को सुधारा जाए। उनमें जो खेती के प्रति अनिश्चितता है और पीछे रहने की जो भावना है, उसको दूर किया जा सकता है। जिस तरीके से भूमि क्षार हो रही है, जिस तरह से पानी का दुरुपयोग हो रहा है या जहां पानी नहीं है, उनको किस तरीके से ठीक किया जाए, किस प्रकार पानी का सदुपयोग किया जाए, किस तरह से खराब होती हुई भूमि को ठीक रखा जा सके, भूमि की उर्वरता को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाए, इसके मुताल्लिक हमने सोचा है। किस प्रकार से जैनेटिक, बायोटिक और प्राकृतिक चीजों का संरक्षण किया जाए यह हमने सोचा। फिर जिस तरह से हमने सीलिंग की और सीलिंग करने के बाद छोटी छोटी जोतें की, बाद में हमारी आबादी बढ़ती गई, 32 करोड़ से 93 करोड़ हो गई। फिर जमीनों का बंटवारा होने लगा। उनको किस प्रकार से कोआपरेटिव में मिलकर काम करना सिखाएं, किस पकार से उनको अच्छा उत्पादन करने की तरफ हम लें जा सकते हैं, इस पर हमने विचार किया। उनको समझा सके कि कुछ आदमी यहां से निकालो और दूसरे काम में लगाओ। एक भाई एक काम करे तो दूसरा भाई दूसरा काम में लगे जिससे वे अपने खाने-पीने की ठीक तरह व्यवस्था कर सकें और दूसरे तरीके से पैसा भी कमा सकें तथा बेरोजगारी भी दूर हो। जब पैदावार अच्छी नहीं होगी तो बेरोजगारी भी दूर होगी। जब प्रोडक्शन ज्यादा होगी तभी आमदनी बढ़ेगी। आमदनी बढ़ने से खाने-पीने के साधन और उसके पास आंएगे और जो खाने-पीने की वजह से कमजोरियां उसमें आती थी वे भी नहीं होंगी। इसके लिए हमने बागवानी, फिशरीज, दूध उत्पादन, भैंस-गाय पालन, पोलिट्री, सेरिकल्चर को उन्नत किया। यह तो केप्सुलन माइक्रो है इसके बाद जो बड़ा कार्यक्रम होगा वह अलग होगा।

एक माननीय सदस्य : शुगर कोटेड में क्या है ?

श्री बलराम जाखड़ : शुगर कोटेड की चिन्ता मत करिए, पूरा ही शुगर है कोटेड नहीं है। इसलिए 145 लाख टन उत्पादन किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसका विस्तार हम सब मिलकर करें। स्टैण्डिग कमेटी की सिफारिश भी मेरे पास है उनके ऊपर भी मैं सोच रहा हूं, उसी को मैं लगाऊंगा। राज्य सभा में भी बहुत कुछ विचार-विमर्श हुआ। उसमें भी वहां जो कुछ कहा है और मैं आपसे विनती करना चाहता हूं कि मेरी मंशा यह नहीं है कि यह कोई मेरी नीति है या किसी पार्टी की नीति है। यह किसान की नीति है जो उनके शुभ के लिए हम सारा काम करना चाहते हैं। इसमें आप सबका सहयोगा होगा, सबकी राय होगी, उसको मिलाकर हम प्रारूप तैयार करना चाहते हैं। इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए

क्योंकि हम सब मिलकर यह करना चाहते हैं।

वैल्यु एडिशन एग्रीकल्चर की बात है। हमारे देश में हम जिस प्रकार की पैदावार करते हैं उसमें सब्जियां, फल स्वतः नष्ट हो जाते हैं, ठहर नहीं पाते और 25 से 30 प्रतिशत तक उनका नाश हो जाता है। हम उनको किस प्रकार से बचाकर रखें। चीन में कहते हैं कि इतना प्रोडक्शन बढ़ गया। वहां हमसे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं है। वे आलू को भी अपने खाद्यान्न में शामिल करते हैं, सब्जियों को भी गिन लेते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है उसको हम किस तरह से बचाकर रखें। बाहर के देशों में 40 से 60 प्रतिशत तक को डिब्बाबंद कर लेते हैं और किसी तरीके से रख लेते हैं, स्टोरेज की सुविधा उनके पास है। लेकिन ये सुविधाएं हमारे पास नहीं है। हमें ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ग्रेड करना, छोटा-बड़ा करना, डिब्बाबंद करना, फिर मार्केटिंग करना, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग की सुविधा के बारे में काम करना है। उसके लिए ज्ञान भी चाहिए। ये सारी बातें इसमें रखी हैं। जिससे छोटे से छोटा किसान भी काम कर सके।

मैं वैस्ट बंगाल के राजपुरा गांव में गया था। वहां मैं देखकर आया कि वहां पहले 5 टन टमाटर पैदा होते थे लेकिन अब एक किसान 50 से 60 टन टमाटर पैदा कर रहा है। लेकिन 60 टन पैदा करके भी उसको 25 पैसे प्रति किलो मिलेगा तो उसके पास क्या बचेगा। टमाटर से रस भी बनाया जा सकता है, चटनी भी बनाई जा सकती है लेकिन हमारे पास साधन नहीं है। इसलिए इसकी स्टोरेज फैसेलिटी होनी चाहिए, एग्रो प्रोसेसिंग इण्डस्ट्रीज होनी चाहिए।

इसके साथ किस तरह से कापरेटिव का काम करना है, किस तरह से उनमें जान डालनी है, किस तरह से ऋण की व्यवस्था करनी है। क्योंकि आज जो कुछ होता है वह पैसे के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर किसान के पास पैसा नहीं होता तो वह इंसेक्टिसाइड नहीं खरीद सकता, न फर्टीलाइजर्स खरीद सकता, न अच्छे बीज खरीद सकता। इसलिए उसके लिए क्रेडिट की बात करनी चाहिए।

हमारी ऋण की जो व्यवस्था थी, जब लोन वेवर स्कीम आई तो वह तकरीबन समाप्त हो गई थी। उसके साथ उसे दुबारा रीस्ट्रक्चर किया। हम इस साल 17 हजार करोड़ से 21 हजार करोड़ तक पहुंचे हैं, हमारा इरादा है कि अगले सप्ताह 25 हजार करोड़ तक पहुंचे। हमने रिजर्व बैंक से भी यह करवा दिया है कि 25 हजारा करोड़ तक का ऋण किसानों को सीधे मिले। अब देखना यह है कि स्टेटस उसे कैसे दिलवा सकते हैं। इसके बाद मैं 12 प्रतिशत पर आया हूं। 2 लाख तक का ऋण 13 प्रतिशत पर मिले जबकि दूसरी इंडस्ट्रीज को 18 प्रतिशत पर मिलता हैं। यह भी हम करना चाहते हैं।

एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम को हम डैवलप करना चाहते हैं कि उसमें किस तरह से इकोनॉमाकिली, लौजीकली, बायो-फर्टिलाईजर के हिसाब से, बायो- कैमिस्ट्री के हिसाब से, नेचुरल टैक्नीक के हिसाब से काम करवाया जा सके। आपको मालूम होगा कि हमारा सबसे बड़ा साधन हमारे साईंटिस्टस हैं। इस समय हिन्दुस्तान भर में 28 यूनीवर्सिटीज हैं, उनके 45 रिसर्च स्टेशन्स हैं, कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, जिनमे काम नहीं होता, उनको कैसे ठीक किया जाए, यह भी हम करना चाहते हैं। साथ ही यह भी देखना चाहते हैं कि लोगों तक उसका ज्ञान कैसे पहुंचे, ज्ञान प्राप्ति बहुत आवश्यक है।

आज बिहार के रामजी मिले थे। हमारी मीटिंग थी, उसमें उन्होंने बताया कि वे वहां पर कुछ कर रहे हैं जिससे उत्पादन बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा कि

मैं तो आपकी तरफ आंख लगाए बैठा हूं। यदि बिहार भी पंजाब, हरियाणा आदि की तरह कुछ करे तो देश में अनाज की कमी का सवाल नहीं होता। जैसा मैंने वैस्ट बंगाल में कहा। वे स्वावलम्बी हो गए हैं। इसी तरह से बिहार कहता है कि उनके पास इस समय 15 लाख टन ज्यादा हो गया है। मुझे और क्या चाहिए। हमारे यहां 70 प्रतिशत लीची पैदा होती है। मैं उसका भी बंदोबस्त करना चाहता हूं। आपके गवर्नर साहब उसमें बहुत इनटरस्ट ले रहे हैं। मैंने रामजी को यह कहा कि हम यहां से जो भी पैसा फर्टिलाईजर आदि के लिए भेजते हैं, वह खर्च नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंट उसे लेकर बैठ जाता है। वे खजाने में जमा कर देते हैं और कली और हेराफेरी में लगा देते हैं, किसान को नहीं देते।

इस तरह से रेनफैड में कितना पैदा कर सकते हैं, यह भी देखना है। अभी तक हम वर्षा पर निर्भर करते है। बारिश होगी तो अनाज होगा। बारिश की तरफ देख रहे थे कि बारिश नहीं हुई, सुखा पड़ गया। अब बारिश हो गई है तो खेत लहलाते नजर आएंगे। ड्राउट प्रोन एरिया में वाटरशैड प्रोग्राम बनान चाहते हैं। वाटर के रीचार्जिंग का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं।

मैं कल राजस्थान गया था। वहां जितनी बारिश हुई उतनी बारिश पिछले 15 सालों से नहीं हुई। मैंने वहां के तालाबों में आज तक उतना पानी नहीं देखा। अब यह असर है कि पानी 10 फुट ऊपर आ गया है। बरसात होगी तो और ऊपर आ जाएगा।

इरीगेटेड एरियाज एंड स्ट्रैनथनिंग इंसटीटयूशनल फ्रेमवर्क फॉर फार्मर्स एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हम करना चाहते हैं। इसके लिए 480 करोड़ रुपये की बजाय 1300 करोड़ रुपये दिये लेकिन अभी मेरी संतुष्टि नहीं है। मैं आपकी सहायता चाहता हूं कि किस तरह से और तरीके इख्तियार कर सके जिससे किसानों को लाभ हो सके। डैमोन्सट्रेशन प्लॉट लगा सकें। एक खेत में हो सकता है तो दूसरे में क्यों नहीं हो सकता। हारनैसिंग ऑफ साइंटीफिक रिसर्च के अन्तर्गत साइंटीफिक रिसर्च को हम इक्ट्ठा करके उसका वितरण करना चाहते हैं। आपके यहां हमने सबसे पहले कोटन का हाईब्रिड पैदा किया। लोग कहते हैं कि बड़े चौधरी बने फिरते हैं कि हम करते हैं, हम करते हैं। लेकिन हम किसी से कम नहीं हैं आज साइंस ने हाईब्रिड सांइस पैदा किया है।

उसमें क्या होगा कि मिलियन हैक्टेयर जमीन में यदि दो-तीन साल में संकर बीज पैडी का बो देंगे, तो 15 मिलियन टन और धान पैदा होगी और हमारे वारे न्यारे हो जायेंगे। यह हम करना चाहते हैं। इनपुट के बारे में भी करना चाहते हैं। औरतों से संबधित कार्यक्रम का क्या होगा, जो ट्राइबल एरियाज में रहती हैं, उनको हम किसी तरह से लाभ पहुंचाना चाहते हैं। ईस्टर्न स्टेट्स में भी कोई विश्वविद्यालय नहीं था, वहां पहला कृषि विश्वविद्यालय जाकर खोला है, मणिपुर में। इसी प्रकार हम हर राज्य में एक-एक कालेज खोलेंगे। वहां फिशरीज का भी इन्स्टीचूट खोल रहे हैं। कृषि विज्ञान केन्द्र खोल रहे हैं। इन सब को पनपने की आवश्यकता है, लेकिन इस काम में समय लगता है। एक्सिलरेटेड डवेलपमेंट ऑफ रेनफैड इरिगेशन ऑफ होर्टिकल्चर, इसमें कोई चीज कम पानी में हो सकती है, जैसे बेर हैं तथा दूसरी चीजे हैं। रेनफैड एरियाज में ज्यादा हो सकती हैं, इसको भी किस प्रकार से पनपाना है, यह भी देखना है। प्लान्टेशन के बारे में भी देखना है कि इसको किस प्रकार से करें और कैसे करें। खुशबूदार प्लान्टस दवाइयों के काम में आते हैं। फूड प्रोसैसिग एंड मार्केटिंग इसको भी देखना है, फलों के बारे में किस प्रकार से करना है, इनका उत्पादन करने के बाद इसी प्रकार एन्क्रेजिग यूज ऑफ मार्जिनल लैंड, छोटी जो जमीनें है, उनमें कम उर्वरा शक्ति है। इसमें यह देखना है कि इसका पूरी तरह से किस प्रकार कार्याकल्प करे। बाईमास प्रोडक्शन करना चाहते हैं, जिससे वहां चीजें पैदा करने की क्षमता पैदा हो।

जहां तक पानी की बात है, पानी का अधिक से अधिक किस प्रकार से इस्तेमाल करें, इस ओर ध्यान देना है। हमारे पास काफी पानी है और देश में 30 प्रतिशत जमीन सिंचित है, लेकिन इससे गुजारा होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से हम अभी कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम पानी का ठीक से इस्तेमाल करें, लेकिन प्रश्न यह है कि उसका इस्तेमाल कैसे करें। कुछ लोग पानी की वजह से झगड़ा करते हैं। भूमि में कितना पानी चाहिए, इसका कतई ज्ञान नहीं है, लेकिन झगड़ा करते हैं। जमीन में जितना पानी चाहिए, उससे ज्यादा अनाप-शनाप पानी डालकर भूमि की उर्वरा शक्ति को ही समाप्त कर देना चाहते हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए सब सत्यानाश कर देना चाहते हैं। इसके लिए भी एक नई टैक्नीक है, जिससे कायाकल्प हो जाएगा, यह भी मैं आपके सामने रख रहा हूं और आपकी इसमें सहायता चाहता हूं। हर राज्य में, जहां पर भी मैं जाता हूं, इरिसपैक्टिव ऑफ पार्टी एफिलिएशन जितने भी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं, वे मेरे साथी हैं, मैंने उनसे कहा कि इस देश की प्रगति से हम जुड़े हुए हैं और हमारा यह धर्म बनाता है कि हम किसान की रक्षा करें और उन्हें रास्ता दिखायें, जिससे एक नया कायाकल्प हो। हमें यह भी करना चाहिए कि वे गन्दी जगहों पर न रहें। इस ओर भी देखना चाहिए। इसी प्रकार ड्रिप इरीगेशन एंड स्प्रिंकल इरीगेशन के लिए हमने 50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के अनुदान की व्यवस्था की है, गिरिजनों के लिए, हरिजनों के लिए और सब भाईयों के लिए तथा बहनों के लिए भी की हैं। बहनें जिसके पास जमीन हैं, जो अपने नाम से खेती करती हैं। बहन जी, यह आपके कहने से किया है। आपके गुजरात से नर्मदा नहर आ रही हैं। आपके स्वराष्ट्र और कच्छ के लिए प्रधान मंत्री जी से मैंने कहा था। मैंने केशव भाई से भी कहा है कि अगर आपने फल्ड इरीगेशन किया, तो जमीन का भट्टा बैठ जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। जहां आप करने गए थे कुछ, आया कुछ और हो गया कुछ। इसलिए मेहरबानी करके पानी का सदुपयोग कीजिए। ऐसा करेंगे, तो जहां एक एकड़ सिंचाई होती है, वहां तीन एकड़ सिंचाई होगी और देश का नक्शा बदल जाएगा और दुनिया देखेगी कि कोई काम करने वाला आया था। मैंने प्रधान मंत्री जी से मंजूरी ले ली है। उन्होंने कहा– हां, बलराम ठीक है, आधा पैसा दे देंगे। 22 करोड़ का प्रोजैक्ट है और 12 करोड़ दे देंगे। प्रौसेसिंग करने की बात है, पीछे लगे रहेंगे, तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, देवगौड़ा जी से भी बात हुई, तालाबों में सिल्टिंग करें और पानी इक्ट्ठा करें, रीचार्जिंग करें। पानी नीचे से नहीं ऊपर से आएगा। हम इसी तरह से करना चाहते हैं और कल्याण हो जाएगा। इस देश में एक नया इतिहास कायम होगा, अगर हम इस चीज को पनपा सके। एक नया कायाकल्प होगा और इतिहास लिखा जाएगा कि किसी वक्त हिन्दुस्तान में लोगों ने समझा था।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : आप केवल गाद निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन दामोदर घाटी निगम जो कि 1958 में गठित किया गया था और अन्य पुराने जलाशयों तथा उनकी भंडारण क्षमता के बारे में क्या राय है ?

श्री बलराम जाखड़ : मैं सभी चीजों की बात कर रहा हूं ....(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : आप तालाबों से गाद निकालने की बात कर रहे हैं, लेकिन पहले के निर्मित जलाशयों के बारे में क्या राय है ?

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप नहीं कीजिए।

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़ : आप मुझे टोकिए मत, आप पहले मेरी पूरी बात को सुन लीजिऐ। (व्यवधान)..... आप बार-बार मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप पहले मेरी पूरी बात को सुन लीजिए। यह दर्द की बात है मैं इसकी कहानी कह रहा हूं। मैं किसान की बात नहीं कर रहा हूं, भारत की आत्मा की बात कर रहा हूं जिसको हमें ऊंचा उठाना है आप शांति से बैठ कर मेरी बात को पहले सुनिये। हमें इनक्रीसंग इरीगेशन पोटेंशियल को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। परसों मुझसे पूछा गया था उस समय भी मैंने आपको यकीन से कहा था कि जितनी एकड़ जमीन जिसके पास है, जो आपको सीलिंग में एलाऊ है उतनी में सारी में आप इस पद्धति को कीजिए, उतनी का पैसा मैं आपको दूंगा।

श्री रामेश्वर पाटीदार : अभी यह प्रोविजन नहीं है।

श्री बलराम जाखड़ : यह प्रोविजन है........ (व्यवधान) मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह पद्धति सब के लिए है। इर्रिसपेक्टिव ऑफ होल्डिंस, इसमें कितनी होल्डिंग किस की है, जितना कानून आपको रखने की आज्ञा देता है चाहे 10 या 20 एकड़ है। मैं मैसूर गया था, वहां आज से 10.12 महीने पहले मैं एक गांव में गया था। वहां एक आदमी ने मुझे दिखाया कि मैंने आपकी पद्धति अपनाई, आप मेरे खेत चल कर देखिए, वहां 12 एकड़ में से 4 एकड़ उसके पास गन्ना होता था। उसके 2 कुएं थे, उसने बताया कि 24 घंटे में जितनी बिजली आती है.... (व्यवधान) उसके 4 एकड़ में गन्ना होता था। अब उसने सिंचाई की पद्धति बदली है, थोड़ा-थोड़ा पानी इकट्ठा करके सिंचाई की और अब वह कहता है कि 15 घंटे इनको चलाते हैं। अब 12 के 12 एकड़ में गन्ना हो...... (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह तो हम अनुदान दे रहे हैं, किसान अपने माथे पर भार डाल रहा है और वह इस देश की मदद करना चाहता है। आप सौ रुपये केनाल में लगाते हो डैम में सौ रुपये लगाते हों, हम आपकी सिंचाई, आमदनी बढ़ा रहे हैं, देश की स्थिति बदल रहे हैं उसके लिए हम तुमको 50 रुपये दे रहे है। हम यह करना चाहते हैं, यह एक नया विकल्प आया है जिसका हम सब को मिलकर प्रचार करना चाहिए।

दूसरी बात है– प्रोवाइडिंग इम्प्रूवड वरायटी ऑफ सीड्स, कि अच्छा बीज हो। यह एक बहुत अच्छी चीज आने वाली है बीज का व्यपार, बीज का काम पैदा करना, यह हमारे किसान की किस्मत बदलेगा, हमारे व्यापार की किस्मत बदलेगा। इसके लिए मैं शिक्षा देना चाहता हूं, सिखाना चाहता हूं।......(व्यवधान) हम यह करना चाहते हैं कि किस तरीके से अच्छे बीज दिये जाएं। हम अच्छे बीज पनपा कर बाहर भी दे सकते हैं। मेरे एक साथी कहा करते थे मामला गड़बड़ है कि हमारा बीज ही नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अब ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे किसान की स्वतंत्रता को कोई छीने यह बर्दाशत नहीं किया जा सकता। हमने कहा कि अब हमारा किसान बीज बोएगा भी, बदलेगा भी और बाजार में किसी को देना चाहे तो उसको देगा भी, लेकिन यह उसकी अपनी जिम्मेदारी पर होगा कि अगर वह बुरा बीज ले जाएगा तो यह बोने वाले पर है। मेरे से जो सर्टिफिकेट लेकर जाएगा उसको हम कहेंगे कि तूने हमें खराब बीज दिया है, अब यहां आ कर खड़ा हो जा। .... (व्यवधान) आप विदेशी कम्पनियों की चिन्ता मत करो, विदेशी कम्पनियां यहां आपके अंगूठे के नीचे आने दूंगा। उनको हम यहां नहीं आने देंगे। उनको मैं यहां मालिक नहीं बनने दूंगा यहां हमारा राज चलेगा, आपका हुक्म चलेगा। देश के किसान की हित की रक्षा होगी, उसका अहित कभी किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। .....(व्यवधान) अब मैं लोकल इंस्टीट्यूशन फार्मिंग के बारे में बताना चाहता हूं। हमारा जो विहंगम है, हमारा जो आगे बढ़ने का मोर्चा हैं उसमें हम उनको सहयोगी बनाना चाहते हैं, हमारे जितने भी काम करने वाले किसान हैं हम उन सब को बनाना चाहते हैं। उसके बाद हमारा जो करेक्टिव टर्मस ऑफ ट्रेड है, हमारा जो व्यावसायिक तौर पर असंतुलन है हम उसको ठीक करना चाहते हैं। आज तक हमारे में पैसा कम लगता है, पब्लिक स्पेंडिंग कम हो गई है, क्योंकि शायद ज्यादा पैसा इंडस्ट्री में मिलता है तो वहां लोग जा रहे हैं।

लेकिन आधारभूत यह है कि एक पालिसी होनी चाहिए। हम तब तक कामयाब नहीं हो सकते, जब तक किसान का भंडारण भरा नहीं होगा, किसान आपको भंडारण नहीं देगा, तब तक आपकी पालिसी कोई कामयाब नहीं हो सकती। 1990-91 में आपने क्या किया, 31 लाख टन गेहूं मंगवा कर खाया था, जिसमें 1500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा गई थी, सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज 14 मिलियन टन सुरक्षित भंडारण के लिए चाहिए, हमारे पास 3 करोड़ 60 लाख टन अनाज सुरक्षित भंडारण के लिए है, आप जो मर्जी करो, किसान ने आपको पैदावार करके दे दी है।........ (व्यवधान)

आप मेरी बात सुन लीजिये। आकड़े देख लीजिये, मैं जो भी आंकड़े दे रहा हूं सही करके दे रहा हूं। हम किसान की इच्छाशक्ति बढ़ाना चाहता हैं, कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हैं। मनोबल बढ़ाना चाहते हैं।........ (व्यवधान)

स्टोरेज की व्यवस्था भी करेंगे, बिना स्टोरेज के क्या हो सकता है, इसके लिए भी धनराशि दी जाएगी। आपने देखा होगा कि जब किसान को प्रोत्साहन दिया तो किसान नकली स्थिति से असली स्थिति पर देश को ले आया। घाटे की जगह से भंडारण की जगह पर ले आया। आप देख सकते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइज क्या है, मैं सारे आकड़ें आपको दे सकता हूं। इसमें जहां भी कमी हो आप बताइए, उस चीज को भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा, सारे खर्चे जोड़कर और 20-25 रुपया किसान का मुनाफा जोड़कर सपोर्ट प्राइज तय कर दी जायेगी। मिनियम सपोर्ट प्राइज तो किसान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए है, उससे अधिक यदि किसान को मिलती है तो वह कहीं भी बेच सकता है। काटन की सपोर्ट प्राइज 1200-1300 रुपए रखी गई थी, लेकिन काटन बिका 2400 रुपये क्विंटल की दर से। गेहूं का सपोर्ट प्राइज अगर नहीं दिया होता तो गेहूं इस साल 250 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बिकता। जूट के लिए भी करेंगे। पिछली बार 20 करोड़ रुपया रखा गया था, अबकी बार फिर करेंगे और कहेंगे कि जूट क्यों नहीं खरीदा जाता। यह बायोडिग्रेडेबल है, सत्यानाश नहीं करता है, बराबर मिट्टी मे मिल जाता है। यह काम हमको करना है। टेक्सटाइल वाले मित्रों से बात करनी है और मजबूर करना है कि खाद, सीमेंट तथा अन्य थैले बनाने में जूट का उपयोग किया जाए।

4.42 म०प०

[श्री पीटर जी० मरबनियांग पीठासीन हुए]

इसके साथ-साथ दूध के बारे में बताना चाहता हूं। हमें अपने मवेशियों की नस्ल सुरक्षित रखनी है, ऐसी नस्ल कहीं नहीं है, इसको कभी जाया नहीं करना हैं, इसमें छांटकर तरक्की करनी है, संकरण करना है। इसमें अच्छे से अच्छा काम किया जाएगा। इस काम के लिए 400 करोड़ के बजाए 1300 करोड़ रुपया रखा

गया है। इसी का नतीजा है कि 17 मिलियन टन के बजाए इस साल 63 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ और आने वाले 3 सालों में यह 7200 करोड़ टन हो जाएगा, जो दुनिया में सबसे ऊंचा होगा। लेकिन हमें इतने से भी संतोष नहीं है, हमें और आगे बढ़ना है। क्योंकि लोगों की गरीबी दूर करने का यह सबसे अच्छा साधन है। कम पैसे लगाकर इससे रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए हम सारी चीजें करना चाहते हैं। इसके बारे में आप लोगों के जो भी सुझाव होंगे, उन पर विचार किया जाएगा।..... (व्यवधान) राजवीर सिंह जी भी इसके बारे में सुझाव दें, इस काम में उनका बहुत इंटरेस्ट है, हमें अच्छा लगता है, जो भी सुझाव हो, वे हमको दें। पब्लिक इनवेस्टमेंट को भी एनकरेज करना है। इसके संबंध में जो कल-कारखाने लगाना चाहते हैं, उसके द्वारा 35000 करोड़ रुपया कृषि क्षेत्र में लगान की बात है और 2500 के करीब कारखानों का समझौता हुआ है, जो प्रोसेसिंग में, फ्लोरीकल्चर में, मशरूम में, लाइव स्टाक में, फिशरीज में लगेंगे। इसके बारे में कोई कहे कि हम अनाज पैदा करने की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि अनाज की सुरक्षा पहले होगी। किसान की आमदनी तभी ज्यादा होगी, जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा और जब घर में अनाज होगा, तभी उसको बाहर भेजने की बात होगी। वरना एक कहावत है– " घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने" तो जब घर में कमी होगी तो आप अनाज बाहर कैसे भेज सकते हैं। हमारा यही प्रयास होगा कि यह कमी कभी भी न आए। आप देखिए कि 50 मिलियन टन के बजाए 190 मिलियन टन, 19 करोड़ टन अनाज पैदा किया गया और इसका सेहरा किसान के सिर पर, वैज्ञानिकों के सिर पर और आप सब के सिर पर है। आप देखिए कि 12 मिलियन टन आयल सीड के स्थान पर 22.3 मिलियन टन ऑयल सीड का उत्पादन किया गया। दालों की कमी है, इसके लिए टैक्नीकल मिशन बनाया गया है और अन्य संस्थाओं से कहा गया है कि दालों के अच्छे बीजों की खोज करें, क्योंकि वर्तमान बीजों से उत्पादन कम होता है और गड़बड़ होती है।

इसमें बीमारी ज्यादा लगती हैं। इससे आमदनी कम होती हैं। इसलिए किसान कम बोता है। मैं इसे आमदनी देने वाला बनाना चाहता हूं। कोई भी आदमी ऐसी दुकान नहीं करता जोकि घाटे की दुकान हो, तो किसान से हम क्यों उम्मीद करें कि वह ऐसी चीज करेगा जो उसे घाटा दे। किसान किसी का गुलाम नहीं है। वह आजाद है। हमारा किसान वह काम करेगा जिससे उसे फायदा होगा। मैं चाहता हूं कि उसे हमें अनाज में फायदा दें, उसे बागवानी में फायदा दें, उसे पल्सिज में फायदा दें, ऑयल-सीड में फायदा दें। हम 10 मिलियन के साढ़े चौदह मिलियन पर पहुंचे हैं लेकिन मेरा 15.5 मिलियन का इस साल निशाना है और पूरा होगा। हमारे बीज अच्छे होंगे।

इसके बाद क्रेडिट की बात मैंने कर दी है, उसको हम बढ़ाना चाहते हैं। उसके लिए कानून भी ला रहे हैं। लॉ-मिनिस्टरी के पास मेरा बिल भी पड़ा है। कोओपरेटिव्ज को मैं खुली छूट देना चाहता हूं जिसमें कि वे अपनी खुद जिम्मेदारी ले सकें। उनकी भी आपकी तरह से चुनाव हों। लेकिन इसमें अड़चनें आती हैं और उनको मैं दूर करना चाहता हूं। बाजार को मैंने खुला कर दिया है। अब आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अपना माल जहां चाहे ले जा सकते हैं। किसान अपना अनाज पंजाब से मद्रास या मद्रास से और किसी राज्य में जहां चाहे ले जा सकते हैं। उसके लिए खुली छूट है। इसके साथ ही मैं कॉप-इंश्योरेंस की बात करना चाहता हूं। उसका भी हमारे पास विधान है। अभी मैंने कैबिनेट कमेटी में यह मसला सोचा था। दस हजार की तो चल रही है लेकिन मैं इसको थोड़ा ज्यादा करना चाहता हूं। इसके लिए मुझे बहुत चिंता है और इसमें रूकावटें बहुत हैं। मैं आप सबकी सहायता चाहता हूं। जब हमने कृषि नीति बनाई तो हमने सबको बुलाया। कृषि की सारी संस्थाओं को, वैज्ञानिको को, पक्ष और विपक्ष की पार्टियों के सदस्यों को, चीफ मिनिस्टर्स को बुलाया जिससे कोई यह न कह सके कि यह मेरी नीति है। आप जैसी भी राय देंगे उसको भी हम ले लेंगे। भगवान की कृपा से हमारे पास आदमियों की संख्या काफी है और उसका हमें उपयोग करना चाहिए। हमने लोगों की मजदूरी बढ़ाई है। बीस प्रतिशत मजदूरी बढ़ी है। लेकिन वह इसके मुकाबले में कुछ नहीं हैं। राजस्थान में 60 रुपये रोजाना मजदूरी हैं लेकिन जब काम ज्यादा आ जाता है तो 100 रुपये हो जाते हैं। मैं किसान को और काम करने वाले मजदूर को उसका पूरा हिस्सा देना चाहता हूं। यदि आप मजदूर को पूरा हिस्सा नहीं देंगे तो काम नही चलेगा।

इकबाल ने कहा था कि "उस खेत के हर खोष-ए-गंदूम को जला दो, जिस खेत दहका को मयस्यर न हो रोजी"। सिलिंग को करने की बात हम कर रहे हैं कि उसको भी लागू करो। जहां-जहां सिलिंग नहीं हैं वहां उसको करो। इस तरह की बात हम करना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री अनिल बसु : आप यहां पर भूमि सुधार तथा-भूमि सीमांकन अधिनियम की बात कर रहे हैं। लेकिन पंजाब सरकार ने हाल ही में भूमि सीमांकन अधिनियम वापस ले लिया है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : मैंने इस बात को सुनिश्चित कर लिया है, ऐसा कुछ नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिये, देखेंगे। कृषि नीति में एक बात डाली है कि जहां हमने किसान को प्रतिबद्ध किया है कि उसके पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती लेकिन उनको वह सब सुख-सुविधाएं प्राप्त होगी जो इंडस्ट्री को होती हैं। मैंने उसे इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया है लेकिन सब सुख-सुविधाएं उसको दी हैं। इसमें उसको इन्कम-टैक्स नहीं लगेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगेगा, एस्टेट ड्यूटी नहीं लगेगी। इस तरह से चार ड्यूटी जो हैं वे नहीं लगेंगी।

वह आपको पकड़ लेगा क्योंकि उसे पूरा दिन खेत में रहना है। आप तो दुकानदारी करेंगे, पटियाला हाउस जायेंगे। आप उसे इतना तो दो जिससे वह रोटी खा और कमा सकें। आप उसे ऊंचा उठने का मौका दो।

हम छोटे और मझौले किसानों को ऊपर उठाना चाहते हैं। उनकी हालत कई वर्षों से ज्यों की त्यों है। मैं इनको ऊपर उठाने के लिए वर्ल्ड बैंक से, इंडस्ट्रीज से, नाबार्ड से और रिजर्व बैंक से पैसा ले रहा हूं और अपना पैसा भी उन्हें दिला रहा हूं। उन्हें हम कोआपरेटिव में डाल रहे हैं। किसान अगर वहीं काम करके वैल्यु ऐडिशन करे लें, पैकिंग करें और उसे बेचें तो उसको काफी लाभ होगा। जो चीजें खराब हो रही हैं, उनको बचाना आवश्यक हैं। हम सभी को ऊपर उठाना चाहते हैं। आज वे हम से उम्मीदें लगा कर बैठे हैं। अगर उनकी अभी भी उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो उनको पूरा करने में और 50 साल लग जायेंगे। पर्यावरण के हिसाब से डिसिलिंटिंग रोकने के लिये, वाटर रिचार्जिंग करने के लिये हम कुछ कदम उठा रहे हैं। इसके प्रारूप के बारे में आप कुछ कहना चाहे तो मैं उनको सुनुंगा। इसी के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी बातें बहुत देर तक बैठ कर

बड़े ध्यान से सुनी।

श्री राजवीर सिंह : मैं मंत्री जी से एक आश्वासन चाहता हूं। हम जो रचनात्मक सुझाव बहस के माध्यम से देंगे क्या आप राजनीति से ऊपर उठकर उनको समाविष्ट करेंगे ?

श्री बलराम जाखड़ : यह राजनीति नहीं कृषि नीति है.... (व्यवधान) मैं परसों राज्य सभा में बोल रहा था तो हमारे किसी भाई ने कुछ ऐसी बात कह दी जो कि मुझे बहुत अखरी। यहां भी किसी सज्जन ने यही बात कही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं किसान का नक्शा बदलना चाहता हूं। आप मुझे गाली क्यों देते हो। मैं तो किसान को सब कुछ देना चाहता हूं। वह आसमान से नही उतरा है, पैराशूट से नहीं गिरा है, वह भी मां के पेट से पैदा हुआ है। उसका जो हक बनता है, वह हम उसे देना चाहते हैं। अगर तुम्हारे पास पैसा आ गया तो क्या हुआ, तुम राजा महाराजा तो नहीं हो। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। इन लोगों ने तमाशा बना रखा है। क्या हम फुटबाल हैं, कभी इधर मारो, कभी उधर मारो..... (व्यवधान) इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रतिवेदन सभापटल पर रख दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। 6 मार्च 1992 से 8 मार्च 1995 तक मसौदा नीति में उल्लिखित मुद्दों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ? (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया जवाब न दें।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : क्या आपकी बात सुने बगैर ही ऐचिवमैंट्स बता दूँ ?

श्री अनिल बसु : मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मंत्री जी ने योजना आयोग की सभी रिपोर्टों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की है (व्यवधान)।

सभापति महोदय : श्री अमरपाल सिंह। (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़ : हमारी एचिवमैंटस कुतुबमीनार की तरह है... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जगमीत सिंह बराड़ (फरीदकोट) : महोदय इस चर्चा के लिए कितना समय आवंटित किया गया है ?

सभापति महोदय : इसके लिए चार घंटे का समय आवंटित किया गया है।

अब श्री अमरपाल सिंह जी बोलेंगे।

[हिन्दी]

श्री अमरपाल सिंह (मेरठ) : सभापति महोदय, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि भारत की रीढ़ की हड्डी है। डा० बलराम जाखड़, कृषि मंत्री यहां पर कृषि नीति लाये हैं, मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, हमारे देश में खाद्यान्नों के बीजों की तीन श्रेणियां है ब्रीडर, फाऊंडेशन और सर्टिफाईड। इनमें ब्रीडर, फाउंडेशन बीज तैयार करने में काफी खर्च आता है लेकिन सर्टिफाईड बीज तक में साधारण लागत आती है अभी तक किसानों को सर्टिफाईड बीज अपनाने की आदत नहीं है। उसके तीन कारण है उसमे मिलावट हैं, उसकी कीमत सामान्य खाद्यान्नों से ज्यादा है और आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध नहीं होता। यदि सरकार सर्टिफाईड बीज सस्ते दामों पर सामान्य बीजों की तरह उपलब्ध करा दे तो न इसमें मिलावट होगी और न ही किसानों को उसके प्रयोग करने में कोई संकोच होगा और इसी भूमि पर इन्हीं सीमित साधनों के अन्तर्गत खाद्यान्नों के पैदावार में 15 प्रतिशत की वृद्धि हो जायेगी।

कृषि नीति के अन्तर्गत कृषि पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया है लेकिन उसके लिये कृषि नीति में कोई ठोस योजना का उल्लेख नहीं है। कृषि पर आधारित उद्योगों का जाल बिछाये बिना किसानों को उनकी उपज का न्यायोचित मूल्य नहीं मिल पायेगा। हमारे देश में एक ओर तो मुक्त आर्थिक नीति की बात की जा रही है, परन्तु कृषि पर आधारित उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से बांध रखा है, जैसे चीनी उद्योग कितनी बड़ी विडम्बना है कि OGL के अन्तर्गत चीनी आयात करने का प्रावधान किया है परन्तु देश के अंदर चीनी उद्योग पर से लाईसेंस प्रणाली समाप्त नहीं की गयी है तथा लघु सल्फर खंडसारी इकाईयों को वैक्यूम पैनी की अनुमति नहीं दी गयी है। देश की चीनी मिलों की क्षमता किसानों के कुल गन्ने के 33 प्रतिशत पिराई करने की है। मैं मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहूंगा कि वह अपने स्तर पर हस्तक्षेप करके कृषि पर आधारित समस्त उद्योगों पर से लाईसेंस प्रणाली समाप्त करायें। साथ ही मेरा यह भी सुझाव है कि कृषि पर आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए ब्याज की दरों में और अधिक कमी की जाये तथा कृषि पर आधारित उद्योगों को टैक्सों में व्यापक राहत दी जाये। मैं हाउस के सामने एक जरूरी बात यह रखना चाहता हूं कि मैंने जिस लघु खंडसारी ईकाई की बात की है वहां पर रिकवरी साढ़े छः परसेंट है। इस वैक्यूम की अनुमति मिलने के बाद इसकी रिकवरी 9 परसेंट हो जायेगी इससे न केवल 3 परसेंट राष्ट्र की हानि बचेगी बल्कि ग्रामीण अंचलों में रोजगार के साधन बढ़ेंगे। ऊर्जा की जरूरत नही होगी, ये अपने आप अपनी जरूरत अनुसार बिजली पैदा करेंगे। इस परमिशन के बाद देश में चीनी का उत्पादन 2 करोड़ टन हो जायेगा और चीनी का निर्यात भी करने लगेंगे।

हमारे देश के अंदर आलू की पैदावार एवं खपत बहुत अधिक मात्रा में है लेकिन जब कभी भी आलू बहुतायत में पैदा होता है तो किसानों को उसकी उपज का सही मूल्य नहीं मिल पाता। मेरा सुझाव है कि खाद्यान्नों की तरह आलू की खरीद के लिये भी सरकार उसका समर्थन मूल्य निर्धारित कर दे।

कृषि के लिये भूमि सुधार की योजना कृषि नीति में लायी गयी है। लेकिन

आज भी बहुत अधिक बंजर भूमि देश के हर भाग में पड़ी है, जिसको अभी तक खेती योग्य बनाने हेतु कोई सार्थक प्रयास नहीं किया गया है। यदि सरकार इस भूमि को खेती योग्य बनाने में सक्षम नहीं है तो इस भूमि को उन्नतशील किसानों में आवंटन कर दिया जाये ताकि वे अपने स्तर पर इस भूमि को कृषि योग्य बना सकें और उसमें बढ़िया खेती कर सकें। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पंजाब और हरियाणा के प्रगतिशील किसान आये हैं तो न केवल उन्होंने वहां की भूमि को कृषि योग्य बनाया है बल्कि आज तराई क्षेत्र में सर्वाधिक पैदावार उत्तर प्रदेश में हो रही है।

5.00 म०प०

हमारे देश में बासमती चावल बहुत अच्छी मात्रा में पैदा हो सकता है और उसके और अधिक निर्यात होने की बड़े स्तर पर गुंजाइश है। किसान को इस किस्म के चावल की बेहतर कीमत मिले, उसके लिए मेरा सुझाव है कि मंत्रीजी हस्तक्षेप करके बासमती चावल को लेवी से मुक्त कराएं तथा कृषको को 10 हॉर्सपावर तक की चावल निकालने की लघु मशीनों को लाइसेन्स मुक्त कराएं। इस तरह से बासमती चावल का उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा तथा किसानों को अधिक लाभ मिलेगा।

हमारे देश में पानी के लिए राज्य सरकारों में झगड़े होते रहते हैं, लेकिन हमारे पंजाब की नदियों का पानी पाकिस्तान की ओर जा रहा है। उसका कोई उपयुक्त उपयोग नहीं हो रहा है। उस पानी का सही उपयोग करने के लिए पंजाब तथा देश के अन्य भागों के लिए और नहरें निकाली जा सकती हैं। पंजाब और देश के अन्य भागों में बेहतर सिंचाई इससे हो सकती है। कृषि नीति में देश की समस्त भूमि की सिंचाई सुविधा देने हेतु समयाविधि निर्धारित की जानी चाहिए तथा किसानों को उनके निजी ट्यूबवैल के लिए 12 घंटे सिंचाई हेतु विद्युत अनिवार्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाए। यदि कोई राज्य सरकार केन्द्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद भी 12 घंटे प्रतिदिन किसान को सिंचाई के लिए विद्युत उपलब्ध कराने में असमर्थ है तो कृषकों को उपभोक्ता फोरम के माध्यम से राज्य सरकार से अपने नुकसान का मुआवजा लेने के लिए किसान को अधिकार देने की व्यवस्था करें।

मंत्री जी ने कृषि नीति में किसानों की फसलों को बाढ़ तथा सूखे के कारण होने वाले नुकसान के लिए बीमा योजना का प्रावधान किया है जो एक अच्छा कदम है मेरा सुझाव है कि बाढ़ व सूखे से निपटने के लिए तथा दोनों स्थिति में किसान की फसल को बचाने के लिए भारत की समस्त नदियों को एक-दूसरे से जोड़ने का प्रावधान किया जाए। जैसा गारलैण्ड कैनाल योजना में उल्लेख है, जो सरकार को विचार के लिए प्रस्तुत की गई थी। श्री के० एल० राव सिंचाई मंत्री ने भी अपने समय में इस योजना का उल्लेख किया था।

किसान की उपज तथा कृषि पर आधारित उद्योगों के उत्पाद को पूरे देश में आने-जाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए जैसा मंत्रीजी ने अभी कहा है। यदि कोई राज्य सरकार अपनी मर्जी से कृषि उत्पाद के आने-जाने पर रोक लगाती है, तो केन्द्र सरकार को राज्य की समस्त केन्द्रीय सहायता राशि रोकने का प्रावधान करना चाहिए।

कृषि भूमि को अधिगृहीत करके किसानों को बेरोजगार बनाया जाता है तथा उससे भी बड़ा अन्याय उनके साथ होता है कि उनको मुआवजा राशि समय पर तथा उपयुक्त कीमत से नहीं मिलती है, और जो राशि मिलती है, उस पर आय कर लगाया जाता है। मैं कृषि मंत्रीजी को हस्तक्षेप करने का सुझाव देता हूं कि बेरोजगार किसान से इनकम टैक्स नहीं लिया जाना चाहिए। इनकम टैक्स का संबंध रोजगार से है न कि बेरोजगार से। मंत्री जी ने अपनी कृषि नीति में पेरा 11 में इसका उल्लेख किया है जो स्पष्ट नहीं है। मैं मंत्री जी से मांग करता हूं कि यह पेरा 11 बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए और ऐसे किसानों पर इनकम टैक्स नहीं लगना चाहिए।

कृषि नीति में फलों के उत्पादन फ्लोरीकल्चर, रेशम तथा औषधीय उत्पादों पर बल दिया गया है। ये कृषि से संबंधित कुछ ऐसे विशिष्ट उत्पाद हैं, जिससे न केवल देश को लाभ होगा, बल्कि किसानों को भी अधिक आय होगी। देश में उनका निर्यात करने की बहुत क्षमता है, लेकिन इसका पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। मंत्री जी ने अपनी कृषि नीति में किसानों को प्रशिक्षित करने की योजना रखी है। मेरा सुझाव है कि निर्यात करने वाली जिन्स तथा समस्त निर्यात विधि की जानकारी देने हेतु किसानों को ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षित किया जाए ताकि किसान को उसकी उपज के निर्यात का पूर्ण लाभ मिल सके। आज किसान के स्थान पर उसकी उपज के निर्यात का लाभ बिचौलिया को अधिक मिल रहा है।

सन् 1952 में प्रति व्यक्ति दाल की दैनिक खपत 75 ग्राम थी लेकिन 1995 में यह घटकर 35 ग्राम रह गई है। दाल उत्पादन करीब 23 मिलियन हेक्टेयर में चल रहा है और प्रति हैक्टयेर 550 किलो दाल की पैदावार हो रही है। अभी तक दाल की खेती प्रायः कम सिंचाई वाली भूमि में तथा असिंचित भूमि में हो रही है। दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए इसकी खेती सिंचित भूमि में भी करनी पड़ेगी। अगर माननीय मंत्री जी दाल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सिंचित भूमि में दाल की खेती करवाना चाहते हैं तो समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि करनी चाहिए। मंत्री जी ने अभी पिछले हफ्ते दालों के समर्थन मूल्य में 40 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करके 800 रुपये प्रति क्विंटल किया है।

ये अपर्याप्त हैं। दाल की कमी के कारण आज उपभोक्ताओं को दाल 30 रुपये से लेकर 35 रुपये प्रति किलो खरीदनी पड़ रही है। अगर मंत्रीजी दाल का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 1200 रुपये प्रति क्विटल कर दें तथा सर्टिफाइड बीज की किसान के लिए उपलब्धता बढ़ा दें तो देश दो साल के अन्दर ही दाल के उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा और उपभोक्ताओं को 15 रुपये से लेकर 20 रुपये प्रति किलो दाल उपलब्ध होनी शुरू हो जाएगी।

मैं माननीय मंत्रीजी को एक सुझाव और देना चाहता हूं कि जितने भी सरकारी राजकीय तथा केन्द्रीय फार्म हैं उन सबको सिर्फ दाल की खेती करने हेतु प्रगतिशील किसानों को ठेके पर देने को प्रावधान करना चाहिए।

हमारे देश में मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी की खेती बढ़ाकर तेल का उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर किया जा सकता है। सन् 1950 तक तिलहन का हमारा देश बहुत निर्यात करता था। आज सिर्फ 54 लाख टन का उत्पादन होता है। शेष 11 लाख टन विदेशों से आयात करना पड़ता है। मैं मंत्रीजी को सुझाव देना चाहता हूं कि मूंगफली, सरसों, सूरजमुखी वे सोयाबीन के खेती के साथ-साथ मलेशिया और इण्डोनेशिया की तरह पाम-ऑयल की खेती केरल, अण्डमान व तमिलनाडु में बढ़ानी चाहिए तथा पाम ऑयल पर आधारित तेल मिल लगाने चाहिए।

माननीय मंत्रीजी ने स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई कराने हेतु काफी अनुदान का प्रावधान किया है। लेकिन इससे लेबर का खर्चा अधिक आने के कारण छोटे किसान के लिए इसका उपयोग संभव नहीं है, जबकि इससे बेहतर प्रकाश संश्लेषण तथा वायुमंडल से नाइट्रोजन मिलने के कारण प्रति एकड़ उपज अधिक होने की बहुत बड़ी संभावना है। अतः मैं माननीय कृषि मंत्रीजी को देशहित में 12.5 एकड़ के लैण्ड सीलिंग 20 एकड़ करने का सुझाव देता हूं। इससे हर किसान स्प्रिंकलर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेगा इससे पानी और ऊर्जा की बचत होगी और प्रति हैक्टेयर पैदावार भी बढ़ेगी।

कृषि नीति में ग्रामीण जीवन को आकर्षक और सामान्य बनाने के लिए ग्रामीण स्तर पर शैक्षिक तथा चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने का उल्लेख कृषि नीति के पैरा 14 में किया गया है। मेरा सुझाव है कि इसके लिए ठोस योजना बनानी चाहिए तथा ग्रामीण विकास के लिए सौर ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। मेरा सुझाव है कि कृषि मंत्रालय में ग्रामीण अंचल में सौर ऊर्जा के विकास के लिए अलग से सैल होना चाहिए।

समर्थन मूल्य समिति में कम से कम दो किसान सदस्य मनोनीत होने चाहिए तथा किसान की फसल की लागत आंकने में बीज, खाद, लेबर, ट्रांसपोर्ट के साथ-साथ कृषि भूमि की कीमत पर फसल अवधि तक बैंक दर पर ब्याज जोड़कर किसान को न्याय देने का प्रावधान होना चाहिए।

मंत्रीजी कृषि को उद्योग का तरह सुविधा देना चाहते हैं इसके लिए मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। मेरा एक सुझाव और है कि उसमें किसान की पास बुक होनी चाहिए और उस पास बुक के अनुसार बैंक से सस्ती दर पर बिना अपनी फसल की गिरवी रखकर ऋण लेने की सुविधा उसे होनी चाहिए। इन्हीं सुझावों के साथ में कृषि नीति का पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : श्री पी०एम० सईद देश में अपराध की स्थिति से संबंधित वक्तव्य की एक प्रति सभापटल पर रखेंगे।

5.08 म०प०

मंत्री द्वारा वक्तव्य

देश में अपराध की स्थिति

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०एम०सईद) : महोदय, मैं देश में अपराध की स्थिति से संबंधित वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

वक्तव्य

दिनांक 31.7.1995 की लोक सभा में कार्यवाही के दौरान, माननीय अध्यक्ष ने निर्देश दिया था कि देश में अपराध और कानून तथा व्यवस्था की स्थिति पर सभा पटल पर एक रिपोर्ट रखी जाये। माननीय अध्यक्ष ने यह भी निदेश दिया था कि रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ अपराधों की संख्या, दोष सिद्धि, अपराध बहुल क्षेत्र, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, राजनीतिज्ञों और अन्य के प्रति हुए अत्याचारों के बारे में सूचना होनी चाहिए।

माननीय सदस्यों को इस बात की जानकारी है कि "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) में शामिल है, अतः अपराधों को दर्ज करने, उनकी जांच-पड़ताल करने और पता लगाने की पूरी जिम्मेवारी संबन्धित राज्य सरकारों की है। तथापि केन्द्र सरकार, कानून और व्यवस्था का रुख और उसकी स्थिति, अपराध, साम्प्रदायिक सौहार्द से संबंधित मामलों, समाज के कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचारों, और देश की आन्तरिक सुरक्षा का प्रबोधन करती है। अपराधों से संबंधित आंकड़े सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से एकत्र किए जाते हैं, इनका राष्ट्रीय स्तर पर संकलन किया जाता है और देश में व्याप्त स्थिति का पता लगाने के लिए इनका पिछले आंकड़ों से विश्लेषण किया जाता है।

सरकार द्वारा भा० द० सं० और स्थानीय अधिनियमों और विशेष कानूनों (एलएंड एस एल) के अन्तर्गत दर्ज किए गए अपराधों के रुख के विश्लेषण से पता चलता है कि :-

(i) कुल संज्ञेय अपराधों की घटनाओं (भा. द. सं. और एल एण्ड एस. एल), में, 1993 की तुलना में 1993 में 27.2 प्रतिशत वृद्धि हुई है। जिसकी मिश्रित बढ़ोतरी दर 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है। वर्ष 1993 के दौरान देश में कुल 54,33,574 संज्ञेय अपराध सूचित किए गऐ थे।

(ii) भा. दं. सं. के अन्तर्गत अपराध की घटनाओं में, पिछले वर्ष की तुलना में 1993 में 3.5 प्रतिशत की घटत हुई। इसी प्रकार, स्थानीय अधिनियमों और विशेष कानूनों (एल. एण्ड एस. एल.) के अन्तर्गत अपराध की घटनाओं में, पिछले वर्ष की तुलना में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। पिछले वर्ष में भा. द. सं. और एल एण्ड एस एल के अन्तर्गत अपराधों में अलग-अलग डिग्री के निरंतर वृद्धि रुख में 1993 में परिवर्तन आया और उसमें घटत रिकोर्ड की गई।

(iii) देश में 1994 के दौरान कुल मिलाकर 16,04,895 भा. द. सं. अपराध हुए, जबकि 1993 में इनकी संख्या 16, 29, 936 थी इस प्रकार से इसमें 1.5 प्रतिशत की कमी आयी जबकि पिछले वर्ष 3.5 प्रतिशत की कमी आयी थी।

(iv) 1994 के दौरान देश एल एण्ड एस एल के अन्तर्गत में कुल 32,69,347 अपराध सूचित किए गए, जबकि 1993 में इनकी संख्या 38,03,638 थी, इस प्रकार ऐसे मामलों में 14.2 प्रतिशत में कमी आयी। इन अपराधों की दर 1993 में 430.4 प्रति लाख जनसंख्या से घटकर 1994 में 362.6 प्रति लाख जनसंख्या हो गयी।

(v) 1994 के दौरान उत्तर प्रदेश में "हत्या और हत्या के प्रयासों" "हत्या की कोटि में न आने वाली आपराधिक हत्या" "अपहरण और व्यपहरण" "लूटपाट" "चोरी" "आपराधिक" विश्वासभंग" और "धोखाधड़ी" के मामले दर्ज किए गए, जबकि "बलात्कार" और "सैंधमारी" की सबसे अधिक संख्या मध्य प्रदेश में रिकार्ड की गयी। "डकैती" और "जालसाजी" के सर्वाधिक मामले क्रमशः बिहार और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए।

कानून और व्यवस्था की स्थिति

जहां तक कानून और व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा स्थिति का संबंध है 1994-95 के दौरान सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की बड़ी चुनौतियां जम्मू और कश्मीर में बाहरी शक्तियों के मार्गदर्शित उग्रवाद, पूर्वोत्तर में उग्रवादी ग्रुपों द्वारा

विघटनकारी घटनाओं, उग्रवादी हिंसा, विशेष रूप से बिहार और आन्ध्र प्रदेश में साम्प्रदायिक, जातीय, और राजनीतिक तनाव और विभिन्न ग्रुपों द्वारा संगठित आन्दोलनों से उत्पन्न हुई। पंजाब में स्थिति में सुधार जारी रहा और असम में उल्फा की गतिविधियां नियंत्रण में रही।

(i) साम्प्रदायिक हिंसा में मार्च, 1993 से शुरू हुई परिमाणात्मक कमी 1994-95 में भी जारी रही। तथापि, साम्प्रदायिक माहौल, मुख्य रूप से कट्टरतावादी गतिविधियों के बढ़ने के कारण, नाजुक बना रहा। हिंसक साम्प्रदायिक घटनाएं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हुई। शहरी क्षेत्रों में साम्प्रदायिक हिंसा काफी कम हुई। दूसरी ओर, 1994-95 के दौरान लगभग 51 प्रतिशत साम्प्रदायिक घटनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हुई।

(ii) जातीय तनावों से उद्भूत हिंसा का परिमाण 1994 के दौरान भी लगभग उसी स्तर पर रहा, जिस पर यह इससे पिछले वर्ष में था। इससे सर्वाधिक प्रभावित राज्य रहे– बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए 23 प्रतिशत आरक्षण के अलावा, शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने वाले राज्य अध्यादेश (15 जुलाई, 1994) के कारण, प्रदेश के मैदानी भागों में अन्य समुदायों द्वारा विरोध स्वरूप अनेक प्रकार की कार्रवाइयां की गई हैं। राज्य के पर्वतीय जिलों में इस मुद्दे पर आन्दोलन ने ''उत्तराखण्ड'' बनाए जाने के आन्दोलन को उत्प्रेरित कर दिया। फुलबनी जिले में कोंढ और पाणा (अनु०जाति) के बीच झड़पों के कारण उड़ीसा में जातिगत हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई, इन झड़पों की 64 घटनाओं में 18 लोग मारे गये। बिहार में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जाति एक प्रमुख घटक बनी रही। राज्य में हाल ही में हुए विधान सभा चुनाव (मार्च/अप्रैल, 1995) में जातिगत तनाव अगली पंक्ति में आ गए जो अनेक अन्तर्जातीय संघर्षों में प्रतिबिम्बित हुए।

1994 के दौरान जातिगत हिंसक घटनाओं की संख्या 766 थी जिनमें 216 जानें गई और 1,506 लोग घायल हुए जबकि 1993 के दौरान हुई 726 घटनाओं में 191 लोगों के मारे जाने और 1,427 लोगों के घायल होने की सूचना थी। चालू वर्ष में, मई 1995 तक जातिगत (हिंसा) की 303 घटनाओं की सूचना है जिनमें 86 व्यक्ति हताहत हुए हैं और 721 व्यक्ति घायल हुए हैं।

(iii) कृषि क्षेत्र में कानून एवं व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या खड़ी होने की सूचना नहीं है। तथापि, खादों पर सब्सिडी बहाल किये जाने, कृषि उत्पादों के अच्छे मूल्य दिए जाने, बिजली की दरों में कमी किए जाने और कृषि सेक्टर में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश को रोकने जैसे मुद्दों पर आन्दोलन हुए। इस क्षेत्र में अराजकता की 115 घटनाएं हुईं जिनके परिणामस्वरूप 1994 में, 20 लोग मारे गये और 369 घायल हो गए जबकि इसके मुकाबले 1993 में 445 घटनाएं घटी थीं जिनमें 27 लोग मारे गए थे और 185 लोगों के घायल होने की सूचना थी। चालू वर्ष में मई, 1995 तक 37 घटनाएं घटी हैं जिनमें 6 लोग मारे गए हैं और 104 घायल हुए हैं।

(iv) श्रमिक एंव सेवा क्षेत्रों में भी, वर्ष 1994 के दौरान कानून एवं व्यवस्था की कोई गंभीर समस्या खड़ी नहीं हुई। डाक-तार और रेलवे के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ ही साथ बैंकिंग, वित्तीय और रक्षा सैक्टरों के कर्मचारियों ने सरकार की कथित कामगार वर्ग विरोधी और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ खासतौर पर नई आर्थिक एवं औद्योगिक नीतियों और ''गैट'' पर हस्ताक्षर करने के संदर्भ में आन्दोलन किए।

महिलाओं के प्रति अपराध

महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराध का मुद्दा, संसद का ध्यान खींचता रहा है और वास्तव में सरकार के लिए यह ध्यान दिए जाने वाले बड़े मुद्दों में से एक है। वस्तुतः महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने और महिलाओं के स्तर को सुधारने संबंधी एक प्राइवेट मेंबर संकल्प पर जिसे कि पिछले सत्र के दौरान राज्य सभा में लाया गया था, सरकार ने अपना समर्थन व्यक्त किया था और यथापारित संकल्प, अनुवर्ती कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया था। सदस्यों को इस बात की भी जानकारी है कि महिला एवम् बाल विकास विभाग ने महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने तथा इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, राज्यों के साथ मिलकर बड़ी संख्या में विधायी तथा कल्याण कारी उपाय किये हैं। पिछले वर्ष प्रधान मंत्री द्वारा महिलाओं की सामर्थ्यवान बनाने के लिए की गयी घोषणा से, इस क्षेत्र में सरकार की चिन्ता प्रकट होती है ।

महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को, देश में बढ़ रही जनसंख्या के कारण अपराधों में हो रही बढ़ोतरी के रुख के आम संदर्भ में देखना होगा। उदाहरण के लिए, वर्ष 1983-93 की दशाब्दि में अपराध की कुल घटनाओं में 27.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई यद्यपि पिछले 2/3 सालों में गिरावट का रुख दिखायी पड़ा। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों में बढ़ोत्तरी का परिमाण कुल मिलाकर गिरावट की प्रवृत्ति को दिखाता है। वर्ष 1994 में देश में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों की कुल दर्ज संख्या, 97, 000 के लगभग थी, जबकि वर्ष 1993 में यह संख्या 83,954 थी [वर्ष 1994 के आंकड़ों में 'लड़कियों का आयात' 'सती प्रथा रोकथाम अधिनियम' 'अनैतिक देह व्यापार (रोकथाम) अधिनियम' के तहत दर्ज 8,098 मामले भी शामिल हैं जबकि ये आंकड़े वर्ष 1993 के आंकड़ों में शामिल नहीं है]। वर्ष 1985 में हुए कुल संज्ञेय अपराधों में से महिलाओं के प्रति हुए कुल अपराधों की संख्या 0.77 प्रतिशत थी और जहां तक इस समय कुल संज्ञेय अपराधों (भारतीय दण्ड संहिता एल एंड एस एल) का प्रश्न है, इनकी संख्या लगभग 2 प्रतिशत की है तथा जहां तक भा० दं० सं० के अन्तर्गत आने वाले अपराधों का सम्बंध हैं उनमें इनकी संख्या लगभग 6 प्रतिशत की है।

राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा एन०जी०ओ० तथा मीडिया द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक से अधिक हस्तेक्षप के परिणामस्वरूप महिलाओं में जागृति बढ़ी है जिससे पुलिस में ऐसे अपराधों को दर्ज कराने की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है जिसके कारण इन आंकड़ों में असीम दर्ज वृद्धि दिखाई देती है। इसलिए, हमें इन अपराधों में हुई इस वृद्धि को परम्परागत दृष्टि से नहीं देखना चाहिए बल्कि इसे महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पर नजर रखने के लिए शुरू किए गए उपायों के परावर्तन के रूप में लेना चाहिए।

सरकार ने सर्वोच्च पुलिस प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी और क्षेत्रीय तथा राज्य पुलिस संस्थानों में सभी श्रेणियों के प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम में महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने संबंधी सामग्री को अभिन्न अंग बनाने का निर्णय लिया है। महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण और अपेक्षाओं में पूरी तरह बदलाव लाने और उनकी दशा में सुधार लाने के लिए की जा रही सकारात्मक

कार्रवाई पर ध्यान केन्द्रित करने के प्रयास के तौर पर सरकार ने राष्ट्रीय महिला आयोग का भी गठन किया है। राज्य स्तर पर भी ऐसे आयोगों का गठन किया जा रहा है जहां ये आयोग स्वयंसेवी संगठनों, गैर सरकारी संगठनों तथा सामाजिक गतिविधियों से जुड़े अन्य ग्रुपों के सहयोग से कार्य कर रहे हैं। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए किए जा रहे इन सभी प्रयासों के कारण देश की आधी जनसंख्या को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने में मदद तो मिलेगी ही, साथ ही इससे एक संवदेनशील सामाजिक व्यवस्था की स्थापना के उद्देश्य को भी सहजतापूर्वक प्राप्त किया जा सकेगा। ''कन्वेन्शन आन दि एलीमिनेशन ऑफ आल फार्म्स आफ डिसक्रिमिनेशन एगेन्स्ट वीमेन'' (बी.ई.डी.ए.डब्लू.) का हस्ताक्षरकर्त्ता होने के कारण हमारा देश महिलाओं के जीवन मे शांति, सद्भाव और गरिमा कायम करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार का प्रयास यह होगा कि उन नीतियों को मजबूत बनाया जाए और उन्हें जारी रखा जाए जिनका उद्देश्य महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाना है। वर्तमान संस्थागत और कानूनी संरचना का इस्तेमाल किया जाए और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराध

हालांकि 1994 में भारत में किए गए कुल अपराधों की तुलना में अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए गए अपराधों की कुल संख्या बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी अनुसूचित जातियों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराधों की घटनायें कुछ राज्यों तक ही सीमित थी।। अनुसूचित जातियों के विरुद्ध 1993 में किए गए अपराधों में से लगभग 72 प्रतिशत अपराध केवल तीन राज्यों अर्थात् उत्तर प्रदेश (35.50 प्रतिशत) मध्य प्रदेश (20.23 प्रतिशत) तथा राजस्थान (16.36 प्रतिशत) में ही किए गए थे। इनमें से अधिकाश अपराधो में कत्ल किया गया था या फिर बलात्कार किया गया था। वर्ष 1994 के लिए उपलब्ध अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध की अधिकांश घटनाएं उत्तर प्रदेश (47.9 प्रतिशत) राजस्थान (14.2 प्रतिशत), तथा मध्य प्रदेश (11.1 प्रतिशत) में घटित हुई। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध की अधिकांश घटनाएं मध्य प्रदेश (35.5 प्रतिशत) तथा राजस्थान (27.5 प्रतिशत) में घटित हुई थी। इसके अलावा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध किए जाने वाले अपराध की घटनाएं इन राज्यों के कुछेक जिलों तक ही सीमित थीं। कल्याण मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह पता चलता है कि ऐसे क्षेत्र उत्तर प्रदेश के 20 जिलों, मध्य प्रदेश के 10 जिलों के कुछ गावों और राजस्थान के कुछ गावों में फैले थे।

सरकार समझती है कि ताकतवर निहित स्वार्थी तत्वों ने इन दलित वर्गों के विकास में भरसक बाधाएं उत्पन्न की हैं। इन बाधाओं में भूमि सहित परिसम्पत्तियों का कपटपूर्ण तरीके से वितरण तथा सामाजिक व्यवस्था जिसका उद्देश्य इन दलित वर्गों को हमेशा-हमेशा के लिए आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़ा बनाये रखना था शामिल है। इन दलित वर्गो द्वारा अपने आप को उठाने के लिए तथा इन बाधाओं को दूर करने के लिए किए गए प्रयास अक्सर उनके प्रति हिंसा में बदल जाते हैं। वास्तव में अनुसूचित, जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के प्रति अत्याचार इन वर्गों को मानव विकास की प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी से अलग करने के किसी गहरे षडयंत्र का सूचक है।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचारों के मुद्दे पर संसद/मुख्य मंत्रियों के विभिन्न सम्मेलनों तथा अन्य मंचों पर भी चर्चा की गई है जिनमें इस तरह के अत्याचारों को रोकने के लिए पुलिस द्वारा कार्रवाई किए जाने के लिए कई उपयोगी सिफारिशें की गई हैं। इन सुझावों के कार्यान्वन के अलावा यह भी आवश्यक है कि इन जातियों को अलग-थलग करने का जो केन्द्रीय मुद्दा है उसका प्रभावी ढंग से समाधान किया जाए अन्यथा इन दलित वर्गों के प्रति अत्याचार जारी रखने की संभावनाओं को नकार पाना मुश्किल होगा।

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा 1951 से 1991 तक भारत में अपराधों की प्रवृत्ति गत विश्लेषण में यह बताया गया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति हिंसा की अधिकांश घटनाएं भूमि विवादों, अतिरिक्त जमीन के गलत तरीके से वितरण, मजदूरी का भुगतान न करने या न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देने और कमजोर वर्गों का अपने अधिकारों और हकों के बारे में जागरूक होने के प्रति विरोध के परिणामस्वरूप हुई हैं। इसलिए पीड़ितों और पुलिस दोनों को शिक्षित करने की आवश्यकता इन समस्याओं के समाधान करने के किसी भी प्रयास में बहुत ही मुख्य बात हो गयी है।

दोषसिद्धि

जहां तक मुकदमों में दोष-सिद्धियों की स्थिति का संबंध है, उपलब्ध सूचना के अनुसार तकरीबन 99000 व्यक्ति, इनमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जिनकी पिछले साल तक सुनवाई पूरी नहीं हुई थी, 1993 के दौरान सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं। ऐसे व्यक्तियों के 81 प्रतिशत मामले इस वर्ष के अंत तक लम्बित हैं। इतने अधिक मामलों के लम्बित पडे रहने से सरकार गंभीर रूप से चिन्तित है। अपराध शीर्ष ''डकैती'' के लिए सुनवाई हेतु लम्बित पड़े मामलों में सबसे अधिक प्रतिशतता (87) है। इसके तुरन्त बाद ''धोखा-धड़ी के मामलों की प्रतिशतता आती है जो कि (85.8) है। दोषसिद्धि की कुल दर अर्थात् पूरी हुई सुनवाईयों के मामले में कुल व्यक्तियों की संख्या में से दोषसिद्ध व्यक्तियों की प्रतिशतता 37.1 है। दोषसिद्धि की प्रतिशता ''मानव वध'' जिसे हत्या नहीं कहा जा सकता, के मामलों में सबसे अधिक (43.1) थी जिसके पश्चात चोरी के मामलों की प्रतिशतता (41.9) थी। भारतीय दंड संहिता में विनिर्दिष्ट अपराधों में से 1993 के दौरान वे मामलें जिनमें समझौता हो गया था जो वापिस ले लिए गए थे, कि अधिकतम संख्या (77948) दंगों के मामलों में थी, जिसके बाद (11968) मामले ''चोरी'' से संबंधित थे।

जहां तक वर्ष 1993 के दौरान न्यायालयों द्वारा भारतीय दंड संहिता के अधीन चलाए गए मामलों के निपटान का सम्बन्ध है, 80,10,381 व्यक्तियों में से जिनकी सुनवाई उस वर्ष के अन्त तक पूरी नहीं की जा सकी, लगभग छठा हिस्सा 13,67,401, (17.1%) केवल महाराष्ट्र से सम्बन्धित थे। इसमे थोड़ा कम मध्यप्रदेश (11,36,907) जो 14.2 प्रतिशत बैठता है और बिहार (10,73,993) जो 13.4 प्रतिशत बनता है, में थे।

सरकार इस बात से अवगत है कि न्यायालयों में मामलों की बहुत लम्बित विभिन्न जटिल कारकों की वजह से है। मलिमाथ समिति द्वारा पता लगाए गए उनमे से कुछ कारक इस प्रकार है– जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि, मुकदमे बाजी में अत्यधिक वृद्धि, न्यायाधीशों की संख्या की अपर्याप्तता, रिक्तियों को भरने में विलम्ब, आधारभूत सुविधाओं में कमी, लम्बे तर्क-वितर्क और लम्बे निर्णय, वकीलों की हड़ताल और बेहताशा ढंग से रिट याचिकाओं का सहारा लेना आदि। सरकार यह सुनिश्चित करने के सभी सम्भव प्रयास कर रही है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां जितनी जल्दी हो सके, भरी जायें।

न्यायालयों में मामलों के बकाया पड़े रहने और इसका यथा सम्भव शीघ्र निदान करने के लिए उपाय खोजने के लिए प्रधान मंत्रीजी की अध्यक्षता में मुख्य मंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों की एक बैठक 4 दिसम्बर, 1993 को आयोजित की गई थी। सम्मेलन में न्यायालायों/न्यायाधिकरणों में मामलों के शीघ्रतापूर्वक निपटान के लिए पारित् एक संकल्प में कई कदमों की सिफारिश की गई। इन्हें सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों तथा उच्च न्यायालयों/अधिकरणों को सौंप दिया गया है। ग्रामीण मुकदमों, प्रशासनिक अधिकरणों में बकाया मामलों तथा वैकल्पिक विवाद प्रस्ताव को लेकर तत्पश्चात् तीन कार्यकारी दलों ने उपरोक्त प्रस्ताव में उल्लिखित सिफारिशों पर विचार के लिए बैठक की। दिसम्बर 1993 के प्रस्ताव के कार्यान्वन तथा कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों की राज्य के विधि मंत्रियों द्वारा नवम्बर, 1994 में कलकत्ता में हुई अपनी पूर्ण बैठक में समीक्षा की गई। इस बैठक में लागू प्रस्तावों को आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए सभी सबद्ध प्राधिकारियों को भेज दिया गया है। न्याय प्रशासन की योजना व्यय की एक मद बनाया गया है ताकि मामलों को जल्द निपटाए जाने के मार्ग में आने वाले ढांचागत अवरोधों को दूर किया जा सके।

हालांकि इस वक्तव्य के माध्यम से देश में व्याप्त अपराध परिदृश्य की झलक दिखाने का किया गया है, तथापि केन्द्र सरकार इस तथ्य को भली-भांति जानती है कि सरकार का मूलभूत उद्देश्य-आर्थिक विकास के उपाय तभी आरंभ किए जा सकते हैं अथवा दीर्घकालिक बनाए जा सकते हैं यदि देश में शांति या सुरक्षा की स्थिति व्याप्त हो। जबकि मीडिया सामान्यतौर पर अपना ध्यान सनसनी खेज अपराध या उसके राजनीतिक दृष्टिकोण पर केन्द्रित रखता है, आमतौर पर सरकार की कार्य प्रणाली के सकारात्मक पक्षों की अनदेखी कर दी जाती है। इस परिप्रेक्ष्य में, यह उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार राज्यों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति भंग होने या चुनाव होने की स्थिति में उन्हें अल्पकालिक सहायता प्रदान करती है। दीर्घकालीन उपाय के रूप में राज्यों को देश में आन्तरिक सुरक्षा स्थिति तथा अपराध प्रवृति के बारे में सूचना नियमित रूप से मुहैया करवाई जाती है ताकि राज्य सरकारों को विभिन्न स्थितियों से निपटने के लिए केन्द्र-राज्य समन्वय करना सम्भव हो सके।

अन्य दीर्घकालीन उपायों में पुलिस बल के आधुनिकीकरण संबंधी योजना के अन्तर्गत बदलती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्यों को उनके प्रशासनिक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इंडिया रिजर्व बटालियनों के सृजन व जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के लिए राशि मुहैया करवाई जाती है। इसके अलावा राज्य सरकारों को पुलिस बलों को आधुनिक बनाने या उन्हें और अधिक कारगर व सुचारू बनाने के लिए गृह मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों जैसे पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध शास्त्र तथा न्याय विज्ञान संस्थान, नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय तथा अन्य के जरिए व्यावसायिक सहायता मुहैया कराई जाती है। केन्द्रीय सरकार की मार्फत राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों को उच्च स्तरीय तथा विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा सरकार अपने पत्रों और बैठकों में कमज़ोर वर्गों की समस्याओं और मानवधिकारों के उल्लंघनों के प्रति पुलिस के निचले स्तर को संवेदनशील बनाने पर जोर दे रही है। अपराध और अपराधिक सूचना पद्धति, जिसकी लागत लगभग 25 करोड़ रुपये है और देश के प्रत्येक जिले में कम्प्यूटर की स्थापना द्वारा अपराधों/अपराधियों या सम्पत्तियों के बारे में कम्प्यूटीकृत डाटा तैयार करने की व्यवस्था है, इस व्यवस्था का राज्य तथा केन्द्रीय स्तरों पर एक नेटवर्क है तथा पुलिस दूर संचार परियोजना, जिसकी लागत लगभग 152 करोड़ रुपये है इसका विस्तार उपग्रह के जरिए सम्पूर्ण देश में है- ये समस्त कार्य देश में पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के केन्द्र के हस्तक्षेप के अन्य उदाहरण हैं। इसके अलावा वित्त आयोग के साथ केन्द्रीय सरकार के आग्रह का यह लाभ हुआ कि आयोग ने राज्यों में पुलिस प्रशिक्षण, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, जेल भवनों, की मरम्मत और पुनरूद्धार, जेलों में चिकित्सा सुविधाओं आदि के लिए राज्यों को 735.22 करोड़ रुपये की राशि की सिफारिश की।

कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों पर ध्यान देने के प्रश्न पर, गृह मंत्रालय की पहल पर राष्ट्रीय मनावाधिकार आयोग 1993 में गठित किया गया था। देश में अपराधों की प्रवृत्ति को मानीटर करने और गृह मत्रालय के सर्बोधित मंत्रालयों अर्थात कल्याण मंत्रालय, महिला और बाल विकास आयोग और योजना आयोग के साथ परस्पर कार्यवाही करने से ऐसे क्षेत्रों में उनके लिए धन की व्यवस्था करने और योजनाओं के लिए मदद मिलती है जहां कमजोर वर्गों के प्रति बहुत अधिक अपराध होते है।

मैं इस सदन के सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस देश के नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और मैं सदस्यों, गैर-सरकारी संगठनों, मीडिया तथा अन्य उत्तरदायी घटकों से यह अपील करता हूं कि वह पहले की भांति, इस देश के लोगों के जीवनस्तर में सुधार करने के सरकार के प्रयासों में हाथ बटाएं।

5.08 1/2 म०प०

प्रारूप कृषि नीति संकल्प (यथाउपान्तरित) पर विचार करने संबंधी प्रस्ताव–जारी

***श्री वी०एस० विजय राघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, कृषि नीति संकल्प पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता से पूर्व दो महत्वपूर्ण आर्थिक नीति सकल्प अर्थात कृषि नीति और औद्योगिक विकास नीति संकल्प अपनाए थे। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के लखनऊ सत्र में कृषि कार्यक्रम पर 1936 में एक संकल्प अपनाया गया था। संसद ने स्वतत्रता के तत्काल बाद उद्योगों के संबंध में सरकारी तौर पर एक नीति संकल्प अपनाया था। संसद ने 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया था और इस औद्योगिक नीति में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं और समय-समय पर उनकी घोषणा की गई है। लेकिन दुर्भाग्य से स्वतत्रता के लगभग पचास वर्ष बाद कृषि विकास के लिए नीति संबंधी संकल्प संसद के विचारार्थ आ रहा है। मैं इतना ही कह सकता हूं कि कभी न करने से विलंब से करना ही बेहतर है। मैं डा० बलराम जाखड़ जी को जो कृषि विकास नीति के सूत्रधार हैं, कृषि विकास नीति संसद के समक्ष लाने के लिए पहले करने के लिए बधाई देता हूं।

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तरण।

भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। 70 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या कृषि पर आधारित है। हमारी सकल राष्ट्रीय आय का 30 प्रतिशत कृषि से प्राप्त होता है यह कहना कठिन है कि कृषि को उचित महत्व दिया जा रहा है या नहीं ।

कृषि राज्य का विषय है। हमारे संविधान निर्माताओं ने कृषि को राज्य का विषय मानकर बुद्धिमता का परिचय दिया है क्योंकि भौगोलिक दशाएं, जलवायु और मृदा की प्रकृति जैसे कारक अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग हैं। जो चीज नागालैंड के लिए अच्छी है। वह जरूरी नहीं है कि केरल के लिए भी अच्छी हो जो चीज केरल के लिए अच्छी है वह बिहार के लिए अच्छी नहीं भी हो सकती है। अतः सभी राज्यों के लिए एक समान कार्यक्रम और परियोजनाएं बनाना संभव नहीं है। माननीय कृषि मंत्रीजी को मेरा विनम्र सुझाव यह है कि कृषि के क्षेत्र में कार्यक्रमों और परियोजनाओं की अंतिम रूप देते समय प्रत्येक राज्य की खाद्य-विशेषताओं, मृदा की दशाओं, जलवायु विभिन्नता, होने वाली बरसात की मात्रा, समुद्र से समीपता इत्यादि को ध्यान में रखना होगा।

5.13 म०घ०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उपाध्यक्ष महोदय, यह सच है कि जिस कृषि नीति पर चर्चा हो रही है उसमें कृषि के सभी पहलुओं को लिया गया है। लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं की स्पष्ट तस्वीर उपलब्ध नहीं है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि विद्यमान संकल्प में मुख्य रूप से वही योजनाएं शामिल हैं जो पहले से ही अस्तित्व में हैं।

जहां तक कृषि का संबंध है, इसमें निवेश बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। लेकिन कोई भी यह देख सकता है कि पिछले दशक के दौरान कृषि क्षेत्र में सरकारी निवेश में कमी आई है। आंकड़ों से पता चलता है कि इस क्षेत्र में 1980-81 में सरकारी निवेश 1796 करोड़ रुपये था, जबकि 1990-91 में यह केवल 1043 करोड़ रुपये था। अन्तरिम अवधि में रुपये के मूल्य में गिरावट को ध्यान में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि यह राशि बहुत कम है। यह बात ध्यान में रखनी होगी कि सिंचाई और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में पर्याप्त निवेश के बगैर कोई प्रगति नहीं होगी। हर कोई जानता है कि कृषि के विकास के लिए ये क्षेत्र अति महत्वपूर्ण हैं। अतः मैं कृषि मंत्री से इन क्षेत्रों के सम्पूर्ण विकास के लिए एक दसवां दीर्घकालिक योजना बनाने की बात सोचने का अनुरोध करता हूं।

कई अपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं की दशा की जानकारी मैं कई बार सदन में दे चुका हूं एक बार फिर सरकार से यह अनुरोध करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि उन सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने में उत्साह का परिचय दें । हमें यह याद रखना होगा कि हम देश के कुल कृषि भूमि की सिंचाई करने के लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच पाये हैं। अब तक हम कुल कृषि भूमि के एक तिहाई भाग की ही सिंचाई कर पाये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर का लाभ उठाते समय माननीय मंत्री महोदय के इस आश्वासन पर उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं कि कृषि उत्पादों के निर्यात के क्षेत्र में उचित प्रोत्साहन दिया जाएगा। बागवानी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें विकास की बहुत संभावनाएं हैं। मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है कि इस क्षेत्र में एक हेक्टेयर भूमि में 50000 रु या उससे अधिक आय की प्राप्ति हो सकती है।

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृषि अनुसंधान का क्षेत्र। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद इस क्षेत्र में काफी अनुसंधान कार्य कर रहा है। आदरणीय इंदिराजी द्वारा शुरू की गई 'हरित क्रांति' जिसने देश में खाद्यान्न के क्षेत्र में क्रांति ला दी थी, वह वास्तव में भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा किये गये अनुसंधानों का परिणाम है। हमारे स्वामीनाथन जैसे विख्यात वैज्ञानिक हैं। परन्तु सरकार द्वारा अनुसंधान पर जो राशि व्यय की जा रही है वह बहुत कम है। मैं कहूंगा कि यह एक प्रतिशत से भी कम है यह राशि अन्य विकासशील देशों द्वारा इस क्षेत्र में व्यय की जा रही राशि की तुलना में बहुत कम है। हमारे पास जेनेटिक इंजिनीयरिंग जैसे क्षेत्रों में उन्नति करने की क्षमता भी है और जानकारी भी। अधिक उपज देने वाले बीज, कीट न लगाने वाले बीज और मृदा की उर्वरता आदि का संरक्षण, ऐसे अन्य संभावित क्षेत्र हैं। जहां अच्छे परिणाम निकल सकते हैं।

मैं एक और महत्वपूर्ण मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं वह है कृषि उत्पादों की कीमतें। ये कीमतें वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर नहीं निर्धारित की जा रही हैं। किसानों की वास्तविक उत्पादन लागत को कभी भी ध्यान में नहीं रखा जाता है। इस मामले में नया दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। कीमतें, उत्पादन लागत के वैज्ञानिक आकलन के आधार पर निर्धारित की जानी चाहिए।

कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट, ही कृषि क्षेत्र में इतना कम निवेश किये जाने का एक प्रमुख कारण है। जब तक किसानों को उचित आमदनी नहीं मिलती है तब तक कृषि क्षेत्र को एक संकट के बाद दूसरे संकट का सामना करते रहना पड़ेगा। स्पष्ट है कि जिस निर्धन किसान के पास किसी प्रकार की बचत नहीं है वह भूमि पर निवेश नहीं कर सकता है। अतः विचार करने योग्य विषय यह है कि मूल्य निर्धारण की वर्तमान प्रणाली में कई सुधार किए जाने अनिवार्य हैं।

महोदय, यह देखा गया है कि हमारे राज्य केरल में खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आ रही है। धान उत्पादकों को हमेशा नुकसान हो रहा है। इसके परिणाम स्वरूप किसान धान को छोड़कर अन्य फसलों की ओर ध्यान दे रहे हैं। धान उत्पादकों की समस्याओं की वास्तविक रूप से जांच करने के लिए धान बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। हर वर्ष कई धान उत्पादक जिस धान से हानि हो रही है उसे छोड़कर अन्य फसलों में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। अभी-अभी माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि किसानों को अपनी पसन्द की फसलें उगाने का अधिकार है। मैं इस घोषणा का स्वागत करता हूं। परन्तु वास्तविक स्थिति कुछ और ही दर्शाती है। ये निर्धन धान उत्पादक, जो लगातार कई वर्षों से हो रही हानि के कारण अन्य फसलों को उपजाने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उनपर मुकदमा चलाया जा रहा है। मैं यह कहने के लिए मजबूर हूं कि भूमि हड़पने वाला अधिनियम (लैंड ग्रैबर्स एक्ट) किसानों के सर पर आसन्न संकट की तरह मंडरा रहा है।

उन छोटे किसानों के मामलों में भी बिना समझ-बूझ के मुकदमा चलाया जा रहा है जो कि धान की खेती में लगातार हानि होने के कारण निराश हो कर अपने पसंद की फसलों की ओर ध्यान देने लगे हैं। अतः मेरी मांग है कि माननीय मंत्री जी की बातों पर अमल किया जाना चाहिए और किसानों को अपने पसंद की फसलें चुनने का अधिकार दिया जाना चाहिए। ऐसे वर्तमान कानूनों की समीक्षा की जानी चाहिए जो किसानों की जीविका के प्रति मौलिक प्रवृत्ति पर चोट करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में किसानों को उर्वरकों

पर दी गई राजसहायता में असमानता को लाना चाहता हूं। वर्तमान कानूनों के अनुसार केवल उन उर्वरकों पर राजसहायता दी जाती है जिसमें पोटैशियम व फासफोरस होता हैं। मिश्रित उर्वरकों पर ऐसी राजसहायता नहीं दी जाती है। केरल में कृषि भूमि का अधिकांश भाग छोटे-छोटे फार्मों में बंटा हुआ है। ये किसान मुख्य रूप से मिश्रित उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। यह ज्ञात हुआ है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मिश्रित उर्वरकों का उत्पादन करने वाली कम्पनियों को रियायती दरों पर यूरिया की आपूर्ति नहीं की जायेगी पौटेशियम एवं फास्फोरस से युक्त उर्वरकों पर दी गई राजसहायता इन कम्पनियों को नहीं दी गई।

इस विषमता का केरल के किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि उन्हें इस राजसहायता से कोई लाभ नहीं मिल रहा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि केरल में उपयोग में लाये जा रहे कुल एनपी की उर्वरकों मे से 90 प्रतिशत उर्वरक मिश्रित उर्वरक हैं। इस नीति पर पुनर्विचार किये जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार द्वारा यह मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में लाया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं इस पर उपयुक्त रूप से विचार करें और राज्य के सभी किसानों को राजसहायता की सुविधा प्रदान करें।

उर्वरकों एवं कीटनाशकों की कीमतों में क्रमशः गिरावट लाई जानी चाहिए। राजसहायता को समाप्त करने का विचार अच्छा तो है लेकिन भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था में राजसहायता अनिवार्य है। महत्व इस बात का है कि उन क्षेत्रों का पता लगाया जाये जहां पर राजसहायता दी जानी चाहिए और दी जाने वाली राजसहायता की मात्रा का भी निर्णय किया जाना चाहिए। प्राथमिकताएं निर्धारित की जानी चाहिए और प्राथमिकता के आधार पर फसलों पर राजसहायता दी जानी चाहिए।

नारियल की कीमतों की दशा शोचनीय है। नारियल की कीमतों में गिरावट एक आम बात हो गई है। कीमतों में इतनी गिरावट आई है कि अब इसमें और गिरावट की संभावना नहीं है। यद्यपि नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है परन्तु उत्पादकों को इसका लाभ अभी नहीं मिल रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य अपर्याप्त है। मैं मांग करता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया जाये और नारियल उत्पादकों की समस्याओं पर यथार्थ रूप में ध्यान दिया जाये।

मैं, कृषि व्यवसाय संघ (एग्रो-बिजीनेस कंसोर्टियम) को स्थापित करने के निर्णय का स्वागत करता हूं जिससे ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक आय का सृजन होगा और रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे। परन्तु इस निर्णय का स्वागत करते हुए जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बहुमुखी विकास होगा, मैं इस संघ के ढांचे में स्थित महत्वपूर्ण त्रुटि की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। कृषि मंत्री, 15 संसदीय प्रबन्ध निकाय के अध्यक्ष होंगे। संघ के कार्यकलापों/गतिविधियों में प्रौद्योगिकियों का आदान-प्रदान, विभिन्न अभिकरणों का समन्वय आदि शामिल है। मुझे इस बात की आशंका है कि क्या ऐसे मंत्री जिनके पास अनेक अन्य जिम्मेदारियाँ भी हैं, वे इस प्रकार के संस्थानों के अध्यक्ष के रूप में प्रभावपूर्ण ढंग से काम कर सकेंगे ? इस की उपेक्षा यह अच्छा है कि एक विशेषज्ञ को ढूंढा जाये और उसे संघ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाये। क्षेत्रीय स्तरों पर भी इसी आदर्श का पालन किया जा सकता है।

जब केरल में इस योजना को लागू करना है तो बैंक से ऋण लेने के लिए प्रावधान बनाना चाहिए। पहले से ही कुछ शिकायतें हैं कि बहुत से लघु और मध्यम पैमाने की परियोजनाओं के बैंक ऋण की सुविधा नहीं मिल पा रही है। नयी परियोजानाओं की ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए।

नारियल को बहुत पहले ही तिलहन के रूप में घोषित कर दिया गया था किन्तु अभी भी इसके लाभ कृषकों को पहुँचने हैं। नारियल उत्पादकों को वे लाभ नहीं मिल रहे हैं जो दूसरे तिलहन उत्पादकों को मिल रहे हैं। केवल घोषणा ही पर्याप्त नहीं है। नारियल उत्पादकों को उचित लाभ मिले यह सुनिश्चित करने हेतु अनुवर्ती कार्यवाही की जानी चाहिए।

नारियल से सम्बन्धित दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि केरल में नारियल को कुछ क्षेत्रों में फैली घातक बीमारियों से बचाने के लिए समुचित कदम उठाए जाने चाहिए। इस समय केन्द्रीय सरकार वर्ष भर में लगभग 1,25,000 रोग प्रभावित पेड़ों को गिराने के लिए 200 रुपये प्रति पेड़ दे रही है। "आप्रेशन फॉलिंग डाउन" नामक पेड़ गिराने संबंधी यह कार्य केवल दो जिलों में शुरू किया गया है जिनके नाम हैं तिरूअनंतपुरम और त्रिचूर। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस परियोजना के कार्य क्षेत्र को बढ़ा देना चाहिए और एक वर्ष में गिराये जाने वाले पेड़ों की संख्या बढकार कम से कम 5 लाख कर देनी चाहिए। यह घातक बीमारी जिसमें वृक्ष के बचने की संभावना नगण्य ही है दूसरे जिलों में भी बड़ी तेजी से फैल रही है। यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर तुरन्त समुचित कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

बहुत सी सिंचाई योजनाएं राज्य के द्वारा प्रस्तावित हैं उन्हें अभी भी केन्द्रीय सरकार से स्वीकृति प्राप्त होती है। एक ऐसी ही सिंचाई की योजना कुरियार कुट्टी— कारापार है जिसका विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा। अभी तक पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस परियोजना को स्वीकृत नहीं दी है।

पालघाड जिले की अट्टापडडी घाटी सिंचाई परियोजना की भी यही स्थिति है इस परियोजना पर बड़ी रकम खर्च होने के बावजूद बंद होने का है क्योंकि केन्द्रीय सरकार इस पर ध्यान देने नहीं दे रही है यदि यह परियोजना पूरी हो गई होती तो अट्टापाडी क्षेत्र जोकि मुख्य रूप से जनजातिय क्षेत्र है, का विकास हो गया होता। मैं केंन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह उस परियोजना के पक्ष में सकारात्मक कदम उठाकर इसे पूरा करने में सहयोग करे।

महोदय, मै एक दूसरा प्रश्न उठाना चाहता हूं जो कृषकों को बैंकों से ऋण दिए जाने के सम्बन्ध में है। भारतीय रिजर्व बैंक का नियमन है कि कृषकों को दिए गए ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। किन्तु केरल के कुछ बैंकों ने इस नियम की अनदेखी की है और कृषि ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया है। वे कहते हैं कि जैसे नाबार्ड से निर्देश दिए गए वैसे ही हम कर रहे हैं। जो भी खामी हो, जिसके अन्तर्गत वे निर्धन कृषकों से चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं, मैं यह समझता हूं कि यही उचित समय है कि इस कठोर कानून को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें हस्तक्षप कर इस अन्याय को रोके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री के विचारार्थ एक और बात रखना चाहूंगा कि जो कृषि नीति निर्धारित करने से सम्बन्धित है भविष्य में कृषि नीति बनाने हेतु ऐसे प्रावधान बनाये जाने चाहिए जिससे निति निर्धारण प्रक्रिया में कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। धीरे धीरे विभागों और निगमों के रूप में सरकार की भूमिका कम करके किसानों और उनके संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका

दी जानी चाहिए। किसानों और उनके संगठनों के द्वारा और अधिक सहभागिता का लक्ष्य रखा जाना चाहिए।

हम धोखे में ही होंगे यदि हम यह सोचते हैं कि कृषि नीति को बनाकर भारतीय कृषि के विकास को सुनिश्चित किया जा सकता है। मात्र घोषणा से ही उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के बारे में एक दीर्घावधि योजना होनी चाहिए।

सरकारी कार्यक्रमों का लाभ वास्तव में जरूरतमंदों तक पहुँचे सुनिश्चित करने हेतु उचित ध्यान देना होगा। बहुत से ऐसे मध्यस्थ और एजेन्सियां कार्यरत हैं जो विभिन्न कार्यक्रमों के लाभों को हड़प लेती हैं। सरकारी कार्यक्रमों और किसानों जिन्हें इनका लाभकारी बताया जाता है के बीच काफी दूरी है। बहुत से मामले हैं जहां वास्तविक किसान जोकि इस श्रृंखला की अंतिम कडी है दलालों के द्वारा ठगे जाते हैं। अतः मैं समझता हूं कि यह देखना नीति निर्धारकों की जिम्मेदारी है कि उनकी नीतियों का लाभ वास्तविक भूमिपुत्रों अर्थात वास्तविक किसानों तक पहुंचे। जो लोग किसानों के लाभों को हड़प करते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। इस उद्देश्य के लिए एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाना चाहिए। कक्ष राजसहायता, की सम्पूर्ण प्रक्रिया को नियन्त्रित कर सकता है और किसानों के लिए उन्हें और उपयोगी बनाने के लिए योजनाओं की समीक्षा भी कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कृषि मंत्री के विचारार्थ मैंने कुछ बातें रखी हैं। मैं एक बार पुनः उन्हें इस सभा में कृषि नीति प्रस्ताव लाने के लिए बधाई देता हूं। मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री बी०एन० रेड्डी (मिरयालगुडा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो नई कृषि नीति रखी गई है इससे यह प्रतीत होता है इससे देश और किसानों का सर्वमुखी विकास होगा। किन्तु मुझे यह बताते हुए खेद है कि वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रथमतः मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे माननीय मंत्री देश के अधिकांश किसानों को जोकि निर्धन हैं को जमीदारों के साथ मिलाकर भ्रमित कर रहे हैं। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि नीतियाँ उदारीकरण का एक भाग हैं और वे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष और विश्व बैंक में संरचनात्मक तादातम्य के अन्तर्गत आती हैं। इसीलिए, मैं कहता हूं कि इस नीति का उद्देश्य अधिकांश किसानों के हितों को सुरक्षित रखना नहीं है बल्कि विदेशी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हितों का ध्यान रखती है। इसलिए मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कुछ नीतियाँ कृषि वस्तु पर व्यापारिक बाधाएं हटाने के लिए हैं, जिससे विदेशी कीमतों के मुताबिक घरेलू कीमतों को बनाया जा सके। अतः हमारे कृषि मूल्य विदेशी निर्णयों के आधार पर तय होंगे। खाद्य राजसहायता में भारी कटौती की गई है। अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली केवल कुछ पात्र निर्धनों तक ही सीमित हो गई है। यहां तक कि रोजगार गारन्टी स्कीम के साथ ओवर टाईम व्यवस्था को भी प्लेस करने में सीमित गुन्जाइश है। फसल उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तन लाने के लिए अन्न उत्पादन को प्राथमिकता देकर एक तात्विक नीतिगत परियर्तन करना है। हमारी पूरी कृषि व्यवस्था पटरी से उतर गई है। निर्यात अभिमुखीकरण के नाम पर, उत्पादन बड़े जमीदारों और विदेशी साम्राज्य वादियों और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के हित के मुताबिक होगी इसके परिणामस्वरूप हमारी कृषि पूरी तरह से जटिल हो जायेगी। उसके द्वारा जो आत्मनिर्भरता की नीति पं० नेहरू के द्वारा शुरू की गई थी और इन्दिरा जी एवं राजीव गांधी के द्वारा इसका अनुसरण किया गया था डिरेल्ड हो जायेगी। यह दूसरे तत्वों पर निर्भर करेगी, विशेषकर विदेशी बहु-राष्ट्रीय निगमों पर।

इस नीति में उर्वरकों पर राजसहायता को हटाने का उल्लेख है। मंत्रीजी के भाषण में कहीं भी यह नहीं कहा गया था कि इन सभी योजना में सिंचाई को वरीयता दी जा रही है अथवा दी जायेगी। प्रौद्योगिकी के नाम पर कई प्रमुख परियोजनाएं अधूरी हैं। हमारे देश में पांच सौ परियोजानाएं अधूरी हैं अब भी हम वर्षा- आधारित कृषि पर निर्भर है। हमारी 70 प्रतिशत कृषि वर्षा पर निर्भर है क्योंकि हमारी 70 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि के पास सिंचाई के कोई स्थायी साधन नहीं हैं। हमारा प्रमुख उत्पादन उन स्थानों से आ रहा है जहां हमारी भूमि की सिंचाई की जाती है। अतः सिंचाई के संबंध में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है।

अब मैं भूमि सुधारों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। सर्वप्रथम भूमि सुधारों को महत्व दिया जाना चाहिए। बंगाल में क्या हुआ ? इससे स्पष्ट यह पता लगता है कि जहां उत्पादक ताकतों को भूमि प्राप्त हुई, वहां उत्पादन में सुधार हुआ। यदि भूमि का वितरण कृषकों में किया जाता है, तो उत्पादन बल जारी होंगे और उत्पादन में वृद्धि होगी। हमारी माननीय मंत्रीजी ने उत्पादन के बारे में कई बार उल्लेख किया है। हमारे देश में उत्पादन में तेजी से वृद्धि नहीं हो रही है। अन्य देशों में विशेषकर चीन तथा जापान में उत्पादन में तेजी से वृद्धि कैसे हो रही है ? हमारी उत्पादन अब भी स्थिर क्यों है ? इसका प्रमुख कारण यह है कि भूमि उन लोगों के पास नहीं है जो भूमि जोतते हैं। मैं स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करना चाहता हूं कि इस नीति के परिणामस्वरूप, किसानों में—गरीबों में वृद्धि होगी और ग्रामीण बेरोजगारी में वृद्धि होगी।

हमारा मुख्य बल आयातित खाद्य पर आधारित रहना और कृषि क्षेत्र को बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों तथा साम्राज्यवादी ताकतों के हित में सहायक भूमिका निभाने के लिए बाध्य करना है। हमें उसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना चाहिए। जब हमारे माननीय मंत्री जी देश में अपने दौरे पर जाते हैं तो वे यह दम्भ भरते हैं कि वे किसानों की भवानाओं को व्यक्त करते हैं। लेकिन यह कहते हुए मुझे खेद है कि वे जमींदारों की भावना को व्यक्त करते हैं किसानों की नहीं, अधिकांश किसान अब भी गरीब हैं। इसलिए, किसानों से गरीबी दूर की जानी चाहिए।

मूल्य नीति के बारे में वे कहते हैं कि प्रतिबंध हटा दिये गये हैं। प्रतिबंध हटाने के पश्चात कीमत बड़े जमींदारों अथवा बहु-राष्ट्रीय निगमों के प्रभाव में होगी। फिर आम आदमी अथवा आम किसान को लाभ नहीं मिलेगा। समर्थन मूल्यों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार में किसी ने समर्थन मूल्य नीति को सही भावना से क्रियान्वित किया है ? इस समर्थन मूल्य नीति से, केवल बड़े जमींदार और बड़े किसानों को ही सभी लाभ मिलेंगे। फसल काटने के समय, किसान समर्थन मूल्य प्रणाली के अन्तर्गत लाभ में सक्षम होने चाहिए। अधिकांशतया आम और गरीब किसान स्थानीय व्यापारियों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें न्यूनतम दर पर अपनी भूमि बेचनी पड़ती है। किसान लाभप्रद मूल्य प्राप्त नहीं कर सकता। कम से कम अधिकांश किसान यह प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। इन नीतियों के परिणामस्वरूप, किसानों में गरीबी में वृद्धि होगी और कई किसानों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया जायेगा। इसलिए बेरोजगारी में वृद्धि होगी। बदलती फसल पद्धति से कृषि गतिविधि, जिसे आत्मनिर्भर होना चाहिए अस्त-व्यस्त हो जायेगी। कोई वैकल्पिक कृषि नीति अवश्य होनी चाहिए। भूमि सुधार को सर्वाधिक वरीयता प्रदान की जानी चाहिए। भूमि को कृषकों में वितरित किया जाना चाहिए, जिनके पास भूमि नहीं है। ऐसे लाखों और करोड़ों व्यक्ति हैं। केवल तभी उत्पादन बढ़ों

में वृद्धि होगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। इसीलिए बड़ी जमींदारियों को समाप्त करने को वरीयता से जानी चाहिए। कृषक को भूमि और फसल के लिए पानी दो।

क्या माननीय मंत्री जी यह कहने के लिए तैयार हैं कि कृषि योग्य भूमि का एक प्रमुख भाग के पास स्थिर सिंचाई, स्थिर पानी का साधन है ? 70 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि वर्षा पर आधारित है। किसान सदैव आकाश की ओर देखता है। गंगा, कावेरी, गोदावरी, तथा कृष्णा नदियों पर लगभग 500 अधूरी सिंचाई परियोजनाएं हैं। मुझे यहां अवश्य कहना चाहिए कि हमारे देश में एक सौ मिलियन हैक्टेयर भूमि या तो सुखा प्रवन है या बाढ़ प्रयन है। कड़वा सत्य यह है कि हमें अपनी प्रमुख नदियों से जल को काम में लाना चाहिए , जिन पर हमारे देश को गर्व हैं। हमारे पास पर्याप्त जल है।

परन्तु इसको काम में नहीं लाया जाता। अतः हमारी सरकार अब तक इसमें असफल रही है। किसानों की फसलों के लिए पानी अवश्य दिया जाना चाहिए और बंजरभूमि का वितरण बड़े व्यावसायिकों में न करके गरीबों में किया जाना चाहिए। हमें यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि हैदराबाद अथवा मुम्बई के चारों ओर बड़े व्यापारियों और बड़े जमींदारों को भूमि आवंटित की जा रही है। अब यह सब हो रहा है। उत्पाद और प्रौद्योगिकी के नाम पर बड़े जमीदारों को भूमि प्राप्त करने की अनुमति प्रदान की गई है। केन्द्रीय मंत्री की टिप्पणियों के अनुसार, अधिकांश देश में भूमि सुधार संतोषजनक ढंग से नहीं चल रहे है और प्रमुख भूमि अधिकरण के अन्तर्गत है। पश्चिम बंगाल में भूमि वितरण दृढ़ निश्चय से किया गया है और उसके लिए श्रेय का हमें दावा करना है। यह वहां बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं। इसके लिए आपका क्या उत्तर है ? समस्त नीति में इसका कोई उल्लेख नहीं है। मैं यह स्पष्टरूप से कहूंगा। क्या किसानों को लाभप्रद मूल्य प्रदान किए जा रहे हैं ? नहीं। क्या माननीय मंत्री जी यह कहने के लिए तैयार है कि गरीब किसानों को लाभप्रद मूल्य प्रदान किए जा रहे हैं ? अधिकांश किसान लाभप्रद मूल्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं। माननीय मंत्री जी क्या कहते हैं ? केवल जमींदार ही समर्थन मूल्य प्राप्त करने में सक्षम हैं। किसान उस समय तक प्रतीक्षा करने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें न्यूनतम दर पर अपनी भूमि बेचनी पड़ती है, और यह चल रहा है।

माननीय मंत्री के भाषण में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में भी कोई उल्लेख नहीं किया गया है। खाद्यान्नों के सार्वजनिक वितरण में केवल श्रमिकों, केवल गरीब किसानों को ही शामिल नहीं किया जाना चाहिए , बल्कि मध्यम ग्रुप के किसानों को भी शामिल किया जाना चाहिए ताकि कम से कम उनको भोजन मिल सके। फसल काटने के पश्चात, गरीब किसान केवल दो या तीन माह के लिए अपने खाद्यान्न बचाते हैं, और उसके पश्चात उन्हें खाद्यान्न और खाद्य पदार्थ खरीद पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अत्यन्त गरीब किसानों को भी शामिल किया जाना चाहिए। क्या माननीय मंत्री इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं ? मैं यह जानना चाहता हूँ।

खाद्यान्नों के अधिक उत्पादन को वरीयता देनी चाहिए। जब फसल प्रणाली है और जब फसल प्रणाली में परिवर्तन किया गया है, तो हम खाद्यपदार्थों में आत्मनिर्भर नहीं हो सकते। हमारे देश के लिए खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप हमें खाद्य-पदार्थ आयात पर निर्भर रहना होगा। वर्तमान ग्रामीण रोजगार सृजन योजना का विकास, प्रगति तथा अधिक उत्पादन से जोडा जाना चाहिए। प्रशासकीय और कार्यकारी शक्तियों को विकेन्द्रीकृत किया जाना चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को अधिक शक्ति प्रदान करनी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए उन्हें पहल करके भूमि सुधारों को क्रियान्वित करना चाहिए।

अन्त में मैं यह अवश्य कहूंगा कि डंकल प्रस्ताव, जिसने इस नीति के निर्माण को प्रभावित किया और आई.एम.एफ. के निर्देशों को पूर्णतया अस्वीकार करना चाहिए। मैं केवल यहीं कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, अब मैं एक बात कहना चाहता हूं। इस विषय पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय निर्धारित हैं । प्रत्येक दल को जिस प्रकार निर्धारित किया गया है वह मैं आप को पढ़कर सुनाता हूं

कांग्रेस पार्टी	1 घंटा 48 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	45 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा०)	15 मिनट
जनता दल	10 मिनट
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी	10 मिनट
समता पार्टी	6 मिनट
अखिल भारतीय अन्नाद्रविण मुनेत्र कडगम	5 मिनट
तेलगु देशम	3 मिनट

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : महोदय इस सभा में अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 11 सदस्य है। इस दल को केवल पांच मिनट का समय क्यों दिया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसका प्रयोजन है, यदि कभी अध्यक्षपीठ इस बारे में कि कितना समय निर्धारित किया गया है, कितने समय एक सदस्य को बोलना है और प्रत्येक राजनीतिक दल को कितना समय दिया गया है, नहीं बताते हैं तो समय पर कोई नियंत्रण नहीं होगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राव, मैं आपके विचार बाद में सुनूंगा, पिछले दिन किसी विधेयक के लिए एक घंटे का समय निर्धारित किया गया था लेकिन इसमें छः घंटे लग गये जिससे पूरे कार्यक्रम में गड़बड़ी हो गई। अव्यवस्था हो गई थी। यद्यपि मामले पर बारीकी से चर्चा हुई, फिर भी उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। इसलिए, मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है, कृपया इस सभी बातों को ध्यान में रखें। नाम केवल सम्बन्धित दलों के सचेतकों के जरिए ही आने चाहिए, व्यक्तिगत पार्टियों को स्वीकारा नहीं जायेगा। सचेतक इस बारे में नाम दे सकते हैं कि कितने सदस्य बोलेंगे और तदनुसार निर्धारित समय के अन्दर ही इस विधेयक के लिए समय-निर्धारण करें ताकि सभा में उचित व्यवस्था रह सके।

श्री अनिल बसु : महोदय, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि स्वतंत्रता के समय से पहली बार इस सभा में कृषि नीति पर चर्चा हो रही है, कृपया सभी पहलुओं पर विचार करें।

उपाध्यक्ष महोदयः मेरा अनुरोध है कि आप संगत बातों को लिख लें जिन पर आप मंत्री महोदय पर प्रभाव डालना चाहते हैं। यदि कुछ मुदक विशेषताएं हैं आप उन्हें भी लिख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : महोदय, इसे सचेतकों तक ही सीमित न करें।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम प्रत्येक वक्ता के लिए 10 मिनट का समय रखें। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर जोर इसलिए दे रहा हूं कि पिछले विधेयक के छः घंटे लग गये।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाडूडे : महोदय, मैं एक बात कहना चाहूंगा, सम्भवतः आप कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक की ओर संकेत कर रहे हैं। कदाचित आपके दिमाग में यही है। मेरा निवेदन है, इस सभा में कई बार संगठित क्षेत्र, मजदूर संघों, मजदूर से सम्बन्धित समस्याओं पर चर्चा की जाती रही है, लेकिन यह पहली बार है कि कृषि नीति जिसका मसौदा तैयार किया गया है चर्चा के लिए इस सभा में लिया गया है। विषय बहुत विस्तृत है और माननीय मंत्री ने इसमें कई ठोस सुझाव शामिल किए हैं, कृपया कुछ समय और और दीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय, : इसलिए, हमें समय-सीमा का पालन करना है।

श्री एम०आर० कादम्बूर जनार्दनन : महोदय, जब कर्मकार प्रतिकर विधेयक पर चर्चा के लिए छः घंटे की अनुमति दी गई थी तो कृषि नीति के लिए क्यों नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदयः अब, मैं श्री अशोक ए० देशमुख का नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह कहा है कि इस विषय पर चर्चा के लिए चार घंटे का समय निर्धारित किया जा रहा है। प्रत्येक सदस्य के लिए 10 मिनट का समय है। प्रत्येक राजनीतिक दल के लिए समय निर्धारित किया जा रहा है। नाम सम्बंधित दलों के सचेतकों के जरिए आएंगे और उन्हें उतने ही नाम देने चाहिए जितने की निर्धारित समय में बोलने का अवसर मिल सके। यही बात है जिसे मैं माननीय सदस्यों के मन में बैठाना चाहता हूं। अब,

श्री भूपेन्द्र सिंह हुडडा— अनुपस्थित

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री— अनुपस्थित

श्री उमराव सिंह

[हिन्दी]

श्री उमराव सिंह (जालन्धर) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस मसले पर बोलने का मौका दिया। मैंने मंत्री जी का और दूसरे मेम्बरान का भी भाषण सुना। चूंकि आपने 10 मिनट की पाबंदी लगा दी है, इसलिए ज्यादा न कह कर कुछ जरूरी बातों की तरफ ही मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

हमारे देश में खेती-बाड़ी बहुत तरक्की कर गई है और इस क्षेत्र में हम बहुत आगे है लेकिन अगर हम दूसरे मुल्कों को देखें तो हमारी पर-एकड़ जमीन अभी भी बहुत कम है। यहाँ सिर्फ खेती बरसात से नहीं होती है बल्कि ट्यूबवेल से की जाती है जिस पर बहुत खर्च आ रहा है। मैं दूसरे राज्यों की बात नहीं कहता हूं लेकिन पंजाब में पानी इतना नीचे चला गया है कि हर किसान को अपना ट्यूबवेल लगाना पड़ा है जिसपर 70-80 हजार रुपया खर्च आ जाता है। ट्रेक्टर, खाद, बिजली सब महगें हो गये हैं। इससे किसानों के लिये बहुत मुश्किल पैदा हो रही है। अभी मंत्री जी कह रहे थे और मैं बातें तो काफी देर से सुन रहा हूं। प्लानिंग कमिशन को भी लिखा है मगर कांक्रीट प्रोपोजल नहीं आयी। जब तक पानी नहीं मिलेगा, खेती नहीं हो सकती है। अभी पर एकड़ की बात आ गयी है। यह सही है कि हमारी इंडस्ट्री ने काफी तरक्की की है और उसमें बहुत सा काम हुआ है लेकिन बीज में हमें और बहुत सा काम करना हैं। यदि किसान को अच्छा बीज मिल जाये तो वह अच्छा उत्पादन कर सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी डब्लू.टी.ओ. में सर्टिफाइड, फाऊंडेशन और हाई बीड के बारे में चर्चा की गयी कि किसानों को बीज महंगे मिलेंगे तो मैं पंजाब के किसानों का नुमायंदा हूं और कह सकता हूं कि अगर अच्छा बीज मिल और कीमत अधिक है तो उससे अच्छी फसल ली जा सकती है। किसान उसको बर्दाश्त कर सकता है क्योंकि उस बीज में 2-3-5 हजार की फसल निकल सकती है। पंजाब में पेप्सी वालों ने टमाटर का बीज तैयार किया है जिससे किसान 30-40 हजार रुपये निकाल रहा है। मैं एग्रीकल्चर मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अच्छे बीजों के लिये रिसर्च कराये, जैसे सनफ्लावर का बीज हाइ बीड का है, वह किसानों को मिले तो उसमें से किसान अच्छे पैसे निकाल सकता है। किसान इसका वैलकम करेंगे। इसी प्रकार से पानी के साधन लिमिटेड हैं। अभी हमारे एक साथी बता रहे थे कि पानी पाकिस्तान को जा रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात का कहते हैं और मैं भी कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि पंजाब के शाहपुर वाटर प्रोजेक्ट के लिये राशी दें क्योंकि उस पानी को पाकिस्तान जाने से रोका जा सकेगा। उसके साथ साथ वह पानी पंजाब के किसान को मिलेगा और उससे फसल ज्यादा होगी।

मैं मार्केटिंग पर भी कुछ कहना चाहता हूं। यह ठीक है कि मार्केटिंग में बहुत दिक्कतें होती है। पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत दिक्कत है। जम्मू कश्मीर या हिमाचल का सेब या पंजाब का आलू या जो अन्य फल है, उनके लिए सरकार को पालिसी बनानी चाहिए। अभी तक मार्केटिंग के काम में दो आर्गनाइजेशन लगे हैं। एफ.सी.आइ. है जो गेहूं और चावल खरीदता है। उसमें भी बहुत धपला हैं जिसको ठीक करना चाहिए। उसका काम जितना अच्छा होगा उतना किसान को उससे फायदा होगा। दिक्कतें तब होती हैं जब मार्केट में किसान फसल लेकर आते है और उनको इंस्पेक्टर बहुत तंग करते हैं। अगर एफ.सी.आइ. सही तरीके से काम करेगा तो किसानों को इंस्पेक्टर्स को जो पैसा देना पड़ता है और इंस्पेक्टर्स के नाम पर जो आढ़ती है वह जिस प्रकार किसानों को एक्सप्लाइट करते हैं वह नहीं होगा। मार्केटिंग के लिए दूसरी संस्था नेफेड है। उसको सरकार ने काफी सुविधाएं दी हैं। सपोर्ट प्राइस भी दिया है और मार्केट इंटरवेन्शन भी वह करती है। वह भी पेरिशेबल गुड्ज को हाथ नहीं लगाते। बहुत कम उसकी तरफ हाथ लगाते हैं। सरकार को मार्केटिंग पोलिसी में पेरिशेबल फूड प्रोडक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अभी मंत्री जी ने कहा है कि हार्टिकल्चर को बढ़ाओ। सब्जियां और फल जब मार्केट में आते हैं तो तीन दिन से ज्यादा नहीं चलते ।

मत्री जी को याद होगा कि एक बार आलू की फसल का दाम बहुत कम हो गया था। एक किसान अपनी लाठी टेककर कर पहरा दे रहा था। उससे पूछा गया कि तुम अपनी आलू की फसल पर पहरा क्यों दे रहे हो, उसके दाम तो बहुत कम हैं। उसने कहा कि मैं अपनी फसल का पहरा नहीं दे रहा हूं। मैं साथ वाले किसान पर पहरा दे रहा हूं कि वह अपने खेत से आलू मेरे खेत में न छोड़ जाए। कभी गेहूं की भी यह हालत हो जाएगी। यह ठीक है कि हमारे मंत्रीजी को किसानों के प्रति बहुत हमदर्दी हैं मगर सिर्फ बातों से किसानों का भला नहीं हो सकता।

मैं अब क्रेडिट की बात करना चाहता हूं। क्रेडिट के मुताल्लिक हमारा एक सुझाव है कि किसानों को पासबुक मिलनी चाहिए। पंजाब में पासबुक शुरू की गई थी और मंत्री जी उस समय हमारे साथ थे। किसानों ने उसको बहुत पंसद किया था, मगर बाद में दूसरी सरकार ने उसको बंद कर दिया। पासबुक किसान के पास होगी, उस पासबुक पर उसकी जमीन दर्ज होगी, उसकी लिमिट दर्ज होगी। जो बैंक उसके क्षत्र मे पड़ता है उस बैंक में वह पासबुक दिखाकर पैसे जमा करा सकता है और पैसे ले सकता है। उससे बहुत सी तकलीफें दूर हो सकती हैं, खास तौर पर जब किसान को कर्जा लेना होता है तो पटवारी से जाकर उसको अपनी जमीन के बारे में लिखवाना पड़ता है।

यह इतना मुश्किल प्रोसिजर हो जाता है कि कई दफे पटवारी य बैंक वाले कहते हैं कि तहसीलदार का सर्टिफिकेट लाओ, तहसीलदार का काफी नहीं दो-तीन गवाह लाओ, उसके ऊपर सिक्योरिटी देने वाले आदमी लाओ। यह किसान के लिए मुश्किल है। एक साहूकार कर्जा ले सकता है लेकिन किसान नहीं ले सकता। इसलिए किसान को क्रेडिट की व्यवस्था होनी चाहिए।

किसान अपनी फसल सरकारी गोदाम में रखता है। जितनी भी इंण्डस्ट्रीज हैं वे अपना उत्पादन अपने गोदाम में रखते हैं और उसको गिरवी रखकर कर्जा ले सकते हैं। उस गोदाम में एक ताला बैंक लगा देता है और एक ताला व्यापारी लगा देता है। किसान को भी इसी तरह से कर्जा मिलना चाहिए। इससे किसान को भी फायदा होगा और सरकार को भी फायदा होगा। एक सुविधा शुरू हुई थी लेकिन पता नहीं वह कहां तक चली है। कहा गया था कि हिन्दुस्तान के कुछ जिलों में यह होने वाला है। वह कामयाब रहा या नहीं लेकिन मैं कहूंगा कि उसको फालो-अप करके उसमें जो कमियां हैं उनको दूर करके किसानों की जो फसल पड़ी हैं उस पर कर्जा दें। मेरी विनती है कि यह सुविधा होनी चाहिए।

मैं आखिर में कापरेटिव का जिक्र करना चाहता हू। खासतौर पर चीनी की मिलों का जिक्र किया गया है। कॉपरेटिव का हाल यह है कि जो बड़ी-बड़ी मिलें लगी हुई हैं वे शुगर की हैं। उनमें कुछ मिलें ऐसी हैं जो कामयाब हैं लेकिन बहुत सी ऐसी हैं जो फैल हो रही हैं। मिलें उन लोगों की हैं जिन्होंने उसमें पैसा लगा रखा है लेकिन किसी न किसी बहाने वह बोर्ड चलता रहता है, उसका चुनाव नहीं होता, जिसके कारण अफसरशाही मिलों को चलाती हैं, उनमें घोटाला करती हैं और उसका नुकसान किसान को होता है। इसलिए कॉपरेटिव नीति में इसके लिए भी प्रावधान होना चाहिए कि बोर्ड सही ढंग से काम करे और उनका समय पर चुनाव हो। अन्य निर्वाचित संस्थाएं चल रही हैं। उन्हीं की तरह कॉपरेटिव संस्थाओं को भी चलाना चाहिए। कॉपरेटिव के सुधार के लिए जो भी कदम उठाए जा सकते हों वे उठाए जाने चाहिएं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब छः बजे हैं क्या हम और आधा घंटा बैठ सकते हैं क्योंकि कई माननीय सदस्यों को बोलना है ?

कई माननीय सदस्य : हम चर्चा कल जारी रखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : कल से आगे हम अपना देर तक बैठने का मन बना लें ताकि और अधिक माननीय सदस्य चर्चा में भाग ले सकें।

6.01 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 8 अगस्त 1995 / 17 श्रावण, 1917 (शक) के ग्यारह बजे तक लिए स्थगित हुई।